खण्ड-429, अंक-10
सोमवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(15 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–96
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	96-97
जनपद आगरा में "साची द्वार" बुद्ध चतंकी घाट पर एवं 'अम्बेडकर भवन' डा० मानक चन्द जाटव जगदीशपुरा छात्रावास में बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
सुल्तानपुर में नहरों ड्रेनों के निर्माण में अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
प्रदेश में नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर निगमों का कार्यकाल, समाप्त होने से पूर्व वर्तमान सरकार द्वारा अवैध एवं अलोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त करने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
श्रीमती मार्गश्री कन्या इन्टर कालेज पैड़त जनपद फिरोजाबाद को मान्यता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) की नगर पालिका परिषद् भदोही में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98-99
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा मे कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा पैगम्बरपुर से गढ़ी चांदपुर व सवाई माधौपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	99
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण रखे जाने में मा० अध्यक्ष के निदेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99-100
मा० अध्यक्ष द्वारा नियम 52, 49 एवं 103 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर चर्चा को स्थगित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	100-102
संविधान में 73वां संशोधन की मूल भावना के विपरीत कार्य किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	102
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	103-115
प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु सांसदों की भांति विधायकों को भी वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ...	115-117
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (जारी) ...	117
प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु सांसदों की भांति विधायकों को भी वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	117-119
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	119-155
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	155-191

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जाय तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय।" का प्रस्तुतिकरण एवं इस पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	191
लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम० एस-सी० (टैक०) फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–52 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	191
गोरखपुर तथा बस्ती कमिश्नरी में इसाई मिशनरी द्वारा धन एवं आवास का प्रलोभन देकर व्यापक पैमाने पर हिन्दू धर्म से इसाई धर्म में कराये जा रहे धर्मान्तरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	191
अग्निकाण्ड में गेहूं और गन्ने की फसल के नष्ट होने पर सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था किये जाने के विषय में दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 नत्थी (ग) के संबंध में श्री राम ललित चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	191
डा० सुरेश द्विवेदी की तैनाती आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में होने से उनके विरुद्ध चल रही जांचें प्रभावित होने के विषय में दिनांक 10 फरवरी, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–48 तथा 49 नत्थी (ग) के संबंध में श्री हरदेव सिंह तथा श्री रामतेज यादव द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	191-192
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	192-193
जनपद मेरठ तथा बुलन्दशहर के मध्य संचालित प्राइवेट बस सेवा की बन्दी तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुनः संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	193-194
प्रदेश में राष्ट्रीय बचत एजेंसी के नवीनीकरण में राष्ट्रीय बचत निदेशालय के आदेशों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	195
जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के मुख्यालय ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर का पानी गन्दा होने के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन	195
प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों में सदस्य विधान सभा को पदेन सदस्य न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	195-196
प्रदेश में विशेषकर जनपद मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बी० टी० सी० शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	196-197
नत्थी	198-199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोनवार, दिनांक 15 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधमसिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
तिलक राज बेहड़, श्री	उधमसिंह नगर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित सदस्य
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बादू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बावन सिंह, श्री	गोण्डा
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर

मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायन सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय, "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह	
उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
हरदेव सिंह	बारांवकी
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 15 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 05 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेष कार्य योजना की जानकारी

**1.–श्री राम औतार शाक्य–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सन्तुलित रखने के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे तथा ऊपर के परिवारों को नियंत्रित दरों पर गेहूं, चावल एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है । उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त खाद्य तेल, दालें, आलू, प्याज आदि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनके बाजार मूल्यों की नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपरोक्त वस्तुएं उचित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें कहा है कि बाजार मूल्यों की नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा रही है ।

मान्यवर, अगर यह व्यवस्था पहले से ही लागू थी तो विगत समय में खाद्य तेल, प्याज, नमक के दाम बेतहाशा क्यों बढ़े थे जिससे कि गरीब आदमी इन चीजों को खरीद नहीं पाया ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और उस मामले में कितने जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष–

जमाखोरों की सूचना उपलब्ध नहीं होगी, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में समीक्षा जनपद और प्रदेश स्तर पर बराबर होती है । यह बात सही है कि उस समय के लिये आवश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गये थे जिसके कई कारण थे एक तो यह था कि उत्पादन में कमी हुई और विशेष रूप से जहां तक तेल की बात है केन्द्र सरकार ने स्टाक सीमा समाप्त कर दी थी जिससे दाम बढ़े । इस संबंध में हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जिससे कि स्टाक

सीमा फिर लगा दी गई है और प्रदेश स्तर पर प्रभावी इनफोर्समेंट के कारण खाद्य तेलों और खाद्यान्नों के दाम तुरन्त गिर गये और सामान्य स्थिति पर आ गये ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, प्रदेश में इस समय गरीबी की रेखा के नीचे कितने परिवार रहते हैं और उनको रेखांकित करने या चिन्हित करने के लिये क्या मानक तय किया गया है ? जो चीजों के दाम बढ़े थे वह आगे न बढ़ें, आलू, प्याज, कड़ुवा तेल, लहसुन आदि की कीमतें न बढ़ें इसके लिये सख्त आदेश और निर्देश निर्गत करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में लगभग साढ़े पन्द्रानवे लाख परिवार चिन्हित किये गये हैं और उसका मानक यह है कि आमदनी प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये या उससे कम हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है । केन्द्र सरकार द्वारा हमारे प्रदेश के लिये एक सीमित संख्या निर्धारित की गयी है और निर्धारित की गयी संख्या के अन्तर्गत हमको काम करना पड़ता है । साढ़े पन्द्रानवे लाख लोगों को अलग से राशन कार्ड दिया गया है और सस्ती दरों पर उनको गेहूं और चावल उपलब्ध किया जा रहा है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये जो राशन कार्ड की व्यवस्था है, जो पुराने राशन कार्ड हैं उनकी अवधि समाप्त हो गयी है । जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं तो क्या यह शासन उन तमाम लाभार्थियों के लिये नये सिरे से राशनकार्ड बनवाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है । दूसरा सवाल यह है कि जो भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, वह क्या है, क्या उसका शत प्रतिशत अनुपालन राज्य सरकार द्वारा होता है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चार मुख्य आइटम हैं– गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी जो केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है । उनका प्रतिमाह का कोटा निर्धारित है जिसका वितरण कराया जाता है । हमारा प्रयास यह होता है कि शत प्रतिशत अनुपालन हो और उपभोक्ता को निर्धारित दामों में उपलब्ध हो जाये । जहां तक राशनकार्ड बनाने की बात है, पूरे प्रदेश में 4 करोड़ की संख्या में नये राशन कार्ड बनाये गये हैं ।

श्री केशो मैहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह पूछा गया कि आपूर्ति संतुलन रखने के लिये शासन क्या कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है । यह उत्तर दिया गया कि हम नियमित मूल्य की समीक्षा करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि आलू और प्याज की फसल अच्छी हो गयी है तो दाम बहुत नीचे गिर गये । क्या शासन आलू और प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करेगी । भण्डारण शीतगृहों में होता है, जहां पहाड़ों में वह तापमान उपलब्ध है एक समर्थन मूल्य घोषित करके उनका भण्डारण इस प्रकार से हो सके ताकि बाजार में नियमित दाम पर मिल सके । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

आलू और प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करने की न तो सरकार की कोई नीति है न ही कार्यक्रम है । विशेष कार्ययोजना के बारे में प्रश्न किया गया है । पिछले प्रश्न में उत्तर आया उसकी पुनरावृत्ति न

हो उसके बारे में विशेष कदम उठाये हैं उनका उल्लेख कर देना चाहता हूं, बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। अभी तक चावल और गेहूं एफ० सी० आई० को देते थे और फिर उनसे खरीदते थे, कभी-कभी कठिनाई आ जाती थी और समय के अन्दर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते थे, हमने केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। आगे आने वाला सीजन है उसमें प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश सरकार स्वयं अपने स्रोत से करेगी। आने वाली फसल में चावल का भी भण्डारण अपने पास करेगी।

हमने जिला स्तर पर यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि समिति बना दी गयी है कि खाद्यान्न की कितनी उपलब्धता अमुक जनपद में है, उसमें आलू, प्याज के साथ ही नमक भी शामिल है, हम यह भी पता करते रहते हैं कि बाजार का ट्रेड क्या है बराबर सूचना दी जायेगी तो विस्फोटक स्थिति आने से बहुत पहले प्रभावी कदम उठा लिये जायेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

जैसा कि विदित है कि किसान के पास जब आलू होता है तो बहुत सस्ता हो जाता है। किसानों को आलू की खुदाई करवाने में भी काफी लागत खर्च करनी पड़ती है इसलिये किसान उसे वैसे ही छोड़ देता है और आलू खेत में ही सड़ जाता है। इसी तरह से प्याज की स्थिति है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो प्रोड्यूसर है और जो उपभोक्ता है इन दोनों में संतुलन बना रहे और उपभोक्ता व उत्पादनकर्ता को नुकसान न हो, ऐसी कोई नीति सरकार बनायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

आदर्श स्थिति वही है जो शाक्य जी ने कहा है कि उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों में संतुलन बना रहना चाहिये। आलू के बारे में किसान को जल्दी होती है। आलू एक डेढ़ महीने जमीन में रह सकता है लेकिन किसान को चूंकि दूसरी फसल बोनी होती है इसलिये वह खोद देता है कोल्ड स्टोरेज में इतनी जल्दी रख नहीं पाते इस कारण बिचौलिये मनमाने दाम पर आलू खरीद लेते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विशेष कार्य योजना बनायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के निजीकरण की जानकारी

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में बढ़ रहे घाटे के निराकरण हेतु उसके निजीकरण पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन विचाराधीन है जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्रस्तावित है।

निजीकरण के प्रथम चरण में नोयडा तथा केसा (कानपुर) के विद्युत वितरण के लिये प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त शासन को प्रस्तुत करने के लिये क्रमशः मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा तथा आयुक्त, कानपुर मण्डल को अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् के पुनर्गठन की रूपरेखा क्या है, कब तक पुनर्गठन कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पुनर्गठन के ऊपर बड़े विस्तार से इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है । जिस रोज विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस रोज भी रूपरेखा बताई गई थी । अभी तक तीनों काम ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का काम विद्युत परिषद् देख रही थी सबसे पहला काम तो यह किये जाने की योजना है कि तीनों के लिये अलग-अलग निगम बना दिये जायं ताकि उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके । उसके बाद इसको छोटे-छोटे निगमों में विभाजित कर दिय जाए बाद में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए । यह वर्षों का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कर दी गई है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिये क्या उद्योगपतियों से विचार-विमर्श हुआ है ? उसकी संख्या कितनी है ? कौन-कौन से हैं ? निजी क्षेत्र की सहभागिता किस क्षेत्र में की जाएगी या उत्पादन वितरण और पारेषण तीनों क्षेत्रों में की जाएगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जो निजी क्षेत्र में उद्योगपति हैं, जो काम कर रहे हैं उनसे बात बराबर चल रही है और चार हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें दो तापीय योजनाएं हैं दो जलीय योजनायें हैं । इन चार के बारे में कार्यवाही हो चुकी है । निजी क्षेत्र में लगभग सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं । यह शुरू होने वाली है । इसके अलावा 22 लघु योजनायें हैं जिनके बारे में निजी क्षेत्र में बात-चीत चल रही है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि परिषद् के काफी घाटे के कारण निजीकरण करने की योजना विचाराधीन है । कर्मचारियों में जिसके कारण असंतोष है और परीक्षा चल रही है लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं इसके लिये बिजली मिल सके उनका असंतोष समाप्त हो इसके लिये क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते ऊर्जा बजट आया था उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तो बिजली सही मिली लेकिन बाद में पि.र वही स्थिति हो गयी । ऊर्जा मंत्री एवं राज्य मंत्री अनुपस्थित हैं । आज स्थिति इतनी गड़बड़ है कि ओ० सी० आर० में बिजली चली जाने से लोग लिफ्ट में फंस गये जिसके कारण भगदड़ मच गई, इसको ठीक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

निजीकरण की स्पष्ट नीति सामने आयी नहीं है बिजली की भीषण कटौती चल रही है, क्या इसके लिये राहत देने का काम किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 2964 के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के उपाय की जानकारी

*1–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भारी वायु प्रदूषण फैल रहा है जिससे सामान्य जनजीवन दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कारगर उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री दच्चा पाठक)–

प्रदेश की राजधानी लखनऊ एवं अन्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या विद्यमान है । महानगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती हुई वाहन संख्या है ।

वाहनों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 1993 में आवश्यक प्राविधान उपलब्ध हैं जिसके अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

महानगरों में वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम के लिये प्रदेश के प्रमुख नगरों में नियमित चेकिंग के दौरान निर्धारित क्षमता से अधिक धुंआ उत्सर्जित करने वाले वाहनों के विरुद्ध विगत तीन वित्तीय वर्षों (1996-97, 97-98 एवं 98-99 में 31-1-99 तक) (65,511) वाहनों का चालान किया गया, जिनमें विशेष चेकिंग अभियान के अन्तर्गत 12,038 किये गये चालान भी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में दिनांक 1-2-99 से 7-2-99 तक लखनऊ महानगर के साथ-साथ 08 अन्य (फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी) नगरों में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विशेष चेकिंग कराई गई जिसमें कुल 30,912 वाहन चेक किये गये ।

इनमें से 3,294 वाहनों को अधिक धुंआ उत्सर्जित करने के अभियोग में चालान किया गया तथा 722 वाहन बन्द किये गये एवं 3,910 वाहनों के प्रति नोटिस जारी किया गया । इसके अतिरिक्त चेक की गयी वाहनों में से 17,460 वाहनों को मानक के अनुसार धुंआ उत्सर्जित करने के आधार पर प्रदूषणयुक्त प्रमाण-पत्र जारी किया गया । उक्त कार्यवाही से वाहन जनित प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु कानपुर के टेनरीज बन्द कर अन्यत्र स्थानान्तरण करने की जानकारी

*2–श्री कृपा शंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर की टेनरीज बन्द करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कानपुर की उक्त टेनरीज अब गंगा नदी के उत्तरी किनारे ग्राम बन्थर जनपद उन्नाव में स्थापित की जा

रही है ? यदि हां, तो क्या गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु ग्राम बन्धर में खुलने वाली उक्त टेनरीज को चालू करने से रोका गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल दल के सदस्यों के रेलयात्रा करने पर प्रथम श्रेणी के स्थान पर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी का किराया आनुषंगिक व्यय के रूप में अनुमन्य करने के संबंध में जानकारी

*३–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल दल के सदस्यों को अभी तक रेल यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर अनुषंगिक व्यय अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रेलों में अब प्रथम श्रेणी के स्थान पर वातानुकूलित स्लीपर लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदस्यों को प्रथम श्रेणी के स्थान पर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी का किराया आनुषंगिक व्यय के रूप में अनुमन्य करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

यह सही नहीं है ।

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का किराया आनुषंगिक व्यय के रूप में अनुमन्य करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर अनुकूलता से विचार किया । परन्तु प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि "यह सही नहीं है । " यह सही नहीं है का कारण क्या है, यह बात समझ में नहीं आ पा रही है । तीसरा माननीय मंत्री जी इसको कब से लागू कर देंगे ? क्या इसे 1-1-1999 से लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही नही है, जो यह उत्तर दिया है, इसका कारण है । यद्यपि माननीय सदस्य जिस गाड़ी से जाते हैं, उसमें दोनों ही श्रेणियां हैं.....

श्री अध्यक्ष–

कुछ में है और कुछ में नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

भले ही गाड़ी में दोनों श्रेणियां हों, इसके बावजूद भी यह मामला शासन के विचाराधीन है और इस पर कार्यवाही चल रही है ।

तारांकित प्रश्न

जनपदों में थाना प्रभारियों, इन्सपेक्टरों की तैनाती में आरक्षण नीति लागू करने की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपदों में थाना प्रभारियों, इन्सपेक्टरों की तैनातियों के संबंध में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार ने उस आरक्षण नीति को संशोधित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? क्या सरकार उपरोक्त तैनातियों में पुनः उक्त आरक्षण नीति को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

20% थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति, 25% थानों पर अन्य पिछड़े वर्ग तथा 8% थानों पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के थानाध्यक्षों की नियुक्ति का कोटा निर्धारित है । कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हेतु जिले के सभी थानों की अपराधों की स्थिति, संवेदनशीलता एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा करने के उपरान्त उपलब्ध इन्सपेक्टर/सब-इन्सपेक्टर की वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर थानों में वर्गीकृत वरीयता क्रम के आधार पर सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए मेरिट पर थानाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 8% अल्पसंख्यक वर्ग के लिये कोटा निर्धारित है । जो कोटा निर्धारित किया गया है क्या माननीय मंत्री जी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसी हिसाब से जनपदों में तैनाती है ? यदि नहीं,तो इसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि जो कोटा है, उस कोटे के अनुरूप नियुक्तियां नहीं हैं । पूरा कोटा न होने के कारण हैं ? शासन स्तर पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है । जहां तक कोटे की बात है कोटे का आधार मानते हुए श्रेष्ठता तथा गुणवत्ता के आधार को भी माना गया है, तभी हम अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं । इन दोनों चीजों का समावेश होना चाहिये । गुणवत्ता तथा श्रेष्ठता के आधार पर प्रयास किया जाता है । अगर कहीं यह आधार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां पर नहीं किया जाता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने यह जो अपना लिखित उत्तर दिया है कि थानाध्यक्षों की नियुक्ति में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25 प्रतिशत ओ० बी० सी० और 8 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के थानाध्यक्षों की नियुक्ति का कोटा निर्धारित है। मान्यवर, आज कहीं भी पूरे जिले में यह कोटा पूरा नहीं है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने एक अनुपूरक सवाल के जवाब में कहा है कि इसके निर्धारित होने के बावजूद भी श्रेष्ठता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर तैनात किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट में बैकवर्ड में या अल्पसंख्यक समुदाय के जो एस०- आई० हैं उनकी वरिष्ठता, श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठा के आधार पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति किया जाना है तो क्या यह बैकवर्ड, शिडयूल्ड कास्ट और माइनोरिटीज में जो थानाध्यक्ष हैं उनके अन्दर सत्यनिष्ठा और श्रेष्ठता नहीं है जिसके नाते उनकी नियुक्ति की जा सके।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उनके अन्दर इनकी कमी हो लेकिन किसी-किसी जनपद में यह जो नियुक्ति होनी है उसके लिये किसी पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार नहीं दिया जाय कि श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठा के आधार पर नियुक्ति करें। उनको 9 दिसम्बर, 1997 को शासनादेश जारी किये गये थे उनके मार्गदर्शन हेतु क्योंकि मान्यवर, सर्वोच्च प्राथमिकता शान्ति कायम रखना और अपराधों पर नियंत्रण रखना है, इसलिये इस आधार पर कि कहीं वे कोटे को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही नियुक्ति न की जाय। कहीं-कहीं पर इस तरह की नीति को भी ध्यान में रखा गया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि क्या जितने भी उत्तर प्रदेश के अन्दर जिले हैं किसी एक सिंगल जिले के बारे में माननीय मंत्री जी बता दें जहां पर शिडयूल्ड कास्ट, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक का कोटा पूरा है ? मान्यवर, यह किसी भी जिले में पूरा नहीं है। वहां पर जो तैनात एस० आई० हैं बैकवार्ड क्लास, शिडयूल्ड कास्ट और अल्पसंख्यक समुदाय के वो इनके चश्मे के आधार पर या इनके द्वारा नियुक्त एस० पी० और डी० एम० के चश्मे से वह योग्य नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसके नाते उनका कोटा नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर किसी जिले में पूरे प्रदेश के अन्दर कोटा पूरा हो तो माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

छिपाने की कोई बात नहीं है। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि मार्गदर्शन दिये गये 95 में उसके बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सोचा कि कोटे के आधार पर नियुक्ति करेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो पायेगी।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट यह हो रहा है कि सारे उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग में, ओ० बी० सी० में और मुस्लिम वर्ग में न तो ज्येष्ठता के आधार पर, न श्रेष्ठता के आधार पर लोग तैनात हैं। जो माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि उनकी नियुक्ति इस आधार पर की जाती है यह नितान्त भ्रामक और मिथ्या है। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय शिड्यूल्ड कास्ट हो, बैकवर्ड हो चाहे एस० आई० या थानाध्यक्ष हो हर थाने में नियुक्त था और उस समय कोटा पूरा था और उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति आज की कानून व्यवस्था से बेहतर थी। यह सारे आंकड़े उस समय के और इस समय के सन् 1994-95, 1995-96 और 1998-99 से पूरी

तरह प्रदर्शित होता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और यह अपेक्षा करूंगा कि क्या मंत्री जी एक महीने के अन्दर ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर सारे प्रदेश में मुस्लिम, दलित आदि लोगों का कोटा पूरा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

ज्येष्ठता और श्रेष्ठना का आधार मानेंगे।

श्री अध्यक्ष–

उपलब्धता भी हो।

श्री हुकुम सिंह–

इन सब चीजों को देखते हुए नियुक्ति की जा रही है नेता प्रतिपक्ष और हमारी बात में कोई अन्तर नहीं है इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ जिलों में कोटा ज्यादा है तो जहां उपलब्धता हुई वहां हुई। लेकिन जो सक्षम न हो उसकी नियुक्ति करें इस तरह से हल निकालें जैसा कि आपके कार्यकाल में हुआ तो यह सम्भव नहीं है।

श्री कौकब हमीद–

जिन जनपदों में कोटा एक परसेंट भी पूरा नहीं है क्या उनको पूरा करायेंगे यदि करायेंगे तो कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

उपलब्धता के आधार पर प्रयास किया जा रहा है जहां-जहां उपलब्ध होंगे, वहां किया जाएगा।

डा० कौशल किशोर–

ज्येष्ठता और श्रेष्ठता और उपलब्धता के बारे में मंत्री जी ने बताया है यह बहानेबाजी चली आ रही है यह कहते हैं कि "कैण्डीडेट्स आर नाट एप्लीकेबिल" कैण्डीडेट इनको मिल नहीं रहे हैं कैण्डीडेट्स कहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं ली जा रही हैं यह कहते हैं अप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जो भर्ती हो रही है उसमें कोटा भी पूरा होता है और काबिल लोगों को लिया जाता है भाई-भतीजावाद पर लिस्ट नहीं बनती है फेयर काम होता है यह नहीं कि सहारनपुर में होना है। लिस्ट यहां से चली गई सही लिस्ट बनती है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुस्लिम भाईयों में जो कैटेगरी है वह आपके संज्ञान में है, आपको उपलब्धता नहीं हो पाई ऐसा कुछ आप बता रहे हैं इसमें सत्यनिष्ठा संदिग्ध है ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इनके लोग मौजूद न हों उनका ख्याल है जब से आपकी सरकार आई है आप ऐसे लोगों की पत्रावली खोलकर .....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

उपलब्धता के आधार पर इंस्पेक्टर नहीं बन रहे हैं कोतवाल नहीं बन रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं इतने दिनों में प्रदेश में उपलब्धता नहीं है तो होनी चाहिये मैं चाहता हूं सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी होनी चाहिये ...

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक पूछे, कृपया भाषण न दें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

इतने दिनों से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना दे सकें जो असंतोष प्रदेश में और समाज में है उसको दूर किया जा सके ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान सरकार ने योजना बनायी उस योजना का परिणाम है कि भर्ती हो रही है संविधान में निर्धारित कोटा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उसके अनुसार भर्ती की जा रही है और भर्ती योग्यता के आधार पर की जा रही है । पिछले समय में योग्यता को आधार पर नहीं माना जा रहा था इसलिये कुछ कमियां आयीं । उसको दूर करने का काम हम कर रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अधिकांश जिले में जो एस० सी०, बी० सी० और माइनोरिटीज के इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर हैं, उनका कोटा पूरा नहीं किया गया है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन वर्गों के इंस्पेक्टर और सब इन्सपेक्टर को अयोग्य क्या आपने मान लिया है ?

श्री हुकुम सिंह–

अयोग्य नहीं माना है जो योग्य हैं उनको चार्ज दिया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनकी उपलब्धता नहीं है । पहले वाले प्रश्न में उन्होंने कहा कि इतना-इतना कोटा निर्धारित है लेकिन बाद में कहा कि सामाजिक समरसता तथा ज्येष्ठता निर्धारित की है । तो जहां तक उपलब्धता है, जैसे कि मैनपुरी में एक भी बी० सी० और माइनोरिटीज का थानाध्यक्ष नहीं है । बी० आर० वर्मा जी ने भी कहा कि प्रदेश में एक भी जनपद बता दें जिसमें इस आरक्षण के मुताबिक नियुक्ति की गयी हो । एक तरफ तो आप नियम की दुहाई देते हैं वहीं दूसरी तरफ प्रैक्टिकल नहीं है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन ? वहां पर उपलब्धता होते हुए भी थाना प्रभारी इस प्रमोशन के आधार पर नियुक्त नहीं हुए । तो क्या आप इसका सर्वे करायेंगे और सर्वे कराकर जो एस० एस० पी० दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है । जो मैनपुरी की बात कही गयी तो मैं जानकारी दे दूं कि वहां पर 29 अधिकारी ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, 24 पिछड़े वर्ग के हैं तो यह स्थिति है । किसी जनपद में उपलब्ध न हो और जूनियर हो तो इससे खराब हो जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है वह भ्रामक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। यह सही है कि सारे प्रदेश में अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित लोगों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। यह हो सकता है। यह जानबूझकर इनको अपमानित कर रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों का कोटा निर्धारित है उसके अनुसार निर्धारण होना चाहिये यह कहा गया लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठता और सामाजिक समरसता के आधार पर होगा यह कहा गया। तो यह दोनों बातें आपस में विरोधी हैं। सरकार इन वर्गों के लोगों को अयोग्य मान रही है इसलिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत में 25 प्रतिशत ओ०बी०सी० का और 8 प्रतिशत माइनोरिटीज का कोटा निर्धारित करने का काम सरकार ने किया था, तो उस समय मुख्य मंत्री कौन थे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह शासनादेश 28 जुलाई, 1995 को जारी किया गया था।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि उस समय मुख्य मंत्री कौन थे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 28 जुलाई, 95 को शासनादेश जारी किया गया था मुख्य मंत्री कौन थे, किसने मुख्य मंत्री बनाया था और किसके समर्थन से चल रहे थे ...

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वे कौन से मुख्य मंत्री थे जिनके समय में यह शासनादेश जारी हुआ कि जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के थानाध्यक्षों में आरक्षण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 28 जुलाई, 1995 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित एक मुख्य मंत्री थे।

प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने हेतु श्री धर्मवीर कमीशन पुलिस विभाग में लागू करने की जानकारी

*2–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये पुलिस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? क्या सरकार धर्मवीर कमीशन लागू करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कतिपय संस्तुतियां प्रदेश में लागू की जा चुकी हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह 1861 का एक्ट है और आज 1999 आ गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि धर्मवीर आयोग की कौन-कौन सी संस्तुतियां लागू की गई हैं । आमूल-चूल परिवर्तन की आपकी मंशा नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक आमूल-चूल परिवर्तन की बात है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हमेशा चलता रहता है । यह 1861 का भारत सरकार का एक्ट है । उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है । मान्यवर, आयोग की सैकड़ों की संख्या में संस्तुतियां है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है । मान्यवर, कुल मिलाकर 8 रिपोर्ट है पहली रिपोर्ट में मुख्य संस्तुतियों में 13 को, दूसरी में 11 को, तीसरी में 8 को और चौथी में 2 संस्तुतियों को स्वीकार किया है । मुख्य संस्तुतियों में पुलिस बल को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये उनका प्रशिक्षण, पुलिस बल के आवास की व्यवस्था, पुलिस बल के लिये अच्छे हथियारों की व्यवस्था यह सारी संस्तुतियां आयी हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह कोई नई बात तो नहीं बता रहे हैं पुलिस बल में आमूल चूल परिवर्तन करने से मेरा मतलब है जैसा कि अन्य प्रदेशों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है, उसी प्रकार से यहां उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे, यह मेरा सीधा सा प्रश्न है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पुलिस आयुक्त की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, यह व्यवस्था सभी प्रदेशों में लागू नहीं है, कुछ प्रदेशों में ही लागू है । यह व्यवस्था जो प्रेसीडेंसी टाउन हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, और बम्बई वहां पर लागू हैं, पहले से वहां पर यह व्यवस्था है । एक संस्तुति यह आयी, धारा 8 का संशोधन किया गया कि सी०आर०पी०सी० का क्षेत्र और बढ़ाया जाये, 10 लाख की आबादी के बजाय 5 लाख की आबादी वाले शहरों में पुलिस व्यवस्था लागू की जाये, जितना आप देख रहे हैं, उतना लाभ नहीं है । श्रीमन्, सी०आर०पी०सी० का संशोधन 1974 में हुआ है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स थी वह पुलिस कमिश्नर को मिल जाये और उन पावर्स में बहुत कमी कर दी गई है । अगर पुलिस और जनता के बीच कोई कड़ी नहीं रहेगी, तो दिक्कत होगी । इन्दिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जिस प्रकार के दंगे हुये, वहां पर पुलिस आयुक्त की व्यवस्था के बावजूद भी स्थिति बहुत खराब हो गई और आर्मी को बुलाना पड़ा, आर्मी ने पुलिस आयुक्त के अन्डर काम करने से मना कर दिया और उसके फलस्वरूप एक डिप्टी सेक्रेटरी को मजिस्ट्रेट की पावर्स देनी पड़ी, तब उन्होंने काम किया । मान्यवर, पुलिस और जनता के बीच निगोशियेट करने वाली कोई संस्था चाहिये । कम्युनिकेशन गैप हो जाता है । इसलिये मेरा मत है कि पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने में लाभ के बजाय हानि है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बहुत सी कमियों को बतला दिया है। मैं लखनऊ का उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पर एस०एस०पी हैं और वह हमेशा वी०आई०पी० ड्यूटी में लगा रहता है और कानून व्यवस्था के बारे में कोई समय नहीं दे पाता है। अगर पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था होगी तो एक आई०जी० होगा, 5–6 एस०पी० होंगे, 40–50 डी०एस०पी० होंगे और इसी प्रकार से तमाम और अन्य कर्मचारी होंगे। अगर आप पूरे प्रदेश में पुलिस आयुक्त व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते हैं तो नमूने के तौर पर कानपुर और लखनऊ में लागू कर के देख लें, अगर उससे फायदा होता है तो सारे प्रदेश में लागू करें ?

श्री हुकुम सिंह–

आपका सुझाव है, लेकिन इसका परीक्षण किया जा चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

1977 में एक समिति बनी थी कि पुलिस आयुक्त वाली व्यवस्था लागू की जाय अथवा नहीं, लेकिन उसमें यही निष्कर्ष निकला था कि पुलिस कमिश्नर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रशिक्षण, शस्त्रों और रहने की व्यवस्था की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से कितने आवास बना दिये गये हैं, उनकी संख्या माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आवास बनने की एक प्रक्रिया होती है और बजट में उसका प्राविधान होता है, किस सरकार ने कितनी संस्तुतियों को माना, रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसे उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पुलिस में सिपाही हैं, इन्सपेक्टर हैं और कुछ जिलों में तो एस०पी० के रहने के लिये भी आवास नहीं हैं। आप ने कहा कि यह व्यवस्था करा दी है, कितने आवास बनाये हैं, उनकी संख्या बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

रिपोर्ट का पहला भाग है, संस्तुति संख्या 8 आवास की व्यवस्था के संबंध में है और वह उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। थाने या लाइन में जो सिपाही रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय कुंवर साहब के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया जो इण्डियन पुलिस ऐक्ट 1861 है जो सेन्ट्रल एक्ट है उसी के अधीन तमाम सारे लोकल ऐक्ट बनते हैं तमाम स्टेट्स इण्डियन पुलिस ऐक्ट एडोप्ट करते हैं वे कौन-कौन सी बाते हैं जिनकों आपने लोकल एक्ट के रूप में एनैक्ट किया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तृत प्रश्न हो जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, मूल सवाल यही था कि कौन-कौन से फंडामेंटल्स हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि धर्मवीर कमीशन के अन्तर्गत सबसे बड़ी संस्तुति थी कि पुलिस फोर्स को स्वायत्त बनाया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स पर जो राजनीतिक दखलन्दाजी फेवरिटिज्म, निपोटिज्म आदि पनप रही है उसके संबंध में जो धर्मवीर कमीशन ने पुलिस तंत्र को ओटोनौमी देने की बात कही है उस पर विचार करेंगे। तीसरा तमाम दुनिया के मुल्कों में पुलिस फोर्स में सिंगिल इन्ट्री सिस्टम है, जो कान्सटेबिल बनता है वही आई०जी० बनता है तो सबकी भर्ती एक सी होती है वह जानता है कि एक दिन आई०जी० बन सकता है। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्रदेश के अन्दर सिंगिल इंट्री व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे होगा। पुलिस कान्सटेबिल का मापदण्ड दूसरा होता है और ऊपर के अधिकारी का मापदंड दूसरा होता है।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, मेरा सवाल थोड़ा डिविवेट कर रहा है लेकिन यह महत्वपूर्ण है यही सवाल यहां सदन में बार-बार उठते रहते हैं और जवाब आते हैं कि कांसटेबिल ने कुछ कमी होने के कारण मिस हैंडिल किया जिससे यह स्थिति आई। सबसे बड़ी बात आम जनता में पुलिस की छवि क्या रहती है ? जब पुलिस कान्सटेबिल भर्ती होता है अगर उसे यह मालूम हो कि एक दिन उच्च पद पर जा सकता है तो वह उस हिसाब से काम करेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रोन्नति के नियम बने हैं।

श्री मुन्ना चौहान--

इस सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कुल 54 सिफारिशें हमें प्राप्त हुई हैं उसमें से कोई भी रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें ऐसी बात कही गई हो मेरे पास रिपोर्ट है। जहां तक राजनीतिक हस्तक्षेप न होने की बात है वह बात अलग है। आप तो उसके प्रती क बन चुके हैं।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, धर्मवीर आयोग को बने हुये बीस वर्ष का समय हो चुका है तब से अपराधों की श्रेणी में परिवर्तन आ गया है और नयी-नयी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं तो उसको दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये पुलिस आयोग गठित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--

कोई नया पुलिस आयोग गठित करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

सरसों के तेल में भारी मूल्य वृद्धि की जानकारी

*3-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1998 के माह जुलाई, अगस्त में सरसों के तेल के बाजार भाव क्या थे और अक्टूबर, 98 में क्या रहे ? इस भारी मूल्य वृद्धि के क्या कारण थे ? सरकार द्वारा इससे निपटने हेतु क्या उपाय किये गये ?

श्री हुकुम सिंह-

वर्ष 1998 के प्रश्नाधीन महीनों में सरसों के तेल का बाजार भाव निम्नवत् था :-

माह	थोक भाव (प्रति टिन)	फुटकर भाव (प्रति किलो)
जुलाई, 98	रु० 693.00	रु० 50.00
अगस्त, 98	रु० 700.00	रु० 50.00
अक्टूबर, 98	रु० 1000.00	रु० 70.00

देश में वर्ष 1997-98 की शरत ऋतु में काफी दिनों तक होने वाली असामयिक वर्षा से खराब मौसम के कारण तिलहन की फसल खराब हो गई, जिससे उत्पादन में कमी आयी । तथा भारत सरकार द्वारा खाद्य तेल से नियंत्रण हटाये जाने के कारण भी व्यापारियों द्वारा खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई ।

मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के संबंध में निम्न प्रयास किये गये :-

(1) यू०पी० आयल मिलर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से वार्ता करके तेल मिल/वनस्पति घी निर्माताओं द्वारा अपनी मिल गेट पर रिटेल काउन्टर तथा शहरों में रिटेल आउटलेट खोलकर सरसों का तेल/वनस्पति घी प्रचलित बाजार भाव से रु० 5.00 प्रति लीटर कम दर पर बिकवाने की व्यवस्था करायी गई ।

(2) भारत सरकार से 5000 मै० टन पामोलीन का आवंटन प्राप्त किया गया है तथा इसे 15 कि०ग्रा० के टिन में रु० 41.00 प्रति किलो तथा एक लीटर के पोलीपैक में रु० 38.00 प्रति लीटर की दर से उपभोक्ताओं को वितरण कराया जा रहा है ।

(3) भारत सरकार की सहमति से दिनांक 29 अगस्त, 1998 में सरसों के तेल एवं खाद्य तेल पर नियंत्रण आदेश पुनः लागू कर दिया गया ।

(4) खाद्य तेल की स्टाक सीमा कम कर दी गई है ।

(5) कालाबाजारी, मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये प्रवर्तन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जनपदों से दैनिक बाजार भाव प्राप्त करते हुये मूल्यों पर निगरानी रखी जा रही है ।

श्री अम्बरीश कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में सरसौ के तेल के मूल्य वृद्धि के दो कारण बताये हैं, एक तो भारत सरकार द्वारा नियंत्रण हटाने के कारण और दूसरा, व्यापारियों के द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि करना बताया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि 21 अगस्त, 1998 को प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सहमति से पुनः नियंत्रण आदेश लागू कर दिया, और लागू करने के बाद 300 रुपया प्रति टिन तेल का मूल्य बढ़ गया तो फिर खुदरा मूल्य वृद्धि में क्यों वृद्धि हुई । मैं जानना चाहता हूं नियंत्रण आदेश पुनः लागू करने के बाद तेल के मूल्यों में वृद्धि का कारण क्या है ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों द्वारा मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी । तो जिन व्यापारियों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुये कालाबाजारी करके तेल मूल्य में वृद्धि की थी, तो सरकार ने कितने व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की और क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तेल पर से नियंत्रण का हटाया जाना मुख्य कारण वृद्धि का रहा । उसके बाद मौसम खराब था, जिससे उत्पादन कम हुआ और नियंत्रण लागू करने से शनैः-शनैः प्रभाव पड़ा और प्रदेश सरकार ने जो किया उसका जिक्र यहा मैं करना चाहता हूं । मान्यवर, कुल 26,921 छापे मारे गये जिससे 10 करोड़ 93 लाख रुपये का माल जब्त किया गया और 398 व्यक्तियों को इस संदंध में जेल भेजा गया । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 909 व्यापारियों के लाइसेंस निलम्बित किये गये और 188 के लाइसेंस निरस्त किये गये । इस प्रकार हमने प्रभावी कार्यवाही किया । मान्यवर, आज जानकर खुशी होगी कि सरसों का तेल आपको उपभोग के लिये 35 रु० प्रति किलो ग्राम बाजार में उपलब्ध है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया कि वर्षा के कारण फसल खराब हो गई थी । मेरी जानकारी है उस समय वर्षा नहीं बल्कि कोहरा एक महीने तक पड़ा जिससे फसल खराब हुई । कोहरा उत्तर प्रदेश में पड़ा और चूंकि सरसों गुजरात और राजस्थान से अधिक आती है, सरसों की फसल मार्च, अप्रैल तक आ जाती है और फसल आने के बाद ज्ञात हुआ कि उत्पादन कम हुआ है तो मंहगाई बढ़ सकती है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने एहतियाती क्या कदम उठाये गये थे क्योंकि 6 महीने बाद मंहगाई बढ़ी थी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तिलहन, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होता है और उत्तर प्रदेश में मौसम की खराबी के कारण उत्पादन में कमी हुई इसके अतिरिक्त दिल्ली में सरसों के तेल में आरजीमोन की मिलावट के कारण दर्दनाक घटना हो गई थी, मिलावट की शिकायत मिलने पर छापे मारे गये, राष्ट्रीय राजधानी में दर्दनाक घटना हुई जिससे आतंक छा गया था इसलिये बाहर से तेल आने में रुकावट हुई, खुले तेल में रुकावट हुई और तेल के बेचने में रोक पर दबाव डाला गया ताकि आदमी की सुरक्षा हो सके, इसलिये माहौल को नियंत्रण करने में समय लगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने दर्दनाक घटना का उल्लेख किया, क्या इस मूल्य वृद्धि के पीछे आरजीमोन की मिलावट और घटना जो हुई उसके पीछे क्या राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिससे ड्रापसी की घटना हुई ? दूसरी बात खुले तेल पर प्रतिबन्ध लगाने से मूल्यों पर प्रभाव पड़ा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में कोल्हू, घानी कोल्हू पर भी नियंत्रण लगाने का क्या औचित्य था ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न किये हैं। एक तो आरजीमोन की मिलावट के कारण क्या तेल के मूल्य में वृद्धि हुई, तो यह सही है। दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय घोषणा की गई थी कि इसमें कोई जांच की जायेगी तो सारी बातों की जांच की आवश्यकता है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये थे। तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया तो मैं बताना चाहता हूं कि सरसों तेल की उपलब्धता को देखते हुए गांवों में जो छोटे-छोटे कोल्हू लगे थे तो उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये था लेकिन प्रदेश में एक वातावरण बन गया था और शिकायतें आयी थीं किन्तु जैसी ही मैंने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला उसके दूसरे दिन ही यह कदम उठाया कि गांवों के कोल्हुओं पर जो प्रतिबन्ध लगा था मैंने उसको तुरन्त हटाया था और उसके अच्छे परिणाम सामने आये थे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरसों के तेल का सम्पुल भरने की क्या कोई स्थायी व्यवस्था की गई है ? जिन लोगों द्वारा सरसों के तेल में मिलावट की गई है उन लोगों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा भविष्य में ऐसे लोगों के प्रति क्या कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है जो तेल में मिलावट करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

माननवर, जब पहली बार यह दुर्घटना दिल्ली में हुई तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में तुरन्त ही छापे मारे गये। ऐसी दुर्घटना प्रदेश में न हो इसके लिये प्रयास किये गये। माननवर, अच्छे और प्रभावी कदम उठाने के कारण ही आज यह प्रदेश बचा हुआ है।

श्री बी०आर० वर्मा–

माननवर, मंत्री जी ने अभी कहा कि दूसरे देशों में जो खाद्य तेल आते हैं उनमें मिलावट की सूचना उनको मिली तो फिर उनके द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई। उस मिलावटी तेल का क्या किया गया जो छापे के दौरान पकड़ा गया। इसकी जानकारी दें। दूसरे माननवर, यह मार्च अप्रैल में सरसौ की फसल आ जाती है। यह सरसों के तेल अगस्त और सितम्बर में 50 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो तक फुटकर में बिका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मूल्यों की समीक्षा हेतु क्या कोई कार्ययोजना निर्धारित की गई है ?

श्री हुकुम सिंह–

माननवर, हमारा प्रयत्न सदैव रहता है इसलिये समीक्षा की जाती है। हमने नई कार्य योजना बनाई है उसके अन्तर्गत जो हमारे जिले स्तर पर मार्केटिंग और इसेंशियल कामोडिटीज कारपोरेशन के कर्मचारी हैं उन पर यह भी जिम्मेदारी डाली है कि उपलब्धता और बाजार भाव बढ़ने की समीक्षा करते रहें। मैंने यह नहीं कहा कि सारा तेल मिलावटी आया। माननवर, नोयडा में एक ऐसी संस्था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट उसका सारा तेल जो देश का सबसे पापुलर ब्रांड का तेल था उसको छापा मारने पर मिलावटी पाया गया और सारा का सारा तेल पब्लिक में जाने से रोका गया और वह तेल बन्द पड़ा है। यह कार्यवाही हमारी सरकार और अधिकारियों ने की थी।

श्री बी०आर० वर्मा–

माननवर, मैंने पूछा था कि सीजन में जो दाम होते हैं उससे अभाव के सीजन में दाम ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत अधिक होने चाहिये। इसके लिये कोई नीति बनायी गई है।

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

*4—श्री राजधारी–

। कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में बेहतर आय एवं यात्री सुविधाओं हेतु नयी बसें चलाने की मांग

*5-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की अड़तीस प्रतिशत मानक से अधिक चली बसों के स्थान पर आठ सौ नई बसें चलाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार विभाग की बेहतर आय एवं यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब तक नयी बसें उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां ।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की विषम वित्तीय स्थिति के कारण अप्रैल, 98 से माह जनवरी, 1999 तक कुल 313 नई बसें बेड़े में सम्मिलित की जा रही है । शेष नई बसों के संबंध में परिवहन निगम द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

(मा० अधक्ष द्वारा अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दिये जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, परम्परा रही है रुचि वाला प्रश्न बाद में लिया जाता है ।

डा० अशोक बाजपेयी-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि इस प्रश्न की मूल भावना है जो बसें मानक के अनुसार चल चुकी हैं उन बसों को परिवर्तित किया जायेगा क्योंकि 30-40-50 प्रतिशत बसे हैं जो मानक के अनुसार चल चुकी हैं और उसके बाद चलाने से दुर्घटनायें होती हैं और यात्रियों को कठिनाई होती है । तो क्या ऐसी बसों को जो मानक के अनुसार चल चुकी हैं उनको परिवर्तित किया जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार बस चलने के बाद उनको परिवर्तित किया जाता है । इसके निरन्तर परिवर्तन करने की प्रक्रिया चालू है और परिवर्तन किया जा रहा है ।

डा० अशोक बाजपेयी-

मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था लेकिन उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के उपाय

*6-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 में कानपुर में स्मैक बेचने के आरोप में कुछ युवक पकड़े गये जिनका सम्बन्ध आई० एस० आई० से है ? क्या प्रदेश में अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी की और भी घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह सत्य है कि जनपद कानपुर नगर में दिनांक 27–10–1998 को थाना हरवंश मोहाल, कानपुर नगर पुलिस द्वारा नगर में अवैध रूप से स्मैक की बिक्री करने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया था परन्तु छानवीन कराने पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है कि इन गिरफ्तार किये गये युवकों का सम्बन्ध आई० एस०आई० से है ।

जी हां ।

प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं अवैध बिक्री की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

1—जनपद स्तर पर एक नारकोटिक्स सेल गठित किया गया है जिसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

2—जनपद स्तर पर पुलिस का एक विशेष दस्ता गठित किया गया है जो स्मगलिंग के संबंध में सूचना एकत्र करता है ।

3—स्मगलिंग रोकने हेतु समय-समय पर गोष्ठी आयोजित करके स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

4—जनपदों की सीमाओं पर चेकिंग हेतु बैरियर लगाये गये हैं ।

5—पुलिस मुख्यालय एवं शासन स्तर पर भी मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्य योजना लागू की गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1—मादक द्रव्यों में लिप्त अपराधियों को एक वर्ष के लिये पिट एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, 1988 में निरुद्ध किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

2—मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की सम्पत्ति जब्त किया जाना प्राविधानित है ।

3—मादक पदार्थों की तस्करी के सम्भावित स्थानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

4—थानाध्यक्षों को बाहर चेकिंग के समय वाहनों में बनी हुई कैबिटी की सतर्क छानबीन के निर्देश दिये गये हैं ।

5—अफीम की खेती से संबंधित जनपदों में विशेष निगरानी के निर्देश दिये गये हैं ।

6—मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने, उनकी हिस्ट्रीशीट एवं डोसियर खोलने तथा निगरानी करने से संबंधित निवारक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर 2 पेज का है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं संक्षेप में मंत्री जी से 2–3 प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला यह कि जिसका मैंने उल्लेख किया था उसकी पुष्टि नहीं हुई तो क्या और घटनाओं की पुष्टि हुई । दूसरे जिसके पास 2–3 पुड़िया मिलती है उसकी पुलिस पकड़ कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है । जो इसके बड़े व्यापारी हैं जो इससे अकूत सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं जिनके कारण युवा वर्ग का भविष्य नष्ट हो रहा है तो जो ऐसे संवर्ग हैं उनको पकड़ने की कितनी घटनायें प्रकाश में आयी और ऐसे कितने लोगों की सम्पत्ति जब्त की गई ? तीसरा सवाल है कि ऐसे कितने लोगों की हिस्ट्रीशीट खुली है और क्या उनकी निगरानी हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास एक लम्बी सूची है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सूची लम्बी हो तो न पढ़ें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 27-1-98 की घटना के बारे में उत्तर दिया गया है कि नारकोटिक्स ऐक्ट के अन्तर्गत इस घटना के अन्तर्गत आई०एस०आई० से कोई संबंध नहीं पाया गया।

श्री अध्यक्ष–

कितने लोगों की हिस्ट्रीशीट खुली है और कितने लोग पकड़े गये हैं, यह बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना तो हमारे पास 1947 से है। 1998 का बता देता हूं। 1998 में 540 अभियोग पंजीकृत हुये उसमें से 529 के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किये गये 11 विवेचनाधीन है और 540 लोग गिरफ्तार हुये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं स्वयं चाह रहा था कि सदन का अमूल्य समय बच जाये। दो-तीन छोटी-छोटी सूचनायें तो मिलनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आप छोटे-छोटे अनुपूरक करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने सीधे-सीधे प्रश्न किया कि सैकड़ों घटनायें प्रकाश में आयी होगी, उनसे मेरा सरोकार नहीं है। केवल जो बड़ी-बड़ी घटनायें हैं उनका उल्लेख कर दीजिये, दूसरा यह बता दीजिये कि इस प्रकार के धन्धे में लिप्त कितने लोगों की सम्पत्ति जब्त की है, कितने लोगों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खुली है?

श्री अध्यक्ष–

आप दो-तीन बड़ी घटनओं के बारे में बता दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 1999 में एक बड़ी घटना सामने आयी। 16-6-98 को 1 लाख, 65 हजार रुपये का गांजा बरामद हुआ है। 1996 में 53 करोड़ रुपये की हिरोइन बरामद हुई। 1995 में 58 लाख रुपये की हिरोइन बरामद हुई। इसी तरह से 3-12-95 को एक लाख, 10-4-97 को 10 लाख रुपये, 16-4-97 को 6 लाख रुपये, 27-2-97 को डेढ़ लाख रुपये तथा 26-2-97 के दो लाख रु० मूल्य की हिरोइन बरामद हुई।

श्री अध्यक्ष–

कितने लोगों की सम्पत्ति जब्त हुई और कितने लोगों की हिस्ट्रीशीट खुली, अगर सूचना हो तो बता दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

सूचना तो है लेकिन किसको गम्भीर मानूं, किसको न मानूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे स्थगित कर दिया जाता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, क्या कोई संगठित गिरोह इस तरह के धन्धे में लिप्त पाया गया है ? क्या इसका पर्दाफाश हुआ और उसमें कितने लोग सम्मिलित मिले और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है ।

*7–श्री छोटे लाल गंगवार–

[दिनांक 8-3-99 को ता०प्र०सं० 4 द्वारा उत्तरित]

*8–श्री राम विशुन आजाद–

[दिनांक 22-2-99 को ता०प्र०सं० 17 द्वारा उत्तरित]

सायरन, हूटर आदि के प्रयोग से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में जानकारी

*9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सायरन, हूटर आदि के प्रयोग हेतु शासन की क्या नीति है ? इसके उपयोग की अनुमति किस-किस स्तर के व्यक्तियों को अनुमन्य है ? क्या इसके प्रयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इसके प्रयोग पर रोक लगाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मोटर यान अधिनियम/नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुपालन की नीति है ।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 119 के उपनियम-3 में यह प्राविधान है कि रोगी वाहन या अग्नि शमन वाहन या बचाव "साल्वेज" प्रयोजनार्थ वाहनों या पुलिस अधिकारियों या परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वार अपने कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में प्रयुक्त वाहनों में ऐसे ध्वनि संकेतों जैसा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में वाहन रखा गया है, द्वारा अनुमोदित किया जाय, का प्रयोग निर्बन्धित नहीं होगा ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ नगर निगम द्वारा कूड़े-कचरे से बिजली बनाने की योजना की जानकारी

*10–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ नगर निगम के तत्वावधान में कचरे से बिजली बनाने की योजना नेडा के अन्तर्गत द्वारा किसी कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है और कब तक वह कार्यरूप में परिणित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) द्वारा योजना का स्वरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है। इस योजना में महानगरों के शहरी कूड़े कचरे की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता का आंकलन करके उसके आधार पर निजी क्षेत्र में बिजली पैदा करने की परियोजनाओं को स्थगित कराया जाना है। शहरी कूड़ा कचरा एवं परियोजना के लिये वांछित भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। उत्पादित बिजली का विक्रय राज्य सरकार की निर्धारित ऊर्जा नीति के अनुरूप निजी उद्यमी द्वारा किया जायेगा।

स्वदेशी तकनीक के अभाव में विदेशी तकनीक के आधार पर परियोजना प्रदेश के विभिन्न महानगरों में स्थापित करायी जायेगी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर निजी उद्यमी एवं तकनीक का चयन किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् योजना का सक्रिय क्रियान्वयन लगभग 2 वर्ष की अवधि में सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री बच्चा पाठक द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने हेतु खड़े होने पर)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बहुत विस्तृत उत्तर है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, आप अनुपूरक पूछिये।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने कहा कि कचरे से बिजली बनाने की योजना पर मेरठ में विचार हो रहा है, उत्तर है कि "जी हा"। स्वदेशी तकनीक के अभाव में विदेशी तकनीक के आधार पर परियोजना प्रदेश के विभिन्न महानगरों में स्थापित करायी जायेगी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर किसी उद्यमी एवं तकनीक का चयन किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछली बार भी नियम 51 के अन्तर्गत भी विषय को उठाया था और पिछले सत्र में भी प्रश्न पूछा था और 8-12-98 को लिखित आश्वासन भी दिया था वह जनवरी, 1995 में विभाग को भेजा गया। नगर निगम खैर नेडा के द्वारा जो 6 संस्थाओं की विदेशी कन्सेलटेंस हैं उनको बता दिया था और उनको 16-1-99 को मेरठ नगर निगम का प्रस्ताव भेजा गया। उसमें से एक आस्ट्रेलियन कम्पनी को प्रस्ताव प्राप्त हो गया। मैं यह चाहता हूं कि ग्लोबल टेण्डर के नाम पर इसको न रोका जाये चूंकि 6 फर्मों को भेजा गया था एक फर्म का प्रस्ताव आ गया है। माननीय मंत्री जी इन विभागीय अधिकारियों को लेकर तत्काल कोई बैठक करके इस प्रस्ताव पर विचार कर लें। जो लाइस सोसायटी और ईडीएड कम्पनी कोलेब्रेशन से मेरठ में कचड़े से बिजली बनाने को तैयार है उस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है जिस कम्पनी के विषय में कहा है कि वह कचड़े से बिजली बनाने के लिये तैयार हैं। अगर मानक के अनुसार होगा तो उसकी जल्द से जल्द करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने जो नियम 311 में सूचना दी थी, वह महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं, उनको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रश्नकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है जिसमें माननीय सदस्यगण ज्वलंत प्रश्न उठाते हैं । यह निरन्तर देखा गया है कि प्रश्नों के संबंध में सरकार निरन्तर उदासीन हो रही है । प्रश्नों से संबंधित मंत्री प्रश्नकाल में भी सदन में उपस्थित होना अपमान समझते हैं । आज प्रश्नों के समय कुछ ऐसे प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे लेकिन संबंधित मंत्री के उपस्थित न होने के कारण ढंग से उत्तर नहीं आ सके ।

श्री अध्यक्ष–

यह आन्तरिक व्यवस्था है । मंत्री किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं । हां, आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर न आया हो तो अलग बात है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

आज कुछ प्रश्नों के उत्तर संबंधित परिवहन मंत्री उपस्थित होते तो उनको पर्याप्त जानकारी विभाग के बारे में होने से उत्तर समुचित आता । दूसरे मंत्री की तैयारी तो पर्याप्त थी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दूसरा अनुपूरक प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी थी ।

जनपद जालौन, थाना सिरसा के श्री जुग्गीलाल कोरी की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

*11—श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन, थाना–सिरसा, कलार क्षेत्र के ग्राम जरगांव, निवासी जुग्गीलाल कोरी (अनुसूचित जाति) की दिनांक 20-9-98 को दिन दहाड़े हत्या किये जाने की घटना की प्राथमिकी मु०अ०सं० 206/98 में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अभियोग में नामित पांचों अभियुक्तों के संबंध में विवरण निम्नवत् है अभियुक्त प्रमोद कुमार एवं कमल सिंह को गिरफ्तार करके दिनांक 6-10-98 को जेल भेजा गया, अभियुक्त अरविन्द सिंह ने दिनांक 6-10-98 एवं मनोज ने 9-10-98 को मा० न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया, अभियुक्त रूप सिंह के विरुद्ध 14-12-98 में धारा 82-83 द० प्र० सं० की कार्यवाही की गयी । पुलिस के निरन्तर दबाव के कारण इस अभियुक्त के द्वारा दिनांक *4-1-99 को आत्मसमर्पण किया गया । उक्त समस्त नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र मा० न्यायालय में दिनांक 14-12-98 को दाखिल किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने की मांग

*12—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि धान क्रय केन्द्रों के ठीक से न चलने के कारण किसानों को अपना धान व्यापारियों के हाथ 300 से 350 रुपये क्विंटल तक बेचने के लिये विवश होना पड़ रहा है तथा धान क्रय केन्द्र के कर्मचारी बड़े व्यापारियों से सांठ-गांठ कर धान खरीद करके किसानों का नुकसान कर रहे हैं ? क्या सरकार किसानों को उनके धान का उचित मूल्य न्यूनतम 440/- दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

किसानों को उनके धान का समर्थन मूल्य रु० 440/- प्रति कुन्तल दिलाने एवं शोषण से बचाने के लिए प्रदेश में 856 क्रय केन्द्र खोले गये हैं तथा जिलाधिकारियों को अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने के अधिकार प्रदान किये गये हैं । धान क्रय में अनियमिततायें न होने पाये इस उद्देश्य से प्रदेश के 20 संवेदनशील जनपदों में अनुश्रवण हेतु शासन/प्रशासन स्तर के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो धान खरीद पर बराबर नजर रख रहे हैं ।

जनपद प्रतापगढ़, थाना मान्धाता में बस ड्राइवर, कण्डक्टर द्वारा एक युवती के साथ बलात्कार के मामले पर कार्यवाही

*13–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1996 को प्रतापगढ़ जनपद के थाना मान्धाता ग्राम तरौल में एक प्राइवेट बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर द्वारा एक युवती के साथ बलात्कार किया गया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री राम बदन निवासी ग्राम पूरे बुद्धीधर थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ की दिनांक 31-8-96 की सूचना के आधार पर थाना मान्धाता में मु०अ०सं०–217/96 धारा 376 भा०द०वि० पंजीकृत करके जांच व विवेचना प्रारम्भ की गयी । अभियुक्त मल्लू निवासी ग्राम धरमपुर को दिनांक 1-9-96 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया । दोनों अभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 24-9-96 को आरोप-पत्र संख्या–67 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद मेरठ में 30 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को शस्त्र लाइसेन्स निर्गत न करने सम्बन्धी निर्देश की जानकारी

*14–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स न देने का सरकार ने कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो जनपद मेरठ में ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जनपद मेरठ में ऐसा नहीं हो रहा है ।

*15–श्री समरपाल सिंह–

[दिनांक 16-2-99 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर थाना, कोतवाली नगर अपराध संख्या 1325/98 में पुलिस अधीक्षक की जनविरोधी नीतियों की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच की मांग

*16–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शिव नारायण मिश्र पूर्व विधायक चांदा, जनपद सुल्तानपुर ने अपराध संख्या 1325/98 थाना कोतवाली नगर, सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर की

जनविरोधी नीतियों के द्वारा अंकित मुकदमें की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-10-98 को अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था, उ० प्र०) को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की विवेचना जोनल एस०आई०एस० को तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर दी गयी तथा जोनल एस०आई०एस० द्वारा विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में शस्त्र धारकों हेतु कारतूसों की मात्रा बढ़ाने की मांग

*17–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा शस्त्र धारक लाइसेन्सी को शस्त्र के साथ मात्र दस कारतूस लेकर चलने का नियम बनाया गया है ? क्या दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में उक्त नियम लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में उक्त नियम शिथिल कर कारतूसों की मात्रा बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मामले की अभिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 द्वारा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के लाइसेन्सों पर एक समय में कब्जे में रखने हेतु कारतूसों की निम्नांकित सीमा निर्धारित है :–

(1) रिवाल्वर/पिस्तौल	..	10
(2) अर्ध स्वचलित या रिपीटिंग राइफल	..	25
(3) स्पोर्टिंग राइफल (हाई वेलासिटी से भिन्न और 22 बोर को छोड़कर)	..	25
(4) ब्रीच लोडिंग शाट गन	..	15
(5) .22 बोर राइफल	..	25

जी हां । उक्त व्यवस्था सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अग्नेयास्त्र लाइसेन्सधारियों के लिए है ।

किसी क्षेत्र विशेष के लिए उक्त सीमा से कारतूसों की मात्रा बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं है क्योंकि उसको दृष्टान्त बनाकर अन्य क्षेत्र/वर्ग को तदनुसार मांग उठाने का आधार उपलब्ध हो जायेगा ।

प्रदेश में परिवहन नीति बनाने की योजना की जानकारी

*18–डा० राम बाबू हरित–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही वाहन संख्या, माल यातायात का दबाव एवं यात्रियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या कोई परिवहन नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

परिवहन नीति निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित है :–

1–प्रदेशान्तर्गत मार्गों का अभिनवीकरण

2–नये मार्गों का सृजन

3–परिमिट की प्रक्रिया का सरलीकरण

प्रश्न नहीं उठता ।

बांट एवं माप की पूर्व दरों को संशोधित किये जाने की अधिसूचना

*19–श्री केशो मेहरा–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 अगस्त, 1998 को बांट तथा माप की दरों को पूर्व निर्धारित दरों के तीन गुना से पांच गुना बढ़ाये जाने सम्बन्धी अधिसूचना मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय "जितनी सुविधा दी जाय उतना ही शुल्क लिया जा सकता है" के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिसूचना को सरकार निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

तकनीकी कारणों से उक्त अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1998 को विखण्डित करते हुए मानक बाट माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा–72 (4) में निहित व्यवस्था के अनुरूप बाट, माप, तौलने मापने के यंत्रों के स्टाम्पन एवं मुद्रांकन की पूर्व दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में जन सामान्य से 6 सप्ताह के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–03/29-2ब०मा०-78/98, दिनांक 22 फरवरी, 1999 को जारी कर दी गयी है ।

मोटर पर लाल व नीली बत्तियों के दुरुपयोग रोकने हेतु नियमित अभियान चलाने की मांग

*20–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मोटर वाहन ऐक्ट के प्राविधानों के खिलाफ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने वाहनों पर लाल व नीली बत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान लाल-नीली बत्ती के लिये अधिकृत कौन-कौन है ? क्या सरकार इस दुरुपयोग को रोके जाने हेतु प्रति दो महीने में नियमित रूप से अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–108 '111' के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अनुसार शासन के अधिसूचना संख्या–3535टी/30-4-25पी/77, दिनांक 5-10-94 एवं 579टी/30-4-25पी/77, दिनांक 30-6-95 द्वारा निम्नांकित को 'गणमान्य के रूप में' घोषित किया गया है, जो लालबत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं :–

1–महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

2–उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री और उप मंत्री ।

3–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति ।

4–उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

5–उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायधीशगण ।

6–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ।

7–उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ।

8–उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण ।

उक्त जारी अधिसूचना के पूर्व उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के नियम–112 '7' के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–328टी/30-4-8725पी/87, दिनांक 23-7-87 द्वारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार मोटर कारों पर झण्डा फहराने के लिए अधिकृत महानुभावों के अलावा निम्नलिखित को अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्ती लगाने हेतु अधिकृत किया गया है :–

1–मुख्य सचिव	लाल बत्ती फ्लैग मास्ट पर ।
2–अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व परिषद्	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
3–मण्डलायुक्त/गृह सचिव	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
4–पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
5–अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
6–समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
7–जिलाधिकारी	फ्लैग फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।
8–जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ जिला पुलिस अधीक्षक 'जिस जिले में जैसी स्थिति हो ।'	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।

चूंकि दुरुपयोग की कोई शिकायत ही नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रति दो माह में नियमित चेकिंग अभियान चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद एटा थाना कासगंज रेलवे में अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने एवं कार्यवाही विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–40/98 धारा 379 थाना कासगंज, एटा रेलवे में अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने एवं कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/18141/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 महानिदेशक, पुलिस, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

घटना की जांच करायी गयी । उक्त घटना में चोरी गयी सम्पत्ति व अभियुक्त का पता लगाने के लिए त्वरित गति से हर सम्भव प्रयास किये गये परन्तु सफलता प्राप्त न होने के कारण विवेचना दिनांक 6-8-98 को अन्तिम आख्या द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

जिला मथुरा थाना गोवर्धन अपराध संख्या 180/98 धारा 302 में कथित लोगों को झूठा फंसाने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 180/98 धारा 302 आई० पी० सी० थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के संबंध में कथित लोगों को झूठा फंसाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/18167/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रश्नगत मामले में जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये । थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पर मु०अ०सं०–180/98 धारा 302 भा०द०वि० दिनांक 9-9-98 को, दोजी बसन्ती व दो अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना में (1) पप्पू (2) मेहमान (3) महराज तथा बाबू लाल के नाम प्रकाश में आये । अभियुक्त दोजी को 28-11-98 व बाबू लाल को 15-9-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और आरोप-पत्र दिनांक 29-11-98 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । मेहमान, बसन्ती व महराज की नामजदगी विवेचना में गलत पायी गयी । अभियुक्त पप्पू की गिरफ्तारी अभी शेष है । उसके विरुद्ध दिनांक 1-1-99 को धारा 82/83 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है । अभी विवेचना प्रचलित है ।

3––श्री अजय कुमार पोइया––

[दिनांक 8–3–99 को अता०प्र०सं०–12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान चलाये जाने एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

4––श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करने हेतु कोई माफिया विरोधी अभियान चलाया है? यदि हां, तो इसमें कितने माफिया गिरोह सूचीबद्ध किये गये थे और अब तक कितने माफिया गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में 147 माफिया गिरोह सूचीबद्ध है जिनके सदस्यों की संख्या 646 है । वर्ष 1998 में माफिया गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के फलस्वरूप 31 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 23 को गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत व 53 के विरुद्ध अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । वर्तमान में 249 सदस्य अभी जेल में हैं, 282 को विभिन्न न्यायालयों ने जमानत पर रिहा किया है तथा 11 विभिन्न पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कतिपय जनपदों में संचालित जलपान गृहों में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

5–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर जनपदों में विभिन्न जलपान गृहों में लगभग 30 कर्मचारी

दैनिक वेतन के विभिन्न पदों पर वर्ष 1988 से लगातार कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनको नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे समस्त दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1988 से 04, वर्ष 1990 से 06 तथा वर्ष 1991 से 18 कुल 28 दैनिक वेतन कर्मचारी कार्यरत है । इनके विनियमितीकरण के सम्बन्ध में निगम द्वारा विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है ।

सहकारी संस्थाओं के समूह ''ग'' ''घ'' के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की जानकारी

6–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति पर रोक सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 20-1-91 (का)211997 दिनांक 3-11-97 सहकारी संस्थाओं (गैर सरकारी) पर लागू किया गया था ? यदि नहीं, तो सहकारी संस्थाओं के समूह ''ग'' एवं समूह ''घ'' के रिक्त पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा)–

शासनादेश संख्या–5110/12सी–2–97–467/97, दिनांक 5-11-97 द्वारा सहकारिता विभाग में एवं समस्त सहकारी शीर्ष संस्थाओं में नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है ।

सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियों पर उक्त शासनादेश द्वारा लगाये गये रोक को शासनादेश संख्या–4654/12सी–2-98-467/97, दिनांक 7-10-98 द्वारा केवल समूह ''ग'' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये समाप्त कर दी गयी हैं, जिसके क्रम में सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा सहकारी संस्थाओं के समूह ''ग'' श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में कारों की संख्या एवं वार्षिक टर्न ओवर की जानकारी

7–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के परिवहन बेड़े में इस समय कितनी कारें हैं ? कार व्यवसाय का सालाना टर्न ओवर क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितनी कारें निगम द्वारा सरकार एवं इसके अधीनस्थ निकायों की सेवाओं में लगायी गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० परिवहन निगम के बेड़े में 231 कारें हैं ।

स्टाफ कारों से कोई आय नहीं होती । 83 कारें जो टैक्सियों के रूप में संचालित हैं, से वर्ष 96-97 में रु० 2.82 करोड़, वर्ष 97-98 में रु० 5.88 करोड़ तथा वर्ष 98-99 में जनवरी, 99 तक रु० 2.64 करोड़ की आय हुई ।

सरकार की सेवाओं में 4 कारें आवंटित हैं । अधीनस्थ निकायों को कोई कार नहीं दी गयी है ।

जनपद मैनपुरी ब्लाक भोगांव मु० अपराध संख्या 352/98 केस की निष्पक्ष जांच सी० बी० सी० आई० डी० से न कराकर पुनः स्थानीय पुलिस से कराने के सम्बन्ध में जानकारी

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु०अ०नं० 352/98 थाना–भोगांव, जनपद मैनपुरी के केस में शासन द्वारा निष्पक्ष व स्वतंत्र विवेचना के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस की बजाय सी०बी०सी०आई०डी०

द्वारा विवेचना कराने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि उक्त केस में पुनः सी०बी०सी० आई०डी० की विवेचना को निरस्त कर स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मा० सदस्य का पत्र संख्या ख–2–448953 दिनांक 12-11-98 पर विचारोपरान्त मु०अ०सं० 352/98 थाना भोगांव (जनपद मैनपुरी) की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का निर्णय लिया गया था ।

जी हां ।

उक्त निर्णय शासन द्वारा पुनः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 17-12-98 को जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ।

जनपद मैनपुरी में नये मार्गों हेतु बस परमिट जारी करने की मांग

9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितनी सड़कों पर प्राइवेट बस चलाने हेतु बस परमिट स्वीकृत है ? क्या स्वीकृत परमिटों पर ही बसें चल रही हैं ? क्या सरकार मैनपुरी में नये मार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाने के परमिट जारी करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मैनपुरी में 11 सड़कों पर प्राइवेट बस चालने हेतु परमिट स्वीकृत हैं । जी हां ।

नये मार्गों के निर्धारण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराने के उपरान्त ऐसे मार्गों पर परमिट जारी किया जायेगा ।

जनपद मथुरा के कथित मार्गों पर परिवहन निगम की बन्द बसों को पुनः चलाने की मांग

10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा से जतीपुरा तथा मथुरा फरह फतेहपुर सीकरी की परिवहन निगम के द्वारा संचालित बसें चलायी गयी थीं ? यदि हां, तो उन्हें किन कारणों से बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार उन्हें पुनः चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मथुरा–जतीपुरा मार्ग पर निगम की एक बस सेवा संचालित है । मथुरा–फरह–अछनेरा फतेहपुर सीकरी के 62 किमी० मार्ग में फरह से अछनेरा तक की 21 किलोमीटर का मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने व उक्त पर निजी बसों का बहुतायत से संचालन के फलस्वरूप निगम सेवा की आय निम्न स्तरीय प्राप्त होने से उक्त बस सेवा अप्रैल, 96 से बन्द कर दी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

। 6वें बुधवार में अता०प्र०सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद मैनपुरी के विधायकों सांसद को शैडो/गनर दिये जाने का विवरण

12–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में एम० एल०ए०/एम०एल०सी० एवं सांसदों के अलावा अन्य लोगों पर 21 सितम्बर, 1997 से लेकर अब तक किस-किस पर किस आधार/शर्त पर कब-कब गनर/शैडो/सुरक्षा कर्मी शासन स्तर/स्थानीय स्तर से उपलब्ध रहे और इस अवधि में किस-किस ने कितना धन इस हेतु जमा किया ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 21-9-97 से अब तक जनपद मैनपुरी में एम० एल० ए०/एम० एल० सी०/सांसदों के अलावा 22 महानुभावों को शासन स्तर से एवं इतने ही महानुभावों को स्थानीय स्तर से सुरक्षा प्रदान की गयी है। सूचना का विवरण विस्तृत है। सूची की एक प्रति मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में रख दी गयी है। मा० सदस्य किसी भी कार्य दिवस में उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

नगर कोतवाली सुल्तानपुर के अपराध संख्या–1325/98 मे अंकित नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

13–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की नगर कोतवाली में अपराध संख्या 1325/98 धारा 147, 148, 323, 480, 427 आई०पी०सी०, दिनांक 9-10-98 अंकित की गयी है ? यदि हां, तो उसमें वादी द्वारा कितने अभियुक्तों को नामजद किया गया है और कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ? उसका विवेचना अधिकारी कौन है? क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों का चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

तीन अभियुक्तों को नामजद किया गया है जो क्रमशः (1) राम निवास अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सुल्तानपुर (2) शिव कुमार अग्रहरि पूर्व चेयरमैन, नगर पालिका सुल्तानपुर तथा (3) भोला नाथ अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के पूर्व विधायक श्री शिव नारायण मिश्र द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शिव नारायण मिश्र, पूर्व विधायक, चांदा–सुल्तानपुर द्वारा प्रमुख गृह सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र फैजाबाद, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को अपनी असुरक्षा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-10-98, 30-10-98, 2-11-98 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उनकी सुरक्षा हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 27-10-98 का पत्र शासन में प्राप्त हुआ है ।

पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद से शिकायत-पत्र की जांच करायी गयी । उक्त पत्र में लगाये गये आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

सुरक्षा का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कोतवाली, मथुरा मु० अपराध संख्या–195/98 के मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०195/98, धारा 363, 366, 120 बी (आई०पी०सी०) थाना कोतवाली, मथुरा के मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या देरी से मुकदमा कायम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग थाना कोतवाली के बजाय थाना गोविन्दनगर पर पंजीकृत है । अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 द० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

घटना दिनांक 15-11-98 को होना दर्शाया गया है जबकि अपराध दिनांक 22-11-98 को पंजीकृत किया गया है । अपराध विलम्ब से पंजीकृत होने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा जांच करायी जा रही है ।

जनपद मथुरा, थाना बलदेव के मु० अ० सं० 270/98 में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना बलदेव के मु०अ०सं० 270/9 धारा 307, 394 (आई०पी०सी०) में मुल्जिमानों का विवेचना द्वारा 323 आई०पी०सी० में मा चालान किया गया था ? यदि हां, तो क्या विवेचना द्वारा डाक्टरी मुआयना चालान से पूर्व प्राप्त कि गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री अफरोज अली खां–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला पिथौरागढ़/चम्पावत के लोहाघाट डिपो से लखनऊ तक बस सेवा संचालन करने की मांग

18–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जिल चम्पावत के लोहाघाट डिपो से सीधी बस सेवा जनहित में राज्य मुख्यालय लखनऊ तक संचालित क जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिथौरागढ़ से एवं चम्पावत जिले के लोहाघाट डिपो से टनकपुर तक पर्वतीय मार्ग है, जिस पर नियमित सेवायें संचालित हैं । टनकपुर से लखनऊ तक के मैदानी मार्ग पर सीधी बस सेवा उपलब्ध है । इस प्रकार पिथौरागढ़, चम्पावत एवं लोहाघाट से लखनऊ जाने वाले यात्री टनकपुर में बस परिवर्तन कर यात्रा का लाभ उठा रहे हैं ।

पर्वतीय मार्ग पर "166 एवं 195" छोटे व्हील बेस की बसों के संचालन की ही अनुमन्यता है, जिनमें सीट क्षमता कम होती है । ऐसी बसों को मैदानी मार्ग पर संचालन करने से, मैदानी भू-भाग में कम किराया निर्धारित होने के कारण हानि होती है । निगम बस बेड़ा भी सीमित है तथा पर्वतीय बसों की संख्या भी कम है । पिथौरागढ़ एवं चम्पावत मार्गांश लखनऊ तक बस यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या समुचित नहीं है, जिसके फलस्वरूप आय भी संतोषजनक प्राप्त नहीं होगी ।

सहकारी बैंक, राजाजीपुरम्, लखनऊ में वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्य श्री यशपाल सिंह चौहान का पत्र दि० 7-9-98 जो नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम्, लखनऊ में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

वित्तीय अनियमितताओं की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियों से करा ली गयी है । प्रकरण में श्री सिंह बैंक सचिव को सीधे दोषी न पाये जाने के कारण चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री मुरलीधर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश में आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में कितने आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच चल रही है और उनमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जो विजिलेंस में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विजिलेंस विभाग में कार्यरत आई० पी० एस० अधिकारियों की जांच उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में पांच आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच प्रचलित है ।

उक्त पांचों आई० पी० एस० अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी सतर्कता अधिष्ठान में कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में इन्सपेक्टरों के पदों को राजपत्रित घोषित करने की जानकारी

22–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग में कार्यरत इन्सपेक्टरों के पदों को सरकार राजपत्रित पद घोषित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में कार्यरत इन्सपेक्टरों के पदों को राजपत्रित घोषित करने का औचित्य नहीं है ।

जनपद औरैया थाना बेला अपराध संख्या–88/98 की जांच सी० बी० सी०आई० डी० से कराने की मांग

23–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 88/98, धारा 302, 201 आई०पी०सी० थाना बेला, जिला औरैया की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करायें जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–3/17570/मथुरा/98, दिनांक 21-10-98 प्रमुख सचिव गृह, एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

जनपद फतेहपुर में लोकदल के अध्यक्ष श्री शिव कुमार पाण्डेय पर प्राणघातक हमले की प्राथमिकी पर कार्यवाही की मांग

24–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में दिनांक 5-12-98 को शिव कुमार पाण्डेय अध्यक्ष, लोकदल पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था ? क्या श्री पाण्डेय ने इस हमले की प्राथमिकी थाना कोतवाली, फतेहपुर में दिनांक 6-12-98 को दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 6-12-98 को श्री शिव कुमार पाण्डेय, जिलाध्यक्ष लोकदल फतेहपुर ने थाना कोतवाली पर तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 5-12-98 को शाम पौने छः बजे मैं शादीपुर चौराहे से पैदल घर जा रहा था कि जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री मार्ग में नासिर पीर शादीपुर चौराहे पर पहुंचा कि पिछे से दौड़ते हुए 2 युवक आये और मेरे कमर में तमंचा लगाकर फायर कर दिया । तमंचा मेरी कमर में लगा और फायर मिस हो जाने से किट की आवाज हुई । मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आगे वाला युवक हाथ में देशी तमंचा तथा पीछे वाला युवक अपना मुंह बांधे था । मैं जोर-जोर से चिल्लाकर आवाजें लगाया तो दोनों युवक तेजी से नासिर पीर की तरफ भाग गये । उक्त सूचना पर थाना कोतवाली में मु०अ०सं०-635/98 धारा 307 भा० दं० वि० बनाम 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है । अभियोग के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावां में कथित फाइनेंस कम्पनियों द्वारा जनता का लाखों रुपया हड़प कर फरार होने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25-डा० धर्मेश मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत माधौगंज में फाइनेन्स कम्पनी कृषि एक्सपोर्ट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने जनता का लाखों रुपया हड़प कर उसके प्रबन्ध निदेशक के० के० गुप्ता भाग गये हैं ? क्या जे०बी०जी० फाइनेन्स कम्पनी भी निवेशकों का लाखों रुपया हड़प कर गायब हो गयी है ? क्या सरकार उक्त फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करके निवेशकों की जमा धनराशि वापस करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षक, हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना माधोगंज में इस संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है ।

किसी निवेशक द्वारा शिकायत/परिवाद दर्ज न कराये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी, मु०अ०सं० 158/98 में घायल वृद्धा की मृत्यु के पश्चात् मुलाजिमों की गिरफ्तारी की मांग

26–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं० 158/98 धारा 323, 504, 506, आई० पी० सी० थाना रिफाइनरी, मथुरा की घायल वृद्धा की मृत्यु के बाद उक्त धाराएं कब तरमीम की गयी तथा मुल्जिमानों की गिरफ्तारी के लिये क्या प्रयत्न किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अपराध दिनांक 11-12-98 को पंजीकृत किया गया । घायल वृद्धा की मृत्यु अस्पताल में होने के पश्चात् दिनांक 19-12-98 को धारा 304 भा०दं०वि० में परिवर्तित की गयी । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिनांक 31-12-98 को की गई तथा आरोप-पत्र सं० 121/98 दिनांक 31-12-98 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मु०अ० न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न ही उठता ।

किसान सेवा सहकारी समिति तिन्दवारी, बांदा के विरुद्ध जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

27–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति तिन्दवारी, बांदा के विरुद्ध जांच विषयक माननीय राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 22-7-98 जो उन्हें सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

अभिलेखों से पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री रामनेज यादव एडवोकेट, श्री महाराज सिंह यादव, श्री विश्वनाथ, श्री संजय गर्ग तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा, थाना खोड़रि, ग्राम अल्लीपुर के राम सुख पुत्र बीपत के घर पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम अल्लीपुर, थाना खोड़ारे जिला गोण्डा में दिनांक 17-12-98 को सायं 4 बजे बाजार में व रात्रि 11 बजे रामसुख पुत्र बीपत के घर में घुसकर थानाध्यक्ष व राम प्रकाश पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को बेइज्जत कर लूटपाट एवं प्रताड़ित किया गया जिसकी शिकायत वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी की गयी ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । बल्कि गश्त में निकले ना० पु० राम प्रकाश यादव द्वारा दिनांक 17-12-98 को रामसुख पुत्र बीपत के लड़के राम चरित्र को मारा पीटा व धमकाया गया था ।

जी हां ।

विवेचनोपरान्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, कस्बा बिछवां में परिवहन निगम का बुकिंग आफिस बनवाने एवं बसों को रुकवाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

30–श्री राम औतार शाक्य–

क्या परिवहन मंत्री जनपद मैनपुरी में जी० टी० रोड पर स्थित कस्बा बिछवां में परिवहन निगम की बसें रुकवाने के लिये कोई कारगर व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कस्बा में कोई छोटा बुकिंग आफिस बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बिछवां में पूर्व से ही परिवहन निगम का फेयर स्टाप है, जहां पर निगम की बसें रुककर यात्रियों को उतारती व चढ़ाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में निगम की नीति के अनुसार डिपो के स्थान पर ही बस स्टेशन बनाया जाता है, जहां पर बुकिंग आफिस की सुविधा होती है ।

जननपद बांदा, थाना मरका, ग्राम बेरी डेरा के श्री शिवराम के ऊपर घटित घटना की जांच

31–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-12-1998 तथा 16-12-1998 जो श्री शिवराम पुत्र श्री बैजनाथ निवासी ग्राम बेरी डेरा, थाना मरका जनपद बांदा के ऊपर घटित घटना की रिपोर्ट लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही

किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत पत्रों के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक श्री ओम प्रकाश पाठक (क्षेत्राधिकारी नरैनी/बबेरू) से करायी गयी जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री शिवराम पुत्र श्री बैजनाथ के विरुद्ध मु०अ०सं०–172/92 धारा–436 भा०दं०वि० पंजीकृत है और न्यायालय में विचाराधीन है । आवेदक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उक्त मुकदमें में सुलहनामा करने की नीयत से विपक्षी पर मनगढ़न्त आरोप लगाये गये हैं । जांच में उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रदेश में नये राशन कार्डों एवं खाद्य सामग्री वितरण की जानकारी

32–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्ड बनवाकर वितरित कराये जाने में कितना समय और लगेगा ? क्या सरकार नये राशन कार्डों को समय पर उपलब्ध करा देगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन राशन कार्डों पर कब तक खाद्य सामग्री वितरित की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्ड वितरित किये जाने का कार्य 31 मार्च, 1999 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

नये राशन कार्डों पर नियमानुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रदेश में अपहरण की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

33–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में प्रदेश में कितनी अपहरण की घटनाएं हुईं ? यह घटनाएं गत वर्ष की तुलना में कितनी अधिक हैं तथा सरकार ने उन्हें रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1998 में प्रदेश में अपहरण की 3590 घटनायें हुई ।

यह घटनायें गत वर्ष की तुलना में 739 अधिक हैं । समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षकों द्वारा एवं जोन के पुलिस महानिरीक्षकों के स्तर से निरन्तर पर्यवेक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय स्तर पर भी प्रत्येक माह जनपद से समस्त महत्वपूर्ण अपराधों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के विवरण मंगाये जाते हैं तथा उनकी समीक्षा गहनता से कर सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं । उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शत-प्रतिशत अपराधों का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि सही अभियुक्तों का पता चल सके और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लाया जा सके ।

जनपद लखनऊ, थाना आलमबाग के श्री भोला नाथ लोधी के मकान में हुए कब्जे का प्रकरण

34–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोलानाथ लोधी मकान नं० 767/99 आनन्दनगर बरहा रोड, थाना आलमबाग, लखनऊ के मकान पर उपनिरीक्षक के सहयोगी द्वारा कब्जा कर लेने एवं

उसे खाली कराकर दिलाये जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी, आलमबाग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को रजिस्टर्ड क्रमांक 4351, 4352 दिनांक 26-6-96 एवं डी० जी०पी० कार्यालय लखनऊ एस० एस० पी०, लखनऊ, मुख्य मंत्री जी, गृह सचिव को दिनांक 26-12-96, 30-5-97, 9-6-97, 3-1-97, 3-7-97 पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक मकान न खाली करा पाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग द्वारा कराये जाने पर पाया गया कि श्री भोलानाथ के पुत्र श्री ओम प्रकाश के मकान नं० 767/99 के निचले भाग में श्रीमती कृष्णा कुमारी नामक महिला वर्ष 1985 से एक कमरे में 50/- रुपये प्रतिमाह पर किराये पर रह रही है। वर्ष 1996 में मकान मालिक ओम प्रकाश ने उक्त महिला को भवन की निचला पूरा भाग किराये पर दे दिया था एवं तभी से श्रीमती कृष्णा कुमारी उक्त मकान के पूरे निचले भाग में किरायेदार के रूप में रह रही है। श्रीमती कृष्णा कुमारी एवं जनपद लखनऊ में तैनात उपनिरीक्षक सरनाम सिंह के पारिवारिक संबंध थे। श्रीमती कृष्णा कुमारी की आम सोहरत अच्छी न होने तथा उपनिरीक्षक सरनाम सिंह के उसके घर आने जाने से पुलिस छवि खराब होने को दृष्टि रखते हुए उक्त उपनिरीक्षक का स्थानान्तरण फैजाबाद परिक्षेत्र किया जा चुका है। किरायेदार से मकान खाली कराये जाने का अधिकार मा० न्यायालय में निहित है। इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नहीं है।

जांचोपरान्त प्रकरण अवैध कब्जा का न होकर किरायेदारी का पाया गया है। अतः इस कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्बन्धित प्रकरण, सिविल जज लखनऊ से सम्बन्धित है।

जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की मांग

35–श्री केशो मेहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के अनुसार आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या–78 में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बनाने की विधायी क्षमता संसद में निहित होने के कारण संदर्भित बिन्दु भारत सरकार के विचार का बिन्दु है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, थाना बजीरगंज के मु० अ० सं० 360/98 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, विवेचना आदि के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मु०अ०सं०–360/98 धारा–302/147 भा०द०संहिता थाना बजीरगंज, जनपद लखनऊ के अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, हत्याकाण्ड की त्वरित विवेचना व हत्या अभियोग-पत्र के प्रस्तुतिकरण विषयक श्री महिमाशंकर तिवारी निवासी ग्राम व पो०–जीरादस्ती,

थाना–सुखपुरा, जनपद बलिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-11-98 शासन/पुलिस महानिदेशालय, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्रीमती विभा पाण्डेय की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज मु० अ० सं० –360/98 धारा 147/302 भा० दं० वि० थाना वजीरगंज की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा से करायी जा रही है । अभी तक की गयी विवेचना से साक्ष्य संकलन एवं ठोस सबूत प्राप्त नहीं हो सके हैं । विवेचक द्वारा इस संबंध में गहराई से विवेचना की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लखनऊ के कैडर सचिव श्री सेवानन्द वर्मा की मृत्यु पश्चात् उनके आश्रित को नियमानुसार सेवा में समायोजित करने की जानकारी

37–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कैडर सचिव, श्री सेवानन्द वर्मा, जिला सहकारी बैंक, लखनऊ की मृत्यु दिनांक 9-3-92 को हो गयी थी ? क्या स्व० वर्मा के आश्रित को सेवा में समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके आश्रित को सेवा में समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

मृतक आश्रित की निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण न होने के कारण सेवा में लिया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता !

मृतक आश्रित की निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण न होने के कारण सेवा में लिया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जनपद हरदोई, थाना माधोगंज, ग्राम सभा समुखा में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा कुछ लोगों को जान से मारने हेतु हमला करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 जो ग्राम सभा-समुखा, पुलिस चौकी-कुरसथ थाना-माधोगंज, हरदोई के अन्तर्गत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से राइफलों व बन्दूकों से हमला किये जाने के सम्बन्ध में है, पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक व प्रतिपक्षी जोगेश्वर आदि में पुरानी रंजिश है। प्रार्थना-पत्र द्वेष देना पाया गया है। आवेदक ने प्रतिपक्षी को फर्जी अभियोग में फंसा देने की मंशा से दिया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध शान्ति बनाये रखने हेतु 107/116 जा०फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सुल्तानपुर, थाना–जामो, ग्राम–महराजपुर के राम प्रसाद सिंह आदि की हरी बाग स्थानीय पुलिस के सहयोग से कटने की शिकायत

39–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 14-12-98 जो थाना-जामो अन्तर्गत ग्राम–महराजपुर में राम प्रसाद सिंह आदि की हरी बाग स्थानीय पुलिस के सहयोग से काट कर बेंच देने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई है ? प्रश्नगत बाग के कितने पेड़ काटे गये हैं तथा उनकी कीमत कितनी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती परिवहन निगम कार्यालय के पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री राम ललित चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती परिवहन निगम कार्यालय के पानी की निकासी के लिये जयपुरवा एवं गड़गोडिया साइड में तथा निगम के सामने गोरखपुर-फैजाबाद-मुख्य मार्ग पर गेट के सामने की नाली के निर्माण के संबंध में वर्ष 1998 में कोई सर्वेक्षण बस्ती परिवहन निगम तथा गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। प्रश्नगत सर्वेक्षण दिनांक 16-11-97 को किया गया था।

बस्ती डिपो के सामने एवं पीछे के दोनों मार्गों की नाली के निर्माण/सफाई का कार्य नगर पालिका बस्ती के नियंत्रण में है। इन मार्गों की नाली के ऊपर पटरी दुकानदारों के अवैध कब्जा होने व उनके विरोध के कारण अभी तक परिवहन निगम द्वारा नगरपालिका से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद नगरपालिका द्वारा नाली निर्माण का कार्य बाधित रहा है। सफाई का कार्य समय-समय पर सम्पन्न किया गया।

जनपद बस्ती में विधायकों, भूतपूर्व सदस्यों, भूतपूर्व सांसदों आदि को दिये गये गनर/बैडो की संख्या एवं उनकी तैनाती अवधि बढ़ाये जाने की जानकारी

41–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विधान मण्डल दल के सदस्यों, भू०पू० सदस्यों, सांसदों, भू०पू० सांसदों, जिला परिषद् के अध्यक्ष आदि के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्ती

द्वारा कितने लोगों को गनर/शैडो प्रदान किये गये हैं ? पुलिस अधीक्षक को ऐसे दिए गए सुरक्षा कर्मियों की अवधि कितनी बार बढ़ाए जाने का अधिकार है ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा श्री राम जी जायसवाल, श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं श्री हमीदुल्ला खां को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान की गयी है ।

स्थानीय स्तर पर प्रदत्त ऐसी सुरक्षा का आंकलन/पुनराकलन कर सम्भावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा समिति अवधि के लिए प्रदान की जाती है एवं आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि की जाती है ।

बिहार सीमा पर कथित बढ़ती घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा उपाय की जानकारी

42–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिहार सीमा पर चोरी, डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार सीमा पर सुरक्षा के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो वे उपाय कौन से हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बिहार सीमा पर चोरी, डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जनपदों में सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग, कार्डिंग, पिकेट ड्यूटी आदि की समुचित व्यवस्था की गयी है । बिहार सीमा पर आतंकवादी गतिविधि रोकथाम हेतु जनपदों में बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर से सीमा पर निरन्तर गश्त करायी जा रही है । बिहार प्रान्त के उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श कर सभी थानों को दूरभाष तथा वायरलेस सेट से जोड़ा गया है, जिसमें यदि अपराध होता है तो उसके सम्बन्ध में बिहार प्रान्त के सीमावर्ती थानों से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके । बिहार प्रान्त से आने वाले अपराधियों व बिहार प्रान्त जाने वाले अपराधियों के रास्तों व स्थानों को चिन्हित कर गश्त/पिकेट लगाकर अपराधों की रोकथाम की जा रही है । बिहार प्रान्त से सटे गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाकर एवं गांवों के निवासियों को शस्त्र लाइसेंस देकर जागरूकता अभियान चलाकर अपराधों की रोकथाम की जा रही है । जनपद कुशीनगर में दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त सीमावर्ती उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रान्त के अधिकारियों /थाना प्रभारियों की समय-समय पर समन्वय गोष्ठी करके आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है एवं दस्यु उन्मूलन अभियान संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है । पुलिस मुख्यालय द्वारा दस्यु उन्मूलन अभियान को सक्षम बनाने हेतु समय-समय पर टास्क फोर्स/पी०ए०सी० दी जाती है, जिसका उपयोग किया जा रहा है ।

जनपद फतेहगंज पूर्वी गढ़िया रंगीन मार्ग पर बस चलाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-6-98 या इसके आसपास जो परिवहन विभाग द्वारा फतेहगंज पूर्वी गढ़िया रंगीन मार्ग पर बस चलाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 16-6-98 को प्रमुख सचिव, परिवहन को जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, परिवहन ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र पर दिनांक 15-6-98 को परीक्षण के आदेश प्राप्त हुए थे ।

उक्त सम्पूर्ण मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । शासन की वर्तमान में सामान्य नीति अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने की नहीं है । इस कारण से इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पंजीकृत अधिवक्ताओं की उम्र 60 वर्ष होने के पूर्व मृत्यु/अपंग होने पर उनकी सुविधाओं हेतु "कल्याण निधि की स्थापना"

44–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पंजीकृत अधिवक्ताओं/एडवोकेट्स की 60 वर्ष से पूर्व हुई आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को तथा उक्त अवधि के दौरान किसी अधिवक्ता के अपंग हो जाने के कारण प्रैक्टिस न कर पाने की स्थिति में क्या-क्या सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सरकार द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती ।

अधिवक्ता/एडवोकेट्स शासकीय कर्मचारी नहीं हैं और उनके कल्याण के लिए कल्याण निधि की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है जिसका संचालन एक न्यासी समिति द्वारा किया जाता है और न्यासी समिति एक सांविधिक निकाय है जिस पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है ।

जनपद लखनऊ, बख्शी का तालाब, भोलापुरवा में श्री देवी प्रसाद गुप्ता के घर लूटपाट, अपहरण पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

45–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शातिर अपराधी राशिद व उसके गिरोह के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा दिनांक 7/8 सितम्बर, 1998 की रात्रि में भोला पुरवा, बख्शी का तालाब, लखनऊ के कपड़ा व्यवसायी श्री देवी प्रसाद गुप्ता के घर पर धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ ही उनके 24 वर्षीय पुत्र श्री नवनीत गुप्ता का अपहरण फिरौती के लिये किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा क्षेत्राधिकारी, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या नामजद अभियुक्तों को पकड़ा जा सका है तथा अपहृत युवक की बरामदगी हुयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार हिटलिस्ट में दर्ज इनामी अपराधी राशिद के विरुद्ध सघन अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ पर मु०अ०सं०–147/98 धारा 395/364 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया जिसे बाद में विवेचनोपरान्त धारा–364 ए भा०दं०वि० में तबदील किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 16-9-98 को अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र मुल्हे पासी को अवैध कटार तथा एक मोटर साइकिल यामाहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

उक्त अभियुक्त ने उपर्युक्त घटना में जुर्म इकबाल करते हुए अभियुक्त राशिद, बेचन उर्फ बादशाह, पुत्तन उर्फ मोहम्द अलीम, अजय उर्फ संजय वर्मा, असगर उर्फ अजगर तथा जफर को नवनीत गुप्ता के अपहरण में सम्मिलित होना बताया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त बेचन उर्फ बादशाह को दिनांक 6-10-98 को एवं अभियुक्त पुत्तन उर्फ मोहम्मद अलीम, असगर उर्फ अजगर तथा जफर को दिनांक

22-10-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त राशिद तथा अजय उर्फ संजय वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं । उक्त अभियुक्तों की कुर्की की जा चुकी है । अभियुक्तगण पुत्तन, असगर, जफर तथा राशिद के विरुद्ध धारा 364ए भा०दं०वि० का आरोप सिद्ध होने पर आरोप-पत्र दिनांक 17-11-98 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । अपहृत युवक नवनीत गुप्ता की बरामदगी दिनांक 14-9-98 को थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती से पुलिस द्वारा किया जा चुका है ।

जी हां ।

अभियुक्त राजेन्द्र को दिनांक 16-9-98 को, अभियुक्त बेचन उर्फ बादशाह को दिनांक 6-10-98 को एवं अभियुक्तगण पुत्तन उर्फ मोहम्मद अलीम, असगर उर्फ अजगर तथा जफर को दिनांक 22-10-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियुक्त राशिद तथा अजय उर्फ संजय वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं एवं उक्त दोनों अभियुक्तों की कुर्की की जा चुकी है । अपहृत युवक नवनीत गुप्ता की बरामदगी दिनांक 14-9-98 को थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती से किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठना ।

जी हां ।

हिटलिस्ट में दर्ज इनामी अपराधी राशिद पर राज्य सरकार द्वारा रु० 50,000/- का इनाम घोषित किया गया है एवं उसकी गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है । उक्त अपराधी की चल एवं अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जा चुका है तथा इनाम की धनराशि को बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, अपराध संख्या 79/96 धारा 377 की जांच रिपोर्ट न्यायालय भेजे जाने की जानकारी

46–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–79/96 धारा 377 के संदर्भ में थाना बेवाना से संबंधित प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को दिनांक 6-7-96 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच रिपोर्ट दिनांक 28-2-98 को पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक इस जांच रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय भेजने एवं जांच रिपोर्ट छिपाने वालों पर कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां, विवेचना से अपराध प्रमाणित होने पर दिनांक 6-7-96 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना बेवाना में मुकदमा अपराध संख्या 98/96 के सम्बन्ध में निर्णय की जानकारी

47–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बेवाना जनपद–अम्बेडकरनगर में कायम मुकदमा अपराध संख्या–98/96 केस नम्बर 1817/96 में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय

दण्डाधिकारी फैजाबाद द्वारा दिनांक 2-6-98 को निर्णय देते हुये अभियुक्तगण को बरी कर दिया गया और मामला झूठा व आपसी रंजिश से फंसाने का पाया गया ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी फर्जी मुकदमा कायम करवाने वालों पर धारा–82 का मुकदमा कायम करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० न्यायालय ने वाद साक्ष्य के अभाव में छोड़ा तथा अपने निर्णय में वादीजनों के विरुद्ध धारा 182 जाफ्ता फौजदारी के तहत कार्यवाही करने का कोई आदेश नहीं दिया ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थांना बेवाना पुलिस चौकी महरूआ में रिपोर्ट धारा 173(8) का प्रकरण

48–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी महरूआ थाना बेवाना, जिला अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 28-2-98 को कोई रिपोर्ट धारा 173 (8) के तहत प्रेषित की गई ? यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट मां० न्यायालय भेज दी गयी ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट दबाये रखने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट संबंधित न्यायालय भिजवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, जिला मनोरंजन कर अधिकारी के विरुद्ध जांच आख्या पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री राम विशुन आजाद–

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मनोरंजन कर अधिकारी जनपद गोण्डा के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, गोण्डा की जांच आख्या पत्रांक सं०–1882/अ०लि० (जांच) दिनांक 21 नवम्बर, 1998 के संदर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जिला मनोरंजन कर अधिकारी गोण्डा के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, गोण्डा की जांच आख्या पत्रांक 882/अ०लि०(जांच) दिनांक 21नवम्बर, 1998 के परिप्रेक्ष्य में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गोण्डा को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

पंजीकृत बार एसोसियेशन्स के अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में बैठने के लिए टिन शेड अथवा पक्के दफ्तरों के बनाने हेतु अनुदान की मांग

50–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में पंजीकृत बार एसोसियेशन्स में एडवोकेट्स/अधिवक्ताओं को जिला न्यायालयों के परिसरों में अपने टिन शेड अथवा पक्के दफ्तरों को बनाने के लिये कोई अनुदान प्रदान करने की योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि 1974 में अध्यादेश द्वारा संशोधन के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण निधि से संचालित योजनाओं में बार एसोसियेशन्स को टिन शेड बनाने हेतु अनुदान का प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

अधिनियम की धारा 3(1) (बी) में उक्त प्राविधान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नोटरी वकीलों की संख्या की जानकारी एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

51–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस वक्त कुल कितने नोटरी वकील कार्यरत है और किस जिले में कितनी-कितनी रिक्तियां चल रही है ? क्या सरकार कार्य की अधिकता को देखते हुए उक्त रिक्तियों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्तमान समय में 636 नोटरी कार्यरत हैं। 99 रिक्तियों की जनपदवार सूची संलग्न है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 198-199 पर।]

52–श्री राम औतार शाक्य–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, थाना बेवाना के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

53–श्री अफरोज अली खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 16-12-96 को कोई आदेश डी० जी० पुलिस को थाना बेवाना जनपद–अम्बेडकर नगर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रिट पिटीशन नं०–1972/96 के निर्णय में दिया था ? यदि हां, तो क्या अब तक दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अम्बेडकर नगर के क्षेत्राधिकारी नगर से प्रारम्भिक जांच करायी जा रही है जो प्रचलित है ।

उपरोक्तानुसार ।

54–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को साधन सहकारी समिति परिषद् में लागू करने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति परिषद् उत्तर प्रदेश में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०–एम–3/14438/मथुरा/98, दिनांक 31-7-98 सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिव, राज्य कर्मियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ इन्हें दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद मथुरा की जेल परिसर की खुदाई में निकली सोने की मूर्तियों को गायब करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

56–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की जेल परिसर की खुदाई में निकली सोने की मूर्तियों को गायब करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०–एम–3/16744/मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां । माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र में वर्णित प्रकरण की मैजिस्ट्रीयल जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

जनपद बस्ती के तहसील मानपुर के ग्राम कड़हा को सोनहा थाने से निकालकर रुधौली थाने के अन्तर्गत करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

57–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 के माह अप्रैल के तीसरे सप्ताह में तथा माह जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में जनपद बस्ती के तहसील सोनहा मानपुर के ग्राम कड़हा को सोनहा थाने से निकालकर रुधौली थाने में करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का केवल अप्रैल, 1998 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से आख्या मांगी गयी थी । पुलिस मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ग्राम कड़हा को थाना सोनहा से निकालकर थाना रूधौली में किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र । व 11 में पुलिस अधीक्षक, बस्ती से मांगा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है । पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से शासन में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सम्यक् विचारोपरान्त, यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

पुलिस विभाग में सूती वर्दी के साथ साफे का कपड़ा तथा वर्दी सिलाई हेतु धनराशि दिये जाने की मांग

58–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के कर्मियों को सूती वर्दी प्रदान करने की कोई नीति है ? क्या यह सच है कि पुलिस कर्मियों को सूती वर्दी के साथ साफे का कपड़ा नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सूती तैयार वर्दी के बजाय कर्मियों को कपड़ा प्रदान करने एवं अपने-अपने नाप की वर्दी सिलवाने हेतु सिलाई के पैसे सीधे कर्मियों को प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पुलिस वर्दी विनियम के प्राविधानों के अनुसार पुलिस कर्मियों को सूती वर्दी के साथ खाकी/लाल साफे का कपड़ा प्रदान किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुरक्षा बल होने के कारण बल के सभी जवानों को वर्दी में एकरूपता होना आवश्यक है तथा सिलाई तथा कपड़ा जवानों को दिये जाने से वर्दी में एकरूपता सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

पुलिस विभाग में समस्त कर्मियों को मोटर साइकिल सब्सिडी लाभ एवं एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने की मांग

59–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कर्मियों को वर्ष 1991 से मोटर साइकिल सब्सिडी एवं एक्स्ट्रा वेतन दिया जा रहा है, शेष को नहीं ? यदि हां, तो ऐसी विसंगति क्यों ? क्या यह सच है कि इस संबंध में जिन कर्मियों ने रिट याचिका की है उन्हीं को यह लाभ दिया जा रहा है अन्य को नहीं ? क्या सरकार समस्त कर्मियों को उक्त सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कार्यालय आकर कार्य करने के लिए पुलिस विभाग के कतिपय लिपिक वर्गीय कर्मियों को वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन, मोटर साइकिल सब्सिडी लाभ मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदान किया गया है ।

शेष पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए वर्ष में 30 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य है अतएव उन्हें एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाने हेतु ड्यूटी निर्धारित करने के सम्बन्ध में जानकारी

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाने हेतु अन्य प्रान्तों की भांति ड्यूटी के 8 घंटे निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों से सामान्यता आठ घण्टे की ही ड्यूटी ली जाती है, परन्तु कानून व्यवस्था की दृष्टि से आवश्कतानुसार आठ घण्टे के बाद भी ड्यूटी ली जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त समय एवं अवकाश के दिनों में समय-समय पर कार्य करने के कारण पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को 30 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष अनुमन्य किया गया है।

पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबिलों को पदोन्नति वेतनमान में प्रमोशन की विसंगति को दूर करने की मांग

61–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में 1600–2900 के ग्रेड में कार्यरत हेड कांस्टेबिलों को हेड कांस्टेबिल पदोन्नति वेतनमान में प्रमोशन दिया गया ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या उक्त हेड कांस्टेबिलों को सब इन्सपेक्टर रैंक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस विसंगति को दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत वास्तविक वेतनमान रु० 1640–2900 है। यह वेतनमान 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही अनुमन्य है।

जी हां।

1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने से पूर्व प्रचलित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार हेड कांस्टेबिल के पद पर 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य था। सम्बन्धित शासनादेश में पदोन्नति का पद दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार कोई विसंगति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोन्नति प्रक्रिया बदलने की नीति की जानकारी

62–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोन्नति की प्रक्रिया को बदलने की कोई विशेष नीति बनाने जा रहे है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति प्रोन्नति की प्रक्रिया को बदलने की कोई विशेष नीति बनाने का औचित्य नहीं है ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के फार्म सुपरवाइजर द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

63–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 2-11-98 को ग्राम–अकमा थाना–कुमारगंज जनपद–फैजाबाद निवासी श्री झगरू की नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में कार्यरत फार्म सुपरवाइजर ठाकुर ईश्वरनाथ सिंह द्वारा बुरी तरह से पिटाई की गयी थी जिसकी उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर एफ० आई० आर० थाना कुमारगंज में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि फार्म में बोई हुई फसल व पौधों को जानवरों द्वारा नुकसान कराये जाने पर सर्वश्री यमुना प्रसाद यादव, हरि प्रसाद यादव, राम प्रसाद यादव को फार्म सुपरवाइजर श्री ईश्वरनाथ सिंह द्वारा मना किया गया तो इन्होंने श्री ईश्वरनाथ सिंह को बुरी तरह से मारा पीटा । घटना पर ईश्वरनाथ सिंह द्वारा थाना कुमारगंज, फैजाबाद में मु०अ०सं० 278/98 धारा 332/504/506भा०दं०वि० का दर्ज कराया गया था । विवेचना के दौरान अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । न्यायालय के आदेश पर श्री ईश्वरनाथ सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं० 278ए/98धारा 323/504/506 भा०दं०वि० तथा 3(1) (10) एस सी/एस टी के अन्तर्गत दर्ज किया गया । जिसमें दोनों पक्षों में सुलह हो गयी है । मु०अ०सं० 278/98 में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेल्फेयर आर्गनाइजेशन उत्तर प्रदेश द्वारा शहरी भवन किराया (किराये पर देने और बेदखली) विनियमन अधिनियम, 1972 में सैन्य कर्मियों की भांति संशोधन का प्रस्ताव

64–श्री अजय भट्ट–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के समक्ष "गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वेल्फेयर आर्गनाइजेशन" उ० प्र० द्वारा विचारार्थ इस आशय का प्रस्ताव पूर्व में भेजा गया है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया (किराये पर देने और बेदखली) विनियमन अधिनियम–13/1972 में यह संशोधन किया जाय कि प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को उनके अपने मकान, जो सेवाकाल में बाहर तैनाती के कारण उन्होंने किराये पर दिये थे, सेवानिवृत्त के पश्चात् शासन उनको वापस दिलाने के लिये आवश्यक संशोधन करे जैसा कि सैन्य कर्मियों के लिये उक्त अधिनियम में प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप उक्त अधिनियम में प्राविधान करने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की कतिपय धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव विचराधीन है ।

जनपद बरेली में राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० लखनऊ की शाखाओं द्वारा कृषकों को डीजल इंजन/पम्पिंग सेट खरीदने के लिए दिये गये ऋण की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण की मांग

65–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जिला बरेली में राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० लखनऊ की शाखाओं द्वारा कितने कृषकों को डीजल इंजन/पम्पिंग सेट खरीदने हेतु ऋण दिया गया है ? क्या यह सही है कि कृषकों को डीजल इंजन/पम्पिंग सेट न खरीद कर ऋण का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई नीति निर्धारित करेगी जिससे बैंक ऋण का उपयोग सुनिश्चित हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

वर्ष 1997-98 में जिला बरेली में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ की शाखाओं द्वारा 3983 कृषकों को डीजल इंजन/पम्पिंग सेट खरीदने हेतु ऋण दिया गया है ।

कुछ कृषकों ने डीजल इंजन/पम्पिंग सेट न खरीद कर ऋण का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया है ।

जी हां । बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किये जा रहे हैं, उनके शत-प्रतिशत सत्यापन का निर्णय लिया गया है । दुरुपयोग के मामलों में ऋण एवं अनुदान की एक मुश्त वसूली की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नव सृजित मण्डलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

66–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नवसृजित मण्डलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन के रिक्त पदों पर अभी तक नियुक्ति न किये जाने के कारण विधिक व्यवस्था में अड़चने आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां तत्काल संयुक्त निदेशक अभियोजन के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश के नव सृजित मण्डलों में से केवल एक मण्डल (आजमगढ़) के लिए ही संयुक्त निदेशक अभियोजन का पद सृजित है, जो रिक्त चल रहा है । शेष नव सृजित मण्डलों हेतु अभी संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद सृजित नहीं हुए हैं । वैसे भी संयुक्त निदेशकों द्वारा जनपदों में अभियोजन कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए अभियोजन कार्य में कोई अड़चन नहीं आ रही है । संयुक्त निदेशक अभियोजन का कार्य अपने परिक्षेत्र के जनपदीय कार्यालयों का प्रशासनिक पर्यवेक्षण व निरीक्षण करना है ।

संयुक्त निदेशक अभियोजन के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना सदर के मुकदमा अपराध संख्या 201/98 की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराने की मांग

67–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अप० सं०–201/98. राज्य बनाम देवी पन्डा आदि धारा 147. 148, 149. 307 आई० पी० सी० थाना सदर जिला मथुरा की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि०को०/एम–3/ 16651/ मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त जांच आख्या के अनुसार श्री विजय सिंह की मां श्रीमती राधा द्वारा दिनांक 15-9-98 को दी गयी सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु० अ० सं०–201/98 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ ? विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गोविन्द पुत्र देवी पन्डा को दिनांक 17-9-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । विवेचना प्रचलित है । सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा में सी० ओ० गोवर्धन के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

68–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० ओ० गोवर्धन जनपद मथुरा के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि०को०/एम–3/16680/मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक के प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों पर जांच प्रचलित है ।

जनपद बस्ती के पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल और डीजल में की जा रही मिलावट की रोकथाम हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री राम ललित चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतलायेंगे कि माह जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में बस्ती जिले में पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल और डीजल में बड़े पैमाने पर की जा रही मिलावट की रोकथाम के लिए प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-1-1999 प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच अपर आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, जवाहर भवन, लखनऊ से कराई जा रही है ।

जनपद खीरी अपराध संख्या–172-98-304 आई० पी० सी० में दर्ज मामले की तफतीश की जानकारी

70–डा० कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलबेहड़, जनपद खीरी में अपराध संख्या–172-98-304 आई० पी० सी० में दर्ज है ? यदि हां, तो कितने लोगों के विरुद्ध ? क्या उपरोक्त घटना से संबंधित मृतक कमलेश कुमार शुक्ल का पोस्टमार्टम हुआ और क्या मृतक के शरीर पर एन्टीमारटम चोटें पाई गई ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले की तफतीश हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद खीरी में थाना फूलबेहड़ पर मुकदमा अपराध संख्या–172/98धारा 304 भा० दं० वि० पंजीकृत नहीं है बल्कि मु० अ० सं०–177/98धारा 304 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत है ।

उक्त अभियोग अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत है एवं इस घटना में राम रतन सिंह पुत्र कालिका सिंह, निवासी कसहाभूड़, थाना फूलबेहड़ व एक अज्ञात व्यक्ति पर वादी श्री सुन्दर लाल शुक्ला पुत्र राम चन्द्र निवासी बसहाभूड़ द्वारा शक जाहिर किया गया है ।

जी हां । एक चोट पाई गई । विवेचना पूर्ण हो गयी है, विवेचना से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया है अतएव अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 6-3-99 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा, विकास खण्ड कासगंज में प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा जिला पंचायत के लाइसेन्स के बिना चल रहे ईंट भट्ठों आदि की जानकारी

71–श्री नेत राम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जिले की विकास खण्ड कासगंज में कितने ईंट भट्ठे हैं जिनका प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स नहीं है ? क्या यह सच है कि औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ग्राम मुहम्मदपुर में भट्ठे का निर्माण कार्य जारी है ? यदि हां, तो इस भट्ठे का कौन स्वामी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

विकास खण्ड कासगंज, जनपद एटा में 23 ईंट भट्ठें जिला पंचायत में पंजीकृत हैं । इनमें से 18 ईंट भट्ठों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की गयी है, एक आवेदन-पत्र लम्बित है । चार ईंट भट्ठों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई भी नया चिमनी भट्ठा बिना लाइसेंस के संचालित नहीं है ।

ग्राम मुहम्मदपुर में मेसर्स मां गायत्री ईंट उद्योग नामक ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त कर स्थापित किया जा रहा है । जिसमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया हैं । इसके लाइसेन्स हेतु भट्ठा स्वामी द्वारा प्रार्थना-पत्र जिला पंचायत एटा के कार्यालय में दिया जा चुका है जो विचाराधीन है ।

मेसर्स गायत्री ईंट उद्योग के श्री गोवर्धन सिंह, स्वामी हैं । भट्ठें में ईंट का उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन विभाग, मुख्यालय लखनऊ के पूर्व प्रबन्धक कार सेक्शन श्री जे० पी० सिंह द्वारा किये गये घपले की जांच

72–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० पी० सिंह, पूर्व प्रबन्धक, कार सेक्शन ने मुख्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री के नकली हस्ताक्षर करके अपना ट्रान्सफर कार सेक्शन में सितम्बर, 1997 में रुकवा लिया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच चल रही है ? इसमें कितने के घपले जांच में पकड़े गये ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

73–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय स्थित भण्डार सत्यापन दल द्वारा माह जुलाई, 98 से अब तक कितनी धनराशि की वित्तीय अनियमितताएं/नकली कल पुर्जों के मामले पकड़े गये ? इन मामलों में कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

परिवहन निगम मुख्यालय स्थित भण्डार सत्यापन दल द्वारा जुलाई, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक 10 इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 3 इकाइयों में भण्डार संबंधी रु० 17,982.01 की वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गयीं । इसमें नकली कल पुर्जों का कोई मामला नहीं पकड़ा गया ।

इन मामलों में 4 कर्मचारी दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना, ब्लाक बाजार शुक्ल, ग्राम बरसन्डा में प्रधान की रंजिश से कोटा निलम्बित करने हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

74–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित कमरुद्दीन पुत्र अशरफ अली ग्राम–बरसन्डा ब्लाक–शुकुल बाजार, तह०–मु० खाना, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दि० 22-12-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम सभा की बैठक में कोटेदार के पक्ष में हुयी आम राय जांच के बावजूद प्रधान की रंजिश से कोटा निलम्बित करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । श्री कमरुद्दीन उचित दर विक्रेता के विरुद्ध दिनांक 7-10-98 को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें प्रारम्भिक जांच में पाई गई अनियमितताओं यथा बिक्री रजिस्टर न देने, दुकान/वितरण

निर्धारित चौहद्दी से अन्यत्र करने, खाद्यान्न का नियमानुसार वितरण न करने एवं अधिक मूल्य लेने आदि आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 7-11-98 को दुकान निलम्बित करके "कारण बताओ नोटिस" जारी कर दिया गया है।

जनपद सुल्तानपुर के श्री राज नरायन लाल, ग्राम-राम शोरिया, तहसील गौरीगंज के कोटेदार को पूर्ति निरीक्षक द्वारा संरक्षण देने संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित श्रीराज नरायन लाल, ग्राम–राम शोरिया तह० गौरीगंज सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-98 जो पूर्ति निरीक्षक, गौरीगंज के विरुद्ध शिकायतों की जांच न कराने, कोटेदार को संरक्षण देने तथा असामी कोटा चलाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अ" तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी, हां। कोटेदार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने के कारण लाइसेंस निलम्बित कर "कारण बताओ नोटिस" जारी कर दिया गया है।

जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी द्वारा कथित आपराधिक लोगों को शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की जांच

76–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में अक्टूबर, 1997 और सितम्बर, 1998 के बीच में कितने आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिये गये ? क्या यह सत्य है कि ग्राम–भेड़ी थाना–चुनार निवासी कल्लू सिंह को जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, कटरा कोतवाली के पते पर लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मिर्जापुर में अक्टूबर, 1997 से सितम्बर, 1998 के बीच तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा 215 आग्नेयास्त्र लाइसेन्स दिये गये।

श्री कल्लू सिंह निवासी भेड़ी, थाना चुनार जिनके विरुद्ध थाना चुनार पर अभियोग पंजीकृत है, द्वारा शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र में अपने मूल पते को छिपाकर थाना कटरा के पते से शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त किया गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर से जांच कराई जा रही है।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल वितरण में अनियमितता की जांच

77–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ प्रभावित जनपद–गोरखपुर के तहसील सहजनवां के अन्तर्गत मिट्टी के तेल के वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी त्रियुगी नारायण मिश्र, पूर्व विधायक, सहजनवां का पत्र दिनांक 4-10-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

प्रकरण की जांच कराये जाने पर पूर्ति निरीक्षक, सहजनवां को मिट्टी तेल के वितरण में अनियमितता करने का दोषी पाया गया है। अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी को आख्या प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, ब्लाक पाली में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के स्टाक का सत्यापन कराने की जानकारी

78–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक–पाली सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा क्या राशन कार्डों पर मूल्य एवं वजन अंकित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच लेखपाल तथा ग्राम प्रधान की उपस्थिति में कराई जायेगी ? क्या समस्त दुकानदारों के स्टाक का भी सत्यापन ग्राम प्रधान द्वारा कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

इस संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की नीति के अनुसार दुकानदारों के स्टाक का सत्यापन लेखपाल द्वारा ही कराया जाता है।

जनपद उन्नाव, विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में राशन कार्डों के बनाने में अनियमितताओं की शिकायत

79–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों हेतु बनाये गये राशन कार्डों का क्या वास्तविक लाभ गरीबों को मिल रहा है ? क्या अभी तक जितने कार्ड बनाये गये हैं, उसमें मानक का ख्याल न रखते हुए अपात्र लोगों को भी गरीबी रेखा वाले कार्ड बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अपात्र लोगों के बने कार्डों की जांच कराकर इन्हें निरस्त करेगी तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, थाना भोगांव में अपराध संख्या 119/98 धारा 302 की विवेचना का विवरण एवं प्रारम्भिक जांच की जानकारी

80–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 119/98 धारा 302 आई० पी० सी० थाना भोगांव जनपद मैनपुरी के केस में किन-किन विवेचकों ने कब-कब विवेचना की और किसके आदेश से विवेचक बदले गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केस में एस० एस० पी०/अति० एस० पी० मैनपुरी ने उक्त केस में एफ० आर० आने पर पुनः विवेचना के आदेश किये थे ? यदि हां, तो कब और

उसके बाद किस विवेचक ने कितने समय तक विवेचना की और बाद की विवेचना का क्या परिणाम निकला ? क्या यह सच है कि उक्त केस की बाद में पुनः विवेचना जारी रहते हुये भी उक्त केस की एफ० आर० न्यायालय में भेज दी गई ? यदि हां, तो कब और क्यों ? इसका दोषी कौन है ? क्या सरकार केस की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से पुनः एफ० आर० वापस मंगवाकर पुनः विवेचना प्रारम्भ करवायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अ०सं०–111/98 धारा 302 भा०दं०वि० थाना भोगांव की विवेचना दिनांक 3-4-98 से 14–5–98 तक प्रभारी निरीक्षक श्री बी० पी० कुरील ने दिनांक 14-5-98 से 24–6–98 तक प्रभारी उप निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह ने तथा दिनांक 24-6-98 से 19-8-98 तक एस०एस०आई० श्री आर०पी० मिश्रा के द्वारा की गई । दिनांक 19-8-98 को श्री आर० पी० मिश्रा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं०–50 प्रेषित की गई । विवेचना विवेचकों के स्थानान्तरण पर जाने से उसके प्रभारियों को सुपुर्द रही थी ।

जी हां ।

दिनांक 22-8-98 को अपर पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा पुनः विवेचना के आदेश दिये गये जिसके अनुपालन में दिनांक 7-9-98 से 15-11-98 तक एस०एस०आई० श्री अरुण कुमार शुक्ला ने तथा दिनांक 15-11-98 से 15-12-98 तक एस०एस०आई श्री एम० ए० खान द्वारा विवेचना की गई । इसके बाद दिनांक 15-12-98 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के आदेशानुसार विवेचना दिनांक 20-12-98 को तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री आर०पी० सिंह द्वारा ग्रहण की गई जिन्होंने पूर्व प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट का समर्थन करते हुये विवेचना समाप्त की ।

जी हां ।

अन्तिम रिपोर्ट वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय से दिनांक 13-10-98 को न्यायालय में प्रेषित की गई । प्रकरण में प्रारम्भिक जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

अभियोग को मा० न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जा चुका है । वादिनी को दिनांक 21-4-99 को तलब किया गया है । ऐसी स्थिति में पुनः एफ०आर० मंगवाकर विवेचना कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

श्री इन्द्रपति यादव कान्सटेबिल की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित को सेवा में नियुक्ति करने की मांग

81–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० कान्स्टेबिल इन्द्रपाल यादव के सेवाकाल के दौरान दि० 17-3-98 को हुई मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में उसके आश्रित पुत्र उमेश बहादुर सिंह निवासी कोती खुर्द थाना कोतवाली मैनपुरी, जनपद–मैनपुरी का मृतक आश्रित के रूप में सेवा का अवसर प्रदान करने के संबंध में प्रकरण लम्बित है ? यदि हां, तो कब से एवं शासन स्तर पर उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित को सेवा का अवसर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कान्स० इन्द्रपाल यादव के नाम से किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु दिनांक 17-3-98 को नहीं हुई है, अपितु श्री इन्द्रपति यादव नाम के कान्सटेबिल की मृत्यु जनपद इलाहाबाद में सेवाकाल के दौरान दिनांक 17-3-89 को हुई थी, जिसके आश्रित पुत्र श्री उमेश बहादुर सिंह के सेवायोजन का प्रकरण माह जुलाई, 1998 में शासन को प्राप्त हुआ है ।

इस विषय पर नीतिगत निर्णय हेतु कार्यवाही प्रचलित है । अतएव इस प्रकरण में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर के छटनी शुदा कर्मचारियों के पुनः नियुक्ति का प्रकरण

82–श्री राम औतार शाक्य–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कानपुर के अधीन कार्यरत लिपिक एवं अन्य संवर्ग के कर्मियों को वर्ष 1985 में छटनी करके निकाल दिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस को और उसका आधार क्या था ? क्या सरकार यह बतायेगी कि श्री रक्षपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम रूई पोस्ट रूई सिगैरा जनपद–मैनपुरी जो छटनी शुदा कर्मचारी है, उसको कई बार आवेदन के बाद भी सेवा में नहीं लिया गया ? क्या उक्त छटनीशुदा अन्य कर्मचारियों को सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समान आधार पर उक्त रक्षपाल सिंह को भी सेवा में लिये जाने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा 63 कर्मियों को निकाला गया था क्योंकि रबी क्रय योजना 1985–86 के लिये स्वीकृत सीजनल पदों के अन्तर्गत लिपिक कामदार एवं चौकीदार के पदों पर नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई तथा सीजनल पदों के विरुद्ध की गई थी तथा योजना समाप्त होने पर उनके नियुक्ति आदेश में निहित शर्तों के अनुसार दिनांक 31-7-1985 से सेवायें समाप्त कर दी गई थी ।

श्री रक्षपाल सिंह एक सीजनल कर्मचारी थे न कि छटनी शुदा, इसलिये सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि वर्ष 1985-86 के पश्चात् किसी योजना के लिये सीजनल पदों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई इसलिये सीजनल कर्मियों को सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर से गढ़िया रंगीन व बरेली तक परिवहन विभाग की बसों को चलाने की मांग

83–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 15-12-97 को या उसके आसपास शाहजहांपुर से गढ़िया रंगीन व बरेली से गढ़िया रंगीन तक परिवहन विभाग की बसें चलाने के संबंध में

मुख्य मंत्री कार्यालय विधायक कोष्ठक के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

गढ़िया रंगीन से फतेहगंज (पूर्व) का 27 कि०मी० लम्बा मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । गढ़िया रंगीन से फतेहगंज (पूर्व) के मध्य के यात्री निजी वाहनों से यात्रा कर सुगमता से फतेहगंज (पूर्व) आकर बरेली, फतेहगंज (पूर्व), शाहजहांपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चल रही सेवाओं का लाभ बरेली एवं शाहजहांपुर आने जाने के लिये लेते हैं । शासन की नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम बसों का संचालन नहीं किया जाना है ।

जनपद फतेहपुर में धान एवं गेहूं के क्रय केन्द्रों की जानकारी

84–श्री मुरलीधर–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1998 में कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये थे एवं प्रत्येक केन्द्र में कितना-कितना धान खरीदा गया ? क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु जनपद फतेहपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद फतेहपुर में खरीफ विपणन वर्ष 1998–99 के लिये खोले गये धान क्रय केन्द्रों तथा उनके द्वारा खरीदे गये धान का विवरण निम्नवत है :–

हाट शाखा के केन्द्र	मात्रा (मी० टन में)
1—फतेहपुर	15.0
2—खागा	16.8
3—बिन्दकी	32.0
4—धरियांव	3.6
5—असोधर	10.6
6—मुलवा	10.6
7—किशनपुर	शून्य
	योग : 88.6
पी०सी०एफ० के केन्द्र	
1—गाजीपुर सहकारी संघ	शून्य
2—सह० किसान सेवा सहकारी संघ	,,
3—खसरी किसान सेवा सह० संघ	,,
4—मलवा किसान सेवा सह० संघ	,,
5—सिमरा मानपुर सह० संघ	,,
	योग : शून्य

भारतीय खाद्य निगम के केन्द्र

1—बिन्दकी शून्य

महायोग : 88.6 मी०टन

जी हां। गेहूं खरीद के समय क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

85-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

। 6वें शुक्रवार में अता०प्र०सं०-52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद फतेहपुर, महादेव फर्टिलाइजर लि० कारखाने से गैस रिसाव के कारण फसल नष्ट होने की शिकायत

86-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी है कि फतेहपुर जनपद में महादेव फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना मलवां से गत वर्ष गैस रिसाव से किसानों की फसल नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या कारखाना मालिक ने गरीब किसानों के नुकसान की भरपाई की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रदूषण फैलाने वाले महादेव फर्टिलाइजर कारखाने को जनहित में बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक-

जी नहीं, गैस रिसाव की शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण के समय संबंधित क्षेत्र की फसल पर प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ। उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, उत्सर्जन मानकों के अन्दर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के थाना मौरावां के थानाध्यक्ष पर लगाये गये आरोपों की जांच

87-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के थाना मौरावां के थानाध्यक्ष पर मुकदमों के न लिखने और उन्हें अल्पीकरण करने आदि की अनेक शिकायतें डी० जी० पी०/डी० आई० जी/एस० पी० को माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1998 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की संख्या कितनी है एवं उन पर अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि माह अगस्त, सितम्बर, 1998 में थाना मौरावां के अकोहरी ग्राम में श्री कल्लू त्रिपाठी नामक व्यक्ति के हमलावरों को पुलिस ने पकड़कर कल्लू त्रिपाठी की प्राण रक्षा की थी ? यदि हां, तो क्या बाद में दोनों पक्षों पर सी० आर० पी० सी० की धारा 151 की कार्यवाही कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा लिखाया गया था ? इस प्रकरण में श्री मुरलीधर को दिये

गये पत्र पर किन अधिकारियों ने जांच की व जांच निष्कर्ष क्या हैं ? क्या इस प्रकरण की जांच डी० आई० जी० लखनऊ की विशेष इकाई ने की ? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ कार्यालय एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ से कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । तीन प्रकरणों पर तत्कालीन थानाध्यक्ष, मौरावां के विरुद्ध अंकित आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई । तीन प्रकरणों में जांच में दोषी पाया गया । इन्हें थानाध्यक्ष मौरावां के पद से हटा दिया गया तथा दो प्रकरणों में चरित्र पंजी में परिनिन्दा प्रविष्टि दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में तथ्य यह है कि ग्राम के निवासी मंगल लोध की पुत्री शकुन्तला के पूर्व ससुराल वालों एवं मंगल लोध के मध्य ग्राम में पूर्व में हुई पंचायत के निर्णय द्वारा निर्धारित तिथि को आभूषणों की वापसी को लेकर मंगल लोध के पक्ष से संबंधित कल्लू त्रिपाठी एवं दूसरे पक्ष के जागेश्वर आदि के मध्य गाली गलौज एवं बाद में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई ।

जब यह दोनों पक्ष संघर्षरत थे उसी समय गश्त करते हुये 2 पुलिस कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गये और उनके द्वारा उभयपक्ष के लोगों को पकड़कर थाने ले जाया गया ।

जी हां ।

इस घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा लिखाया गया । कल्लू त्रिपाठी की ओर से उनकी पत्नी श्रीमती मीरा ने दिनांक 9–10–1998 की रात्रि में 12.15 पर एवं जागेश्वर प्रसाद की ओर से 9-10-98 को रात्रि में 1.15 पर क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या 252/98 एवं 252ए/98 लिखा गया ।

मुकदमा अपराध संख्या 252/98 में नामजद अभियुक्त जागेश्वर प्रसाद व सूर्य बली एवं मुकदमा अपराध संख्या 252ए/98 में नामजद अभियुक्त कल्लू त्रिपाठी व सुन्दर लोध को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

प्रश्नगत पत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा जांच की गई । उनकी जांच का निष्कर्ष यह है कि आभूषणों की वापसी के संबंध में पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर आभूषण वापस न किये जाने के कारण दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई । यह कहना सही नहीं है कि किसी राजनैतिक दबाव के कारण किसी दूसरे पक्ष को गलत फंसाया गया हो ।

जी हां ।

विशेष जांच इकाई द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष यह है उभयपक्ष के विरुद्ध स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही सही है । प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।

जनपद उन्नाव में मौरावां की थानाध्यक्ष ममता विद्यार्थी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

88–श्री गोरखनाथ पाण्डेय

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ में सिकन्दर बाग चौराहे पर वीरांगना ऊदा देवी मूर्ति के अनावरण के समय उन्नाव जनपद के पासी समाज के अनेक नेताओं सर्वश्री देवराज रावत, राम प्रसाद, गंगा प्रसाद भैया आदि ने मौरावां की थानाध्यक्ष ममता विद्यार्थी के विरुद्ध रिश्वत

लेने/अनुसूचित जातियों को सताने आदि के गंभीर आरोपों वाला शिकायती-पत्र उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो पत्र की जांच किससे करायी गयी और जांच का निष्कर्ष क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी, हसनगंज, उन्नाव से जांच कराई गई । जांच एवं गवाहों के बयान से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद उन्नाव के थाना मौरावां में एफ० आई० आर० दर्ज न करने एवं टाल मटोल किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के निर्देशों के बावजूद जनपद उन्नाव के थाना मौरावां में एफ० आई० आर० दर्ज करने में टाल-मटोल की जाती है ? यदि नहीं, तो दिनांक 24-11-98 को बुरी तरह से घायल किये गये राजेश कुमार पाल पुत्र श्री हरिशंकर ग्राम पिंडुरी, थाना मौरावां की एफ० आई० आर० घटना के कितने दिन बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर दर्ज की गई ? क्या यह सच है कि इस मुकदमें के विवेचक ने अपनी विवेचना में डी० आई० जी० को दिये गये राजेश पाल के शिकायती-पत्र के अलावा थाना मौरावां में घटना वाले दिन ही रिपोर्ट लिखे जाने हेतु उक्त पत्र का प्राप्त होना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो थाना अध्यक्ष मौरावां में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर एफ०आई० आर० क्यों नहीं लिखी गयी ? क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि राम शंकर यादव निवासी बखतेखेड़ा, थाना मौरावां जो गैर जनपद में पुलिस की नौकरी में हैं, के परिवार जनों पर गंभीर रूप से मार-पीट की प्राथमिकी घटना के कितने दिन बाद लिखी गयी ? क्या राम शंकर यादव ने इस संबंध में एस० पी०/डी० आई० जी० और उच्च अधिकारियों को एफ० आई० आर० न लिखने की शिकायतें भी की थीं ? यदि हां, तो उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एफ० आई० आर० दर्ज न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

यह कहना सही नहीं है कि थाना मौरावां जनपद उन्नाव में एफ०आई०आर० दर्ज करने में टालमटोल की जाती है । यह अवश्य है कि विगत वर्ष एफ०आई०आर० दर्ज न करने के तीन मामले प्रकाश में आये ।

संदर्भगत घटना दिनांक 24-11-98 की है और एफ०आई०आर० दिनांक 4-12-98 को लिखी गई है ।

जी हां ।

एफ० आई० आर० न लिखने के संबंध में कर्तव्यपालन के प्रति लापरवाही उदासीनता एवं शिथिलता बरतने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष को थानाध्यक्ष पद से हटाते हुये उनकी चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दी गई है ।

प्रश्नगत घटना दिनांक 30-8-1998 की है । उक्त तिथि को राम शंकर यादव के पिता श्री बह्मा द्वारा मौखिक सूचना दी गई लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । तत्पश्चात् उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 15-10-98 को मुकदमा अपराध संख्या 254/98 पंजीकृत किया गया ।

जी हां ।

एफ०आई०आर० दर्ज न करने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष, मौरावां को उनके पद से हटाया गया और उनकी चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दी गई ।

जनपद उन्नाव में मौरावां की थानाध्यक्ष ममता विद्यार्थी के संबंध में पूर्व मंत्री द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

90–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर/दिसम्बर, 98 में उन्हें उन्नाव जनपद की पुलिस के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? क्या थाना–मौरावां की थानाध्यक्ष ममता विद्यार्थी के संबंध में पूर्व मंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा भी उन्हें शिकायतें दी गयी हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

विभिन्न स्रोतों से जनपद उन्नाव में कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

शिकायतें की अपर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा की गई जांच में ममता विद्यार्थी तत्कालीन थानाध्यक्ष मौरावां को दोषी पाया गया है ।

91–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा, थाना गोवर्धन के पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ भू-माफियाओं से होने के कारण विधायक कोष्ठक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गोवर्धन जिला मथुरा के पुलिस कर्मियों, थानाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सब-इन्सपेक्टर की भू-माफियों से सांठ-गांठ विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–3/11548/मथुरा/98, दिनांक 3-6-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के पत्रकार एवं लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री शिवकुमार पाण्डेय की स्थायी सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग

93–श्री कौकब हमीद तथा श्री बनारसी दास चान्दना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं लोकदल जिलाध्यक्ष श्री शिवकुमार पाण्डेय के ऊपर दि० 5-12-98 को प्राणघातक हमले का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो क्या श्री पाण्डेय को स्थायी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

किसी प्रकार की जीवन भय प्रकाश में नहीं आया है । अतः सुरक्षा प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला बस्ती में श्री बाबू राम तहसील व थाना हरैया, ग्राम रमया के मकान व भूमि पर अनधिकृत कब्जा संबंधी शिकायती-पत्र के संबंध में जानकारी

94–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम–रमया, तहसील व थाना–हरैया, जिला–बस्ती के मकान व जमीन पर इन्हीं के गांव के रामभेज द्वारा दिनांक 25-12-98 को अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का फैक्स मैसेज दि० 27-12-98 पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार बाबूराम को उनका मकान एवं जमीन दिलायेगी एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी हरैया से जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि ग्राम समाज को 9 बिस्वा 12 डिस्मिल भूमि में से एक बिस्वा 10 डिस्मिल भूमि बाबूराम को कृषि पट्टा चकबन्दी के समय हुआ जिस पर बाबूराम ने पेड़ आदि लगाया तो राम बदल ने अपर कलक्टर बस्ती व सिविल जज बस्ती के न्यायालय में अलग-अलग वाद दाखिल किया । न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत भूमि यथास्थिति कायम है तथा विपक्षी राम बदल द्वारा कोई कब्जा अथवा निर्माण कार्य विवादित भूमि में नहीं किया गया है शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 की कार्यवाही की गई है । प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बस्ती एवं सिविल जज बस्ती में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ कतिपय थानों में शस्त्र लाइसेंसों के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की मांग

95–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना–कलाई, पट्टी, आसपुर, देवसरा तथा कोहडौर में शस्त्र लाइसेन्सों का कितने प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है एवं कितने प्रार्थना-पत्र किस-किस स्तर पर लम्बित हैं ? लम्बित प्रार्थना-पत्रों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई के 97, थाना पट्टी के 53 थाना आसपुर देवसरा के 39 एवं थाना कोहडौर के 34 शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र दिनांक 12-7-98 से 13-1-99 तक प्राप्त हुये ।

संबंधित प्रार्थना-पत्रों पर पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों से जांच होकर अभी प्राप्त नहीं हुई है । अतः सभी आवेदन-पत्र अनिस्तारित हैं ।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र का यथासम्भव तीन माह में निस्तारण किया जाना अपेक्षित है तथापि इस संबंध में कोई निश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद फतेहपुर थाना गाजीपुर में सूरजभान सिंह गैंग से मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों को वीरता पदक प्रदान करने की मांग

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिदेशक के अर्द्ध० शा० पत्र संख्या–डी०जी०–तीन–215–88/5 लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 18, 1997 विशेष कार्याधिकारी, गृह (पुलिस) अनुभाग–6, उ० प्र० शासन को जनपद फतेहपुर के थाना गाजीपुर के अन्तर्गत सूरज भान सिंह के गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, स्व० श्री आदित्य नारायण सिंह व 28 वीं वाहिनी पी० ए० सी० के स्व० नायक राम निवास सिंह को मरणोपरान्त वीरता के लिये पदक प्रदान किये जाने के संबंध में लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों शहीदों को मरणोपरान्त वीरता का पदक प्रदान करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव कालातीत होने के कारण उसे भारत सरकार को संस्तुत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री राम औतार शाक्य–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत अभियोग एवं गैंग चार्ज आदि के संबंध में जानकारी

98–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश सी० एम०/वि० को०/ एम–3/18394/प्रतापगढ़/98 दिनांक 27-11-98 जो जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुरा देवसरा से संबंधित है, का पालन प्रमुख सचिव, गृह द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 27–11–98 के आदेश द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख सचिव, गृह से आख्या की अपेक्षा की गई थी । प्रकरण में परीक्षणोपरान्त स्थिति निम्नवत् पाई गई है :–

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा गैंग चार्ज का अवलोकन का अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त दिनांक 18–9–98 को थाना आसपुर देवसरा में राज्य की ओर से उ०नि० विनोद कुमार सिंह द्वारा संजय सिंह पुत्र राम उजागिर सिंह नि० ग्राम बिरदीपुर थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर तथा राम उजागिर पुत्र निरंजन सिंह नि० ग्राम मानापुर, थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं० 288/98 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त संजय सिंह, नि० ग्राम बिरदीपुर थाना चांदा सुल्तानपुर को अ०सं० 224/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में दिनांक 15-9-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा

चुका है । अभियुक्त राम उजागिर सिंह पुत्र निरंजन सिंह नि० ग्राम मानापुर की गिरफ्तारी शेष है । इसकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से गैर जमानती वारन्ट जारी हो चुका है ।

उक्त दोनों अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास है तथा इनके विरुद्ध क्रमशः 9 व 7 अभियोग पंजीकृत हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में समय से न बैठने की शिकायत

99–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक शासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी कार्य दिवसों में कभी भी पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.00 बजे तक कार्यालय में नहीं बैठते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसके सत्यापन हेतु जांच करसकर उक्त अवधि में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षकों को सामान्यतया अपने कार्यालय में 10 बजे से 12 बजे के मध्य लोगों से मिलने हेतु उपलब्ध रहने के निर्देश हैं, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है । पुलिस महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ अपने कार्यालय में 10.00 बजे से 12.00 बजे तक उपस्थित रहते हैं, तथा राजकीय कार्य सम्पादित करते हैं ?

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1993 से 1998 के मध्य निर्गत एवं विचाराधीन शस्त्र प्रार्थना-पत्रों की संख्या एवं नये शस्त्र लाइसेंस जारी करवाने की मांग

100–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1993 से जून 1998 तक कितने शस्त्र लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष में बने तथा कितने शस्त्र प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि करीब एक वर्ष उपरोक्त जनपद में नये शस्त्र लाइसेन्स नहीं बन रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित एवं जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद शाहजहांपुर में नियमानुसार नये शस्त्र लाइसेन्स जारी करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1993 से जून 1998 तक बने शस्त्र लाइसेंसों की वर्षवार संख्या निम्नवत् है :–

वर्ष	निर्गत लाइसेंस
1993	2818
1994	731
1995	1213
1996	14
1997	95
1998 जून तक	39

जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त, प्राप्त हुआ कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

जनपद की शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त जून, 1998 तक केवल विशेष परिस्थितियों में 39 शस्त्र लाइसेंस निर्गत हुये हैं ।

इस संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान के अनुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त जनपद की शान्ति व्यवस्था, आवेदक की वास्तविक आवश्यकता एवं लाइसेंस के औचित्य को देखते हुये ही शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों का जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम निस्तारण किया जाता है । तद्नुसार जनपद शाहजहांपुर में भी शस्त्र लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर थाना जैतीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा मुठभेड़ में श्री ऋषिपाल को मारे जाने के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

101–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-5-98 या इसके आसपास ऋषिपाल नि० थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर को कोतवाली पुलिस द्वारा नाटकीय ढंग से मारे जाने के विषय में दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०–203 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० व अ०सं०–204/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम मृतक बदमाश अज्ञात पंजीकृत हुये थे । विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट सं० 85-86 दिनांक 9-12-98 को मा० न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है । जांच में फर्जी मुठभेड़ संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर, थाना छतारा, चौढेरे ग्राम के श्री रामेश्वर प्रसाद गौतम के साथ मारपीट एवं राहजनी की घटना में दर्ज एफ०आई०आर० पर कार्यवाही की जानकारी

102–श्री बादूलाल कुरील–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर थाना छतारी के चौढेरेग्राम के श्री रामेश्वर प्रसाद गौतम पुत्र स्व० श्री राम प्रसाद के साथ दि० 16-11-98 को राहजनी और मार पिटाई की घटना घटित हुई थी ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर गुप्ता तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर ने श्री गौतम की तहरीर पर एफ०आई०आर० दर्ज कराई थी ? यदि नहीं, तो उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री रामेश्वर प्रसाद गौतम द्वारा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर पर उनके साथ केवल मारपीट होने की सूचना दी गई थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बुलन्दशहर, थाना छतारी चौंढेरे ग्राम के श्री नत्थू के विरुद्ध दर्ज एफ०आई०आर० पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर थाना छतारी के चौंढेरा ग्राम के निवासी श्री नत्थू पुत्र श्री रामजी लाल के विरुद्ध वर्ष 1991 से 1995 तक 6 गम्भीर धाराओं के अन्तर्गत एफ०आई० आर० दर्ज है ? यदि हां, तो क्या अभी तक उसके विरुद्ध आतंकवाद/एन०एस०ए०/ एच०एस० गुन्डा एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री नत्थू पुत्र रामजी लाल निवासी ग्राम चौंढेरा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध वर्ष 1991 से 1995 तक कुल 4 अभियोग थाना छतारी पर पंजीकृत है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1—मु०अ०सं० 47/91 धारा 379, 411 भा०दं०वि०

2—मु०अ०सं० 84/93 धारा 376 भा०दं०वि०

3—मु०अ०सं० 170/94 धारा 307 भा०दं०वि०

4—मु०अ०सं० 37/95 धारा 395, 397, 382 भा०दं०वि०

जी नहीं ।

सम्प्रति नत्थू दिल्ली में रह रहा है । नत्थू का ऐसा कोई नया प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जिससे उसके विरुद्ध आतंकवाद/एन-एस०ए०/एच०एस० गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के वेतन से ई०पी०एफ० व सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत की गई कटौती की धनराशि के दुरुपयोग की जांच

104–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सभी कर्मचारियों की प्रतिमाह जो ई०पी०एफ० व सामूहिक बीमा योजना की धनराशि की कटौती की जाती है, उसको खाते में गत दो वर्षों से जमा न करके अधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर उनके खाते में धनराशि जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

निगम कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ई०पी०एफ० व सामूहिक बीमा योजना की धनराशि मुख्यालय स्थित खाते में जमा की जाती है और इस खाते की धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया जाता है । जिन प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारी के वेतन से धनराशि के कटौती के उपरान्त ई०पी०एफ०/सामूहिक बीमा योजना खाते में धनराशि जमा नहीं कराई गई है उनके वेतन का भुगतान रोककर ई०पी०एफ० एवं सामूहिक बीमा योजना की धनराशि जमा कराई जा रही है ।

उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जनपदीय डिपो को समस्त आवश्यक वस्तुओं के सामान को सीधे क्रय करने का अधिकार दिये जाने की मांग

105–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर गोण्डा, फैजाबाद तथा बस्ती में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जो डिपोज कार्य कर रहे हैं उनकी समस्त आवश्यक वस्तुओं जैसे

साबुन, तेल, डालडा तथा अन्य सामग्री जवाहर भवन, लखनऊ स्थित डिपो द्वारा गत कई वर्षों से खरीद कर, आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जवाहर भवन डिपो, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा माल खरीद कर गन्तव्य स्थान तक भेजने हेतु भाड़ा (किराया) एवं लोडिंग चार्ज किया जा रहा है, जिसमें भारी पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त जनपदों के डिपो को सीधे माल खरीदने का अधिकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जवाहर भवन स्थित डिपो से गोरखपुर, गोण्डा, फैजाबाद तथा बस्ती के डिपो में सामान दिये जाने की प्रक्रिया लागू है ।

निगम के विभिन्न जनपदों में स्थित डिपो में डिपोज द्वारा पृथक-पृथक ड्राफ्ट दिये जाने के कारण अग्रीम की फर्में अक्सर आपूर्ति में विलम्ब करती हैं क्योंकि दी गई धनराशि से उनका ट्रक लोड नहीं बनाता है । अतः आपूर्ति समय से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अन्तर इकाई अन्तरण की व्यवस्था लागू है ।

भाड़ा निगम द्वारा दिया जा रहा है तथा इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं की जा रही है । इस प्रक्रिया से निगम के डिपोज में माल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है एवं बिक्री तथा लाभांश में वृद्धि हुई है ।

डिपोज को सीधे माल खरीदने का अधिकार प्रतिबन्धित नहीं किया गया है । वर्तमान में अन्तर इकाई अन्तरण तथा सीधे क्रय होने की व्यवस्था आपूर्ति हेतु लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपो, लखनऊ में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत प्रबन्धकों के स्थानान्तरण की जानकारी

106–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विभिन्न डिपोज पर कितने प्रबन्धक एवं प्रधान प्रबन्धक ऐसे नियुक्त हैं जिनको लगातार एक ही डिपो पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है ? उनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

लखनऊ स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपोज में कुल दो प्रबन्धक ऐसे नियुक्त हैं जिनको लगातार एक ही डिपो पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है । निगम में कोई भी प्रधान प्रबन्धक नियुक्त नहीं है । निगम में प्रबन्धक का स्थानान्तरण उनके द्वारा किये गये व्यापार की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है ।

जनपद पिथौरागढ़ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानकारी

107–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ में काफी लम्बे समय से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का पद रिक्त है ? क्या इस कारण से परिवहन व्यवस्था के संचालन एवं गैरकानूनी तौर पर

चल रहे वाहनों पर रोक न लगने से भारी राजस्व की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो पिथौरागढ़ में सहायक परिवहन अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 30-12-98 को जनपद पिथौरागढ़ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की तैनाती कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, जिला सहकारी बैंक लि० की शाखा शुक्लागंज के पूर्व शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

108–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक लि० शाखा शुक्लागंज उन्नाव के पूर्व शाखा प्रबंधक हाजीपुर सहकारी समिति एवं अन्य प्रकरणों की जांच में दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा रायबरेली के निलम्बित शाखा प्रबन्धक श्री सुभाष चन्द्र को प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में जानकारी

109–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 21-3-98 को उ०प्र० राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा रायबरेली के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री सुभाष चन्द्र को शाखा में कैश बैलेन्स कम पाये जाने के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी है कि उन्हें दिनांक 29-9-98 को प्रोन्नत करके क्षेत्रीय प्रबंधक इलाहाबाद के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त सेवा अभिलेख अनुकूल पाये जाने के फलस्वरूप श्री सुभाष चन्द्र की पदोन्नति कर उन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के पद पर नियुक्त किया गया ।

जनपद उन्नाव में कृषि ऋण समितियों के सचिवों को सी० पी० एफ० की कटौती की पास बुकें उपलब्ध करवाने की मांग

110–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों की सी०पी०एफ० की कटौती 1-7-95 से न करके 1-1-96 से की जा रही है और इस कटौती

की पास बुकें सचिवों को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सी०पी०एफ० के लेजर एवं पासबुकों की व्यवस्था करने हेतु सदस्य सचिव/जिला सहायक निबंधक उन्नाव के द्वारा सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव को कई पत्र लिखने के बावजूद महाप्रबंधक ने लेजर एवं पास बुकें नहीं उपलब्ध करायी हैं ? यदि हां, तो क्या सचिवों को सी०पी०एफ० की पास बुकें उपलब्ध करायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां । कटौती दिनांक 1-1-96 से न करके माह फरवरी, 96 से की जा रही है परन्तु कटौती की पासबुकें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।

जी हां । कई पत्र लिखने के बाद भी सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

जी हां ।

लेजर और पास बुकें उपलब्ध हो एवं उनमें प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात् पासबुकें उपलब्ध कराई जा सकेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक पुलिस बल अपनी सुरक्षा हेतु तैनात करने की जानकारी

111–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों को अपनी सुरक्षा हेतु कितने पुलिस कर्मी अपने आवास पर तैनात करने का प्राविधान की नीति है और जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने अपनी सुरक्षा हेतु कितने कर्मी तैनात कर रखे हैं ? उनकी स्वयं कोष का 12-7-98 से अब तक कितना धन खर्च हुआ है और क्यों ? क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने निर्धारित संख्या से अधिक पुलिस अपनी सुरक्षा हेतु तैनात कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षक को अपने आवास पर स्थित गोपनीय कार्यालय की सुरक्षा हेतु 1-3 की सशस्त्र गार्ड का नियतन स्वीकृत है और पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा उक्त नियतन के अतिरिक्त कोई अन्य पुलिस बल नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112–श्री कृपा शंकर सिंह–

। मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

जनपद प्रतापगढ़, थाना कनाई पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 463/98 में पुलिस द्वारा फर्जी लोगों को फंसाने संबंधी जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

113–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कनाई में पंजीकृत मु०अ० संख्या 463/98 में पुलिस द्वारा फर्जी लोगों को फंसाये जाने के विरोध में जिलाधिकारी द्वारा कोई मजिस्ट्रेटी

जांच कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच के परिणाम पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उपरोक्त विषयक जांच हेतु मुख्य मंत्री जी ने महानिदेशक, पुलिस को भी दिनांक 20-11-98 को अपने पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०एन–3/18257/प्रतापगढ़/98 द्वारा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । डी० जी० पी० मुख्यालय में स्थित शिकायत प्रकोष्ठ शाखा से जांच कराई गई, जांच के आधार पर प्रश्नगत अभियोग की पुनः विवेचना धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जनपद के एस० आई० एस० से निष्पक्षता से कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद पीलीभीत, थाना पूरनपुर, ग्राम हुसैनापुर के श्री राधेश्याम द्वारा अनधिकृत रूप से शस्त्र प्राप्त करने के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की मांग

114–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पुत्र श्री राममूर्ति लाल, ग्राम–हुसैनापुर, थाना–पूरनपुर, जनपद–पीलीभीत द्वारा प्रशासन को गुमराह करके थाना–मोहम्मदी, जनपद–खीरी से शस्त्र लाइसेन्स लिया गया था ? क्या जांचोपरान्त अनाधिकृत शस्त्र लाइसेन्स को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रशासन को गुमराह करके अनाधिकृत रूप से शस्त्र प्राप्त करने के आरोप में अभी तक श्री राधेश्याम के विरुद्ध मुकदमा कायम न करने का क्या कारण है ? क्या मुकदमा कायम किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

इस संबंध में लाइसेंसी श्री राधेश्याम के विरुद्ध थाना मोहम्मदी में मु० अ० सं० 54/99 के अन्तर्गत द्वारा 420 भा० दं० वि० एवं 30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कराया जा चुका है ।

115–श्री अजय कुमार पोइया–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ में जनता वस्त्र की कालाबाजारी की जांच आख्या पर निर्णय की जानकारी

116–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ में जनता वस्त्र की कालाबाजारी के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 123/92-8-95-15/ए०क्यू०/94, दिनांक 2-2-95 द्वारा वाह्य एजेन्सी द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच आख्या की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि

निगम के पत्र सं०–8747/अधि०/जांच व्यक्ति/97–98, दिनांक 12-2-98 द्वारा जांच रिपोर्ट की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । संदर्भित पत्र वाह्य एजेन्सी द्वारा जांच कराए जाने से संबंधित नहीं है । अपितु संदर्भित पत्र द्वारा निगम को जांच परिणाम से अवगत कराया गया था ।

जांच आख्या पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है । अतः सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच शासन स्तर से कराई गई थी और शासन द्वारा मामले में निर्णय लेकर निगम को अवगत कराया जा चुका है । अतः निगम को जांच आख्या भेजने का औचित्य नहीं है ।

जनपद मथुरा, थाना जमुनापार में दर्ज अपराध संख्या 107/98, धारा 323, 324, 307 आई० पी० सी० के संबंध में प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 107/98,धारा 323, 324, 307 आई०पी०सी० मुकदमा थाना जमुनापार में दिनांक 9-6-98 को घटित घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/ वि०को०/एम–3/16007/ मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, थाना कछौना ग्राम हरदासपुर बुद्धा गद्दी के पुत्र की बस दुर्घटना में होने से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराने की मांग

118—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना कछौना के ग्राम हरदासपुर बुद्धा गद्दी के पन्द्रह वर्षीय पुत्र की बस से कुचल कर मृत्यु हो गयी थी ? क्या अभी तक पुलिस द्वारा बस ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही कोई आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अभियुक्त को गिरफ्तार करवाकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 5-11-98 की है । उक्त तिथि को ही बस संख्या–यू० एस० एक्स०–64-56 कब्जे पुलिस में लेकर थानों में दाखिल की गयी । बस चालक मौके से फरार हो गया जो दिनांक 11-11-1993 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जेल गया ।

वाद विवेचना बस चालक के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाकर आरोप-पत्र दिनांक 14-11-98 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

दुर्घटना से संबंधित बस श्री राम गोपाल पुत्र जीवन लाल निवासी मो० वंशीनगर हरदोई की है जो लखनऊ से हरदोई मार्ग पर चलती है । आर्थिक सहायता के लिये मृतक के वारिसान को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्लेम का मुकदमा सक्षम न्यायालय में करना चाहिये । तत्पश्चात् न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, थाना मगोर्रा द्वारा हुई मुठभेड़ की जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

119—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-10-98 मध्याह्न 1.00 बजे शाहपुर के आगरा कैनाल के पुल पर थाना पुलिस मगोर्रा द्वारा हुई मुठभेड़ की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक: सी०एम०/वि०को०/ एम–3/18514/मथुरा/98 दिनांक 2-12-98 प्रमुख सचिव गृह, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भ के साथ प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच कराई गयी । अपराध सं०–110/98 दिनांक 30-10-98 थाना मगोर्रा पर श्री शिव कुमार, थानाध्यक्ष द्वारा बदमाशों से मुठभेड़ के संबंध में पंजीकृत कराया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त, कन्हैया, ऐलम व प्रीतम के विरुद्ध दिनांक 1-11-98 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया । शेष अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के उपरान्त दिनांक 9-12-98 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । शेष आरोप जांच से असत्य एवं निराधार पाये गये ।

120–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

। दिनांक 22-2-99 को अता० प्र० सं० 67 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बस्ती व गोण्डा की सरकारी तथा प्राइवेट बस मालिकों द्वारा यात्रियों से लिये जाने वाला किराया निर्धारण की जानकारी

121—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर प्रति किलो मीटर सरकारी तथा प्राइवेट बसों के यात्री किराये की दर क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बस्ती व गोण्डा में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन की अधिसूचना संख्या 3259/30-4-346/95, दिनांक 2-11-98 के अनुरूप प्रदेश स्तर पर उ० प्र० रा० प० स० प० निगम तथा प्राइवेट बसों के यात्री किराये की ए श्रेणी के मार्ग पर प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराया की दर 27.2 पैसा है।

शासन की अधिसूचना संख्या 3259/30-4-98-346/95, दिनांक 2-11-98 द्वारा निर्धारित किराया ही लिया जा रहा है ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

122–श्री तेजभान सिंह–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन०आर०डी० एम०एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मद में नवम्बर, 1997 से जनवरी, 1998 तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? इस धनराशि से कर्मचारियों को कब तक के वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

एन० आर० डी० एम० एस०, डाटा बेस सेन्टर सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमद में रु० 2,12,425 (रु० दो लाख, बारह हजार, चार सौ पचीस मात्र) की धनराशि संदर्भित अवधि हेतु आवंटित की गयी है।

उक्त धनराशि से एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के कर्मचारियों को माह फरवरी, 1999 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के संचालन हेतु शासन द्वारा उपलब्ध धनराशि के व्यय का विवरण

123–श्री तेजभान सिंह

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एन०आर०डी० एम०एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के संचालन हेतु निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० को वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा उसका व्यय किस-किस मद में कितना-कितना किया गया ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

एन० आर० डी० एन० एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के संचालन हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 3.50 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी जिसमें से व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

मद	व्यय (रुपया)
1–वेतन, मजदूरी एवं अन्य भत्ते	रु० 1,04,150.00
2–विविध आकस्मिक व्यय	रु० 30,052.87
3–यात्रा व्यय	रु० 13,941.50

4–प्रशिक्षण व सीमिनार	रु० 11,844.40
5–उपकरण के मरम्मत एवं अनुरक्षण	रु० 1,280.00
	रु० 1,61,268.77

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के फैक्स पर निदेशक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर उ० प्र० द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

124–श्री तेजभान सिंह–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा भेजे गये फैक्स/पंजीकृत अर्द्ध शा० पत्र सं०–3637/एन०आर०डी० एम०एस० दिनांक 3-6-98 व 22-6-98 एवं फैक्स/पंजीकृत अर्द्ध० शा० पत्र संख्या 38, 40/एन०आर० डी० एम० एस० 98–99 दिनांक 10-8-98 व 17-12-98 पर निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां । जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 3-6-98, 22-6-98, 10-8-98 तथा दिनांक 17-12-98 संस्था में प्राप्त हुआ है, जो एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर के कम्प्यूटर उपलब्ध कराने एवं सेन्टर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित है ।

कम्प्यूटर क्रय किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है ।

एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर के कर्मचारियों को माह फरवरी, 1999 तक के समस्त वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, परियोजना प्रबन्धक एन० आर० डी० एम० एस० रिमोट सेन्टर के साथ जिलाधिकारी की बैठक में लिये गये बिन्दुओं की जानकारी

125–श्री तेजभान सिंह–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या डा० रवि शर्मा परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०डी०एम०एस० रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सुल्तानपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज तक कोई बैठक की गयी ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी नहीं । जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की अध्यक्षता में कोई बैठक नहीं की गयी । दिनांक 22-4-98 को तत्कालीन जिलाधिकारी से विचार-विमर्श किया गया था ।

दिनांक 22-4-98 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर के साथ नये कम्प्यूटर क्रय किये गये जाने के संबंध में विचार किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[5 वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

गंगा नदी में तीर्थ यात्रियों को डूबने से बचाने हेतु वाराणसी जल पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग

127—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1998 में वाराणसी में गंगा नदी में नाव डूबने से दर्जनों तीर्थ यात्री डूब गये और जल पुलिस के पास महाजाल, मुंह पर लगाने वाला मास्क तथा गोताखोरी में दक्ष जल पुलिस न रहने से उनकी समुचित खोजबीन नहीं की जा सकी और परिणाम स्वरूप दर्जनों लोगों की लाश का भी पता नहीं चल सका ? क्या सरकार इस प्रकार की दुःखद घटना होने पर पर्याप्त सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जल पुलिस में गोताखोरी में दक्ष की भर्ती करने, दो-तीन बहुत बड़े साईज के महाजाल एवं गैस मास्क उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 30-9-98 को शिवाला घाट के पास गंगा नदी में मोटरबोट डूब जाने के फलस्वरूप 36 यात्रियों में से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं 8 व्यक्तियों का शव बरामद नहीं हो सका । शेष 21 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर जनहित रिट याचिका सं० 21552/97 आर०के० जायसवाल बनाम अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16–9–98 के तहत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है । भारत सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश में खाद्यान्न दुलाई के ठेकों को स्वीकृत नीति एवं प्रतापगढ़ में उसके पालन के विवरण की जानकारी

129–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों एवं खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्न दुलाई के ठेकों की स्वीकृति प्रदान करने की नीति क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में उसका पालन हो रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 का विवरण क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

खाद्य एवं रसद विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न की दुलाई हेतु प्रत्येक जनपद में पृथक-पृथक परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा की जाती है । परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में परिवहन कार्य हेतु पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों/संस्थाओं से नियमानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं और प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के नामित सदस्यों द्वारा खोलकर उनके द्वारा उसका परीक्षण करने के पश्चात् अपनी संस्तुति/आख्या प्रस्तुत की जाती है । समिति की आख्या/संस्तुति पर विचारोपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निविदा को स्वीकार करते हुये परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति की जाती है ।

जी हां ।

प्रतापगढ़ जनपद में वर्ष 1997–98 में परिवहन कार्य हेतु चार निविदायें दिनांक 26-3-97 को प्राप्त हुई थीं ।

प्रतापगढ़ जनपद में वर्ष 1997–98 में परिवहन कार्य हेतु चार निविदायें दिनांक 26-3-97 को प्राप्त हुई थीं जिनमें न्यूनतम निविदा श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह की 416% ऊपर शिड्यूल रेट थी परन्तु उन्होंने पांच निजी ट्रकों की अनिवार्य शर्त पूरी न करने के कारण कार्य करने से लिखित रूप से इन्कार कर दिया अतः दूसरे न्यूनतम निविदादाता सहकारी श्रम संविदा समिति जिनकी दर 582% ऊपर शिड्यूल रेट थी, के द्वारा पांच निजी ट्रकों की अनिवार्य शर्त पूरी न करने के कारण तीसरे न्यूनतम निविदादाता श्री हरि प्रताप सिंह निजी दर 700% ऊपर शिड्यूल रेट थी परन्तु 580% ऊपर शिड्यूल रेट पर कार्य करने की सहमति दी थी और पांच ट्रकों की अनिवार्य शर्त भी पूरी करते थे, 580% ऊपर शिड्यूल रेट पर निविदा समिति की संयुक्त आख्या/संस्तुति पर ठेकेदार नियुक्त किये गये ।

वर्ष 1998–99 के लिये परिवहन कार्य हेतु दिनांक 17-3-99 को निविदा आमंत्रित की गई थी और प्रतापगढ़ जनपद के लिये न्यूनतम श्री हरि प्रताप सिंह की 579% ऊपर शिड्यूल रेट प्राप्त हुई थी । निविदा समिति की आख्या/संस्तुति पर यह न्यूनतम दर स्वीकृत की गई ।

पुलिस अधीक्षक को आवास एवं कार्यालय हेतु अनुमन्य वाहनों एवं कर्मचारियों आदि की जानकारी

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

130–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद के पुलिस अधीक्षक को कितनी संख्या में राजकीय वाहन के प्रयोग की अनुमति सामान्यतः है तथा कितने फालोवर, रोवक नियमानुसार आवास एवं कार्यालय के लिये अनुमन्य हैं ? क्या शासन के आदेशों का पालन जनपद प्रतापगढ़ में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जनपद के पुलिस अधीक्षक के उपयोगार्थ एक अम्बेसडर कार अनुमन्य है । कभी-कभी कुछ वाहन सुरक्षा/कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रयोग में लाये जा सकते हैं । जनपद में पुलिस अधीक्षक के साथ एक अर्दली प्यून तथा एक कुक और कार्यालय के लिये एक अर्दली प्यून एवं एक वाटर मैन का नियतन स्वीकृत है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

131–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 4-12-98, 8-12-98, 15-12-98, 19-12-98, 21-12-98, 7-1-99 के पत्रांक क्रमशः क–2—063139, ख–2, नं०–442029, ख–2–442031, क–2–091968, क–2 नं०–091971, क–2, 091972, ख–2 नं० 442088, ख–442087 पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के विरुद्ध बताये गये तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने के अनुरोध के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जांच का प्रारूप एवं स्तर क्या है और किस समय सीमा में उसे पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को भेज दिया गया है।

जनपद मथुरा, थाना बलदेव मु० अ० सं० 188/98 की कतिपय धाराओं की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

132–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 188/98, धारा 147, 148, 149, 323, 307 आई० पी० सी० थाना बलदेव, जिला मथुरा–की सी० बी० सी० आई० डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम-115513/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बलदेव पर अंकित मु०अ०सं० 188/98 की विवेचना श्री आर०पी० गौतम, क्षेत्राधिकारी राया के पर्यवेक्षण में निष्पक्षता से की गई व आरोप-पत्र सं०–180 दिनांक 7–9–98 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद फतेहपुर में खागा, फतेहपुर एवं बिन्दकी में नोटरी हलफनामा के तीन निरस्त लाइसेंसों को पुनः निर्गत किये जाने की जांच कराने की मांग

133–श्री मुरलीधर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर में खागा, फतेहपुर एवं बिन्दकी में वर्ष 1998 में नोटरी हलफनामा के तीन लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत निर्गत हुये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त निरस्त किये गये लाइसेन्सों को असंवैधानिक रूप से अन्य व्यक्तियों को प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में डा० अश्विनी कुमार से फिरौती की मांग विषयक मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

134–श्री गोमती यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फिरौती की मांगी गयी धनराशि न देने पर हत्या की धमकी से संबंधित डा० अश्विनी कुमार सिंह, संयोग होम्यो क्लीनिक, सम्पूर्णानगर लखीमपुर-खीरी का प्रार्थना-पत्र जो मुख्यमंत्री को सम्बोधित है और जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक को पृष्ठांकित है, जनवरी, 1999 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर शासन/प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

संदर्भगत प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक गोला से जांच कराई गई । डा० अश्विनी कुमार सिंह, एवं उनके परिवार सहित उनकी क्लीनिक एवं ग्राम में स्थित आवास पर सादी वर्दी में आरक्षी तैनात किये गये थे एवं सतर्क निगरानी की जा रही है । स्वयं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । डा० सिंह ने सशस्त्र गार्ड लेने से इनकार कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में शास्त्री नगर के श्री प्रमोद कुमार का मु० अ० सं० 965/98 से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, मुकदमें की त्वरित विवेचना आदि विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135–श्री गोमती यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मुकदमें की त्वरित विवेचना एवं न्यायालय में आरोप-पत्र के प्रेषण विषयक मुख्यमंत्री को सम्बोधित, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को पृष्ठांकित श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री लल्लू पहलवान, शास्त्रीनगर–गढ़हा थाना कोतवाली जनपद–बलिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 21-12-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री अनिरुद्ध चौधरी की सूचना पर मु०अ०सं० 965/98 धारा 504/506/307 भा०दं०वि० 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली में छन्नू चन्द्रशेखर उधारी यादव एवं भोलू के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना की गई । अभियुक्त छन्नू व चन्द्रशेखर की घटना में शामिल न होना पाया गया । अभियुक्त उधारी यादव व भोलू उर्फ शिवरेन्द्र सिंह के विरुद्ध दिनांक 21-1-99 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड असोहा, ग्राम दरेहटा के सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में धांधली विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

136–श्री उदय राज यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दरेहटा विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में की जा रही धांधली के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर दिनांक 25-7-98 को मंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जांच में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर/गोण्डा पैक्सफेड इकाई द्वारा विगत वर्षों में कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

137–श्री उदय राज यादव–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि पैक्सफेड निर्माण इकाई गोण्डा/बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 में कराये गये कार्यों में अनियमितता बरतने के प्रकरण पर संबंधित सहायक अभियन्ता को कोई पत्रांक पैक्स/कार्मिक दिनांक 2 अगस्त, 1998 प्रबन्ध निदेशक, पैक्स फेड द्वारा जारी किया गया है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य तकनीकी अधिकारी सहकारी समितियां उ० प्र० की अध्यक्षता में गठित जांच दल की रिपोर्ट में रोड निर्माण आदि के लिये वर्ष 1996 में प्रथम द्वितीय किस्त का भुगतान हो जाने के पश्चात् भी कार्य अवशेष दर्शाया गया है ? यदि हां, तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी सहा० अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

पत्रांक पैक्स/कार्मिक दिनांक 2-8-98 के बजाय पत्रांक पैक्स/कार्मिक–1(1)ए–347/1996 दिनांक 24-8-98 जारी किया गया था ।

जी हां ।

मुख्य तकनीकी अधिकारी सहकारी समितियां उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित जांच दल की रिपोर्ट में वर्ष 1996 में 7 मार्गों में प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त होने के पश्चात् कतिपय आंशिक कार्य पूर्ण नहीं होने का उल्लेख किया गया है । उक्त 7 मार्गों में से 5 मार्गों का अवशेष कार्य संबंधित अभियन्ता द्वारा पूर्ण करा दिया गया है । दो मार्गों की धनराशि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस कर दी गई है । समय से कार्य पूर्ण न किये जाने के फलस्वरूप संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में निकाय के अध्यक्षों, सभासदों को सुरक्षा प्रदान किये जाने संबंधी विवरण की जानकारी

138–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कितने स्थानीय निकायों के अध्यक्षों, सभासदों को सुरक्षा प्रदान की गयी है ? उनके नाम व पते तथा शासन द्वारा ली जाने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है और उसका आधार क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

नगर पालिका अध्यक्ष, श्री हरि प्रताप सिंह, मुहल्ला अजीतनगर, थाना–कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं, और इन्हें शासन द्वारा 10% निजी व्यय पर सुरक्षा प्रदान की गई है । उक्त सुरक्षा उनके जीवनभय एवं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की गई है ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्र के लाइसेंस हेतु बढ़ी फीस को कम करने की मांग

139–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव सुरक्षा पर आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस पर नवीनीकरण फीस दस गुनी बढ़ा कर मानव सुरक्षा पर सरकार ने कुठाराघात किया है ? क्या बढ़ी हुई नवीनीकरण शुल्क व स्टाम्प शुल्क समाप्त कर सरकार मानव सुरक्षा में योगदान प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु फीस में वृद्धि आयुध नियमावली, 1962 जो केन्द्रीय विधान है, में आवश्यक संशोधनोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू है तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीनीकरण फीस में नहीं बल्कि नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी आरोपित किया है । शासन द्वारा आग्नेयास्त्रों के नवीनीकरण पर आरोपित स्टाम्प ड्यूटी को वापस लिया जाना प्रस्तावित है ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में कम्प्यूटर डाटाइंट्री कार्य हेतु कार्य पूर्ण कराये भुगतान कराने तथा टी०डी०एस० सर्टीफिकेट विलम्ब से निर्गत करने में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

140-डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि कम्प्यूटर डाटाइंट्री इत्यादि कार्य संबंधी ठेकेदारों के शिकायती पत्र के संदर्भ में निर्वाचन निदेशालय द्वारा जिला अधिकारी वाराणसी को जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर, 1998 में ठेकेदारों के चार वर्ष पुराने भुगतानों की रिकवरी किये जाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में ठेकेदार से कार्यालय द्वारा काटे गये बीस हजार रुपये के टी० डी० एस० सर्टीफिकेट विलम्ब से निर्गत करने वाले दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । वाराणसी जनपद की मतदाता सूची की डाटाइंट्री का कार्य मैसर्स आई०आई०एच०टी० सिगरा, वाराणसी, मेसर्स कम्युनिट्रानिक्स कारपोरेशन, शिवपुर वाराणसी और मैसर्स सौरभ टाइपिंग इन्स्टीट्यूट को दिया गया था । इन फर्मों को दिये गये सम्पूर्ण कार्य के सापेक्ष बिना कार्य पूरा कराये ही भुगतान कर दिया गया । परन्तु बाद में इन फर्मों ने कार्य अधूरा छोड़ दिया । इन फर्मों को किये गये अतिरिक्त भुगतान की धनराशि क्रमशः रु० 92,544.40 पैसे, 48,126.30 पैसे तथा रु० 10,764.90 पैसे है, जिनकी राजस्व बकाये की भांति वसूली की कार्यवाही की जा रही है । टी०डी०एस० प्रमाण-पत्र विलम्ब से निर्गत किये जाने के बारे में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद फतेहपुर में पुलिस चौकियों की स्थापना एवं थानों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी

141 श्री मुरलीधर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में पुलिस चौकी स्थापित करने के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? फतेहपुर में बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ को देखते हुए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या सरकार जनता की सुविधा हेतु पुलिस को सूचित करने हेतु प्रत्येक थानों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद फतेहपुर में थाना खागा के अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में पुलिस चौकी तथा थाना खखरेरू के अन्तर्गत ग्राम बिछयांवा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे । शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा चुके हैं । वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये पुलिसबल से सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावकारी बनाये जाने के लिये आधुनिक़ीकरण योजना के अन्तर्गत तेज गति से चलने वाले वाहन, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, वायरलेस सेट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं ।

जनपद फतेहपुर में कुल 20 थानों में से 15 थानों के लिये टेलीफोन स्वीकृत हैं । शेष 5 थानों में संबंधित थाना क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण, टेलीफोन स्वीकृत नहीं हैं ।

142–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 8–3–99 को अता०प्र०सं० 18 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा, थाना जगनेर, ग्राम बगवां खुर्द के श्री मथुरा प्रसाद की हत्या की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मथुरा प्रसाद शर्मा पुत्र तुलसी राम निवासी गांव बगवां खुर्द थाना जगनेर जिला आगरा की बहिन की शादी के बाद हुई हत्या के संबंध में जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–3/ 18518/मथुरा/98/दिनांक 3-12-98 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वादी श्री मथुरा प्रसाद की सूचना के आधार पर थाना एत्माउद्दौला पर मु०अ०सं० 490/98 धारा 498ए/304 बी भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियोग में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित होना पाया गया । अभियोग में अभियुक्त हरिश्चन्द्र, दिनांक 23-9-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त रमेश चन्द्र शर्मा, मायादेवी, गिरीश चन्द्र, चित्रा देवी क्रमशः दिनांक 1-2-98, 23-11-98, 7-10-98, 23-11-98 को अदालत में हाजिर हुये । समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र सं०–363 प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी है ।

जनपद मथुरा, वाद संख्या 1158/12 सन्, 95 के आरोपितों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के वाद संख्या 1158/12 सन् 95 ब किशोर शर्मा बनाम शान्ती स्वरूप, सत्य प्रकाश एवं अन्य अपराधों में आरोपित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/18547/मथुरा 98, दिनांक 2-12-98 महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई गई । अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप असत्य एवं निराधार पाये जाने पर प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट सं०6 दिनांक 28-1-98 को मय रिपोर्ट जुर्म खारिजा के प्रेषित की जा चुकी है । वाद सं०–1158/12 सन् 1995 धारा 323/354/452/504/506/350 भा०दं०वि० थाना

जमुनापार पर पंजीकृत होना नहीं पाया गया । शिकायती-पत्र की बिन्दु 1 से 3 में उल्लिखित वाद न्यायालय दीवानी प्रशासनिक से संबंधित है जिसमें पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद मथुरा के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की आवंटित भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अनुसूचित जाति तथा जनजाति व पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर से भू-माफियाओं के कब्जा हटवाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०वि०को०/एम–3/18511/मथुरा 98. एवं एम०–3/18510–मथुरा/98. दिनांक 2-12-98 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र तथा मिर्जापुर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये मिट्टी के तेल के आवंटन की विसंगति दूर करने के संबंध में जानकारी

146–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र तथा मिर्जापुर की जनसंख्या क्रमशः कितनी-कितनी है तथा दोनों जनपदों में मिट्टी के तेल के आवंटन की मात्रा क्रमशः कितनी-कितनी है ? क्या यह सत्य है कि अधिक से अधिक जनसंख्या होते हुये भी मिर्जापुर में मिट्टी के तेल का आवंटन कम किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह विसंगति दूर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद सोनभद्र तथा मिर्जापुर की जनसंख्या क्रमशः 10,75,041 व 16,57,139 है तथा दोनों जनपदों में मिट्टी के तेल के आवंटन की मात्रा क्रमशः 1,640 कि०ली० एवं 1,557 कि०ली० है ।

सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भांति अत्यन्त दुर्गम है और यहां बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आकर मजदूर एवं गरीब लोग निवास करते हैं । इस दृष्टि से सोनभद्र का आवंटन बहुत पहले से ही मिर्जापुर की तुलना में अधिक निर्धारित किया जाता रहा है ।

147–डा० सरजीत सिंह डंग–

[दिनांक 24-2-99 को अता० प्र० सं०–188 द्वारा उत्तरित ।

जनपद गोरखपुर के डी०जी०सी० के विरुद्ध जांच कार्यवाही की मांग

148–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर के डी० जी० सी० क्रिमिनल श्री राघव सिंह द्वारा कोई ए० डी० जी० सी० रिक्त रहने के बाद भी विशेष न्यायाधीश ई० सी० एक्ट, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार उन्मूलन की अदालतों में वकीलों को स्वयं नियुक्त कर पैरवी करवाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार न्याय विभाग से जांच करवाकर डी० जी० सी० गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। गोरखपुर के डी०जी०सी० क्रिमिनल श्री राघव सिंह द्वारा विशेष न्यायाधीश, ई०सी० एक्ट अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन की अदालत में किसी अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की गई है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोरखपुर के ए०डी०जी०सी० श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा अपने प्रधान पद को छिपाये जाने एवं उन पर हत्या आदि आरोपों के संबंध में कार्यवाही

149–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई ग्राम प्रधान एडवोकेट होने के कारण ए०डी०जी० सी० बन सकता है ? यदि नहीं, तो क्या गोरखपुर के ए० डी० जी० सी० श्री राणा प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र में प्रधान पद छिपाया है ? क्या उक्त ए० डी० जी० सी० पर हत्या एवं हत्या का प्रयास तथा अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं और उसमें चार्जशीट भी अदालत में दाखिल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ए० डी० जी० सी० के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, ए०डी०जी०सी० का पद लाभ का पद है, अतः कोई ए०डी०जी०सी० ग्राम प्रधान नहीं रह सकता है।

जी हां।

जी हां।

जी हां, संबंधित ए०डी०जी०सी० के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में पड़ी डकैती में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

150–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनवरी, 1999 में 4257 अप, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में गजरौला स्टेशन के आस-पास डकैतों द्वारा यात्रियों को घायल कर कई लाख रुपये की डकैती कर ली गयी ? क्या ट्रेनों में यात्रियों के सुरक्षा हेतु ट्रेनों में पुलिस कर्मी तैनात नहीं रहते हैं ? यदि तैनात रहते हैं, तो क्या उक्त ट्रेन में उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा डकैतों को पकड़ने हेतु कोई प्रयास किया गया ? जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और भविष्य के लिये सभी ट्रेनों में पुलिस की व्यवस्था एवं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, दिनांक 12-1-99 को वादी श्री मनोहर लाल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जी०आर०पी० मुरादाबाद में मु०अ०सं० 11/99, धारा 395/397 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना जारी है।

घटना वाले दिन लखनऊ से 4 व मुरादाबाद से 2 कर्मी स्कोर्ट पर तैनात थे उक्त कर्मी ट्रेन से उतरकर घटनास्थल गये, किन्तु बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये।

उक्त पुलिस कर्मियों में से पांच को निलम्बित किया जा चुका है । आकस्मिक चेकिंग को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कार्यदल बनाकर नियमित रूप से ट्रेनों की चेकिंग कराई जा रही है । जी०आर०पी० द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही के मूल्यांकन पद्धति को मजबूत किया गया है ।

जिला चम्पावत के लोहाघाट मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

151–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोहाघाट जिला चम्पावत के लिये स्वीकृत मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? क्या यह सही है कि उक्त न्यायालय हेतु भूमि व भवन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के माध्यम से कर दी गयी है ? यदि हां, तो लोहाघाट में मुंसिफ कोर्ट कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उल्लिखित मुंसिफ कोर्ट अब सिविल जज (जू० डिवीजन) न्यायालय हेतु भवन के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व विभाग में लम्बित है । उक्त कार्यवाही होने के पश्चात वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर ही मुंसिफ न्यायालय स्थापित किया जाना सम्भव हो सकेगा । जिला प्रशासन द्वारा बार संघ के भवन का हस्तान्तरण प्रस्तावित है।

भवन/भूमि की व्यवस्था और बजट व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् ही न्यायालय खोलना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खड्डा के कर्मियों द्वारा श्री विजय बहादुर सिंह के साथ हुई मारपीट में दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराने की मांग

152–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री विजय बहादुर सिंह ग्राम–चमरडीहा, पो०–सोहरौना (खड्डा) जिला–कुशीनगर जो गन्ना–मूल्य का भुगतान लेने गोरखपुर गये थे, को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा–खड्डा (कुशीनगर) के कर्मियों ने दिनांक 20-7-98 को बुरी तरह से मारा पीटा है ? क्या उसकी प्राथमिकी थाना खड्डा में दिनांक 22-7-98 को मु० अ० सं० 107/98 धारा 342, 343, 323, 504, आई० पी० सी० अन्तर्गत दर्ज है ? यदि हां, तो दोषी को कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जांच से मामूली मारपीट एवं गाली गलौज की बात प्रकाश में आयी है ।

जी नहीं । वादी मुकदमा श्री विजय बहादुर सिंह के आवेदन-पत्र पर दिनांक 22-7-98 को थाना खड्डा पर मु०अ०सं० 101/98 धारा 342/323/504 भा०दं०वि० का अभियोग योगेन्द्र सिंह मैनेजर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खड्डा के विरुद्ध दर्ज किया गया । जांचोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 11-2-99 को न्यायालय भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के बुन्दकी शुगर मिल में पानी शोधन यंत्र लगाने की मांग

153–श्री लवकुश कुमार–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र में स्थित बुन्दकी शुगर मिल में पानी शोधन यंत्र न लगने के कारण क्षेत्र के किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं और

कैमिकल युक्त पानी पीकर पशु बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्दकी शुगर मिल में पानी शोधन यंत्र लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

बुन्दकी शुगर मिल में पानी शोधन संयंत्र लगा हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राणा प्रताप सिंह, ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल, गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 70/91 पर कार्यवाही की मांग

154–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राणा प्रताप सिंह ए० डी० जी० सी० क्रिमिनल गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 70/91 हत्या, हत्या का प्रयास एवं अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम के तहत कायम हुआ है ? क्या यह मुकदमा थाना गगहा, जिला गोरखपुर से संबंधित है ? यदि हां, तो क्या मुख्यमंत्री जी को ज्ञात है कि ए० डी० जी० सी० क्रिमिनल का लाभ उठाकर एक घंटे भी जेल नहीं गये और इतने संगीन अपराध में जमानत हो गयी ? क्या इस मुकदमें में मुल्जिम होने की सूचना डी० जी० सी० क्रिमिनल गोरखपुर ने शासन को दी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री सिंह दिनांक 6-5-91 को न्यायालय में हाजिर हुये मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 'सेम डे हियरिंग' के आदेशों के तहत न्यायालय से जमानत पाये ।

जी हां, नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर की सहकारी समितियों द्वारा गेहूं खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच की मांग

155–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की सहकारी समितियों द्वारा सरकारी गेहूं की खरीद में वर्ष 1998-99 में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य जनपदों में भी सरकारी गेहूं की खरीद के संबंध में जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद शाहजहांपुर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1998-99 में गेहूं खरीद हेतु दी गई धनराशि में से 1,68,22,000/– रु० की धनराशि अनियमित रूप से आहरित कर विभिन्न मदों में प्रयोग करने का प्रकरण प्रकाश में आया था ।

यदि अन्य जनपदों के संबंध में कोई शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसकी सक्षम स्तर से नियमानुसार अवश्य जांच कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी में सचिव, महाप्रबन्धक द्वारा अनियमितताओं की जांच किया जाना

156–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक बाराबंकी में सचिव महाप्रबन्धक द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं अन्य शिकायतों की जांच वर्ष 1996-97 से चल रही थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी सहकारिता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच एवं कार्यवाही की मांग

157–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के विकास खण्ड सिकन्दरपुर (करन) में कार्यरत कैडर सचिवों ने तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी सहकारिता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं धन वसूली की शिकायत दिनांक 21-7-97 को निबंधक सहकारी समितियां लखनऊ से की थी ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध जांच की गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रथम दृष्टया शिकायतों की पुष्टि होने के कारण विभागीय कार्यवाही आदेशित कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के थानों में अनुसूचित जाति उत्पीड़न के पंजीकृत मुकदमों का विवरण

158–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 12-7-98 से 23-1-99 तक प्रत्येक पुलिस थानों में अनु० जाति उत्पीड़न के कितने मुकदमें पंजीकृत हुये हैं ? उनमें से कितने मुकदमें जांचोपरान्त तथा कितने सीधे पंजीकृत किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में विभिन्न थानों में 53 मुकदमें पंजीकृत हुये जिनमें से 34 मुकदमें सीधे 14 जांचोपरान्त एवं 5 मा० न्यायालय के आदेश से पंजीकृत किये गये ।

बस्ती–डुमरियागंज मार्ग पर राइस मिल के पानी से प्रदूषण की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

159–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती–डुमरियागंज मार्ग पर भिटिया चौराहा और औसपुर के बीच कोई राइस मिल है ? यदि हां, तो उक्त राइस मिल के पानी से फैले प्रदूषण के संबंध में

उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

जी हां ।

उद्योग मेसर्स बालाजी फूड्स औसपुर बस्ती डुमरियागंज मार्ग बस्ती का निरीक्षण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 22–2–99 को किया गया । उद्योग में उत्पादन कार्य मार्च, 1997 से प्रारम्भ किया गया है । उद्योग द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह को उद्योग के सामने भूमि पर निस्तारित किया जाता है । दिनांक 22-2-99 को उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह की गुणवता जांचोपरान्त निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई । इस उद्योग द्वारा अपनी स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किया गया है । (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जल प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु नोटिस/निर्देश दिनांक 23-2-99 को जारी किये गये हैं । इन निर्देशों का समुचित अनुपालन न करने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, थाना कोतवाली में पत्रकार श्री शिव कुमार पाण्डेय पर किये गये हमले से सम्बन्धित हमलावरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

160–श्री मुरलीधर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली, फतेहपुर में मु० अ० सं० 635/98 धारा 307 भा० दं० वि० को पत्रकार श्री शिव कुमार पाण्डेय द्वारा दर्ज करायी गयी है ? क्या यह सही है कि हमलावरों को 315 बोर तमन्चा दिनांक 8-12-98 को हल्का पुलिस ने बरामद किया है ? यदि हां, तो हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी एवं श्री शिव कुमार पाण्डेय की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

यह सत्य है कि मु०अ०सं० 635/98 धारा 307 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात का अभियोग श्री शिव कुमार पाण्डेय जिलाध्यक्ष, लोकदल फतेहपुर/पत्रकार द्वारा थाना कोतवाली, फतेहपुर में पंजीकृत कराया गया । दिनांक 8–12–98 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लावारिस हालत में एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद किया है जिसका सम्बन्ध उक्त मुकदमें से नहीं है । पंजीकृत मुकदमा विवेचनाधीन है । हमलावरों की गिरफ्तारी हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री शिव कुमार पाण्डेय की सुरक्षा हेतु दिनांक 4-1-99 को दिनांक 3-2-99 तक के लिये गनर की व्यवस्था निहित व्यय पर भुगतान के आधार पर की गई थी । सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

समजन्म भूमि से संबंधित मुकदमों को वापस लिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

161–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम जन्म भूमि से संबंधित मुकदमों को वापस लिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/18112/मथुरा 98, दिनांक 13-11-98

प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र से संबंधित 16 मुकदमों में से वाद संख्या 1261/91 शासनादेश दिनांक 27 जून, 98 तथा वाद संख्या 2826/94 शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 द्वारा वापस लिये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

एक मुकदमा वाद संख्या 606/93 को वापस न लिये जाने का निर्णय लिया गया है । शेष 13 मुकदमों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्रतीक्षित है ।

आख्या प्राप्त होने पर ही निर्णय सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती मुइना बेगम, नाला रोड खलवा, थाना बजरिया, कानपुर की सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मुइना बेगम पत्नी स्व० पू० रे० मोहम्मद नि०–99/223 नाला रोड खलवा, थाना बजरिया कानपुर की सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–3/18139/मथुरा 98, दिनांक 13-11-98 सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा, थाना कोसीकलां, ग्राम नवीपुर के श्री राम सरन जाटव के उत्पीड़न तथा सी० ओ० छाता द्वारा न्याय न दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सरन जाटव अनुसूचित जाति ग्राम–नवीपुर तह०–छाता, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा में उत्पीड़न के साथ थाना कोसीकलां के सी० ओ० छाता द्वारा न्याय न दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–1/17797/मथुरा 98, दिनांक 2-11-98 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ।

संदर्भित शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । अपराध सं०-303/98 धारा 147/323/352/506 भा० दं० वि० 3(1)10 अ० जा० निवारण अधिनियम के अधीन अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की गयी । अभियोग में सत्यता न पाये जाने के फलस्वरूप एफ० आर० मय जुर्म खारिजा प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 107/116 द० प्र० सं० की कार्यवाही की गयी है ।

164-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

165-डा० कौशल किशोर-

[5वे शुक्र में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं में श्री एस० एम० आर० रिजवी एस० आई० (पुलिस) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

166-श्री ओमकार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेता विरोधी दल विधान सभा, उ० प्र० का पत्र दिनांक 25-3-98 जो एस० आर० एम० रिजवी, एस० आई० (पुलिस) जनपद बदायूं की शिकायत के संबंध में है, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित एस० आई० को स्थानान्तरित कर क्या सी० बी० सी० आई० डी० जांच कराना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

थानाध्यक्ष जरीपनगर, जनपद-बदायूं का वास्तविक नाम श्री एस० एम० आर० रिजवी है ।

एस० एम० आर० रिजवी उपनिरीक्षक को थाना जरीपनगर, जनपद बदायूं से स्थानान्तरित कर दिया गया है । सम्प्रति सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराना प्रस्तावित नहीं है । कतिपय अभियोगों की पुनर्विवेचना से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एस० एम० आर० रिजवी, उपनिरीक्षक के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर, थाना मदनापुर के श्री बिलासराम के लापता होने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

167-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9.6.98 या इसके आसपास जो श्री बिलासराम, चौकीदार, थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर के जनपद मेरठ से लापता होने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दिनांक 9-6-98 को जिलाधिकारी शाहजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की छानबीन कराई गई । छानबीन से ज्ञात हुआ कि श्री बिलासराम पुत्र श्री बिहारी लाल, चौकीदार ग्राम फिरोजपुर, डूडा थाना मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर को अन्य चौकीदारों के साथ दिनांक 13-2-98 को लोक सभा निर्वाचन डियूटी हेतु जनपद मेरठ भेजा गया था, मेरठ पहुंचने के उपरान्त उसे पुलिस लाइन, मेरठ में आमद कराई जहां से वाहन संख्या 340 पर बैठा था । उसी पर उसकी तबियत खराब होने के कारण उसे प्यारे लाल अस्पताल में भर्ती कराया गया । दिनांक 17-2-98 को उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो जाने के फलस्वरूप उसे अस्पताल से अवमुक्त कर दिया गया था । इस प्रकार चौकीदार श्री बिलासराम से निर्वाचन ड्यूटी नहीं ली गयी थी । श्री बिलासराम दिनांक 17-2-98 को अस्पताल से अवमुक्त होने के पश्चात् वापस शाहजहांपुर नहीं आया है । थानाध्यक्ष मदनापुर द्वारा दिनांक 27-3-98 को तलाश गश्ती हेतु रिपोर्ट की गयी, जिसके आधार पर गश्ती संख्या 43/98 दिनांक 31-3-98 को गश्ती तलाश भी की जा चुकी है । पुलिस द्वारा सम्यक् छानबीन के उपरान्त भी उक्त चौकीदार का पता नहीं लग सका ।

जनपद बलिया में दिसम्बर, 1998 तक शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त पत्रों पर समय के अन्दर जांच पूर्ण कराने की मांग

168–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से लेकर दिसम्बर, 1998 तक कितने आवेदन पत्र शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने हेतु जनपद बलिया के निवासियों के जिलाधिकारी कार्यालय बलिया में प्राप्त हुये हैं ? क्या उन सभी आवेदन पत्रों की जांच पूर्ण कर ली गई है ? क्या यह सही है कि शासन का सभी जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश है कि शस्त्र लाइसेन्स की मांग करने वाले अभ्यर्थी को समय के अन्दर लाइसेन्स दिये जायें ? यदि हां, तो उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने में जांच पूर्ण हो गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जिलाधिकारी, बलिया कार्यालय में माह जनवरी, 1998 से लेकर दिसम्बर, 1998 तक शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये जाने हेतु 2526 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार जांच प्रक्रिया सहित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र यथासम्भव तीन माह के अन्दर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है ।

उक्त आवेदन पत्रों में से 673 आवेदन पत्रों की जांच पूर्ण हो गयी है ।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला सहकारी बैंक द्वारा कतिपय वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण तथा जांच की मांग

169–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ ने अलग-अलग मदों में वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 में कुल क्या-क्या कार्य किया है ? क्या सरकार व्यय संबंधी उपलब्ध विवरण का सत्यापन एवं उसके वैधानिकता की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां । सत्यापित संतुलन पत्र के अनुसार बैंक ने वर्ष 1996-97 में रु० 1909.65 लाख का ऋण व्यवसाय, रु० 4168.55 लाख के निक्षेप संचय एवं रु० 2051.07 लाख का विनियोजन किया । वर्ष 1997-98 में रु० 2359.73 लाख का ऋण व्यवसाय, रु० 5293.21 लाख का निक्षेप संचय एवं रु० 2671.91 लाख का विनियोजन कार्य किया । वर्ष 1998-99 समाप्त न होने के कारण विवरण संकलित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यय संबंधी लेखों का आडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र० से कराये जाने का प्राविधान उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं नियमावली, 1968 में है, तत्क्रम में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लेखों का आडिट हो चुका है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर में कार्यरत श्री ओम प्रकाश सक्सेना के मरणोपरान्त मृतक आश्रित के अधीन उनकी पत्नी के सेवायोजन की मांग

170–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, जनपद–शाहजहांपुर में चालक पद पर नियुक्त स्व० ओम प्रकाश सक्सेना की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक आश्रित के अधीन उनकी पत्नी को सेवा में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और मृतक आश्रित के अधीन उन्हें सेवा में कब तक रख लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

स्व० ओम प्रकाश सक्सेना चालक शाहजहांपुर की मृत्यु दिनांक 22-7-96 को हुई थी । इनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी ने मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु दिनांक 17-1-98 को आवेदन किया था ।

इसी मध्य स्व० ओम प्रकाश की पुत्री कुमारी अर्चना सक्सेना ने श्रीमती मीना देवी को अपने पिता की पत्नी न मानते हुए स्वयं को सेवायोजन हेतु आवेदन किया है । फलस्वरूप श्रीमती मीना देवी व कुमारी अर्चना के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने के बाद किसी भी पक्ष ने सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है ।

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अभाव में अभी तक मृतक की पत्नी को सेवायोजित नहीं किया जा सका है ।

श्रीमती मीना देवी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोहन गोल्डवाटर, लखनऊ के बकाया व्यापार कर की वसूली की जानकारी

171–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन गोल्डवाटर लखनऊ के ऊपर व्यापार कर बाकी है ? यदि हां, तो कितना और क्या सरकार उसे वसूल करने के लिये समयबद्ध तरीके से कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

रु० 1,85,74,413.00

जी हां।

24 मासिक किस्तों में बकाया एवं ब्याज की धनराशि जमा करने की अनुमति दिनांक 2-12-98 को प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी कार्यालय, फैजाबाद को राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण के संबंध में जानकारी

172–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों/ अधिकारियों को आत्म सुरक्षार्थ, आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स वरीयता के आधार पर निर्गत करने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो विगत चार वर्षों 1994-1997 में कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय फैजाबाद को प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदन-पत्रों में कितने स्वीकृत एवं कितने निरस्त हुये ? क्या पत्रावली सं०–45 वर्ष 1994, जिसे महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बहराइच ने अपने पत्रांक 2749 दिनांक 7-9-94 द्वारा भेजा था पर स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मामले में शासनादेश संख्या 3059 आर/छः–पु-5-770/92, दिनांक 23 दिसम्बर, 93 में यह व्यवस्था है कि राज्य कर्मचारियों से आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अधीन नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर तत्परतापूर्वक जांच कार्यवाही पूर्ण कराकर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

विगत चार वर्षों, 1994 से 1997 में अधिकारियों/कर्मचारियों के 319 शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 169 मामलों में लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे। कोई आवेदन-पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योगकेन्द्र, बहराइच के पत्रांक 2749 जो श्री बिरेन्द्र सिंह को शस्त्र लाइसेंस दिये जाने से सम्बन्धित है को नियमानुसार जांच हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को भेजा गया है। अभी तक ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आख्या प्राप्त होते ही नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बहराइच को भेज दिया जायेगा।

जनपद मेरठ में सहकारिता आन्दोलन को व्यापक बनाने हेतु ठोस कार्यक्रम की जानकारी

173–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ में सहकारिता आन्दोलन को व्यापक एवं साकार बनाने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

चालू वर्ष 1998-99 में जनपद में सहकारी क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य हेतु 6012.10 लाख रु० अल्प कालीन एवं अन्य कृषि ऋण वितरण की योजनायें हैं सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु 503.43 लाख रु० अंशपूंजी एकत्र करने 220.00 लाख रु०

समितियों द्वारा संचालित मिनी बैंकों में निक्षेप प्राप्त करने एवं 23.805 लाख रु० जिला सह० बैंक में निक्षेप प्राप्त करने की योजना है। जनपद में स्थापित तीन चीनी मिलों एवं दुग्ध संघ को 10450.00 लाख रु० ऋण वितरण किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त आलू भण्डारण हेतु बन्द पड़े तीन सहकारी शीतगृहों को चलाया जाना है। सहकारी कार्यक्रमों को समझने एवं संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी कराये जाने की योजना है।

उ० प्र० सह० ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ द्वारा चालू वर्ष में मुख्य रूप से लघु सिंचाई हेतु 217.81 लाख, कृषि यंत्रों हेतु 219.70 लाख, डेयरी हेतु 311.60 लाख, डनलप कार्ट हेतु 186.52 लाख एवं औद्यानिक विकास हेतु 170.03 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में औद्योगिक उत्पादक सहकारी समितियों को मिट्टी के तेल की दुकान आवंटित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

174–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में औद्योगिक उत्पादक सहकारी समितियों को सरकारी सस्ते गल्ले तथा मिट्टी के तेल की दुकान आवंटित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-1-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की चयन प्रणाली के संबंध में शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है जिसके फलस्वरूप नई दुकानों की नियुक्ति पर शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के थाना उभांव में शस्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

175–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के थाना उभांव में कितने शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन-पत्र जांच हेतु जून, 1998 से दिसम्बर, 1998 के बीच के लम्बित हैं ? उक्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बलिया के थाना उभांव के अन्तर्गत माह जून, 1998 से दिसम्बर, 1998 के बीच शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु कुल 76 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 24 आवेदन-पत्रों की जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

जिला शाहजहांपुर के श्री सुशील कुमार निवासी कच्चा कटरा, तिलहर को जेल विजिटर नामित करने के संबंध में जानकारी

176–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-8-98 को या इसके आस-पास श्री सुशील कुमार नि० कच्चा कटरा, तिलहर व महेन्द्र प्रताप सिंह डभौरा, पो० सरसवां जिला शाहजहांपुर आदि को जिला कारागार शाहजहांपुर में विजिटर नामित किये जाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिनांक 13-8-98 को प्रमुख सचिव, कारागार, होमगार्ड, बीजा की

जांच हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव, कारागार, होमगार्ड बीजा द्वारा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त व्यक्तियों को विजिटर नामित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता, निवासी कच्चा कटरा, तिलहर, जिला शाहजहांपुर व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी डभौरा, जिला शाहजहांपुर को जिला कारागार शाहजहांपुर का जेल विजिटर नामित किये जाने विषयक मा० सदस्य विधान सभा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना का पत्र दिनांक 13-8-98 को शासन में प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की नियुक्ति जिला कारागार शाहजहांपुर में जेल विजिटर के पद पर कर दी गयी थी । बाद में सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जेल विजिटर के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावां क्षेत्र पंचायतों में बन्द पड़े गेहूं क्रय केन्द्र में समितियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

177–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मल्लावां माधोगंज, तथा बिलग्राम में गेहूं समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा समितियों के माध्यम से कितने क्रय केन्द्र खोले गये थे और उनमें से कितने केन्द्रों पर कृषकों का गेहूं क्रय किया गया था तथा कितने केन्द्र बन्द पड़े रहे ? जिन समितियों के अधिकारियों ने कृषकों का गेहूं नहीं खरीदा उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मल्लावां, माधोगंज तथा बिलग्राम में गेहूं समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा समितियों के माध्यम से 15 क्रय केन्द्र खोले गये थे ।

6 क्रय केन्द्रों पर गेहूं का क्रय किया गया था, 9 केन्द्रों पर गेहूं क्रय नहीं हुआ ।

4 क्रय केन्द्र प्रभारियों को गेहूं खरीद न करने के लिये दोषी ठहराया गया जिसके लिये उन्हें दण्डित कर दिया गया है ।

हीरा रोशनपुर क्रय केन्द्र प्रभारी के पास दो क्रय केन्द्र का चार्ज होने के कारण हीरा रोशनपुर क्रय केन्द्र नहीं संचालित किया गया, 2–गंज जलालाबाद, 3–पुरवायां, 4–बेहटाबुजुर्ग, 5–बढ़नवा केन्द्रों पर गत वर्ष की भांति गेहूं की आमद नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजा तेज सिंह सदर अस्पताल, मैनपुरी की बाउन्ड्री दीवाल तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

178–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 में महाराजा तेज सिंह सदर अस्पताल मैनपुरी की बाउन्ड्री दीवाल तोड़ने के संबंध में वहां के अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली मैनपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक पुलिस द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बाउन्ड्री वाल तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के पत्र दिनांक 2-12-98 के आधार पर मु० अ० सं० 141/99 अन्तर्गत धारा 379/427 भा० दं० वि० थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया । विवेचक को गुण-दोष के आधार पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निदेश दिये गये हैं । अभियोग में विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विवेचना प्रचलित होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विकास बैंक, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर द्वारा किसानों के उत्पीड़न विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

179–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम–मछरिया, ब्लाक–जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-98 जो ग्राम विकास बैंक, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर द्वारा किसानों का उत्पीड़न करने तथा वैध धन वसूलने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांट के कर्मियों को असामाजिक तत्वों द्वारा मुकदमें में निरुद्ध किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

180–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा, तहसील कस्बा मांट में असामाजिक तत्वों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांट के कर्मियों को झूठे मुकदमें में निरुद्ध किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/ एम०–3/1583/मथुरा/98, दिनांक 29-8-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ।

दिनांक 15-8-98 को वादी डा० के० सी० अग्रवाल, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षा) द्वारा डा० भूदेव प्रसाद सी० एस० सी०, मांट मथुरा, 2–फार्मासिस्ट श्री गिरराज किशोर, 3–एन० एम० ए० श्री आर० के० सिंह व अन्य डाक्टर कर्मचारीगण के विरुद्ध थाना मांट पर मु० अ० सं०–105, 98 धारा 406/409 भा० दं० वि० दवाओं की अवैध बिक्री के संबंध में पंजीकृत कराया गया । विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में दिनांक 18-10-98 को प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

नियम–301के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना डा० राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री हरदेव सिंह (अनुपस्थित) तीसरी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल (अनुपस्थित), चौथी सूचना श्री तेजभान सिंह की, पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की, छठी सूचना श्री राम वीर सिंह, सातवीं सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की ।

चूंकि दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची से पहली सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, जो अनुपस्थित हैं । अतः कुल 6 सूचनायें स्वीकृत की गईं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद आगरा में ''सांची द्वार'' बुद्ध चतकी घाट पर एवं ''अम्बेडकर भवन'' डा० मानक चन्द्र जाटव जगदीश पुरा छात्रावास में बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

। महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आगरा महानगर एक ऐतिहासिक नगर है जहां काफी अधिक मात्रा में डा० अम्बेडकर अनुयायी निवास करते हैं । अम्बेडकर अनुयाइयों की भावनाओं की कद्र करते हुए माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा आगरा महानगर में एक डा० अम्बेडकर भवन तथा एक सांची द्वार बनाने हेतु स्वीकृत प्रदान की थी । तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त दोनों योजनाओं हेतु एक प्रस्ताव, सरकारी जमीन चयन करने के उपरान्त शासन को प्रेषित किया जिसके अन्तर्गत अम्बेडकर भवन के लिये 33.50 लाख रुपये एवं सांची द्वार के लिये 3.50 लाख रुपये की मांग की । माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा यह धन आगरा प्रशासन को, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त दोनों प्रस्तावित योजनाओं (भवन व द्वार) को बनाने हेतु निर्गत कर दिया । लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण उक्त प्रस्तावित स्थान पर किसी व्यक्ति ने मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश ले लिये जिससे शासन की मंशा के अनुरूप अम्बेडकर अनुयाइयों में लाभ की जगह आक्रोश फैलना शुरू हो गया । आगरा महानगर में समय-समय पर इसकी मांग होती रही है । अतः अम्बेडकर अनुयाइयों के हित में भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की 14 अप्रैल को होने वाली जयन्ती से पूर्व ''सांची द्वार'' बुद्ध चतकी घाट पर ''अम्बेडकर भवन'' डा० मानक चन्द्र जाटव, जगदीशपुरा छात्रावास में बनाने हेतु निर्देश दिये जायं जिससे अवमुक्त धन का सदुपयोग हो सके वर्तमान में सरकार की कथनी और करनी की साख अनुसूचित समाज में कारगर सिद्ध हो सके ।

अतः कृपया इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें । ।

सुल्तानपुर में नहरों, ड्रेनों के निर्माण में अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

। महोदय, सुल्तानपुर में नहरों, ड्रेनों में ली गयी जमीन का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिल सका है । विधान सभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार मामला उठाने पर इस हेतु कुछ धन जनपद में उपलब्ध कराया गया है परन्तु इसके वितरण में अधिकारियों द्वारा सकारात्मक कार्यवाही न कर विवादित बनाया जा रहा है । मुआवजा वितरण हेतु अब आपसी समझौते के आधार पर रेट निर्धारित करने हेतु समिति का गठन किया जा रहा है । मुआवजा वितरित न हो पाने की स्थिति में भूमि अध्याप्ति अधिकारी अगर विभाग को धन वापस करते हैं तो वह धनराशि ट्रेजरी में जमा हो जायेगी और मुआवजा वितरण सम्भव नहीं हो सकेगा । मुआवजा न मिलने से किसानों में काफी असन्तोष एवं आक्रोश है ।

श्रीमन्, अगर भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा खतौनी के हिसाब से काश्तकारों के नाम सीधे चेक निर्गत कर विभाग को दे दिये जायें और बैनामा सिंचाई विभाग द्वारा करा लिया जाय तो जहां अधिकारियों की मनमानी और अनियमितताओं की सम्भावना क्षीण हो जायेगी वहीं काश्तकारों को मुआवजा मिल सकेगा ।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मुआवजा तुरन्त वितरित करने तथा मुआवजा अब तक वितरित न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर दण्डित करने की मांग करता हूं।।

प्रदेश में नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वर्तमान सरकार द्वारा अवैध एवं अलोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त करने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

।मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून व नियमों के तहत नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर निगमों का अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है परन्तु प्रदेश की भाजपा सरकार राजनैतिक दुर्भावना से दुष्प्रेरित होकर अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन संस्थाओं को बर्खास्त करने का काम कर रही है जिनमें विपक्षी दलों के लोग, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका परिषद् में अनुसूचित जाति की समाजवादी पार्टी की चेयरमैन थी उसको अवैध तरीके से हटा दिया गया है इस तरीके से अन्य चेयरमैनों को भी हटा दिया गया है।,इसके अलावा प्रदेश में करीब 36 का इससे भी अधिक चुनी हुई उक्त संस्थाओं को सरकार द्वारा हटाने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। यह सरकार अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अप्रजातांत्रिक तथा फासिस्टवादी तरीके से कार्य कर रही है, तथा पूरी तौर से चुनी हुई संस्थाओं को बर्खास्त करने एवं उसमें साम्प्रदायिक तत्वों को मनोनीत करने का पूरा इरादा रखती है। सरकार इस समय 36 या इससे अधिक संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही चला रही है उसका विवरण प्राप्त होना आवश्यक है, यह इतनी जल्दी कार्य हो रहा है कि जिससे समूचे प्रदेश की जनता आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अवैध तरीके से उक्त चुनी हुई संस्थाओं को बर्खास्त न करने एवं बर्खास्त की गई संस्थाओं को बहाल करने की मांग करता हूं।।

श्रीमती मार्ग श्री कन्या इण्टर कालेज, पैड़त, जनपद फिरोजाबाद को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह–

।महोदय, श्रीमती मार्गश्री कन्या इण्टर कालेज, पैड़त, विकास खण्ड एका, जनपद फिरोजाबाद को असेंबित विद्यालय की स्वीकृति हेतु मण्डल से सारी औपचारिकतायें पूर्ण करके अन्य विद्यालयों के साथ शासन को भेजा गया था और शासन स्तर से मांग के अनुसार भी सारी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी गयी थीं। परन्तु इस विद्यालय को छोड़कर अन्य सारे असेंबित विद्यालय शासन स्तर से स्वीकृत कर दिये गये हैं। इससे स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है। पढ़ने वाली छात्रायें चाहते हुए भी इण्टरमीडिएट का अध्ययन नहीं कर पा रही हैं। ये क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां पर बालिकाओं के लिये इण्टरमीडिएट कालेज की सख्त आवश्यकता है।

अतः बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) की नगर पालिका परिषद् भदोही में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

।महोदय, मेरे जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के नगर पालिका परिषद् की आबादी लगभग 1.5 लाख है। मुख्य रूप से कालीन व दरी बुनाई केन्द्र भदोही प्रतिवर्ष 2200 करोड़ विदेशी मुद्रा अर्जित कर

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सकल राष्ट्रीय आय में अपना योगदान करता चला आ रहा है । सीवर जाम होने से जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से पूरा शहर गन्दगी से भर जाता है । सारी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं । यहां आने वाले विदेशी भदोही के सड़कों की हालत देखकर यहां आना पसन्द नहीं करते । कई बार जिला प्रशासन एवं अध्यक्ष नगर पालिका से शिकायत करने पर भी सीवर के संबंध में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

अतः कृपया औद्योगिक नगर भदोही के सड़कों की खस्ता हालत एवं व्याप्त गन्दगी को ध्यान में रखते हुए सीवर ठीक कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करेंगे । ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा पैगम्बरपुर से गढ़ी चांदपुर बसवाई माधोपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[महोदय, आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री पी० एस० गुप्ता जो अवर अभियन्ता (प्रा०) का अतिरिक्त कार्य भी देख रहे हैं द्वारा प्राक्कलनों की चेकिंग में 5 प्रतिशत कमीशन वसूल कर अवैध कमाई की जा रही है । ग्राम पंचायतों के माध्यम से व विकास खण्डों के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, प्राक्कलनों की जांच श्री पी० एस० गुप्ता अवर अभियन्ता द्वारा की जा रही है प्राक्कलन की जांच के समय ही उक्त अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम प्रधानों व कार्य प्रभारियों से अवैध रूप से धनार्जन किया जा रहा है । मेरे द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु अपने पत्र सं० क–2 नं०–000987 दिनांक 12-2-98 के द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को पत्र लिखा था उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता सहित समस्त विभागीय अधिकारियों को दी गयी थी । शीघ्र कार्यवाही न किये जाने से ग्राम प्रधानों व जनता में रोष व्याप्त है । श्री गुप्ता द्वारा पूर्व में भी पैगम्बरपुर से गढ़ी चांदपुर व सवाई माधौपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में भी अत्यधिक अनियमितता की गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें । ।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण रखे जाने में मा० अध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष -

दिनांक 15 मार्च, 1999 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–की ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, मै औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 13वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र सन् 1998; 18-9-98 से 23-9-98 तक सदन के संज्ञान में नियम 301 के अन्तर्गत 257 सूचनाएं लायी गयीं थीं जिसका जवाब अध्यक्ष पीठ से जारी निर्देश संख्या 14(3) के मुताबिक सरकार द्वारा 12 फरवरी, 1999 को सदन के पटल पर रखा गया आपकी अनुमति से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही खेदजनक बात है कि 24 पृष्ठों में दिया गया यह विवरण कृत

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्यवाही का जो सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखा गया इसमें अपरिहार्य कारणों से विलम्ब तथा सूचना अप्राप्त यह शब्दावली सम्पूर्ण 24 पृष्ठों की कृत कार्यवाही के विवरण में लिखा गया है । सरकार की जो अनुत्तरदायित्वपूर्ण यह जो प्रवृत्ति है यह सदन के सम्मान को ठेस पहुंचाती है । आपकी पीठ से बार-बार सरकार को निर्देश हुआ है । नियम 301 में जो सूचनाएं सदन के संज्ञान में लायी जाती हैं शासन उस पर समय से कार्यवाही करे । आपके निर्देश के मुताबिक निर्धारित समय में स्पष्ट उत्तर देना सरकार से अपेक्षित है लेकिन इस प्रवृत्ति में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है । यह प्रवृत्ति इतनी घातक है इससे अध्यक्ष पीठ से जारी निर्देश संख्या 14 के औचित्य को ही सरकार समाप्त कर रही है । इसीलिए हम इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं उनका समय से उत्तर आ जाना चाहिए और समुचित उत्तर आना चाहिए । अगर कहीं इन उत्तरों को देने में कमी आयी है तो जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की भी है । मैं स्वयं इसका परीक्षण कर लूंगा और जहां पर कमी पायी जायेगी, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार है और उत्तर नहीं देते हैं तो आप कोई एक स्टेण्डिंग आर्डर या परिपत्र आपकी तरफ से चला जाय कि उत्तर न देने पर एक प्रतिकूल प्रविष्टि तुरन्त दे दी जाय और यदि उत्तर न देने के पर्याप्त कारण हैं तो तभी उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि समाप्त की जाय वरना वह उसकी पर्सनल फाईल में लगी रहे । जब तक आप इस प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक विधान सभा की कार्यवाही को हल्के ढंग से लिया जाता रहेगा । व्यवस्था के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के पैरा 14 के उप पैरा (3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी जाने वाली शून्य प्रहर की सूचनाओं के विवरण मे कृत कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं होता है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि वे समस्त विभागों को यह निदेश जारी कर दें कि वे नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का पूर्ण उत्तर एक महीने के भीतर अवश्य दे दिया करें ताकि तदनुसार सदन के पटल पर पूर्ण विवरण भी रखा जा सके । यह तो व्यवस्था है और पहले जो मैंने कहा वह सुझाव है ।

मा० अध्यक्ष द्वारा नियम 52, 49 एवं 103 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं की चर्चाओं को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नियम 49 और नियम 52 के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण विषयों पर आप चर्चा स्वीकार करते हैं और लोकहित के विषयों पर आप नियम 103 के प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार करते हैं । अब इन चर्चाओं को ऐसे समय पर रखा जाता है जब काफी रात हो जाती है और कोरम के अभाव में ये चर्चायें स्थगित हो जाती हैं, जिसके कारण उन लोक महत्व के विषयों पर चर्चा इस सदन में नहीं हो पाती है । नियम 315 सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष अग्रेता इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुए सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं सापेक्ष अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी इसमें मान्यवर, आपको अधिकार है । इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि नियम–49, 52 तथा 103 के प्रस्ताव में जो चर्चायें स्वीकार की गयी हैं, उन्हें कार्य सूची में ऐसे स्थान पर रखा जाय वहां पर पक्ष और विपक्ष की बाध्यता हो जाय कि सदन का कोरम बना रहे और उन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सार्थक चर्चा हो सके और सदन के माध्यम से जनता को कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और समस्या का समाधान हो सके । यदि इसमें कठिनाई हो तो सदन की कार्यवाही जो आगे बढ़ाकर 26 तथा 27 तारीख को इन पर चर्च करा दी जाय । इस पर औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित होती है और आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार होती है और यह भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपके द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उनका अक्षरशः पालन करने के हम अभ्यस्त हों, कई विषयों पर माननीय सदस्य आपकी अपेक्षानुसार या निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं और 4 बजे तक कार्य स्थगन ही होता रहता है और औचित्य के प्रश्न ही चलते रहते हैं जिससे कार्य बाधित होता है । माननीय सदस्यों को भी देखना चाहिए कि कितनी प्रमुखता वह किस विषय को दें और किसका कितना महत्व वह समझें और उसी के कारण जब माननीय सदस्यगण अनुदान की मांग पर चर्चा में भाग लेना चाहते है तो उन पर चर्चा के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता । उनके मन में एक कुन्ठा हो रही है कि अपने क्षेत्र से आते हैं और अपनी बात नहीं कह पाते हैं । तो इस तरह से संचालन किया जाय कि जो समय इस तरह से नष्ट हो जाता है उसका नियंत्रण करें तो उसके अच्छे परिणाम आयेंगे ।

* कुवंर रेवती रमण सिंह–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने एक सुझाव दिया है उसमें दो प्रारूप हैं । एक तो यह है कि उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि पहले चर्चा हो जाय । मान लीजिये वह अभी तत्काल सम्भव नहीं हो पा रहा है, नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा तब तक के लिए 2 कार्य दिवस 26-27 मार्च जैसा कि उन्होंने सुझाव रखा है उसमें चर्चा पूरी करा ली जाय । इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं यह सम्भव नहीं हो पा रही है क्योंकि रात्रि को विलम्ब हो जाता है । 26-27 को केवल दो दिन चर्चा पर 11.00 बजे से 5.00 बजे के लिए निर्धारित करके दो कार्य दिवस बढ़ा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श कर लूंगा । नियम 315 में कार्य सूची में कौन सी मद किस क्रम पर आयेगी, इसका निर्धारण कर दिया गया है । इसमें फिलहाल अभी परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है । मुख्य बात जिस पर बल देना है अगर माननीय सदस्य जो इस सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं वह थोड़ा समय का ध्यान रखें और अपनी बात को संक्षेप में कहें तो सभी मद के अनुसार पर्याप्त समय मिल जायेगा । यदि यह इस सत्र में नियम–49, 52 और 103 की चर्चाओं को प्राथमिकता दे देंगे तो बजट 10.00 बजे आयेगा और तब उस पर चर्चा प्रारम्भ हो सकेगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि शून्य प्रहर पर विचार विमर्श हो या अन्य कोई बात हो संक्षेप में अपनी बात कहें । जैसा कि कहा गया है कि ग्रेविटी इज द सोल आफ़ बिद । यदि हम उस भावना को ध्यान में रखकर बात कहेंगे तो एक-एक मिनट इस सदन का कीमती है उसका सदुपयोग हो सकेगा । जहां तक इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस विषय में विचार कर लूंगा और जैसा निर्णय होगा आपके सामने रखा जायेगा । इसी के साथ मैं इसका निस्तारण कर रहा हूं । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । शाक्य जी आपने निदेश 30 पढ़ा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं । थोड़ी दिक्कत हो रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए मैंने कहा कि आपने निदेश 39 पढ़ा । आपने जो सूचना दी है उसके सम्बन्ध में यही है कि आप जिस दिन देखना चाहेंगे 10 बजे सूचना दे दें । संसदीय कार्य मंत्री पत्रावली उपलब्ध कराकर अवगत करा देंगे । अगली सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की निरस्त कर दी गयी है बिहार और मध्य प्रदेश द्वारा संचालित प्रान्तीय सिविल सेवा में उत्तर प्रदेश के युवकों के भाग लेने पर रोक के बारे में है । यह नियम 300 में नहीं आती इसके लिए कोई एक प्रस्ताव ले आयें । आपने नियम 51 में भी दी है ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं इसीलिए समझ रहा था कि नियम 300 में नहीं आयेगी । इसलिए नियम 51 में भी दी है । मेरा एक अनुरोध है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय है । बिहार और मध्य प्रदेश के लोग यहां बैठ सकते हैं लेकिन हमारे लोग वहां नहीं बैठ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम 51 में दी है । जब उस क्रम पर आयेगी तो सुन लेंगे ।

संविधान में 73वां संशोधन की मूल भवना के विपरीत कार्य किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

डा० अशोक बाजपेयी की सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एक स्पैसिफिक बिन्दु है । एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

किसी तरह से इस नियम में नहीं आती है ।

* डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, कोई आग्रह नहीं करूंगा लेकिन एक बिन्दु की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चहता हूं । मान्यवर, 73वें संविधान के संशोधन में पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया और यह अपेक्षा की गयी कि विधिवत् ढंग से कार्य चले इसके लिए उत्तर प्रदेश में नोडल डिपार्टमेन्ट नगर विकास विभाग को बनाया गया जबकि देश के अनेक राज्यों में प्लानिंग विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है । प्लानिंग विभाग से सम्बन्धित कार्य होना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी नोडल डिपार्टमेंट प्लानिंग विभाग को बनाया जाए ताकि पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से चल सके ।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव का संज्ञान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ले लें । नियम 300 में सूचना नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त करता हूं । मद संख्या 3 में भी कुछ नहीं है । मद संख्या–4, 5, 6, 7 में भी कुछ नहीं है ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय रेवती रमण सिंह और अम्बरीष कुमार जी तथा श्री सुधाप चन्द्र जी का है। एक ही विषय पर इन तीनों सदस्यों ने दिया है, तो कोई दो माननीय सदस्य इस पर बोल लें। यह जनपद सुल्तानपुर में भूतपूर्व विधायक इन्द्रभद्र सिंह जी की हत्या के सम्बन्ध में है।

श्री समरपाल सिंह–

मैंने भी 311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना है मैंने बताया आ जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नियम 56 में उठा रहा हूं। मान्यवर, पूर्व विधायक इन्द्रभद्र सिंह जी की हत्या के सम्बन्ध में जो बात कहने जा रहा हूं यह अत्यन्त लोमहर्षक मामला है यह सरकार रोज कानून के राज्य की दुहाई देती है बार-बार इस सदन में और इस सदन के बाहर कहती है कि कानून का राज्य होगा। लेकिन मान्यवर, इस सदन में बताना चाहूंगा कि जनपद सुल्तानपुर के बिसौली क्षेत्र से विधायक जो रहे हैं, इन्द्रभद्र सिंह जी इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं सरल व्यक्ति थे। वह शिक्षक थे और शिक्षा कालेज में विभागाध्यक्ष भी थे। इस व्यक्ति की हत्या 21 जनवरी को दिन दहाड़े 5 बजे सायंकाल कर दी गयी। खुले बाजार में बम फेंककर हत्यारों ने मार दिया। इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि उनके पास दो लाइसेंस थे एक रिवाल्वर का और एक रायफल का। दोनों लाइसेंस वहां के जिलाधिकारी मौजूदा डी० एम० ने कैन्सिल कर दिये इन्होंने बार-बार प्रार्थना की, आवेदन दिया कि हमारी जान को खतरा है वहां के थानाध्यक्ष ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा इनकी जान को खतरा है उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गयी। उनका लाइसेंस कैन्सिल न होता तो उनकी हत्या न होती, लेकिन डी० एम० ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है सन्त ज्ञानेश्वर ने यह हत्या कराई है संत ज्ञानेश्वर ने भोपाल गंज के जिलाधिकारी की हत्या बम मारकर कराई वह भी सरेआम हत्या हुई थी। एक दर्जन से ज्यादा हत्या संत ज्ञानेश्वर कर चुके हैं यह अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हैं और इस तरह के कामों में लिप्त हैं और वहां जो इनका आश्रम है वहां झगड़ा चल रहा है गरीबों की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है। जहां इन्द्रभद्र सिंह जी विरोध कर रहे थे। इसमें जो सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस समय जो जिलाधिकारी हैं वह उस समय सी०डी०ओ० थे और वहां पर आते जाते रहते थे और उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त था। मान्यवर, हमारा सीधा आरोप है कि उनके संरक्षण में ही हत्या करायी गयी और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। वह मौके पर भी नहीं गये जबकि वह सुल्तानपुर में मौजूद थे। मेरा मानना है कि उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को खुला संरक्षण दे रखा है। उनके पिता भी वहां पर जाया करते थे। यह संत ज्ञानेश्वर जमीन कब्जा करने में और गैर कानूनी धंधे में लिप्त रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इन्द्रभद्र सिंह जी का पूरा परिवार असुरक्षा में जीवन जी रहा है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध है कि इसमें चर्चा करायी जाय और डी० एम० के खिलाफ 120-बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का और तात्कालिक तथा अविलम्बनीय प्रकरण है। मान्यवर, संत ज्ञानेश्वर दुर्भाग्य से मेरे ही जनपद का रहने वाला है। भूतपूर्व विधायक इन्द्रभद्र जी मेरे ही दल के सम्मानित नेता थे। संत ज्ञानेश्वर ने बिहार में गोपालगंज में एक आश्रम बनाया था उस आश्रम को लेकर हुए विवाद में उसने वहां के जिला अधिकारी की हत्या कर दी। संत ज्ञानेश्वर ने इसी तर्ज पर हमारे जनपद देवरिया में तत्कालीन जिला संख्या अधिकारी की हत्या करायी, गोपालगंज बिहार के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करायी तथा वहां के एक विधायक राम नगीना राय की हत्या भी इसने करायी। जब बिहार की पुलिस सक्रिय हुई तो वह वहां से भागा और बाराबंकी आया। वहां से सुल्तानपुर में आया और स्व० इन्द्रभद्र सिंह के गांव के बगल में आश्रम बनाया। आश्रम के बगल में चौकीदार राम यश की जमीन ली। वह उसे भी हड़पना चाहता था और उसने उसकी हत्या करके वह जमीन हड़प ली। इसकी प्रतिक्रिया में जब गांव वालों ने उस आश्रम को चारों तरफ से घेरा और आश्रम को उजाड़ दिया तो उसने यह समझा कि इन्द्रभद्र सिंह ने यह कार्यवाही करायी है तो उसने 21 जनवरी, 1999 को शाम पांच बजे उनकी बम मारकर हत्या कर दी। मान्यवर, मैं यहां पर भी बता देना चाहता हूं कि दिसम्बर, 98 में इन्द्रभद्र सिंह जी की राइफल और रिवाल्वर के लाइसेंस को सुल्तानपुर के जिला मजिस्ट्रेट अनुराग श्रीवास्तव ने रद्द कर दिया। जब यह जाहिर हो गया कि उनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं है तो हत्यारे ने निर्भय होकर उनकी हत्या कर दी। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि उनकी जब हत्या हुई तो स्व० इन्द्रभद्र सिंह जी के सहयोगियों ने भागते हुए हमलावरों में से एक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। अभियुक्त ने अपने बयान में यह स्पष्ट कहा है कि उसने संत ज्ञानेश्वर के आदेश पर ही इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा जो सक्रियता होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मान्यवर, मेरा सीधा आरोप है कि उनके पास जो लाइसेंस शस्त्र था विगत दिसम्बर, 98 में जानबूझकर एक साजिश के तहत जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया इससे यह स्पष्ट है कि उनकी हत्या में न केवल संत ज्ञानेश्वर का हाथ है, बल्कि जिला प्रशासन का भी हाथ है। यह एक अत्यन्त लोमहर्षक घटना है और इससे चारों तरफ जनता में आक्रोश है इसलिए मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकरण में संवेदनहीन है क्योंकि उसने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है .....

(इस समय 12 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जो मुख्य अभियुक्त है और षड्यन्त्र में लिप्त है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। सदन के दो बार सदस्य रहे श्री इन्द्रभद्र सिंह की हत्या के बाद भी सरकार ने सतर्कता बरतने की कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, इस घटना से सुल्तानपुर और आस-पास के जनपदों में लोगों में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। कृपया इस पर चर्चा करायें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह ज्ञानेश्वर संत उर्फ सदानन्द त्रिपाठी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम बनाने का कार्य करती है और उनके कार्य में विघ्न डालने में कोई भी सामने आता है तो उसकी हत्या कराने में यह कोई संकोच भी नहीं करते। जो उदारपंथी प्रमुख संत है उनके ऊपर भी यह अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं और उनकी हत्या कराने में नहीं चूकते हैं। यह महिलाओं और पुरुषों को बन्धक बनाने का काम भी करते हैं और महिलाओं से दुराचार करने का कार्य भी करते हैं। मान्यवर, इन्द्रभद्र सिंह जी की हत्या हुई, चौकीदार रामयश की हत्या हुई। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी पर जान लेवा हमला किया गया परन्तु उनकी जान बची। हरिद्वार में आश्रम में वन विभाग की भूमि पर इनका कब्जा है अगर उप निदेशक राजाजी पार्क,

कब्जा छुड़ाने की हिम्मत करके गये तो उन पर हमला हुआ । एक 20 वर्षीय गायत्री नाम की लड़की हरिद्वार में रहती थी एक शिष्य ने उसके साथ इनके इशारे पर कुकृत्य करके उसकी हत्या कर दी । अनुराग श्रीवास्तव जी इनके यहां एस० डी० एम० रहे हैं उनके संबंध थे । बाराबंकी में डी० एम० रहे वहां सिद्धौर में इनका आश्रम है । मान्यवर, डी० आई० जी० स्तर के ऐसे अधिकारी को भी जानता हूं जो इनके सारे कुकृत्यों को शह देते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इनका आश्रम है । हो सकता है कि यह कार्य-स्थगन की सूचना यहां उठाने के बाद सुभाष जी को और कुंवर जी को और मुझे जान से मारने की धमकी मिले लेकिन हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं । जो व्यक्ति धर्म के नाम पर कलंक हो उसका असली चेहरा जनता के सामने आ जाना चाहिए । मान्यवर, यह केवल एक पूर्व विधायक की हत्या का मामला नहीं है । ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक भावनाओं का शोषण करता हो, जो प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों की शह पर हत्यायें कर रहा हो, सहायक विकास अधिकारी की हत्या करवा चुका हो, पूर्व विधायक पर हमलावर कर रहा हो, युवतियों की हत्यायें करवा चुका हो और प्रदेश में स्वछन्द घूम रहा हो, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही हो, इससे अविलम्बनीय आज और कोई प्रश्न नहीं हो सकता । एक तरफ हमारी प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बात करती है, एन० एस० ए० लगाने की बात करती है, मुख्य मंत्री सदन में सूचना देते हैं, कानून व्यवस्था को इतना महत्व देते हैं कि अमुक व्यक्ति का इन्काउन्टर हो गया, फलां पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया, तो कौन सा ऐसा कारण है कि इस संत के खिलाफ, संत की शक्ल में जो अपराधी तत्व है, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं ? इसे अविलम्बनीय कोई मामला नहीं है, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस संत से जिन उच्चाधिकारियों के संबंध हैं, उनका चेहरा इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के सामने बेनकाब होना चाहिए । सरकार और जनता से अधिकार प्राप्त करके जो अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, जो अपराधी को शरण दे रहे हैं । यह महत्वपूर्ण विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर आम चर्चा कराने का काम करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, जो यह कार्य-स्थगन का प्रश्न माननीय कुंवर साहब ने उठाया है, वह अत्यन्त गम्भीर और लोक महत्व का है और अविलम्बनीय भी है । श्रीमन्, वह संत जो एक नहीं अनेक हत्यायें करवा चुका हो, सम्मोहन विद्या के आधार पर अपनी स्वार्थ सिद्धि किया करता हो और सम्मोहन विद्या के आधार पर अधिकारियों को भी सम्मोहित कर लेता हो, यहां तक कर लेता हो कि पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट भी पहुंच जाय और उसके बाद भी पूर्व विधायक श्री इन्द्र भद्र सिंह की हत्या हो सकती हो, ऐसे संत के खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए । श्रीमन् मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मना किये जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा उनके लाइसेंस निरस्त किये गये इससे सुनिश्चित हो गया कि जिलाधिकारी भी इन्द्र भद्र सिंह की हत्या में पूरी तरह से षडयन्त्रकारी रहा है और संत ने उन पर भी अपना प्रभाव डाल रखा है कि किसी भी तरह से जिलाधिकारी अपनी न्याय प्रक्रिया से पीछे हटे और इन्द्र भद्र सिंह की हत्या हो गयी । कई और उदाहरण भी दिये गये । चौकीदार की हत्या हो गई । कई और लोगों की हत्यायें हुई, वह संत अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये कई हत्यायें करवा चुका है । कई अबलाओं की इज्जत लूट चुका है, ऐसे संत को इन्द्र भद्र सिंह की हत्या के अभियोग में अविलम्ब 120-बी के तहत गिरफ्तार किया जाय और इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, घटना 21-1-99 की है. इस घटना के बाद से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके है और आम जनता की मांग थी कि स्थानीय पुलिस इस मामले में न्याय नहीं कर पायेगी इस लिये केस सी० बी० आई० को दिया जाय, इस मांग पर विचार करते हुए, दिनांक 10-2-99 को यह केस सी० बी० आई० को संदर्भित कर दिया गया । जो व्यक्ति हत्या करता हो या करवाता हो, व्यभिचार करता हो, ऐसे व्यक्ति को संत शब्द से सुशोभित नहीं करना चाहिए । जो इस तरह से जघन्य कार्य करता हो, हत्यायें करता हो, वह हत्यारा है, अब इस मामले की सी० बी० आई द्वारा विवेचना की जा रही है, विवेचना के बाद कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, वह बच नहीं पायेगा । माननीय रेवती रमण सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा कि जिलाधिकारी शस्त्रों का लाइसेंस निरस्त न किये होते तो यह घटना शायद न होती । मान्यवर, लाइसेंस निरस्त करने से यदि कोई घटना बच जाये, कोई घटना न होने पाये, ऐसा नहीं है । जिस समय उनकी हत्या हुई, उस समय मृतक के पास रिवाल्वर था, भले लाइसेंस न रहा हो । जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से अपना कार्य करना हो, उसको बचा पाना मुश्किल होता है । वैसे यह अत्यन्त दुख का विषय और एक पूर्व विधायक, अच्छे कार्यकर्ता की इस तरह हत्या हुई है, यह जघन्य अपराध हुआ है । सी० बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है, इसमें कार्य-स्थगन का कोई विषय नहीं बनता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सी० बी० आई० द्वारा जो जांच की जा रही है, इसका टर्म आफ रिफरेंस क्या है । जांच किन बिन्दुओं पर संदर्भित की गई है, क्या उसमें यह बिन्दु भी है कि जिलाधिकारी और डी० आई० जी० इन लोगों का भी उस संत को संरक्षण प्राप्त था, यह बिन्दु भी सी० बी० आई० के टर्म आफ रिफरेंस में है ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लाइसेंस का निरस्त कर दिया जाना ही हत्या का कारण नहीं है । मान्यवर, संबंधित थानाध्यक्ष की इस रिपोर्ट के बाद भी, कि उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है, इसलिये उनकी हत्या हो सकती है, जिलाधिकारी ने विगत दिसम्बर, 1998 में इस रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये । उनके पुत्र ने इस बात को स्वीकार किया है कि लाइसेंस निरस्त हो जाने के बाद वह रिवाल्वर को घर पर रख दिये थे, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह सूचना कहां से मिल गई कि हत्या के समय रिवाल्वर उनके पास था । दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका संदिग्ध है तो क्या सी० बी० आई० को जो मामला संदर्भित है, उसमें इस बात को शामिल किया गया है ?

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने तथा बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, अंकित नहीं किया जायेगा, आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मेरी जिज्ञासा यह है कि सी० बी० आई० जब तक जांच प्रारम्भ नहीं करती, यदि इस बीच महीने-दो महीने का समय लगता है तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जो कार्यवाही है, उसको जारी रखा जायेगा अथवा रोक दिया जायेगा । हो सकता है इस बीच वह और हत्यायें करवाने का प्रयास करें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपकी बात आ गई ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 20-11-98 वाद संख्या 220/97 के अन्तर्गत लाइसेंस निरस्त किये गये और पुलिस की आख्या के आधार पर निरस्त किये गये । यह बात हमारी जानकारी में कहां से आ गयी कि उनके पास रिवाल्वर था, यह पुलिस की रिपोर्ट में आया है । सी० बी० आई० को मामला संदर्भित है, अपराध संख्या 120/99 धारा 302/120 बी के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है । इस कारण जो व्यक्ति नामित है उनके अतिरिक्त भी जो इसकी परिधि में आयेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । श्री अम्बरीष कुमार ने कहा कि सी० बी० सी० आई० डी० की जांच में समय लग सकता है तो मान्यवर, विवेचना का एक दायरा होता है । सारा मामला सी० बी० आई० को स्थानान्तरित हो चुका है इसलिये राज्य सरकार का कोई कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, हम अपना अधिकार आपसे मांग रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका अधिकार नहीं है, सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट है, 18-8-98 की है पुलिस थाना कूड़ेभार के एस० ओ० की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि यह सत्य है कि राजनैतिक अपराधीकरण होने के कारण श्री इन्द्र भद्र सिंह की जान का खतरा है जिसके कारण उन्होंने एक गनर भी ले रखा है, यह पुलिस की रिपोर्ट है और डी० एम० को गयी है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस की प्रतिकूल आख्या के आधार पर उनके लाइसेंस निरस्त किये गये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो मामला आपने सी० बी० आई० को संदर्भित किया है क्या उसमें 120 बी के अन्तर्गत जिलाधिकारी का नाम भी संदर्भित किया है कि उस पर भी कार्यवाही की जाय और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी । यह मामला भी क्या संदर्भित किया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

अपराध संख्या 120/99 धारा 302/120-बी पंजीकृत किया गया है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी । धारा 120-बी का दायरा बहुत विस्तृत है, जो भी इसमें आयेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार और श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री समर पाल सिंह की है । यह नियम–311 में प्राप्त हुई है और 56 में परिवर्तित की गयी है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, संसद का घेराव करने के लिये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के बहुत से लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे तो उन्हें गाजियाबाद के पास दुबाई स्थान पर प्रशासन द्वारा रोक लिया गया और जब कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया तो जो वहां पर भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद था उसने उन पर लाठी चार्ज किया और उन्हें बुरी तरह से मारा जो उनके वाहन थे उनको क्षतिग्रस्त किया । मान्यवर, कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों को घुमाकर दूसरे रास्ते से दिल्ली गये और उसके बाद जब अजीत सिंह के नेतृत्व में लगभग 50000 किसान संसद की ओर जा रहे थे ज्ञापन देने के लिये जा रहे थे निहत्थे किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया । मान्यवर, दौड़ा-दौड़ा कर किसानों को मारा गया, उन पर पानी डाला गया जिससे हजारों की संख्या में किसान घायल हुए । हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, रसीद मसूद साहब, श्री कैलाश नाथ यादव यादि को भी चोटें आयी हैं । इस सम्मानित सदन के 7 सदस्य उसमें थे जिनमें से 3-4 को गम्भीर चोटें आयी हैं । उसी के कारण माननीय राजपाल सिंह वहां उपस्थित नहीं हो पाये है क्योंकि लाठी चार्ज से उनको चोटें आयी है । लोकतंत्र में हमें यह अधिकार प्राप्त है जब हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उसके फलस्वरूप धरना और प्रदर्शन और सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि तत्काल सरकार मांगें पूरे करे । लेकिन यह फासिस्ट सरकार है जो गरीबों और किसानों की बात सुनना नहीं चाहती है । किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, दो तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है, यूरिया के दाम मंहगें हो गये हैं, डी० ए० पी० नदारद है । केवल इतना ही नहीं किसान के इस्तेमाल में आने वाली चीजें बहुत महंगी हो गयी हैं । किसान की फसल के दाम घटा दिये हैं उसको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । आलू डेढ़ रुपया किलो बिक रहा है । किसान के गन्ने का भुगतान 5-6 साल तक नहीं किया जा रहा है । इसके विरोध में किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी उपज के दाम मांगने के लिये सरकार को दस्तक देने जाता है तो प्रदेश और भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको सुनने के बजाय लाठीचार्ज उन पर किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता तक ही सीमित रहें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । हजारों की संख्या में किसान घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं उनको उचित इलाज भी नहीं मिल रहा है । इसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश का किसान आन्दोलित है । पिछले तीन दिनों से लगातार धरना, प्रदर्शन कर रहा है उनकी जायज मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है । अगर कोई पूंजीपति सरकार के पास जाता है तो उसकी बात सुनने के लिये यह तैयार रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्री समर पाल सिंह–

किसान भूखों मर रहा है, तमाम किसान प्रधान मंत्री को ज्ञापन देने के लिये दिल्ली जाते हैं उनक मांग-पत्र लेने तक के लिये कोई नहीं आता है और उल्टा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है । इसके कारण जिलों के विभिन्न अस्पतालों में किसान भर्ती हैं उनकी देखभाल भी नहीं हो रही है । पिछले तीन दिनों से मुजफ्फरनगर में किसानों ने रास्ता जाम किया है । मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, आदि-आदि में जगह-जगह किसान आन्दोलन कर रहे हैं इसलिये यह अति लोक महत्व का है ।

लाखों से यह मामला सम्बन्धित है इसलिये अविलम्बनीय भी है । जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं इसलिये मैं मांग करता हूं कि समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस महीने की 12 तारीख को पूरे प्रदेश के किसान हजारों की संख्या में बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से अपनी मांगों के संबंध में दिल्ली जा रहे थे । यूरिया के दाम सरकार ने बढ़ा दिये हैं, खाद उनको मिल नहीं रही है । खेती के लिये सही समय पर उनको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है इसी बात को सामने रखने के लिये वह दिल्ली जा रहे थे गन्ने के दाम भी उनको बहुत कम मिल रहे हैं, हजरों की संख्या में पूरे प्रदेश में किसान दिल्ली जा रहे थे तो उनको यू० पी० के बार्डर पर रोक दिया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है । जब वाहन नहीं आने देते हैं तो वे अपना रास्ता बदल कर बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंचते हैं और वहां चौधरी अजीत सिंह के साथ आगे बढ़ते हैं यह मांग करने के लिये कि इस प्रदेश में प्रदेश के अन्दर किसानों के साथ क्या यही हालत रहेगी ? मान्यवर, अजीब बात है निहत्थे किसानों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है जिससे यहां के 7 विधायक जैसे श्री राजपाल सिंह, श्री मुन्ना आदि को चोटें आयी हैं । श्री चौधरी अजीत सिंह को भी चोटें आयी हैं । मान्यवर, यह सरकार अपने को संवेदनशील सरकार कहती है और दूसरी तरफ निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज करवाती है । मान्यवर, किसान वहां अपनी बात यह कहने गये थे कि आलू का समर्थन मूल्य हमें कब सरकार दिलायेगी ? बिजली के लिये जो आवश्यकता के समय नहीं दी जाती है और 14 घंटे बिजली नहीं दी जाती है तो सरकार बिजली कब समय पर किसानों को दिलवायेगी ? किसान वहां अपनी इन समस्याओं को कहने के लिये दिल्ली गये थे । मान्यवर, 12 तारीख की शाम से बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ में किसान आन्दोलित हैं और धरने पर बैठे हैं, इसलिये अनुरोध है कि किसानों की इन समस्याओं पर सरकार गौर करे इसके संबंध में मैं आपसे चाहता हूं कि आज सारे कार्य रोक कर हमारे इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर यहां सदन में चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी कमजोर मुकदमें को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाय यह गुण अच्छे वकील में होता है । इसलिये माननीय सदस्य के साथ जो दिल्ली में हुआ उसको यहां कैसे उठाते, इसलिये उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में हमारे वाहनों को रोक दिया गया । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि जब भी प्रदर्शन होता है और वहां आदमी कम हो जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमारी गाड़ियों को सरकार ने पुलिस द्वारा रुकवा लिया जिसे हम अपनी बातों को कहने के लिये अमुक जगह पर नहीं पहुंच सके । यह हमारे साथ भी होता है । प्रदर्शन में आदमी नहीं पहुंच पाये तो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी भीड़ को रोक लिया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो गिरफ्तारी हुई थी, जो रास्ता जाम हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि 20 मिनट में पुलिस ने रास्ता खुलवा दिया । लेकिन इन लोगों को बहाना मिल गया कि हमारी भीड़ को उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लिया । जबकि इनके आदमी दिल्ली प्रदर्शन में नहीं गये तो कहा गया कि रास्ता जाम कर दिया । मैं बताना चाहता हूं कि आपकी भीड़ यदि वहां पहुंचनी होती तो दूसरी सड़कों से जैसे बागपत, लोनी से आते । मान्यवर, जो लोग मुजफ्फरनगर से वहां आये तो क्या वहीं रुक जायेंगे । इसलिये प्रदर्शन में किसान नहीं जा पाये तो हम क्या करें ।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी कितने ही किसानों को चोटें आयीं । पानी फेंका गया उन्हें रोकने का प्रयास किया गया । किसानों पर लाठीचार्ज किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सदन की परम्परा से परिचित भी हैं । मंत्री जी का उत्तर पूरा होने से पहले ही बीच में खड़े होकर अपनी बात कहना सदन की मर्यादा भंग करना है । मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा । माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें उसके बाद आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसी को नहीं रोका गया । इस प्रकार की कोई घटना सीमा पर नहीं हुई और दिल्ली में इस प्रकार की घटना हुई है तो उसे ऐक्ट 56 के अन्तर्गत संज्ञान में नहीं लाया जाना चाहिए । यदि कार्यकर्ताओं की भीड़ अपेक्षा से कम रह गयी तो मैं क्या करूं ।

श्री समरपाल सिंह–

गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य पुलिस द्वारा की गयी लाठीचार्ज और जिन अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज कराया गया उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी खुद ही कहा कि वहां पर जाम लगा हुआ था जबकि वह जाम लगवाया गया था ।

श्री हुकुम सिंह–

ग्राम दुहाई, थाना मुरादनगर में धारा 364, 201, 120 के अन्तर्गत कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं के परिवार जन वहां पर जाम लगा रहे थे और मात्र 20 मिनट के अन्दर जाम को खुलवा दिया गया । यह निश्चित जानकारी है । उस रोज आपके लोग पूरे जुट नहीं पाये इसलिये आप लोग आरोप लगा रहे हैं ।

(श्री समरपाल सिंह तथा श्री कौकब हमीद सदन के वेल में आ गये)

श्री समरपाल सिंह–

मंत्री जी हमारे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं । वहां पर लाठीचार्ज हुआ । हजारों किसान घायल हुए । यह जाम लगाया नहीं लगवाया गया था । आप उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री कौकब हमीद व श्री समरपाल सिंह अपने आसन पर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि साढ़े तीन घण्टे रोका गया । उसका जवाब दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिन लोगों की गिरफ्तारी 364/302 के मुकदमें के अन्तर्गत हुई थी उन लोगों की तरफ से 20 मिनट जाम लगाया गया । किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने जाम नहीं किया इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का **प्रश्न** नहीं उठता ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी सदन को गलत उत्तर देकर गुमराह कर रहे हैं । उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया । यह सरकार किसान विरोधी है । उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया किसानों की मांगों के मानने की बजाय सरकार अत्याचार कर रही है इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये ।)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 13 मार्च को चौक लखनऊ में मेडिकल कालेज के पास दवा की दुकानें जिनमें तरह-तह की दवायें मिलती थीं उनको विकास प्राधिकरण और भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ बिना किसी पूर्व सूचना को दिये दुकानों को बरबाद कर दिया गया और दुकानों को उजाड़ दिया गया जिससे अनेक लोग रोजी-रोटी को मोहताज हो गये हैं । सरकार ने इसके पहले हरदोई मार्ग पर भवनों को उजाड़ने का काम किया है । वहां पर 3 मंजिले मकानों को गिरा दिया गया । अगर यह दुकानें एवं मकान अवैध थे तो जब वह बनायी जा रही थीं उस समय कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी थी ? सौन्दर्यीकरण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है । दुकानदारों को अपनी दुकानों से सामान को निकालने का अवसर तक नहीं दिया गया । यह दुकानें मेडिकल कालेज के मरीजों व अन्य लोगों को दवायें उपलब्ध कराने का काम करती थी । नगरपालिका अधिनियम के अनुसार यदि कहीं पर ऐसी दुकानें या भवनों को उजाड़ने की आवश्यकता होती है तो पहले लोगों को वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध करा दी जायेंगी । सरकार ने औपचारिकता का भी निर्वाह नहीं किया । वहां पर एक विशेष सम्प्रदाय की दुकानें ज्यादा थीं इसलिए जानबूझकर दुकानें उजाड़ने का काम किया गया । इससे प्रदेश में रोष व्याप्त है इससे ज्यादा तात्कालिक और सुनिश्चित विषय नहीं हो सकता है । मेरी मांग है कि जिनको उजाड़ा गया है उनको मुआवजा दिया जाय और दुकानें दी जायं और उनके परिवारों के पुनर्वासन हेतु समुचित निर्देश दिये जायं । मैं इस लोक महत्व के समुचित विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन, यह प्रश्न सुनिश्चित है और लोक महत्व का है यह अविलम्बनीय है और जनता से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, यह दुकानें मेडिकल कालेज के पास थीं । इन दुकनों से जनता को बहुत शीघ्र दवायें मिल जाया करती थीं । दवायें न मिलने से तमाम मरीज परेशान हो रहे हैं । यह सरकार पूरी तरह से जन विरोधी है और ऐसे लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है जो इनकी गलत कामों का विरोध करते हैं । जानबूझकर ऐसे लोगों को उजाड़ा गया है । मेरी मांग है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाये और वैकल्पिक रूप से दुकानों की व्यवस्था की जाये । इस लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अशोक बाजपेयी जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात कर रहे हैं, शाहमीना रोड की सम्भवतः बाजपेयी जी को जानकारी होगी 25-9-98 को 31 दुकानें जो मेडिकल कालेज के पास नाला है वहां पर भूखण्ड लाटरी के माध्यम से एलाट कर दिये । इन लोगों ने वहां कब्जा भी ले लिया, दुकानें भी बना ली और अपने दुकनों का सामान वहां स्थानान्तरित भी कर दिया और वहां काम भी कर रहे हैं । लेकिन कुछ आदत ऐसी हो गयी है कि हम पुरानी दुकान खाली नहीं करेंगे । जब वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी, सस्ते रेट पर दुकानें उपलब्ध करा दी गयी उसके बाद दुकानें खाली कराने की बात आती है । सड़क चौड़ी करने के लिये, आम जनता को सुविधा देने के लिये यह दुकानें खाली करायी गयीं । सितम्बर, 98 में भूखण्ड आवंटित किया गया था । दुकानें खाली कराने से पहले 10 तारीख को जानकारी

दे दी गयी थी कि काफी विलम्ब हो गया है आप लोग इन दुकानों को खाली कर दें। जो दुकानें तोड़ी गयीं उसमें कोई सामान नहीं था, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसको हटाकर काम किया जा रहा है। न तो किसी का उत्पीड़न हुआ है न सम्पत्ति नष्ट हुई है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दी है वह सत्य से परे है। वहां पर सारी दुकानें विधिवत चल रही थीं। करोड़ों रुपये का सामान पड़ा हुआ था। जो दुकानें वर्षों से चल रही थी अगर समय से सूचना दे दी जाती तो वह अपना सामान स्थानान्तरित कर लेते। जो पहले सूचित करने की औपचारिकता थी उसका निर्वहन नहीं किया गया। मानवीय दृष्टिकोण भी नहीं अपनाया गया, बर्बरतापूर्वक यह कार्यवाही हुई है और माननीय मंत्री जी ने जिस हल्के ढंग से बताया है, गरीबों के लिये उनके दिल में दर्द नहीं है। मान्यवर, कोई दूर की घटना नहीं है। माननीय मंत्री जी निकलेंगे तो 5 मिनट में देख लेंगे। इन दुकानों के गिराये जाने से गम्भीर स्थिति पैदा हुई है। मैं चाहूंगा कि जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य क्षतिपूर्ति देने की बात कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सितम्बर, के महीने में उन्हें भूखण्ड उपलब्ध करा दी गयी थी। रियायती दर पर लाटरी के माध्यम से भूखण्ड उनको दे दिये गये थे।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह अति महत्वपूर्ण प्रकरण है, सरकार प्रायः पत्रकारों को अपमानित करने का काम कर रही है। विगत समय में न्यायपालिका पर अटैक किया गया, महामहिम राज्यपाल महोदय पर भी इस सदन में अटैक कर दिया। नियम 300 के अन्तर्गत यह सवाल उठाया था जिसमें सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री नरेश अग्रवाल द्वारा जो भाषण दिया गया था उसमें अपमानजनक शब्द थे। उस शब्द को निकाला गया। जो वर्तमान सूचना है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हरिश्चन्द्र शाक्य नाम के एक पत्रकार और साहित्यकार हैं। वह कवि सम्मेलनों में जाते हैं। 2/3 मार्च, 99 की बात है थाना कोतवाली की पुलिस 11 बजे रात में उनके घर पर गयी और जबरदस्ती किवाड़ खुलवाना चाहती थी उसने कहा आप पुलिस वाले हैं, या चोर हैं, डकैत हैं जब तक आप पड़ोस के आदमी को नहीं लायेंगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। उन्होंने पड़ोस के आदमी को लाकर किवाड़ खुलवाकर उसको लात घूंसे से मारकर जीप में डाल दिया और जीप में डालकर थाना कोतवाली ले गये वहां उसने बताया कि मैं साहित्यकार हूं, पत्रकार भी रहा हूं मैं प्रदेश भर में कवि सम्मेलनों में भी जाता हूं इस पर थाने में उसको मुर्गा बनाया गया, वहां वह गिड़गिड़ाता रहा लेकिन वहां उसको मारकर हवालात में बन्द कर दिया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब इस बात की जानकारी वहां के साहित्यकारों, पत्रकारों को हुई तो उन्होंने वहां जाकर विरोध किया तब कहीं जाकर उसको छोड़ा गया । इसके बाद वह पत्रकार एस० एस० पी० से मिला उसने बताया कि हमारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है इस पर एस० एस० पी० ने केवल अफसोस जताया तब उसने कहा कि ऐसे पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की व्यवस्था करें तो एस० एस० पी० ने यह काम नहीं किया । इससे हमारे यहां के सारे पत्रकार और साहित्यकार आन्दोलित हैं यह समूचे प्रदेश और देश के पत्रकारों का सवाल है । यह सम्भ्रान्त लोगों को उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है । लेकिन जो डकैत हैं, सट्टेबाज हैं उनको खुले आम घूमने की इजाजत नहीं दी गयी है । हमारे विधान सभा में स्थित खराब है ऐसे लोगों को भी गनर दिये जाते हैं जिनके विरुद्ध 60–60 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं लेकिन ऐसे लोगो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और सम्मानित लोगों, पत्रकारों, साहित्यकारों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है अगर वह पत्रकार ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग करता है तो उसकी मांग नहीं मानी जाती है । इससे वहां पर भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है । यह अविलम्बनीय और लोक महत्व की घटना है इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

यह अविलम्बनीय तो इतनी घटना है कि 2 फरवरी, 99 की घटना है और आज 15 मार्च हो गया । घटना क्या है ? एक बाक्त चौराहा है, वहां की एक महिला ने आकर पुलिस को सूचना दी कि हमारे बच्चे को चौराहे पर एक दुकान में बन्द कर दिया गया है । इस सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर गये, दरवाजा खटखटाया लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला तो जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की वहां से एक व्यक्ति दीवार फांदकर भागा उसका पुलिस ने पीछा किया तो हरिश्चन्द्र शाक्य के मकान में घुस गया, पुलिस ने शाक्य साहब से पूछताछ की कि यह कौन था लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया इस पूछताछ के लिये उनको कोतवाली लाया गया जहां उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया इतनी घटना है, कोई महिला आकर अपने बच्चे की सूचना दे, अगर ऐसे में पुलिस न जाये तो उससे ज्यादा निकम्मी पुलिस क्या होगी, बच्चे को रिकवर का प्रयास करे तो इसमें भी शिकायत है । यह न अविलम्बनीय है, न लोक महत्व की । पुलिस ने अपने कर्तव्य को निभाया । यह नियम 56 में आती नहीं इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

संसदीय कार्य मंत्री जी बयान सत्य से परे है । इस घटना पर एस० एस० पी० तक ने अफसोस जाहिर किया । मुझे व्यक्तिगत जानकारी है । उसको हवालात में बन्द किया गया, मुर्गा बनाया गया, पुलिस वालों के खिलाफ इसमें 323 का मुकदमा बनता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य और संसदीय कार्य मंत्री को इस सूचना पर सुनने के उपरान्त मैं इसे निरस्त करता हूं ।

चूंकि क्रम संख्या 3 के प्रभु नारायण सिंह यादव और कैलाश यादव अनुपस्थित हैं इसलिये मुन्ना चौहान की सूचना को लेता हूं ।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृपा पूर्वक मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करी । यह सदन विज्ञ है उत्तराखण्ड क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र की अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, और यह क्षेत्र देश तथा संसार के लिये अध्यात्मिक चेतना का केन्द्र भी है । कुछ समय से निरन्तर पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की घटनायें हो रही हैं जिससे कि वहां के जो आध्यात्मिक केन्द्र हैं वहां रहने वाले लोगों में दहशत का वातावरण व्याप्त होता चला जा रहा है । 20-21 फरवरी को जनपद पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड नामक स्थान पर लक्ष्मणेश्वर मन्दिर में एक ऐसी ही एक वीभत्स घटना हुई जिसका उल्लेख शब्दों में करना मेरे लिये मुश्किल है । वहां पर एक सन्यासी की हत्या कर दी गयी और 3 सन्यासियों के साथ कुकर्म किया गया, एक सन्यासिनी की उम्र 75 वर्ष, दूसरे की 50 वर्ष और तीसरे की 16 वर्ष थी ।

उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हो रही घटनाओं को देखते हुए सरकार इस घटना को बड़ी घटना न माने परन्तु पर्वतीय अंचल में जहां पर क्राइम शून्य के समान था वहां के लिये यह घटना एक बहुत बड़ी घटना है और आज की तारीख तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है । हम जितने भी लोग पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं उनके लिये यह एक गम्भीर विषय है । यदि इस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला गया और नजरन्दाज किया जाता रहा तो उत्तरांचल को आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र मानकर वहां पर जो सैलानी आते हैं उनके जानमाल की रक्षा कैसे शासन पर सकता है । इस वारदात से पौड़ी गढ़वाल के अन्दर दहशत का वातावरण है, वहां के बुद्धिजीवी उद्वेलित हैं, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है । इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि यह इतनी गम्भीर घटना है कि इस पर बहुत पहले कार्यवाही हो जानी चाहिए थी और दोषियों को दण्ड मिल जाना चाहिए था । यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है शान्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिये सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि पहाड़ का क्षेत्र शान्तप्रिय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना अपवाद स्वरूप है । यह वीभत्स घटना हुई है । एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 73 साल की थी उनकी हत्या कर दी गयी और 3 सन्यासिनियां वहां रहती थी उसमें से एक सन्यासिनी जिसकी उम्र 17 साल थी, उसके साथ बलत्कार किया गया । मान्यवर, इस सारे क्षेत्र की सुरक्षा गजस्व पुलिस के अन्तर्गत आती है । इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए पहले नियमित पुलिस से इसकी जांच कराई गई, जिलाधिकारी खुद मौके पर गये और पुलिस अधीक्षक गये परन्तु सफलता नहीं मिल पायी और कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले तब जिलाधिकारी ने यह अनुरोध किया कि सी० बी० आई० सी० डी० से इसकी जांच कराई जाय । दिनांक 5-3-1999 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी घटना की जांच सी० बी० सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की तरफ से संवेदनशील जवाब आया । जैसा कि मैंने कहा कि यह संवेदनशील क्षेत्र में और इस क्षेत्र को आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र मानकर लोग वहां आते हैं । यहां हमारी चिन्ता यह है कि हमें इसमें एक साजिश नजर आ रही है कि यह जो आध्यात्मिक केन्द्र हैं इनमें इस तरह की घटना हो रही हैं । हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत इस प्रकार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य किये जा रहे हैं जिससे पूरे उत्तराखण्ड के अन्दर एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे वहां के लोगों की आस्था है, जो विश्वास है वह उठ जाय । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं की सी० बी० आई० से जांच कराने की संस्तुति करें । बहुत सारे लोग जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं जिन तक हमारी रेवेन्यू पुलिस, लोकल पुलिस नहीं पहुंच सकती है सी० बी० आई० के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, यह जो एक आशंका व्यक्त की गई कि यह एक षडयंत्र के तहत कार्य किया जा रहा है कि जो वहां पर चेतना केन्द्र चल रहे हैं उनके प्रति इस तरह से लोगों की भावनाएं हो जायं, इस आधार पर जो कार्यवाही की जा रही है, इस आशंका को भी सी० बी० सी० आई० डी० जांच में संदर्भित करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मुन्ना चौहान और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं । सातवीं सूचना श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के थाना बहियाबाद निवासी श्री सियाराम सिंह चौहान की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के थाना राय सुल्तानपुर में धारूपुर गांव में अनुसूचित जाति के परिवार के घर में आग लगाये जाने तथा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयीं अतः अस्वीकृत हुईं :–श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री राम ललित चौधरी की सूचनाएं नियम–311 में प्राप्त हुई थीं ।

प्रदेश में विकास कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु सांसदों की भांति विधायकों को भी वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अधिष्ठाता जी, सांसदों को निधि दी गयी है उसी के साथ एक व्यवस्था तत्कालीन मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह ने की थी, आपको तो याद होगा । उसमें यह था कि सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों और स्थल निरीक्षण के लिये.....

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना स्वीकृत नहीं हुई है आप व्यवस्था के नाम पर उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सुन तो लें आपको व्यवस्था देने में आसानी होगी । मान्यवर, सांसद निधि बनाई गई थी और उसके साथ 15 दिन वाहन उपलब्ध कराया गया था जिससे माननीय सांसद स्थल निरीक्षण कर लें और कार्यों की गुणवत्ता और उनके सम्पादन ठीक प्रकार से हो सके । इसी प्रकार एक व्यवस्था की गयी है 50 लाख रुपये विधान सभा के सदस्यों को विधायक निधि के रूप में दिये गये हैं । मेरा यह आग्रह है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि जिस तरह से सांसदों को 15 दिन वाहन दिया जाता है विधायक को 8 दिन के लिये वाहन उपलब्ध कराये जायं । जिससे वह विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर सकें । चूंकि 50 लाख विधायक निधि मिल गयी है इसलिये समस्त विधायकों को एक सप्ताह के लिये वाहन उपलब्ध कराये जायं जिससे कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होगी और समय से कार्य पूरे हो सकेंगे और विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी । मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ? मैं आग्रह करूंगा कि पाल साहब ने भी इस पर सूचना दी थी । उनका भी व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भी व्यवस्था का प्रश्न इसी सन्दर्भ में है । यह सूचना चयनित नहीं हुई आप इसको व्यवस्था के माध्यम से कह रहे हैं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

जो व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूं उससे आप बाद में सहमत होंगे सदन पहले होगा । आये दिन जो भी जिलों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण या जिला अनुश्रवण समिति, जिला योजना की बैठक होती है उसमें सदन के निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं उसमें आये दिन किसी कार्य की गुणवत्ता की चर्चा होती है, तो कार्यदायी संस्थायें जो काम कर रही हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

उन बैठकों में कभी-कभी तय होता है कार्यदायी संस्था जो काम कर रही हैं उसका स्थल निरीक्षण जिलाधिकारी, जो नामित होते हैं उनके साथ कर लें, जिस दिन स्थलीय निरीक्षण की बात होती है तो जो नामित व्यक्ति होता है वह कहता है कि कमिश्नर की बैठक हो रही है उसमें जा रहे हैं या किसी और बैठक में जा रहे हैं इस कारण स्थलीय निरीक्षण नहीं हो पाता है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिये धन आवंटित किया गया है उसमें कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि कार्यदायी संस्था.....

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

लोक सभा के सांसदों को यह सरकार वाहन उपलब्ध करा सकती है । हम लोगों को जनता द्वारा निर्वाचित होकर जो इस विधान सभा में बैठते हैं उनको यह सरकार स्थलीय निरीक्षण के लिये क्या वाहन उपलब्ध नहीं करा सकती है, यह जो विसंगति की जा रही है...

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

जो व्यवस्था के माध्यम से प्रकरण उठाया गया है यह तो वही है जो आपने सूचना के माध्यम से उठाया था आपकी सूचना आयी यह सूचना स्वीकृत नहीं हुई है, तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानता हूं यह उचित नहीं है । सूचना किसी सुसंगत नियम में दी गई हो वह चयनित किसी कारण न हो तो उसे आप व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाएं । आप सुसंगत नियमों में दें वह नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाए तो अगर सदन उसमें चर्चा कराना चाहता है, तो हो लेकिन इस तरह ठीक नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट––

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दोनों पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। एक सूचना दे दें वह नियमों में स्वीकृत न हो तो आप खड़े हो जायें।

(व्यवधान)

सूचना स्वीकृत नहीं हुई है इसमें अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,15,82,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान)

प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु सांसदों की भांति विधायकों को भी वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री कौकब हमीद तथा श्री राम औतार शाक्य आदि के साथ विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर वाहन उपलब्ध कराने की मांग करने लगे।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जायें। मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। अब मैं व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करूंगा। यह गलत परम्परा है कि पहले आप उसे किसी नियम में उठायें और जब वह सूचना निरस्त हो जाय तो उसे व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठायें। कृपया अपने स्थान पर जायें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप इसे कल ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं वचन नहीं दे सकता हूं। जो माननीय सदस्य सदन के वेल से बोल रहे हैं उनका भाषण अंकित नहीं किया जायेगा। कृपया उसे किसी दूसरे सुसंगत नियमों में उठायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [xxx]

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है । मैं वेल में आये माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने स्थान पर वापस जायें । माननीय प्रमोद जी आप वापस जायें । यह ठीक नहीं है । आप वापस जायें तब मैं व्यवस्था दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब एक साथ कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ माननीय सदस्य वेल में खड़े हैं । मैं इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं दे सकता हूं ।

(वेल में आये सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

जिस विषय के बारे में यह सूचना दी गयी थी उसमें माननीय सदस्यों की क्या भावना है उससे मैं परिचित हूं ? प्रश्न केवल इतना है कि जिस नियम के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी थी वह अस्वीकृत हो गयी । उसके बाद किसी माननीय सदस्य द्वारा उसकी व्यवस्था के माध्यम से उठाना यह संसदीय नियमों के प्रतिकूल है । अब इसमें अनेकानेक विधियां हैं । आप किसी संकल्प के माध्यम से इसे ला सकते हैं ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, नियम 56 में आप कल इसे ले लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कल सूचना दे दीजिये । आप अवगत हैं उसमें श्लाका होती है और भी माननीय सदस्य हैं इसको लेकर सदन के मन में उत्सुकता है । मैंने केवल निवेदन किया कि एक नियम में सूचना दी गयी और वह अस्वीकृत हो गयी है । इसको किसी संकल्प के माध्यम से या कल फिर लिखकर दे दें, श्लाका में आयेगा तो जरूर सुना जायेगा । अब माननीय कृषि मंत्री के विचार सुन लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें जैसा आपने स्वयं कहा कि माननीय सम्मानित इधर के भी सदस्य और उधर के भी सदस्यों की इस विषय पर बहुत आतुरता है, सच है, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए आप इसको कल लेने के लिए विचार कर लें, यह कह दें कि कल यह ले लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही निवेदन किया कि कल सुसंगत नियमों में इसे दे दें, अगर श्लाका में आयेगा, नहीं आयेगा, इसका वचन कोई नहीं दे सकता । मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात महसूस करता हूं, एक सदस्य के नाते कि यह सभी की रुचि का विषय है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने कह दिया कि आप भी यह महसूस करते हैं कि यह विषय लोक महत्व का है । लेकिन आपने यह भी कह दिया कि हम लोगों ने समय बरबाद किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने नियम 56 के अन्तर्गत यह कहा कि इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है, तब हम लोगों को जानकारी हुई कि यह नहीं लिया गया है । हम लोगों ने सदन के समय का अपव्यय नहीं किया है, बल्कि सदुपयोग किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर सदुपयोग की यही परिभाषा है, तब तो बड़ी कठिनाई होगी । माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव आप रख चुके हैं, विचार प्रस्तुत करें ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, गत वर्ष जब मैं कृषि का बजट प्रस्तुत कर रहा था तो इस सदन में प्रदेश के उत्पादन और उत्पादकता, दोनों को बढ़ाने के लिए कुछ बिन्दु भी मैंने उठाये थे । कुछ उपाय मैंने इस सदन में बताया था, जिसके द्वारा इस प्रदेश में उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया जा सकता है । श्रीमन्, मैंने उस समय यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक गांव पंचायत में एक किसान मित्र का चुनाव किया जायेगा, जो एक तरह से पूरे ग्राम पंचायत के लोगों के लिए एक डिमांस्ट्रेटर के रूप में काम करेगा । उनको रास्ता बतायेगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग किसान मित्रों को नई टेक्नालाजी उपलब्ध करायेगा, उनको ट्रेनिंग दिलायेगा, उसके अनुसार प्रत्येक गांव में उस टेक्नालाजी को हम प्रसारित करायेंगे । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि किसान मित्रों का चयन किया जा चुका है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के स्तर पर भी इसको सराहा गया है और इतना ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी इसका अनुसरण करने के लिए, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है । श्रीमन्, दूसरा तरीका, उत्पादन को बढ़ाने के लिए मैंने सुझाया था, वह था, कृषि क्षेत्र के विस्तार करने का जितने क्षेत्रफल में आज कृषि हो रही है, उसके क्षेत्रफल में विस्तार किया जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है । मुझे प्रसन्नता होगी लगभग 90 हजार हेक्टेयर भूमि जहां पर कृषि नहीं होती थी उसे इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपचारित करके कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है । मान्यवर, किसान मित्रों के माध्यम से किसानों को नई तकनीक पहुंचायेंगे और प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का विस्तार करेंगे । यह दो योजनायें हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं । मान्यवर, पिछले वर्ष कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और उसका जो लाभ रहा है वह आपके सामने रखना चाहता हूं । गत वर्ष भीषण बाढ़ के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ था और केवल धान की फसल को ही नहीं बल्कि जो अगैती फसल मटर और सरसों की बोई गयी थी उसको भी नुकसान हुआ था ।

मान्यवर, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि काफी हद तक बाढ़ से धान का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था फिर भी कुल खाद्यान्न खरीफ की फसल का वर्ष 1998-99 का लगभग 142 लाख मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है । यह सही है कि हमारा लक्ष्य बहुत था लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ था उसको देखते हुए 142.35 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हासिल कर चुके हैं । धान की फसल में यद्यपि हमारा लक्ष्य 127 लाख मीट्रिक टन का था लेकिन इतना नुकसान होने के बावजूद 117 लाख मीट्रिक टन अनुमानित उत्पादन धान का हुआ है । मान्यवर, प्रदेश की आबादी की जो बढ़त है वह

लगभग 2.4. 2.5 है और हमारे खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी 3.2 प्रतिशत हो रही है, यानि आज भी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, खाद्यान्न में उत्पादन ग्रोथ रेट बढ़ी है । उत्तर प्रदेश अभी भी सरप्लस स्टेट है अगर हमारी यही स्थिति रही तो हम आगे भी सरप्लस में रहेंगे । प्रयास यह किया जा रहा है कि हम सरप्लस स्टेट बने ही न रहे बल्कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं जिनका उत्पादन हमसे अधिक है, हरियाणा और पंजाब, हम लोगों का प्रयास यह हो रहा है कि हम अपने को उस स्तर तक अवश्य पहुंचा दें ।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, उस स्तर तक पहुंचने के लिये पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष का है खरीफ और रबी की फसल का मिलाकर यह मैं बता रहा हूं । हम उससे बहुत पीछे हैं हम ज्यादा से ज्यादा 6 और 7 टन तक ही पहुंच पा रहे हैं वह भी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चन्द जनपदों में ही । औसत उत्पादन भी पंजाब का लगभग 40 टन जा रहा है जबकि हमारा औसत उत्पादन बहुत कम है उसका कारण यह है कि हमारे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी उत्पादकता बहुत कम है । सिंचाई के साधन पूरे उपयोग में नहीं कर पा रहे हैं इसमें कुछ समस्यायें आ रही हैं । किसान उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है । या तो कहीं सिंचाई बहुत है या बाढ़ अधिक है या फिर ड्रेनेज की समस्या हो रही है । इन समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं । यह समस्या आज की नहीं है बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही है ।

श्रीमन्, हमारा प्रयास यह है कि हमारी ग्रोथ रेट नवीं पंचवर्षीय योजना में 5.06 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक प्राप्त हो सके, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं । मैं मुख्य-मुख्य फसलों का बता दूं । गेहूं का 5.01 प्रतिशत प्रति वर्ष किया जाय, खरीफ का 5.00 प्रतिशत प्रति वर्ष । इसी प्रकार रबी के खाद्यान्न में 5.11 प्रतिशत प्रति वर्ष, तिलहन में 9.28 प्रतिशत हासिल करने का प्रयास है जो सबसे अधिक हमारी कमी हो रही है वह खरीफ की दालों में है उसमें हमारा लक्ष्य 14.53 प्रतिशत प्रति वर्ष प्राप्त करने का है । खरीफ की दालों में सबसे अधिक अहम मुद्दा हमारे सामने है वह जायद की फसल का है यदि जायद की फसल अच्छी हो जाय तो समस्या हल करने में काफी कुछ कामयाबी मिल सकती है लेकिन इस समय जायद की फसल में सबसे अधिक कठिनाई हमें जो हो रही है वह नीलगाय से हो रही है । उसमें कुछ न कुछ समुचित व्यवस्था करनी होगी । पूरे प्रदेश के किसानों के लिये नीलगाय के कारण आफत आयी है उस परेशानी को दूर करने के लिये वन मंत्री जी ने कुछ घोषणायें भी की हैं । पिछले वर्ष भी की थीं लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो रहा है निश्चित रूप से इस विषय पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इस मीनेस को कैसे खत्म कर सकें । जब हम उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं, उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं तो श्रीमन् यह आवश्यक हो जाता है कि अच्छे बीज और खाद समय से किसानों को मिल सकें और उर्वरक समय से उपलब्ध करा सकें और कीटनाशक दवायें भी समय से और गुणवत्ता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके । मान्यवर, पिछले वर्ष भी यह प्रयास किया गया था कि हम समय से खाद और बीज और दवायें उपलब्ध करा सकें । मान्यवर, मुझे कहने में प्रसन्नता है कि बीज तो हमने पहुंचा दिया था लेकिन 1997-98 रबी की फसल में भीषण क्षति होने के बावजूद भी यह सही है कि जो हमने कहा था कि 12 प्रतिशत प्रति वर्ष बीज बदलेंगे तो वहां तक हम नहीं पहुंचे । वर्ष 1997-98 में सभी को मालूम है कि जनवरी तक बरसात होती रही जिससे गेहूं कि फसल काफी हद तक बरबाद हुई थी । इसके बाद भी गेहूं के बीज पहुंचाने में हम सफल रहे हैं । यह सही है कि जिस स्तर तक बीज परिवर्तन करना चाहते थे वह हम नहीं कर पाये हैं । लेकिन फिर भी हम सक्षम रहे है कि गेहूं का 1997-98 में 9.52 लाख गेहूं का बीज बांटा गया था । वर्ष 1998-99 में इतने नुकसान के बावजूद भी 8.63 टन गेहूं का बीज उपलब्ध कराने में सफल रहे । इसके साथ ही 1997-98 में जो भीषण बरसात से नुकसान हुआ था उसमें किसानों को गेहूं के बीज में 25 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराया गया था ताकि जिन किसानों

का नुकसान हुआ है वह पुनः फसल बो सकें । मान्यवर, मुझे बताने में प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997-98 में 8 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में बांटे थे । वर्ष 1998-99 में जो धान की फसल बरबाद हुई थी, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में मानक के अनुरूप मुफ्त गेहूं का बीज वितरण किया गया ताकि लघु और सीमान्त किसानों को जो नुकसान हुआ है उन्हें हम कुछ सहायता दे सकें ।

मान्यवर, मुझे बताने में प्रसन्नता होती है कि 3.86 लाख क्विंटल गेहूं का बीज जिसका कुल मूल्य 25 करोड़ रुपये होता है, मुफ्त लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हुई थी उन्हें वितरित कराया गया है । मान्यवर, इस बीज वितरण में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है जैसा कि मैं महसूस करता हूं । मान्यवर, कृषि विभाग ने एफ० सी० आई० से बीज लेकर उनकी सफाई करके उनको उपचारित करके राजस्व विभाग को दे दिये और अब वितरण की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की थी । उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे जैसा कि उन्होंने बाढ़ राहत सहायता सूची बनायी थी उसी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को बीज वितरण का कार्य सौंपा गया और इस प्रकार बीजों का वितरण किया गया । कृषि विभाग ने वितरण नहीं किया है केवल राजस्व विभाग को हस्तगत करा दिया है ।

मान्यवर, बीजों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए, बीजों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा हाथ है उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम का । जितना भी बीज हम उपलब्ध कराते हैं उसे उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । बाकी कुछ प्राइवेट सीड ग्रोवर्स जो कि बीज बेचते हैं । उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम बीज उपलब्ध कराता है और पी० सी० एफ० लेता है लेकिन बीज की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था ही देती है । जितना भी बीज आता है वह टी० बी० सी० द्वारा पैदा कराया जाता है प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर द्वारा पैदा किया बीज भी उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ही गुणवत्ता के मानक के आधार पर प्रमाणित किया जाता है । कोई भी बीज तब तक प्रमाणित नहीं माना जाता है जब तक इस संस्था की मुहर न लगाई जाये । बीज प्रमाणीकरण संस्था इस विषय पर काफी कुछ काम कर रही है । मैं थोड़ा फीगर रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम ने वर्ष 97-98 में 536800 कुन्तल गेहूं का बीज दिया, वर्ष 98-99 में धान का 118517 कुन्तल बीज दिया, वर्ष 1998-99 में गेहूं का 75000 कुन्तल बीज दिया । इस तरह इतना नुकसान होने के बावजूद भी हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम काफी हद तक प्रमाणित बीज अपने किसानों को दे सकें । मान्यवर, बीज प्रमाणीकरण संस्था बीजों को उनके जो गुणवत्ता हैं उसके द्वारा या आधार पर प्रमाण-पत्र प्रदान करती है और हम उस संस्था द्वारा प्रमाणित बीज मानते हैं । मान्यवर, मैं जानता हूं माननीय सदस्यों के मन में जो भावना उर्वरक की उपलब्धता के बारे में काफी कुछ होगी । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी उठाया और इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा भी स्वीकृत की है । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वर्ष 98-99 में डी० ए० पी० का वितरण 6 लाख 23 हजार मी० टन जुलाई से 30 जून, 99 तक था । मान्यवर, 97-98 में लगभग साढ़े चार या पौने पांच लाख क्विंटल बांटी गयी थी । मान्यवर, इसमें समस्या कहां आयी उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में डी० ए० पी० जितनी आनी चाहिए वह नहीं आ पायी । इसका कारण यह था कि इसे जो आयात करने वाली संस्थायें हैं या तो उनके आयात में किन्हीं कारणों से विलम्ब हुआ या कांडला पोर्ट पर जो नुकसान हुआ था उसका परिणाम रहा कि जितनी डी० ए० पी० मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पायी । डी० ए० पी० फास्फेटिक फर्टीलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टीलाइजर नहीं है ।

मान्यवर, म्यूरेट्स आफ पोटाश एक डिकंट्रोल्ड आइटम है भारत सरकार ने इसको नियंत्रण में नहीं रखा है । इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार केवल इतना ही मानीटर कर सकती है कि खाद की फैक्टरियों

द्वारा जो आश्वासन रहता है उसको पूरा करवायें । मान्यवर, डी० ए० पी० की उपलब्धि के लिये विभिन्न संस्थाओं को मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है फर्मों के माध्यम से । कोआपरेटिव विभाग ने जो अंडरस्टैंडिंग साइन किया था वह 2 लाख 36 हजार मी० टन की अंडरस्टैंडिंग थी । वह उनको अक्टूबर में नहीं मिल पायी और नवम्बर के अन्त से खाद मिलना शुरू हुई तथा दिसम्बर में अधिकांश खाद प्राप्त हुई । मान्यवर, दिक्कत यह आ गई कि 97–98 में जहां पौने 5 लाख क्विंटल डी०ए०पी० बांटी थी वहीं जो हमारा पीक पीरियड था 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर के बीच हर बार, वहीं इस बार 98-99 में हमको उपलब्ध हो पायी 20 नवम्बर और 15 दिसम्बर के बीच, इसीलिये यह समस्या आयी । एक और समस्या आ गयी थी, दीवाली के आस-पास जो बरसात पूरे प्रदेश में हुई उससे पूरे प्रदेश में एक साथ रबी की बुवाई प्रारम्भ हो गयी, गेहूं की बुवाई जो पलेवा लगाकर की जाती थी और लगभग नवम्बर के अन्त में जाकर पीक पर पहुंचती थी वह नवम्बर के शुरू में ही पीक पर पहुंच गयी । समय से अक्टूबर में डी० ए० पी० मिलनी चाहिए थी वह मिल नहीं पायी और दूसरे पूरे प्रदेश में बुवाई एक साथ शुरू हो गयी जिसके नाते एक स्थिति इस तरह से पैदा हो गयी, सभी तरफ से मांग आने लगी और सभी तरफ पहुंचा पाना सम्भव नहीं हो सका । जनपदों में उस समय डी०ए०वी० उपलब्ध थी लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोआपरेटिव विभाग ने जो अपने अण्डरस्टैण्डिंग साइन किया था कम्पनियों के साथ वह उनको अक्टूबर में न मिलकर नवम्बर में मिल पायी जिसके कारण प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज के गोदामों में अक्टूबर से लेकर 15 नवम्बर के बीच में खाद की कमी रही । लेकिन डी० ए० पी० की उपलब्धता प्रदेश में कम नहीं हुई है । जितनी खाद बंटनी चाहिए थी उससे अधिक खाद बंटी है । हां, यह जरूर है जो आने में दिक्कत हुई है, हम उसके लिए इस साल सचेत हैं ।

कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गयी हैं । कृषि सचिव एवं सचिव सहकारिता दोनों लोग मानीटरिंग करेंगे और प्रयास यह किया जा रहा है पहले से ही पिछले साल जो समस्या आयी वह किसानों के सामने न आने पाये । एम०ओ०पी० शत प्रतिशत आयातित खाद है और इसकी उपलब्धता तभी हो पाती है जब यह आयात हो पाती है । म्यूरेट आफ पोटाश जितना/टारगेट थी उससे अधिक प्राप्त कर चुके हैं लगभग 90 हजार मीट्रिक टन का हमारा पूरा टारगेट था । एक लाख से ऊपर उपलब्ध करा चुके हैं । लेकिन दिक्कत वही थी आयातित खाद की कमी अक्टूबर के महीने में शुरू हुई वह किसानों को खला । यह सही है बरसात के कारण पूरे प्रदेश में एक साथ बुआई शुरू हो गयी इसके नाते खाद की कमी महसूस की गयी । यदि वह बरसात न हुई होती और जो नार्मल सोइंग सीजन है अक्टूबर का महीना तो आयात होने में विलम्ब होने के बावजूद भी कमी महसूस न हुई होती । प्राकृतिक व्यवस्था है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है । मान्यवर, रसायनिक दवाओं के बारे में मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, हम मानते हैं कि यद्यपि इनकी उपलब्धता तो रहती है, उपलब्धता में कमी नहीं है लेकिन मुझे आज भी मानने में तनिक संकोच नहीं है कि इनकी उपलब्धता के साथ गुणवत्ता नहीं है । जिस स्तर तक मैं चाहता हूं वह नहीं कर पाया हूं । मैं स्वयं इस विषय पर विचार कर रहा हूं, इसमें कौन सा परिवर्तन दिया जाये ताकि रसायनिक दवाओं की गुणवत्ता को सुधारा जा सके ।

मान्यवर, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वर्ष 1996-97 में 82,390 छापे डाले गये उसमें से अमान्य नमूने 1,069 मिले । वर्ष 1997-98 में 70,514 छापे डाले गये उसमें से 1,742 अमान्य नमूने पाये गये । माह फरवरी, 1998-99 तक 55,971 छापे डाले गये जिसमें 1,194 अमान्य नमूने पाये गये । जो कार्यवाही की गई । उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये 493 के उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये 298 के । उर्वरक प्रमाण-पत्र रहित उर्वरक व्यवसायियों के व्यापार प्रतिबन्ध 319 सचेत किये गये । उर्वरक व्यवसायी 856 दुकाने सील की गयीं । उर्वरक प्रतिष्ठान 183 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 (317) में दर्ज कराई गई एफ० आई० आर० 213 आवश्यक वस्तु अधिनियम में भेजे गये उर्वरक व्यवसायी 174, रासुका के अन्दर निरुद्ध किये गये 4 यह प्रयास किया जा रहा है । जो शिकायतें आ रही

है मानक उर्वरक वितरण की उसमें अधिक से अधिक नियंत्रण किया जा सका । इसी के साथ कार्यवाही हुई । मैंने आपके समक्ष रखा कि फरवरी, 1999 में ही इतने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किया है । इसी प्रकार से कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता बनाये रखने की क्या कार्यवाही की । नई कीट नाशक अधिनियम 1968 के अन्तर्गत लिये गये नमूनों की संख्या 1,349 ? अधोमानक नमूनों की संख्या 116 और दायर मुकदमों की संख्या 72. श्रीमन्, बीज में भी मानक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है । निजी बीज विक्रेताओं की संख्या 4876 है, निजी बीज विक्रेताओं से लिये गये नमूनों की संख्या ली गई 1351, विभागीय गोदामों से नमूनों की संख्या ली गई 266, कुल नमूनों की संख्या 1617 और अधोमानक पाये गये 225 और निरस्त किये गये अनुज्ञापन 12 और 213 को चेतावनी दी गई । जहां तक कैमिकी मिनरल फर्टिलाइजर की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से इसका इम्बैलेन्श उपयोग किया जा रहा है, यह सही है कि पूरी उत्पादकता नहीं आयी है, इसका लाभ तो कुछ हद तक कुछ क्षेत्रों में मिल रहा है, लेकिन इससे नुकसान भी इतना ही हो रहा है । आज मिनरल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से स्वायल का टैक्सचर खराब हो रहा हैं और ह्यूमस भी उसमें समाप्त हो रहा है । यहीं कारण है कि पंजाब में आज उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है । इसलिये यह प्रयास किया जा रहा है कि उस स्थिति तक पहुंचने से पहले हम कोई आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दें ।

जहां एक तरफ मिनरल फर्टिलाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, वही पर यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आर्गेनिक फारमिंग और बायो डाइनेमिक फारमिंग को भी बढ़ावा दिया जाय । यह सभी लोग जानते हैं कि पहले ढैंचा और सनई बोयी जाती थी और हरी खाद को खेत में पलट दिया जाता था । चूंकि ढैंचा और सनई के बोने से एक फसल को नुकसान होता है इसलिये किसान उस पर ध्यान नहीं दे रहा है । इसलिये अब गन्ना, धान, गेहूं और आलू जिसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है और जिसमें मिनरल फर्टिलाइजर की आवश्यकता अधिक होती है, वहीं इसके अधिक उपयोग होने से एक विषम स्थिति आ गई है । यदि आर्गेनिक फारमिंग और बायो डाइनेमिट फारमिंग को पैम्फलेट के माध्यम से यदि हम बताना चाहेंगे और यह कहेंगे कि आप मिनरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कीजिये तो शायद किसान जल्दी तैयार नहीं होगा । इस लिये वर्ल्ड बैंक के वित्तीय पोषण से ऊसर भूमि सुधार निगम के द्वारा जहां पर कार्य किया जा रहा है, 10 जनपद वर्ल्ड बैंक के हैं और 5 जनपद यूरोपियन इकानोमिक कम्युनिटी और नीदरलैण्ड के हैं, इन 15 जनपदों में एक-एक ऐसा गांव चुना गया है, जिसमें हम आर्गेनिक फारमिंग के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके दो कारण हैं । एक तो भूमि सुधार निगम जहां काम कर रहा है वह ऊसर भूमि है [illegible] को सुधारने के लिये जहां ड्रेनेज या नियूट्रलाइजेशन की आवश्यकता है वहीं उसमें ह्यूमश भी जरूरी है । यदि आरगनिक फारमिंग को इन्ट्रीड्यूज करते हैं तो उसका तुरन्त लाभ किसानों को मिलेगा और कम से कम उन किसानों को देखकर अलग-बगल के किसान हैं उसको करना चाहेंगे 'टू सी एण्ड लर्न' के प्रिंसपल को अपनाते हुए । मैंने एक निर्णय लिया था कि ऊसर भूमि सुधार निगम जिन जनपदों में काम कर रहे हैं कम से कम एक आरगेनिक फोरम जिसमें बर्मीकल्चर हो, औरगेनिक मैन्योर हो स्थाई करें प्रयास यह भी कर रहे हैं कि कैमिकल इन्सैक्टीसाइड और बैक्टीसाइड का उपयोग हम कम कर सकें बाई कन्ट्रोल से तो और अच्छा होगा । अभी हमको इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, मैं प्रयासरत् हूं कि बाईलोजिकल कन्ट्रोल पर भी अधिक से अधिक काम किया जाय । और कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनको कि हम पूर्ण रूप से नियंत्रित बाईलौजिकल मेथड से कर सकते हैं ।

मान्यवर, ऊसर भूमि सुधार निगम विश्व बैंक की प्रथम योजना 2001 में समाप्त होगी । 45 हजार हैक्टेयर भूमि इनको उपचारित करनी थी परन्तु वित्तीय प्रबन्धन से 47 हजार 600 सौ हैक्टेयर भूमि उपचारित हो चुकी है । यह जो प्रथम योजना है विश्व बैंक पोषित मैंने पिछले वर्ष ही बताया था जब इस सदन में एक आशंका पैदा हो रही थी कि पता नहीं विश्व बैंक अब पुनः और समर्थन देगा कि नहीं

देगा । मैंने उस समय भी कहा था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि विश्व बैंक की द्वितीय योजना सेकेन्ड फेज मान्यवर, 21 अप्रैल से लौंच होने जा रहा है, स्वीकृति इसकी पहले ही हो गई थी नवम्बर, दिसम्बर में दस्तखत हो चुके थे और 21 अप्रैल से द्वितीय फेज प्रारम्भ होने जा रहा है । यह भी उन्हीं 10 जनपदों में काम करेंगे परन्तु इसमें डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने की योजना है । इस प्रकार 2005 तक हम लगभग डेढ़ लाख हैक्टेयर भूमि हम सेकेन्ड फेज में उपचारित करेंगे यह कार्य योरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी और नीदरलैण्ड के वित्तीय पोषण के माध्यम से कराया जा रहा है । इस प्रकार इसमें भी दो चरण में पहले में 68,800 और दूसरे में 23,000 हैक्टेयर भूमि उपचारित करेंगे । कुल मिलाकर ढाई लाख-तीन लाख हैक्टेयर के करीब भूमि हम उपचारित करेंगे इन तीन योजनाओं के माध्यम से । इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का सौयल कन्जरेवेशन डिपार्टमेंट है जहां नाबार्ड और भारत सरकार की योजनाए लागू हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको 50 मिनट हो चुके हैं । अब बाकी उत्तर भाषण में कहियेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, थोड़ी फिगर्स दे दूं । इस तरह से लगभग ढाई लाख हेक्टेयर भूमि हम 2005 तक उम्मीद करते हैं कि हम उपचारित कर ले जायेंगे । मान्यवर, इसमें और बताना चाहूंगा । विश्व बैंक की जो प्रथम योजना स्वीकृत हुई थी ऊसर भूमि सुधार निगम की, उसमें सड़कों को बनाने का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ था अब नाबार्ड की योजना के अन्तर्गत जहां फर्स्ट फेस ऊसर भूमि सुधार निगम काम कर रहा है नाबार्ड के सहयोग से 700 किलोमीटर सम्पर्क मार्गों का निर्माण, द्वितीय के अन्तर्गत 1500 पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा । अब जो योजना स्वीकृत हुई है इसमें सम्पर्क मार्गों के साथ-साथ भवन का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है और हम उन पंचायतों को हैण्डओवर कर देंगे । मान्यवर, यू०पी० एग्रो के बारे में बता दूं । यू०पी० एग्रो में पिछले साल बताया था यह घाटे की संस्था थी उसने गत वर्ष शुद्ध लाभ 97.15 लाख अर्जित किया था । यू०पी० एग्रो का घाटा 56 करोड़ 38 लाख से घट कर 53 करोड़ 9 लाख रुपये 31 मार्च, 1998 को हो गया । इस वर्ष हम उम्मीद कर रहे हैं कि 336 लाख रुपये का लाभ यू०पी० एग्रो इस वर्ष अर्जित करेगा । पहले यह भी अन्य निगमों की तरह समाप्त होने जा रहा था । यह कहा जा रहा था लेकिन आज वह शनैः-शनैः अपने पैरों पर खड़े होने का काम कर रहा है । मुझे विश्वास है कि यू०पी० एग्रो के कर्मचारियों के सहयोग से यह संस्था काफी आगे बढ़ेगी । ताकि किसानों का हित हो सके ।

मान्यवर, एक निर्णय और भी लिया गया है हमारे कुछ ऐसे जनपद हैं या जनपद में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहकारी संस्थायें बहुत कमजोर हो गई हैं या जो काम नहीं कर रही हैं इसमें यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां संस्थायें कमजोर हो गई हैं । बन्द हो गई हैं वहां उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराने का काम यू०पी० एग्रो करेगा । कृषि विभाग के गोदाम पुराने बने हुए हैं उन गोदामों को लेकर यू०पी० एग्रो वहां पर रिटेल इकाई स्थापित करेगा । इसके साथ ही यह भी निर्णय लेना पड़ा है कि यू० पी० एग्रो की जो अलाभकारी केन्द्र है उनको बन्द करके, बन्द न कहें बल्कि ऐसे स्थान पर नये केन्द्र स्थापित किये जायें या जहां पर सरकार समितियां काम नहीं कर पा रही हैं या किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिये लाभकारी केन्द्र स्थापित किया जा सकता है और ऐसी सम्भावना है कि लगभग सौ अलाभकारी केन्द्र का स्थान परिवर्तित करना होगा अगर हम यू० पी० एग्रो को बायबिल कामर्शियल बनाना चाहते हैं, इसके अलाभकारी यूनिट्स को बंद कर दें, उसको ऐसे स्थान पर स्थानान्तिरत करेंगे जहां किसानों की आवश्यकता है, जहां मांग है, जहां पर वह प्रॉफिटेबल यूनिट्स के रूप में वह काम कर सकें । कृषि यंत्रों पर भारत सरकार बैल चलित या हस्त चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है ।

हमारी पन्तनगर यूनिवर्सिटी में जीरो ड्रिल सीड ड्रिल जो बहुत ही लाभप्रद साबित हो रही हैं और इसे आई० सी० आर० ने एडाप्ट कर लिया है और वह अनुदान दे रही है । एक निर्णय यह भी लिया है कि किसान जब ट्रैक्टर खरीदता है, यू० पी० एग्रो से जिस पर 30 हजार रुपया तक भारत सरकार का

अनुदान है तो हम बजाए कल्टीवेटर देने के सीड ड्रिल देना पसन्द करेंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाइंग सोइंग की आदत पड़ सके क्योंकि छिटुवा बोआई में फसल को उर्वरक को और किसानों को नुकसान होता है । मान्यवर, कृषि विभाग में स्वायल कन्जरवेशन के बारे में काफी कुछ शिकायतें आती रहती हैं । मान्यवर, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये हमने 6 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है । जिसमें श्रेणी-1 के 11 में से तीन अधिकारी निलम्बित किये गये हैं । श्रेणी–2 के सेक्शन बी में से 2 अधिकारी, सेक्शन सी में से 1 अधिकारी तथा सेक्शन डी में से 2 अधिकारी निलम्बित किये हैं । इसके अतिरिक्त श्रेणी–1 में कुल 60 अधिकारियों को सापेक्ष पोन्नति दी गयी है तथा 13 अधिकारियों की श्रेणी–2 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की है । अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में 20 गबन के मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । 6 कर्मचारियों को निलम्बित किया है । भूमि संरक्षण योजनाओं में 10 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, 1 कर्मचारी के निलम्बन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित हैं । इसके अतिरिक्त वर्ग–3 से वर्ग–2 में 170 कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों और अधिकारियों की जो मांगें हैं उनको जल्दी से निपटाया जाय । जितनी जायज मांगें हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए । पदोन्नति की जो मांग है उनको मिलना चाहिए । आज तमाम स्थान रिक्त पड़े हैं काम का नुकसान होता है । श्रीमन्, भूमि संरक्षण में जो आडिट होता है उसमें 20 मामलों में इस वित्तीय वर्ष में 16 हजार, सात सौ उनहत्तर रुपये वसूल करने की कार्यवाही की गयी और चार अधिकारी तथा 35 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । लगभग सवा लाख रुपये की गड़बड़ी एक और जगह प्राप्त हुई है उसी की कार्यवाही अलग से चल रही है । मान्यवर, मंडी परिषद् में पिछले वर्ष मैंने यह बताया था कि यह निर्णय लिया गया है कि जो पुरानी सड़कें अधूरी हैं उन्हें पूरा किया जाए ।

इस वर्ष लगभग 18 करोड़ रुपये पुरानी सड़कों को पूरा करने में व्यय किया गया है । यह सही है कि सड़कें तमाम अधूरी पड़ी हुई हैं, एक समस्या सामने आ रही है, जिस मंडी समिति का जितना धन उपलब्ध है हम वहीं काम कर पा रहे हैं । जो घाटे में हैं वहां के अधूरे कामों के बारे में अभी निराकरण नहीं हो पाया है । प्रगति धीमी जो लग रही है उसका कारण यह है कि बहुत से काम पिछले दिनों टेण्डर में न करके सलेक्शन बाउंड पर शुरू करा दिये गये थे परिषद् के बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि बाउंड के जो काम हैं हम उन्हें नहीं करवायेंगे हम उनकी माफी करके भुगतान कर देंगे शेष काम जो बचा रहता है उसमें हम टेण्डर काल करके उस काम को पूरा करायेंगे । जो विलम्ब हो रहा है वह यहां आ रहा है जहां धन उपलब्ध है । यह कार्यवाही प्रारम्भ है । मान्यवर, 25 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जो हमारे अधूरे मंडी स्थल के या जहां भवन अधूरा पड़ा हुआ था या जहां चहार दिवारी अधूरी पड़ी हुई थी इसी तरह से मान्यवर, जो पुराने हैण्डपम्प लगे हुए थे ऐसे जो अधूरे काम पड़े हुए थे, गत वर्ष से हमने हैण्ड पम्प का कार्य बन्द कर दिया था उन्हीं को पूरा कराया जाना आवश्यक था जो अधूरे थे । तो एक करोड़ रुपया इसमें व्यय किया गया । श्रीमन्, हमारे तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं । वर्ष 98-99 में पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का मास्टर्स डिग्री कोर्स प्रारम्भ किया गया है और वेटनरी महाविद्यालय, कुमारगंज, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है । पंतनगर ने गेहूं की एक नई प्रजाति यू० पी० 2382 निकाली जो फरवरी, 98 में स्वीकृत हुई है । इसी प्रकार यू० पी० 2425 आखिल भारतीय स्तर पर चिन्हित हो चुकी है । पंत मंझेड़ा धान की एक नई प्रजाति पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विकसित की गयी है । सी० ओ० 84212 गन्ने की नई प्रजाति पंतनगर ने विकसित की है । इसी प्रकार चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर ने गेहूं की एक नई प्रजाति के–9006 विकसित की है और अरहर की अपर के० ए०–32 चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय ने विकसित की है जो वर्ष 98 में स्वीकृत हुई है । श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सदस्यों के सुझावों के लिए अनुरोध करता हूं, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम ललित चौधरी जी, कटौती रखें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां की 78 फीसदी जनता किसी न किसी प्रकार से खेती से जुड़ी हुई है । इसमें 53.3 प्रतिशत लोग सीधे खेती करने वाले हैं और 20 प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं और 5 प्रतिशत लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि धन्धों में लगे हुए हैं । मान्यवर, कृषि प्रधान देश और प्रदेश होने के नाते देश आजाद होने के बाद से ही कृषि के विकास के लिए तमाम पवित्र नारे और सुझाव आये । जैसे प्रयोगशाला से खेत तक, जय जवान, जय किसान और एक नया नारा अभी आया, जय जवान–जय किसान–जय विज्ञान का । इन पवित्र नारों के बाद कृषि के विकास के लिए जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया गया । बात हमेशा गांव की होती रही और पैसा हमेशा शहरों में जाता रहा, इसका परिणाम यह हुआ कि गांव मुरझाते गये और शहर फलते-फूलते गये, गांव घटते गये और शहर बढ़ते गये । मान्यवर, शुरू से ही किसानों की बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा होती रही और आज इस सरकार के शासनकाल में और भी घोर उपेक्षा हो रही है । आज यह सरकार टोटल बजट का 70 फीसदी धन कृषि पर खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन आप देख लें । इस बजट में कुल धन दिया गया है 6 अरब, इसमें कृषि विधिकरण योजना का धन भी शामिल है । जो पूरे उत्तर प्रदेश का बजट है, उसके 70 प्रतिशत के स्थान पर मात्र यह 1.25 प्रतिशत होता है, मंत्री जी हिसाब-किताब लगाकर देख लेंगे, हां इसमें ग्रामीण विकास जरूर पीछे जोड़ दिया गया है, लेकिन मुख्य आगे कृषि को कर दिया गया है । आज सरकार की मंशा किसानों के प्रति साफ नहीं है अगर सरकार किसानों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे खाद, डीजल, भण्डारण, विपणन इन तमाम चीजों की सुविधा मुहैया करा दें तो उत्तर प्रदेश की जमीन और जलवायु इतनी उम्दा है और यहां का किसान इतना मेहनती है कि वह पूरे मुल्क को खिला सकता है । वह अनाज सप्लाई करने की क्षमता रखता है, लेकिन सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में चौथे नम्बर पर है और इस सूबे को जो पूरे मुल्क को खिला सकता है, कभी-कभी हरियाणा और पंजाब पर आश्रित करना होता है, यही नहीं विदेशों के सामने भीख भी मांगनी पड़ती है । खाद्यान्न का उत्पादन प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात जैसे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम है ।

उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार 18 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है और पंजाब में इसका उत्पादन 41 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है । चावल की पैदावार उत्तर प्रदेश में 21.2 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है जबकि पंजाब में 34 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है । आज वर्तमान उपलब्धता क्या है, उस बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की उपलब्धता 240.29 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है और दूसरे सूबों में, हरियाणा में 551.35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है और पंजाब में 976.60 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है । कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे सूबों में हमारे सूबे का तीन गुना और चार गुना अनाज पैदा होता है । मान्यवर, हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि आज खाने भर के लिए अनाज नहीं है, तो शादी-विवाह का काम किसान कैसे करें । उसका काम चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और इसी कारण उसे इन कामों को करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है । इसी कारण उत्तर प्रदेश का किसान कर्जे में डूबा रहता है । मान्यवर, अभी तिलहन और दलहन की बात कही गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनका उत्पादन बढ़ाकर बताया गया है । जो इनका उत्पादन बताया गया है वह फर्जी

आंकड़ों के आधार पर बताया गया है । मान्यवर, जिले में लेखपाल क्राप्स कटिंग करता है तो जहां पर उत्पादन अधिक होता है उसका औसत वह निकाल लेता है और जहां पर उत्पादन कम होता है उसको छोड़ देता है, तो इस प्रकार से फर्जी आंकड़ों के आधार पर उत्पादन बढ़ाकर दिखाया जाता है । अगर फर्जी आंकड़ों के द्वारा उत्पादन न दिखाया जाय तो उत्पादन बहुत कम आयेगा । मान्यवर, पिछले साल दलहन और तिलहन में अगर भारी वृद्धि हुई है, अगर पैदावार बढ़ी होती तो इनके दामों में वृद्धि न होती । अगर उत्पादन बढ़ा है तो या तो आपने इनका निर्यात कर दिया है या यह बाजारों में जमा हो गया है बाजार पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है । उत्पादन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना प्रदेश की जनता और कृषि विभाग के साथ विश्वासघात करना है । मान्यवर, जहां तक क्रय शक्ति की बात है आज गांव के रहने वाले की क्रय की शक्ति बिल्कुल नहीं है । योजनाओं के कारण जो विकास हुआ है उसका अधिकांश लाभ शहर वालों को ही हुआ है या फिर नम्बर दो का धन्धा करने वालों को हुआ है । इस बात की पुष्टि मेरे इस बात से हो जाती है कि जिस गति से लग्जरी गुड्स की खपत में वृद्धि हुई है उस अनुपात में आवश्यक आवश्यकताओं की खपत में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में टी०वी० की खपत में वृद्धि हुई है, टेलीफोन्स आदि में तथा मोटर वाहनों में वृद्धि हुई है उस अनुपात में आवश्यक चीजों की खपत में वृद्धि नहीं हुई है । इसका कारण यह नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है या उसका उत्पादन ही नहीं बढ़ाया जा सकता है । बल्कि उसके पीछे कारण यह है कि गांव में रहने वालों की क्रय शक्ति और उनकी क्षमता इस गति से नहीं हुई कि वह आवश्यक चीजें भी खरीद सके जैसे जाड़ों में रजाई की आवश्यकता होती है उसके बावजूद गांव में हर आदमी के पास रजाई नहीं होती है क्योंकि वह नहीं खरीद सकते हैं । इसी प्रकार स्वेटर जाड़ों में हर व्यक्ति को चाहिए लेकिन गांव का आदमी स्वेटर नहीं पहन सकता । इसलिए इसकी खपत बहुत कम है । गांव में 40 और 45 साल का आदमी अगर आप देखें तो क्रय शक्ति के अभाव में एकदम बूढ़ा लगता है, और शहर में रहने वाला 60 साल का आदमी टनाटन जवान लगता है ।

आज किसान की क्रय शक्ति और क्षमता नगण्य है क्योंकि उसको खरीदने के लिए साधन नहीं है उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, इसके विपरीत गांवों की अपेक्षा शहर में रहने वाले का जीवनकाल भी ज्यादा है उसको जिन्दा रहने के लिए बेहतर सुविधायें प्राप्त हैं, उसकी क्रय शक्ति अधिक है आवश्यकता पड़ने पर पौष्टिक आहार वह खरीद सकता है, बीमार पड़ने पर उसे दवा उपलब्ध हो जाती है इसकी अपेक्षा गांव में रहने वाला जल्दी मर जाता है । अगर गांव में एक समय में 10 बच्चे पैदा होते हैं और शहर में भी एक समय 10 बच्चे पैदा होते हैं तो गांव के 10 बच्चों में से 5 मर जायेंगे जबकि शहर के 10 बच्चों में से एक या दो ही मरेंगे और कम से कम 8 जरूर जिन्दा रहेंगे । आज शहर में मलिन से मलिन बस्ती में रहने वाले की तुलना गांव के बड़े से बड़े आदमी से नहीं कर सकते हैं । यह इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसे जिन्दा रहने की सारी सुविधायें उपलब्ध हैं क्योंकि शहर वालों को बिजली, पानी, अस्पताल सब उपलब्ध हैं और गांव में रहने वाले को कोई सुविधा इस प्रकार की उपलब्ध नहीं है । इसलिए आज लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं, शहर बस रहे हैं । आज गांव में रहने वाले की दशा इतनी खराब है कि शहर में रहने वाले बड़े-बड़े लोगों के कुत्ते भी जो खाना नहीं खाते है वह गांव के रहने वाले को नहीं मिलता है । गांव के रहने वाले को तो क्या गांव के देवता तक को वह खाना मयस्सर नहीं होता । मान्यवर, मैं कृषि विकास की दर पर आ रहा हूं । नवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा है । जिसमें कृषि से 4.5 प्रतिशत विकास दर लक्ष्य रखा गया था जबकि पहले 5 प्रतिशत रखा गया था किन्तु जब सरकार ने समझा कि यह प्रतिशत नहीं उपलब्ध होगा तो 4.5 प्रतिशत कृषि का विकास लक्ष्य रखा गया । मान्यवर, खेती का बजट लगातार घटता जा रहा है । आप देखें तो वर्ष 1997-98 में 556 करोड़ रुपया रखा गया था कृषि के सम्बन्ध में और वर्ष 1998-99 में 534 करोड़ रुपये रखा गया यानि 22 करोड़ रुपया 1997-98 से कम हो गया । तो धन कम

होता जा रहा है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चहता हूं कि यह फर्जी आंकड़े हैं वर्ष 1999-2000 में कृषि पर 522 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार यह भी पिछले वर्ष से 12 करोड़ रुपया कम है । मान्यवर, इसमें भी पैसा बजट में कम रखा गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि का उत्पादन कैसे अधिक होगा ? इसलिए विकास दर को पाना है तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो सचमुच में बजट में अधिकांश धन ईमानदारी से कृषि पर रखना पड़ेगा तभी वांछित विकास दर मिल सकेगी । अन्यथा नहीं ।

मान्यवर, भूमि विकास निगम को विश्व बैंक से 146 करोड़ रुपये का ऋण मिल रहा था लेकिन बजट में 14 करोड़ रुपया रखा गया है । आप देखें जब स्वयं पैसा नहीं देंगे और दूसरे एजेन्सी से भी पैसा लेंगे नहीं तो आप किस तरह से विकास करेंगे ?

मान्यवर, जहां तक उत्पादन की बात है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा । जैसे स्माल होल्डिंग है आज 70 प्रतिशत किसान छोटी जोत के हैं जिनके पास एक एकड़, दो बीघा, एक बीघा जमीन है जो अलाभकारी है और शेष 30 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश की जमीनों को दबाये बैठे हैं, परती जमीनें हैं और वहां खेती नहीं हो रही है । मान्यवर, देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिनके पास खेती करने की क्षमता है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है और जो खेती करना एवं हल चलाना नहीं चाहते हैं वह बड़ी-बड़ी जमीनों पर काबिज हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इससे उत्पादन गिरेगा या बढ़ेगा, इस पर आप विचार करें ?

मान्यवर, आज भूमि सुधार का कानून लागू है लेकिन उसके नाम पर कुछ नहीं हो रहा है । आज गांवों में नामालूम कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास फसल बोने के लिए जमीन नहीं है जबकि उनके पास काम करने की क्षमाता है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वे लोग कहां जाकर खेती करें । इसलिए भूमि सुधार कानून को यदि आप ईमानदारी से लागू करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ाने की आशा नहीं करनी चाहिए । मान्यवर, आज जहां तक किसानों के कृषि मूल्यों का सवाल है । यदि कोई मानीय सदस्य कुछ कहना चाहते हों तो कृपया खड़े होकर अपनी-अपनी बात कह लें । मैं 300 कि०मी० से आया हूं । जहां तक लागत की बात है तो आज कृषि मूल्यों के अभाव में कृषि का भट्ठा बैठ गया है और किसानों की कमर बैठ गयी है । यदि कोई सरकार प्रदेश की सचमुच तरक्की करना चाहती है तो उसे सबसे पहले किसानों की तरक्की के बारे में सोचना होगा । सरकार को किसानों की पैदावार का लाभकारी मूल्य उनको देना होगा । किसान जितनी वह लागत लगाता है उससे कुछ दाम बढ़ाकर मिले तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और फिर किसान खुशहाल होगा और जब गांव खुशहाल होगा तो शहर भी खुशहाल होगा जब गांव व शहर दोनों खुशहाल होंगे तो ही प्रदेश खुशहाल होगा । आज सरकार के पास कृषि मूल्यों के निर्धारण के लिए कोई फार्मूला या योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है । जिस अनुपात में औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि होती है, जिस अनुपात में अन्य क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि होती है उसी प्रकार से किसानों की भी उपज का दाम बढ़ाया जाना चाहिए । इसके लिए इस सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं है ।

इस सरकार के पास फार्मूला है लेकिन किसानों के लिए कोई फार्मूला नहीं है । उसके पास फार्मूला सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है । जो सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर देते हैं । जैसे-जैसे उनका वेतन बढ़ता जायेगा उनकी मांगें बढ़ती जायेंगी तो फिर किसानों का उत्पादन मूल्य क्यों नहीं बढ़ता । मान्यवर, कृषि मूल्य की बातें तमाम सरकारें करती हैं इसमें इस सरकार का भी कोई दोष नहीं है इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं जो सुझाव के रूप में कह रहा हूं । कृषि का मूल्य आयोग तय करता है जिससे किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि धान का मूल्य किस आधार पर लगाया गया है, गेहूं का मूल्य किस आधार पर लगाया गया है इसकी जानकारी किसानों को नहीं हो पाती ।

आयोग के पास मूल्य तय करने की कोई उचित प्रक्रिया नहीं है । कृषि मूल्यों को तय करने के लिए आयोग पिछले दो से तीन साल के आंकड़ों का प्रयोग करता है । प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसलों का सुमार नहीं होता जबकि कारखानों को उत्पादन के समय नष्ट फसलों का मूल्य लग जाता है । कृषि और औद्योगिक मूल्य के बीच की खाई एकदम से बढ़ गयी है । आज किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । एक तरफ तो कहा जाता है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना समय और लेंगे ।

श्री राम ललित चौधरी–

70 प्रतिशत पैसा दे रहे हैं तो 70 प्रतिशत समय भी दिया जाना चाहिए । मान्यवर, अभी तो भूमिका बनायी है, मैंने अभी पानी भी नहीं पिया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी आप पानी पी लें । बाकी बातें अपने उत्तर भाषण में कह लीजियेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जब इतना बड़ा बजट देने का सरकार दावा करती है तो 70 की जगह 50 प्रतिशत समय दे दें । आज किसान की क्रय शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी उपज का क्या मूल्य बाजार में मिलता है और आवश्यकता की चीजें खरीदने पर उसको क्या कीमत अदा करनी पड़ती है । जैसे उपज बढ़ी या उपज घटी तो उसी अनुपात में उपज का ऐसा मूल्य मिलना चहिए जो उसकी लागत से ज्यादा हो । उदाहरण के लिए यदि उसके दाम घट गये और उसके कम्परीजन में बाजार में लोहा, कपड़ा आदि के दाम 20 प्रतिशत बढ़ गये तो जो चीज उसको पहले सौ रुपये में मिलती थी उसके लिए उसको 120 रुपये देना पड़ेगा जबकि उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है ।

मान्यवर, सरकार की आयात निर्यात नीति ऐसी रही है जब किसान अपनी चीज बाहर भेजना चाहता है तो सरकार उस पर रोक लगा देती है और जब उसका प्रोड्क्शन कम होता है तो वही चीज आयात करती है इस तरह से सरकार किसान को तबाह करने का काम करती है । इसी तरह जो बैंक ऋण हैं वह भी उसको लेना भी एक जटिल समस्या है किसान ऋण का इन्तजार करते-करते ऊब जाता है और यदि उसका पैसा मिलता भी है तो जिस प्रकार बर्फ के कारखाने से बर्फ मोटी सिल्ली निकालती है पर वह उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते पिघल कर पतली हो जाती है, इसी तरह से किसान को बैंक से लोन मिलता है, यह लोन जब उसके पास पहुंचता है तो 25 प्रतिशत धनराशि ही उसको मिलती है बाकी घूस में चली जाती है, जब उसको पैसा इतना कम मिलता है तो जिस परपज के लिए उसने ऋण लिया है वह चाहे फसल हो या दूसरी चीज हो, वह उतने में काम नहीं हो सकता है । इसलिए किसान उस पैसे को खा-पीकर बरबाद कर देता है ।.यदि किसान पम्प सेट के लिए लोन लेता है तो उसको अपनी खेती गिरवी रखनी पड़ती है परन्तु यदि कोई उद्योगपति लोन लेता है तो उसको अपनी चल-अचल सम्पत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है बल्कि फैक्ट्री आदि ही गिरवी रखी जाती है । सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है और उनको तबाह करने का काम करती है जब उसके घर पर अनाज पैदा होता है तो सरकार शिकन्जा लगाती है कि किसी तरह से उसका अनाज छीन लिया जाय । जिस तरह से मछली मारने वाले मछली मारने का काम करते हैं और मछलियों का शिकार घेर कर करते हैं इसी तरह से किसान को घेर कर उसका अनाज लूटा जाता है । जब किसान के घर गेहूं पहुंचता है तो वसूली का अभियान चलाया जाता है और उसको जेल में बन्द किया जाता है । इसके डर से किसान अपनी फसल को मिट्टी के मोल बेच देता है और बनिया खरीदकर डम्प कर लेता है और इस समय सरकार भी

अनाज के आवागमन पर रोक लगा देती है जिससे किसान बरबाद हो जाता है। तो सरकार जानबूझकर किसानों के अनाज का शिकार करती है और पूंजीपतियों से करवाने का काम करती है। आलू को ले लीजिये, आलू की क्या दशा है। आज आलू 1.50 रुपये में बिक रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, आध घण्टा हो गया है। अब आप कुछ उत्तर भाषण में कह लीजियेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

15 मिनट का समय और दे दें, उसके बाद समय नहीं लूंगा। बिना पानी पिये बोल रहा हूं। कृषि विभाग का बजट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, राम ललित चौधरी जी पानी की बात कर रहे हैं, मैं सूर्य प्रताप शाही जी को बुला लेता हूं, दही हो जाय।

श्री राम ललित चौधरी–

उनकी कृपा आप लोगों पर ही बनी रहे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

आप लोग पियोगे तो हमें राजस्व मिलेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

जब आप चाह रहे हैं तो मैं 15 मिनट में अवश्य खत्म कर लूंगा। यह विभाग इतना भ्रष्ट विभाग है कि इस सूबे में इतना भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में संक्षेप में कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मान्यवर, आज खेद की बात है कि डी०ए०पी० और पोटाश बाजार से गायब हो गयी थी। इस सदन में एक प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया था कि डी०ए०पी० और पोटाश खाद उपलब्ध है। अगर बाजार में होती तो किसान हाहाकार क्यों मचाता ? गांवों में हाहाकार मची थी कि डी०ए०पी० व पोटाश नहीं है और मजबूर होकर मिलावटी खाद बोना पड़ रहा है। गोरखपुर में एक रैक खाद दिसम्बर में आयी। उसका खाद इधर से कुछ नैपाल और बिहार चली गयी। आगरा के रास्ते से पश्चिम में जो रैकें आती हैं वह राजस्थान आदि में चली जाती हैं। आज नकली खादों की भरमार है। नकली खादों के व्यापारी मालामाल हो गये। अधिकारियों ने इन खादों को लेट भिजवाने का काम किया। जानबूझकर लेट मंगवाने का काम किया। लेट आयी तो फिर इत्मीनान से बोरों में भरकर नम्बर दो का धन्धा करेंगे। फिर जब खाद की जरूरत पड़ेगी तो कोई न कोई बहाना लेकर आयेंगे कि इसलिए लेट हो गयी ताकि नम्बर दो का धन्धा करने वाले लोग अपनी खादों को बेच लें। असली खाद मिलेगी तो नकली खाद कोई नहीं लेगा। 1994-95 में नकली खाद का कारखाना मुजफ्फरनगर में पकड़ी गयी। उसका लाइसेंस बिजनौर का था लेकिन कारखाना मुजफ्फरनगर में चल रहा है। बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर उन फैक्ट्रियों को चलाने का काम किया है। यह वही फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह की खाद बनाने का काम करती हैं, जिसको डी०ए०पी० में मिलाया जाता है। यह नम्बर दो की खाद होती है। आपने बताया कि 174 लोगों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी लेकिन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, इन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। नकली खाद को जब्त करने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किये ?

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

किसान सहायकों को टेस्ट किट दिये गये थे, ताकि वह नकली खाद पकड़ सके, दो करोड़ रुपये के टेस्ट किट खरीदे गये, उस टेस्ट किट में जो भी लिक्विड था जो खाद के असली और नकली होने की पहचान करे वह टेस्ट किटों से गायब कर दिया गया । यह मिलावट करने वालों ने अधिकारियों से तथा सरकार से मिलकर उस रसायन को गायब कर दिया । इसलिए दो करोड़ के टेस्ट किट बेकार चले गये । डेढ़ करोड़ के सूक्ष्म तत्व नकली होने के कारण कहीं नहीं बंटे । बीज की जहां तक बात है बीज के नाम पर एफ०सी०आई० का गेहूं जिसे खजरा गेहूं कहते हैं बांटने का काम किया गया इससे कोई किसी समय फूटेगा कोई किसी समय फूटेगा । एग्रो और तराई बीज निगम से बीज को नहीं बांटा और करोड़ों रुपये का अनुदान हड़प लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । बाकी सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है ।

श्री राम ललित चौधरी–

निदेशालय में भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं । अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक यह सब पद खाली हैं अधिकारी मौजूद और पद खाली । अधिकारी निदेशालय से सम्बद्ध और पद खाली । पद खाली क्यों हैं मंत्री जी इसको जवाब में बतायेंगे । इस बात की तलाश हो रही है कि एक बिरादरी के अधिकारी को यह पद दिये जायें । तो कभी बिरादरी कभी पैसा कभी बिरादरी कभी पैसा की तमाम बारी रही । अपर निदेशक के बारे में कहना चाहता हूं जो सीनियारिटी में चौथे नम्बर पर थे लेकिन वह कैसा चौका मार रहे हैं । एक ही साल में तीन-तीन बार प्रमोशन अपर निदेशक प्रसार तीन महीने बाद फिर चौका और अपर निदेशक सामान्य, इसके बद फिर चौका और अपर निदेशक भूमि संरक्षण उसके बाद छक्का मारने का प्रयास । शासन से आदेश हो भी गया निदेशक बनाने का लेकिन उच्च न्यायालय ने कैच कर लिया । मान्यवर, इसके पीछे कौन सा राज था कि एक चौथे नम्बर के अधिकारी को प्रथम नम्बर सीट पर सरकार ने भेजने का काम किया । अगर इनके मेम्बरों में दम है तो वह मेरे एक-एक बिन्दु का जवाब दें । मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं, आप सर्वे कर लें निदेशालय में एक बिरादरी के कितने अधिकारी भरे पड़े हैं और जिला कृषि अधिकारी तथा भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर एक बिरादरी के तमाम अधिकारी भरे पड़े हैं । कहीं पर वरिष्ठता को लेकर और कहीं पर श्रेष्ठता को लेकर और कहीं पर मानवता को लेकर और कहीं पर किसी और बात को लेकर अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा भरने का काम किया गया है । मान्यवर, मैंने मंत्री जी का भाषण पूरा सुना नहीं जब मैं आया तो उस समय टापिक चल रहा था भूमि संरक्षण का । माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र किया ।

मान्यवर, कृषि विभाग में अगर कोई करेप्ट ब्रान्च है तो वह भूमि संरक्षण है । आप ताज्जुब करेंगे इस भूमि संरक्षण विभाग में लगभग डेढ़ अरब रुपये का ऊसर विकास के लिए जाता है । अब इसमें विकास क्या होता है । किसी भी विभाग में ऐसा नहीं होता जैसा भूमि संरक्षण में होता है । 70 प्रतिशत कमीशन नीचे से लेकर यहां तक जो लोग बैठे हैं वह लेने का काम करते हैं । मैं इस बात को नहीं कह

रहा हूं बल्कि भूमि संरक्षण के तमाम अधिकारी इस बात को कह रहे हैं और कह ही नहीं रहे हैं बल्कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को लेटर भी लिखा गया है । ड्राइंग डिस्बर्सिंग अधिकारी का काम जिला कृषि अधिकारी के नाम कर दिया गया और उनका भी कमीशन साढ़े तीन प्रतिशत हो गया । इस प्रकार यह कमीशन लगभग 73 परसेन्ट हो गया । अब इसे ले कौन रहा है । निदेशक और अपर निदेशक को एक-एक प्रतिशत संयुक्त निदेशक भूमि संरक्षण को डेढ़ प्रतिशत, उप निदेशक भूमि संरक्षण को साढ़े तीन प्रतिशत, भूमि संरक्षण अधिकारी को 12 प्रतिशत, अवर अभियन्ता को पांच प्रतिशत, कैशियर भण्डार लिपिक को 2 प्रतिशत, भूमि संरक्षण निरीक्षक को 12 प्रतिशत, डी० एम० और सी० डी० ओ० को 7 प्रतिशत, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को पांच प्रतिशत और इसके अलावा 12 परसेन्ट कमीशन सीधे-सीधे शासन को आता है । यह किसके पास आता है, जांच का विषय है । मैं यह सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि 0.5 परसेन्ट कमीशन भूमि संरक्षण अधिकारी के ड्राइवर और चपरासी को भी मिलता है । इस कमीशन के बंटवारे के सम्बन्ध में लखनऊ में ही एक घटना प्रकाश में आयी बाद में निदेशक के कमरे में समझौता हुआ । शिकायत दर्ज हुई । प्रदेश की जनता के हित में यदि कृषि विभाग को भ्रष्टाचार से बचाना है तो मेरी अपील है कि इसकी आप सी० बी० आई० से जांच करा लें । मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि भूमि संरक्षण का यह घोटाला बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समय अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

* उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और उन्हीं की कृषि नीति के अनुसार और उन्हीं की पाठशाला में पढ़े हुए कृषि मंत्री दिवाकर विक्रम सिंह ने यह कृषि बजट रखा है । मैं इस बजट के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय चौधरी साहब ने कहा था कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है । इसमें कोई सन्देह नहीं । जिस प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे वहां व्यापारी भी खुशहाल होंगे और यहां के मजदूर भी खुशहाल होंगे । भाई राम ललित जी बीच-बीच में टोका-टाकी करते रहेंगे इसलिये मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई राम ललित जी के जो नेता हैं उन्होंने अपने जीवन में कोई भाषण ऐसा नहीं दिया जिसमें किसानों का नाम लिया हो । ऐसे माननीय सदस्य के द्वारा कृषि बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा जाय तो इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है ।

मैंने आज से दो वर्ष पहले जब मायावती जी ने बजट रखा था तो अपनी कटौती में कहा था कि आपने हर वर्ग के लिये कुछ न कुछ कहा है लेकिन पूरा भाषण देख लिया जाय उसमें किसानों का कहीं नाम नहीं आया है । मैं कह रहा हूं कोई कटाक्ष करने का मतलब नहीं है । राम ललित जी हमारे पुराने साथी हैं । कभी ग्राम्य विकास पर कभी उद्यान पर आज कृषि पर हर विषय में जो उनका ज्ञान है, उसके लिये मैं दाद देता हूं । मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं कृषि मंत्री जी को । कृषि मंत्री व उनके अधिकारियों द्वारा पूर्व कृषि मंत्री और उनके अधिकारियों के द्वारा किये गये घोटाले के विरुद्ध जांच की जा रही है । अभी तो यह जांच चलती रहेगी । निः सन्देह 6 महीने में इतने घोटाले हुए हैं कि उनकी जांच में 6 साल निश्चित रूप से लग जायेंगे । घोटालों की जांच अपनी जगह होनी चाहिए । मण्डी परिषद् के बारे में कहना चाहता हूं कि जहां मंत्री परिषद् में करोड़ों रुपया जमा है । वहां मंडियों में किसानों के लिये सड़क बनाई जाय या उन मंडियों में उप मंडी स्थल बनाये जायं यह मेरा सुझाव है । मंडी ऐक्ट को बनाने का जो उद्देश्य श्रद्धेय चौधरी साहब का था वह यह था कि किसान की क्षमता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गल्ला रखने की नहीं होती है, इसलिये मण्डी ऐक्ट का गठन किया गया है ताकि किसान अपना गल्ला मण्डी में रखें, और अपनी गरज के अनुसार पैसा लें। जब चाहे तब गल्ले को बेचें। सही मायने में मंडी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में सब जानते हैं कृषि के बारे में देश में ही नहीं, मंत्री जी विदेश में भी जा चुके हैं, मैं कहना चाहूंगा कि फल मण्डी बनाई गई है जहां पर, या तो उनकी टेक्निक गलत है, अगर फल मंडी के पास से कोई गुजर जाए तो वहां बदबू और गन्दगी का डेरा होता है इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए, एक अनुरोध यह भी करूंगा कि कृषि मंत्री जी ने यह तो अच्छा काम किया कि मंडियां जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनी थीं उनके हैण्डपम्प बन्द करा दिये यह अच्छी बात है।

मान्यवर, कृषि फार्म और रिसर्च सेन्टर हैं उन जगहों पर किसानों को ट्रेनिंग के लिये एक व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए जहां रिसर्च सेन्टर हैं वहां किसानों का ट्रेनिंग सेन्टर भी बनाया जाए और किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। पहले जिस तरह से करीब 25-30 साल पहले कृषि के संबंध में बैठकें और गोष्ठियां आयोजित होती थीं वह आज इतने प्रभावशाली ढंग से गोष्ठियां नहीं होती हैं। गोष्ठी के संबंध में पुनः प्रभावशाली ढंग से कदम उठाए जाएं। हमारे माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया कि एक ही जाति के अधिकारी हैं या कमीशन के रेट लिख रखें होंगे, पुराने मित्रों के पास होंगे वह उन्होंने बता दिये होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह कृषि मंत्रालय माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है मैं सुझाव के साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्री केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजें। 1967 में चौधरी जी ने कहा था कि 1967 को वर्ष मानकर जिस तरह से अन्य चीजों के मूल्य में वृद्धि होती है उसी तरह से स्वतः ही किसानों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए इस तरह की सिफारिश भी कृषि मंत्री जी भेजें और अपने विभाग से भी इस तरह का प्रयास करें। इसी के साथ मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(डा० कौशल किशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

इनको बुलवाने में कोई आपत्ति है क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद् में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त होता है माननीय कृषि मंत्री जी के बजट के समर्थन में माननीय उद्यान मंत्री जी खड़े हुए हैं लेकिन वह कुछ सुझाव दे रहे थे तो मंत्री जी की राय कुछ है और इनकी राय कुछ है यह सामूहिक सिद्धान्त के विपरीत तो नहीं है। मुझे इनके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह जो विचारों की विभिन्नता है यह सामूहिक उत्तरदायित्व के विपरीत तो नहीं हो रहा है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर किसी भी माननीय सदस्य को विचार रखने का पूरा अधिकार है। सदन में सभी सदस्य हैं कोई भी विचार रख सकते हैं इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कृषि के लिये उत्तम यंत्रों की आवश्यकता होती है वहीं सीधे–सीधे खेत के लिये उत्तम बीज की आवश्यकता होती है अक्सर ये देखा गया है मान्यवर, ऐसा भी देखा गया है कि खेती के लिये बीज जो उपलब्ध सरकार द्वारा कराया जाता है वह न्यून क्वालिटी का होता है, उसमें जमाव कम होता है, मिश्रित क्वालिटी का होता है उससे पैदावार कम होती है। बीज के साथ-साथ रासायनिक खादों की आवश्यकता भी होता है। इस वर्ष रासायनिक खादों में पोटाश और फास्फोरस दोनों गायब रहे। इसकी नतीजा यह रहा कि डी०ए०पी ब्लैक में बिकती रही और बोआई के समय काश्तकारों को खाद उपलब्ध नहीं हो पायी। नकली खाद बनाने वालों की बन आयी और खूब नकली खाद बिकी। यह जो नकली खाद बाजार में आयी इसका नतीजा यह होगा कि गेहूं जब कटेगा तो पता चलेगा। इसको रोकने में सरकार अक्षम रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, भूमि में क्षरण होता है। भूमि सुधार बहुत आवश्यक है। जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वह कटकर बह जाती है। भूमि का समतलीकरण होना चाहिए जिस तरह से बैटरी रिचार्ज होती है उसी तरह से भूमि को पानी नहीं दिया गया तो वह डिस्चार्ज हो जायेगी।

गांव के अन्दर जो पानी बहता है वह छोटे-छोटे नालों से बड़े-बड़े नालों, नदियों और समुन्दर में बहकर चला जाता है। उसको रोकने के लिए बड़े-बड़े टैंक बनाकर रोकें। तभी पानी सुरक्षित रह पायेगा। मान्यवर, जो भी दल खेती किसान की बात करता है तो दूसरे दल वाले उसका विरोध करते हैं अगर खेती किसान के पास पैसा होगा तभी वह शहर को जायेगा अपनी चीजों को खरीदने के लिए। जब खेतिहर किसान सुखी होगा तभी शहर वह जायेगा। लेकिन यह सरकार किसानों के प्रति लापरवाह है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति उदासीन है उसने कोई कार्य नहीं किया है। मान्यवर, किसान की उपज का मूल्य निर्धारण करने, किसान जब मण्डी जाता है तो उसका दाम आढ़ती बताता है। चीज हमारी है और दाम आढ़ती तय करता है और फिर वही चीज मार्केट में जाती तब भी वहीं बताता है तो यह मान्यवर, यह व्यवस्था चली आ रही है इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जो माल हमारा है हमको दाम तथा बेचने का मौका मिलना चाहिए। मान्यवर, गन्ना, आलू, प्याज, तेल, अब तेल में पूरी तरह से लूट मची भटकटिया बताकर किस तरह से धमकाया गया। मान्यवर, भटकटिया आजकल कहीं उपलब्ध नहीं है। यह परती भूमि पर पैदा होता है और परती भूमि कहीं रह नहीं गई है। मान्यवर, अगर 250 ग्राम भटकटिया कोई तोड़ना भी चाहे तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसका पेड़ ऊंचा होता है और कंटीला होता है। इनको निकालना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन एक परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इससे फायदा उठाया गया है। मान्यवर, जब प्याज, आलू, लहसुन बेचा गया तब उसकी कीमत नहीं थी लेकिन जब भंडारन में चला गया तो कीमत आसमान छूने लगी। इसमें सुधार की आवश्यकता है कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुपात बहुत मामूली होना चाहिए। तो उत्पादन कर्त्ता लोग हैं उनको हक मिलना चाहिए अपने सामान बेंचने का। मान्यवर, हो क्या रहा है जिन लोगों ने कोई श्रम नहीं किया वह गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।

श्री छोटे लाल–

मान्यवर, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हमारे कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, इस वर्ष जो हमारे किसानों को बीज में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है वह सराहनीय कदम है। मान्यवर, सबसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सराहनीय कदम यह है कि नकली खाद नहीं बिकी कुछ परेशानी किसानों को जरूर हुई है लेकिन किसानों को असली खाद मिली है और इससे हर फसल अच्छी है । आलू की बम्पर फसल हुई । चना, मटर भारी मात्रा में पैदा हो रहा है और गेहूं कि इतनी अच्छी फसल हो रही है कि 10 साल का रिकार्ड हो सकता है कि टूट जाए । किसान असली खाद का फायदा उठा रहा है । मान्यवर, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मुफ्त बीज दिया गया आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है । बीच खाद उनको मुफ्त में न दिया गया होता तो किसान खेत नहीं बो पाता । जो जल प्लावित क्षेत्र है उसमें भी पानी निकासी का काम किया गया है । उसमें गेहूं बोया गया है । रकबा भी बढ़ गया है । ऊंची-नीची जमीन को समतल करने के लिए 90 प्रतिशत छूट पर स्प्रिंकलर यन्त्र उपलब्ध किया गया है । इसी के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू खां–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं चौधरी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । इस सरकार ने किसानों के प्रति एक विसंगति पूर्ण वातावरण बना रखा है । मान्यवर, एक तरफ तो यह उपज बढ़ाने की बात करते हैं और जब किसानों को बुवाई में डी०ए०पी० की आवश्यकता पड़ती है तो डी०ए०पी० गायब हो जाती है, जब टाप ड्रेसिंग के वक्त यूरिया की आवश्यकता पड़ती है तो यूरिया गायब हो जाती है, ऐसी स्थिति में किसानों की उपज कैसे बढ़ सकती है । यह सरकार यह व्यवस्था नहीं कर पायी कि जो भी किसानों की उपज होती है, उसका सही तरीके से विपणन कराया जाय । जो किसान जोतता है, बोता है, उपज पैदा करता है, जब वह अपनी फसल बेचने जाता है, तब सरकार का किसान को निर्देश होता है कि वह अपना गेहूं लेवी में तौलायें ।

जब किसान अपना गेहूं लेवी में तौलाता है तो वहां के लोग किसानों को ठगने का काम करते हैं और 50 रु०, 40 रु० किसान से कम रेट पर खरीद लेते हैं । इस सरकार को किसान को यह अधिकार देना चाहिए कि वह अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सके और तौला सके । आज किसान पूरी तरह से डिस्टर्ब है और वह अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी फसल उगाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी जी ने जो भी विचार रखे हैं वह बिल्कुल सही है । जो भी किसानों के लिये विपणन की व्यवस्था के सम्बन्ध में, खेती की व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है, वह उचित नहीं है, इसलिये मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री [illegible]–

[illegible] व्यक्त करता हूं । मैं कृषि बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । किसान की प्रगति वास्तव में देश की प्रगति है । यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वयं एक किसान हैं । इस प्रदेश में पिछले वर्ष अति भीषण बाढ़ आयी और इस बाढ़ के समय इस सरकार ने मुफ्त बीज वितरित किया, उसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, किसान जो दिन रात मेहनत करता है, चाहे वह तपती दुपहरी हो या जाड़े की रातों में खेतों में पानी लगाना हो "जाके पैर न फूटे विवाई, वह क्या जाने पीर पराई", ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि किसानों का सारा सोना खुले आकाश के नीचे पड़ा रहता है और पता नहीं कब दैवी आपदा आ जाय, बाढ़ आ जाय, कब किसी अन्य तरह का प्रकोप आ जाय, इसलिये भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना विचाराधीन है, इस योजना को शीघ्रतिशीघ्र चालू कर दिया जाय, यही उचित होगा । मान्यवर, कुछ विदेशी, भारत में इस तरह का बीज ला रहे हैं, जिसके बोने पर एक बार अधिक उपज होगी और अगर दूसरी बार दो दिया गया तो वह अंकुरित ही नहीं होगा, मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे बीजों के प्रयोग की अनुमति न दी जाये । शासन ने

मंडी शुल्क एक सूत्रीय किया है तथा दलहन के लिये विशेष योजना बनायी गयी है, और इसके लिये जो 1999-2000 में 10 करोड़ 97 लाख का प्राविधान किया गया है, उसके लिये मैं बाधाई देता हूं। मान्यवर, स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कृषक, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा महिला कृषकों को मूल्य का 90 प्रतिशत और अधिकतम 25000 रुपये और अन्य श्रेणियों के कृषकों को मूल्य का 70% और अधिकतम 25000 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत पाइप नाजिल एवं इसमें जो कपलर है, यह सभी आई०एस०आई० मार्क होते हैं, लेकिन यह आदेश कर दिया गया है कि प्रत्येक 20 सेट पर एक सेट का परीक्षण किया जायेगा। मान्यवर, जब आई०एस०आई० मार्क होने के कारण जब सभी का परीक्षण पहले कर लिया गया है, तो पुनः परीक्षण कराने की क्या आवश्यकता है। निर्माता को प्रत्येक 20 सेट पर 5100 रुपये की धनराशि देनी पड़ती है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और नये आदेश दिये गये हैं कि अगले वर्ष में उन्हीं निर्माताओं को मान्यता प्राप्त होगी, जो कि नाजिल का उत्पादन स्वयं करेंगे। यह आदेश वापस लेना चाहिए।

मान्यवर, इन बातों पर विचार करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था और इसको समझने की कोशिश कर रहा था, परन्तु पूरे बजट भाषण के दौरान एक घंटा 10 मिनट में माननीय मंत्री जी ने किसानों की हालत के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। मान्यवर, आज जो लोग खेती कर रहे हैं, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान की हालत क्या है, उनका जीवन स्तर क्या है, उनमें क्या परिवर्तन आया है और क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस दिशा में चिंतित नहीं हैं। अभी माननीय लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे थे, एक मनीषी का नाम लिया जिन्होंने किसानों के लिए चिन्तन किया उनका अपना तजुर्बा था, परन्तु मान्यवर, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस तरह की किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया है और न ही कोई आपकी योजना है, अगर कोई योजना है तो जब आप उत्तर दें तो बता दीजियेगा कि आप कृषि पर से दबाव किस प्रकार से कम करेंगे, लोगों को कृषि पर आधारित उद्योग धंधो पर लगाने की क्या व्यवस्था की है, यह आप बता दीजियेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के वही देश खुशहाल हैं, जो खेती पर कम आश्रित हैं, जहां पर दबाव कम होगा वहीं खुशहाल होंगे। लक्ष्मी नारायण जी को मालूम नहीं है कि जो खेती करता है, उसी के पास खेत नहीं है, और जो लोग खेती नहीं करते हैं वह किसान कहे जाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या 5 प्रतिशत है। जो 90 परसेन्ट लोग हैं उनके पास 10 परसेन्ट कृषि योग्य जमीन है वह किसान नहीं हैं, किसान तो आज वह लोग हैं जो अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं, जिनका खेत की मेंड पर जाने में ही धर्म नस्ट हो जाता है, वह आज किसान हैं। इस देश का 90 प्रतिशत किसान मजदूर है वह या तो अपने खेत पर मजदूरी करता है या दूसरे की खेत पर मजदूरी करके जी रहा है।

उत्तर प्रदेश के किसान की कोई चाहता नहीं है कि वह सम्पन्न हो। मजदूर का बेटा भी आज जो खेती में लगा हुआ है वह नहीं चाहता है कि कृषि मजदूर बनने के लिए उसे जाना पड़े। वह नहीं चाहता है कि उसका बेटा खेती करे इसके बारे में मंत्री जी को कुछ सोचना पड़ेगा। यह जो 90 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं उनके बारे में बहुजन समाज पार्टी की एक सोच है–खाद, बीज और पानी उनको दिया जाय। आप अगर कृषि उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके दाम बढ़ाने होंगे उसको इस योग्य बनाना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ेगा कि वह खेती में लगा रहे । पांच और 10 परसेन्ट जो लैण्डलार्ड हैं जो फ्यूडल हैं, उनको ज्यादा फायदा आज हो रहा है और जो कृषि मजदूरी करते हैं उनको खाद, पानी और बीज सस्ते दाम में देना होगा ताकि वह 90 परसेन्ट लोग खुशहाल बन सकें जो आज कृषि मजदूर के नाम से जाने जाते हैं उनके खून पसीने के बारे में सोचना पड़ेगा उनके श्रम को महंगा करना होगा तभी वह लाभान्वित होंगे जब उनका पसीना महंगा होगा तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा । ऐसे लोग जो अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं उनको इससे नुकसान होगा । जब तक यह चिन्तन आप नहीं करेंगे, खेतिहर मजदूर को लाभ नहीं होगा । जब उनको नुकसान होगा तो वह भी इस देश के उत्पादन से पीछे हटेंगे और कृषि मजदूर जब लाभान्वित होगा तो वह आगे आयेगा इससे उत्पादन बढ़ेगा । आज ऐसे व्यक्ति द्वारा बजट रखा जा रहा है जो इन 90 प्रतिशत किसानों की गिनती में नहीं आता है वह उन 10 प्रतिशत किसानों की श्रेणी में आते हैं जो कभी भी खेत पर काम नहीं करते । आज जो एक बात आपने नीलगायों के बारे में कही वह नीलगाय नहीं वनरोज हैं । यह कृषि विभाग को सोचना होगा कि किसानों की बेहतरी के लिए इन वनरोजों से किसानों को मुक्ति दिलायी जाये । जब इनसे किसानों को मुक्ति मिल जायेगी तो उत्तर प्रदेश के कृषि में गुणात्मक परिवर्तन होगा । किसानों की माली हालत जो खराब हो रही है उसमें सुधार होगा । आज किसान को बीज नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है । मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एफ०सी०आई० से गेहूं लेकर बीज वितरित करायेंगे । तो एफ०सी०आई० मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नई संस्था बीज वितरण करने वाली बनी है जो कि सर्टीफाइड बीज़ बांटती हो । यह फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया खाने के लिए गेहूं इक्ट्ठा करती है । खाने वाले गेहूं को यह आज बीज के लिए किसानों में बांट रहे हैं तो इस प्रकार बीज प्रभावित क्षेत्रों में बीज के रूप में खाने वाले गेहूं का वितरण का काम इस सरकार ने किया है तो इससे उपज कैसे बढ़ेगी ?

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने आर्गेनिक खाद के मामले में चिन्ता व्यक्त की है । चिन्ता से काम नहीं बनेगा उसको मूर्त रूप देना होगा । जो प्राकृतिक खादें हैं कम्पोस्ट खाद, गोबर की खाद उनमें जो सूक्ष्म तत्व हैं वह आप बाहर से मिनरल के रूप में डालकर पूरा नहीं कर सकते । इसलिए इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति कोई स्पष्ट योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी । किसानों को प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ेगी । मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रसताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं । मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अच्छा बजट बनाया । कृषि खाद्यान्न उत्पादन में हमारा प्रदेश काफी अग्रणी है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे कृषि डिप्लोमाधारियों को जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं, को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बनाये हैं इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए । व्यापार कर जो कि कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है, से छूट की व्यवस्था करनी जरूरी है जिससे कि किसान अच्छी तरह से अपनी फसल उत्पादन कर सके । मण्डी शुल्क जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा मुफ्त कर दिया गया है उस पर मैं उनको बधाई देती हूं । किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना को प्रभावी तौर से लागू किया जाना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दे रही हूं कि खाद आपूर्ति हेतु योजना सुनिश्चित की जानी चाहिए । खाद में मिलावट करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए । उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् में किसानों का जो धन जमा है उस जमा धन से मण्डियां बनानी चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ हो सके । गांवों में सड़क, खड़ण्जा, पेयजल आदि की व्यवस्था पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए । बरेली में कृषि मण्डी है जो बहुत बड़े पैमाने पर लगती है इस मण्डी के लिए मैंने सड़कों

बनवाने हेतु प्रस्ताव मंत्री जी के पास भेजा था परन्तु आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। बरेली में देवचरा स्थान पर जो मण्डी लगती है उसे मण्डी का दर्जा दिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, फाइल भी चल रही है। उस पर तत्काल निर्णय किया जाना चाहिए। दूसरे कि किसान बिचौलियों से बच सके। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री राम प्यारे सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी हमारे चौधरी साहब कह रहे थे। कई बार उनके मुंह से पानी-पानी आवाज निकली। जब कभी कोई व्यक्ति पानी की बात करता है और पास कोई संवेदनशील व्यक्ति होता है तो यह जरूर सोचता हैं कि उसे पानी दे दिया जाये। पानी उनको सामने बैठे लोग कहां से देंगे क्योंकि इनसे खुद ही पानी नहीं है। मैं इसी के साथ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित था. किसानों के मन में एक बड़ी खुशी हुई जब तमाम अखबारों के माध्यम से यह जानकारी हुई कि इस वर्ष हमको बोने के लिए मुफ्त बीज मिलेगी उनको जब इस बात की अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई कि हमको मुफ्त खाद मिलेगी तो ऐसी स्थिति में खाद तो उ० प्र० सरकार द्वारा नहीं दी गयी और जैसा बीज के सम्बन्ध में हमारे कुंवर साहब ने जो कृषि मंत्री हैं, अपनी बात बतायी। जब कृषि मंत्री जवाब देने उठेंगे उस समय हम चाहेंगे कि जवाब दें कि किसानों की बुवाई के समय बीज देने का काम क्यों नहीं किया गया। किसान बोने का बीज अलग रखता है और खाने का गेहूं अपना अलग रखता है। उस गेहूं को उठाकर जो कन्ट्रोल की दुकानों पर बांटा जाता है, किसानों को बोने के लिए दिया गया। एक तो बुवाई का समय नहीं था और दूसरे षड्यन्त्र इस तरह का रचा गया। जब इन गरीब किसानों के पास गेहूं पहुंचा तो बोने का समय तो नहीं था गरीब किसान के पास पहुंचा तो सरकार में बैठे हुए लोग के दलाल इस बात को कहते रहे कि बोने का समय तो है नहीं, बोने के बीज मे जहर मिला हुआ होता है, खाने से सेहत खराब होगी और उसको कूड़े के भाव खरीद लिया गया इस तरह से लोग किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी जताते थे। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इस प्रदेश के, किसान को कैसे खुशहाल किया जाये, लेकिन किसानों की खुशहाली का कहीं कोई उपाय नहीं किया जाता। आप अगर जिप्स और माइराइट इन दो को ले लें तो मेरा खुद का यह अनुभव है कि पाइराइट बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक है और उसरीली जमीन, ऊसर को हटाने के लिए और किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए है। पता नहीं किन परिस्थितियों में जिप्स का प्रयोग किया जाने लगा जबकि यहां यह देखा गया कि धान की फसलों में रोपाई के समय या बोने के पहले यदि थोड़ा सा पाइराइट डाल देते हैं तो धान का रंग शुरू से हरा रहता है। लेकिन उसको खत्म कर दिया गया और आज जो जमीनों की हालत है, जिस प्रकार जमीनों ने लगातार रसायनिक उर्वरक के कारण पैदावार का देना शुरू कर दिया है उससे भविष्य में किसानों का फिर क्या होगा ? कृषि मंत्री जी ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। आपने अखबारों में देखा होगा कि तमाम बयान निकले। बाहर से खाद आ जाती है तो 20–25 प्रतिशत खाद की कमी पड़ती है लेकिन यह कहा गया कि खाद पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि शायद वे हंसी के पात्र अपने आप में स्वयं बन रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसी साथी ने जिक्र किया सुनने में आ रहा है कि किसान को ऐसा बीज देने की व्यवस्था पेटेन्ट कानून में लागू करने जा रहे हैं जिससे यदि उस बीज की बुवाई एक वर्ष हो गयी तो दूसरे वर्ष उसकी बुवाई नहीं की जा सकती। आज प्रदेश का किसान इस लायक नहीं है कि वह बार-बार बीज खरीद सके। अगर इस तरह की व्यवस्था करायी गयी तो आधे किसान खेती छोड़कर घर बैठ जायेंगे। मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए कृषि मंत्री इस बात पर तुले हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खेती छोड़कर घर बैठ जाये।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में हाट पैठ के लिये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक बाजार है, आजमगढ़ में सगड़ी तहसील में एक कोखभार बाजार है उसको हाटपैठ बनाने के लिये प्रस्ताव गया है लेकिन वह बाजार बनाया नहीं जा रहा है। बार-बार आप संकेत कर रहे हैं, कि मैं समाप्त करूं इसलिये मैं माननीय चौधरी साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बातों पर बल देता हूं।

* श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज कृषि विभाग के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, पूर्वान्चल के जनपद से मैं आता हूं। हमारे जनपद के लोग पूर्णतः कृषि पर आधारित हैं। वहां पर व्यापार के नाम पर या सर्विस के नाम पर कुछ नहीं है जीरो है। बल्कि जीविका का एकमात्र जरिया खेती है जिससे वहां का किसान जीविकोपार्जन करता है। सभी पार्टियां जब चुनाव होते हैं तो अपने क्षेत्र में जाती हैं और अपना-अपना चुनाव मैनीफैस्टो जारी करती हैं और कहती हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की सरकार होगी। यह दावा सभी पार्टियां करती हैं और सत्ता में आने के बाद यह बातें सभी पार्टियां भूल जाती हैं।

किसानों की बात केवल करने के लिये की जाती है किसान के लिये कुछ किया नहीं जाता है। आज प्रदेश की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में इस प्रदेश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और यह एक चिंता का विषय है। माननीय कृषि मंत्री जी ने सुनियोजित तरीके से योजनायें बनायी हैं। प्रदेश के हर जनपद में एक विकास खण्ड को आदर्श विकासखण्ड का नाम दिया गया है और उस विकास खण्ड पर उत्पादन बढ़ाया जायगा। अगर किसी विकास खण्ड का उत्पादन बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा। मान्यवर, नीलगायों की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है। हम भी चिंतित हैं, नीलगायों से किसान दुखी है। नीलगायों से उनकी फसल प्रभावित होती है। मान्यवर, हमारी सरकार ने व्यवस्था बनायी है कि जो 12 वर्ष से एग्रीकल्चर डिप्लोमाधारी जिनकी संख्या 2295 हैं वह बेरोजगार थे और सड़क पर घूम रहे थे उनके लिये इस सरकार ने ध्यान दिया है। इसके पहले कई सरकारें आयीं लेकिन किसी ने उनकी परवाह नहीं की। वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री जी ने एक व्यवस्था बनाई और कृषि प्रसार संगठन में उनको पद पर स्थापित करने का काम किया। मान्यवर, समिति सड़कों का निर्माण करती है। विगत वर्षों में जो सड़कें बनायी गयी हैं उनके रख-रखाव की व्यवस्था मंडी समितियां नहीं करती थीं न उन सड़कों को कोई विभाग लेता था। 4 सालों में सड़कें टूट जाती थीं लेकिन वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री जी ने व्यवस्था बनायी है जिसको कार्यरूप में लायेंगे और उनका रख-रखाव मंडी समिति करेगी।इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि एक सड़क बसवार 2 किलोमीटर 1993-94 में स्वीकृत हुयी थी। एक ओर गिट्टी पड़ गयी है जैसा कि आपकी व्यवस्था है, उस मण्डी समिति के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क, मण्डी समिति अगर लाभ में है तो उसी का पैसा उस क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्य में लगाया जाता है। परतावल मण्डी समिति हर साल अच्छी प्राफिट देती है और 1993-94 से हमारी मण्डी समिति के धन का खर्च कहां होता है। कहीं भी एक किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 50 प्रतिशत काम हुआ है उसको पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री से सिर्फ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब दोबारा भाषण करें तो जवाब दे दें माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो मण्डी समितियां हैं जिनमें सड़कें अधूरी रह गयी हैं, वह मण्डी समितियां जो प्राफिट में हैं उनको पूरा करायेंगी और जो मण्डी समिति लाभ में नहीं हैं वह सड़कें वैसी ही रह जायेंगी। माननीय मंत्री जी, जहां 70-80 फीसदी काम हो चुका है और अगर वह मण्डी समितियां लाभ में नहीं हैं, उनकी सड़कें अगर अधूरी रह जायेंगी तो जो पैसा उनमें लग चुका है वह व्यर्थ हो जायेगा। उसमें आपके डिपार्टमेंट का पैसा लगा हुआ है, इस प्रदेश का पैसा लगा है इसलिये उसे पूरा करवाना चाहिए चाहे लाभ में हो या न हों। अगर यह ऐसी रह गयी तो सालों ऐसी रह जायेंगी। क्योंकि कुछ मण्डी समितियों का चयन गलत किया गया जो कि कभी लाभ में आयेंगी ही नहीं।

मान्यवर, ग्रीन बेल्ट खत्म होते जा रहे हैं। इसका आपके विभाग से ताल्लुक है। पहले ए०पी०सी० का कार्य हुआ करता था कि वह बैठ करके सारे विभागों से मिलकर, रेवेन्यु बोर्ड या और डिपार्टमेंट से बात करें कि जो उपजाऊ जमीन हो, फसल होती हो वह खत्म न हो। पता नहीं वह पद खत्म कर दिया या इसे बेकार कर दिया। जहां उद्योग लगना चाहिए वह ऐसी जगह लायें जहां उपजाऊ जमीन को खराब न किया जाये। पहले एक सर्टीफिकेट इसके लिये लिया जाता था। अब यह बहुत आसानी से मिलने लगा। आपने ग्रीन बेल्ट के अन्दर भट्ठे बहुत आसानी से लग रहे हैं। जिस जमीन में भट्ठे चलते हैं उनमें 6 साल तक कुछ नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं से इसमें कमी आनी चाहिए, आप कोई नियम बनाये या कोई अन्य उपाय करें नहीं तो यह ग्रीन बेल्ट खत्म हो जायेंगे तो फिर एग्रीकल्चर का बजट कैसे आ पायेगा ? समर्थन मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। जब कोई उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाये या खराब हो जाये तो उसका असर न पड़े। आलू या गेहूं का आप ले लें। इसका समर्थन मूल्य इतना जरूर होना चाहिए कि किसान की लागत उसके खर्च के बाद कुछ उसे मुनाफा मिल सके। उसी हिसाब से समर्थन मूल्य होना चाहिए। आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 5.50 पैसे घोषित किया। इतने में किसान का औसत नहीं आयेगा। अभी आप बिजली का रेट भी बढ़ाने जा रहे हैं।

भूमि सुधार की बात आयी। भूमि सुधार का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है आप कभी दिल्ली से सुबह के वक्त शताब्दी या किसी अन्य गाड़ी से चलें तो खुर्जा से लेकर अलीगढ़ तक जो सालों से पड़ी हुई थी ऊसर थी उसमें कोई फसल नहीं होती थी। एटा से अलीगढ़ और एटा से जब आप शिकोहाबाद आएं इस तरह की तमाम जमीन पड़ी है। अगर भूमि सुधार कार्यक्रम वहां चलायें तो वहां फसल हो सकती है। इस प्रकार बरसात में वाटर लाजिंग हो जाती है वहां पर पम्प से पानी निकलवाने की व्यवस्था की जाए तो किसानों को अपनी फसल बोने का अवसर मिल सके। इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं मंत्री जी उनका उत्तर भाषण में उत्तर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी मंत्री जी ने कृषि विभाग पर जो बताया है बहुत डींग मारी है कि कृषि विभाग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। किसानों को राहत दी जा रही है। या दुख जाने दुखिया या दुखिया की मांय। इस साल बाढ़ से 42 जिले प्रभावित हुए और मंत्री जी ने वहां पर फ्री बीज बांटने की बात कही पहले से भी यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वहां पर फ्री बीज बांटे जायेंगे। लेकिन प्रदेश में हजारों गांव आज भी ऐसे हैं जहां फ्री बीज नहीं बंटा है और जहां बीज बंटा और जिसने उस बीज को बो दिया उसका उत्पादन घट गया। अंकुर तक नहीं जमा। कृषकों की जो

जमीन जल प्लावित हो गयी थी उसका पानी निकलवाने की कोई व्यवस्था मंत्री जी ने नहीं की है । यह कृषकों के साथ हमदर्दी जता रहें हैं लेकिन बीज, खाद की व्यवस्था समय पर नहीं हुई है । जिस समय खाद मिलना चाहिए था उस समय दुकानों, गोदामों, सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं थी । इसके अलावा जब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होगी उत्पादन नहीं बढ़ेगा । टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। उत्पादन कैसे बढ़ जाता है इसलिए इस वर्ष जितनी कृषकों को परेशानी हुई उतनी कभी नहीं हुई । इतना विश्वासघात कृषकों के साथ कभी नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से 510 रुपये प्रति कुंटल खरीदने के लिये कृषि उत्पादन मंडी समितियों ने क्रय केन्द्र की स्थापना कर दी और जगह-जगह कांटे लगाये गये लेकिन वहां पर महाजनों ने कास्तकारों से व्यापारियों ने ही 450 रुपये में गेहूं खरीदकर 510 रुपये में बेचते रहे । किसान ने सीधे केन्द्रों पर गेहूं नहीं बेच पाता । जितने आपने सेंटर खोलने की बात की थी उसमें से आधे सेंटर नहीं खोले गये । कृषि के मूल्य पर किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है । जहां पर मण्डियां स्थापित हैं वहां पर किसानों को पानी की व्यवस्था नहीं है । वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं । न वहां पर पीने का पानी है, न पशुओं के लिये चारा है और न किसानो के बैठने के लिये जगह है । लाखों रुपये मण्डी शुल्क का उ० प्र० मण्डी परिषद् का पड़ा हुआ है परन्तु पूरे प्रदेश में कहीं पर भी मण्डी समितियों में सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं । यह सरकार किसान के हित की बात करती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि "ऐ डींग मारने वाले नेताओं अभिमान तुम्हारा टूटेगा, यदि ज्यादा प्रजा सताओगे, तो चक्र सुदर्शन छूटेगा ।" इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था "जय जवान जय किसान" । जब जवान मजबूत होता है तो देश शक्तिशाली होता है और जब किसान मजबूत होता है तो प्रदेश और देश समृद्धिशाली होता है । जवान देश की रक्षा करता है और किसान उत्पादन करके लोगों का पेट भरता है । प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए भारत में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और हमारी आर्थिक स्थिति कृषि पर आधारित है । 1998-99 में जिस प्रकार की बाढ़ आयी थी, उसके बावजूद भी खरीद का उत्पादन 142.35 लाख टन हुआ जो वास्तव में एक सराहनीय कदम है । रबी की फसल हेतु भी, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी, बाढ़ग्रस्त इलाकों में लघु किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नही होने दी गयी । इसी प्रकार उर्वरकों की शुद्धता की व्यवस्था भी की गयी । प्रत्येक गांव में एक शिक्षित किसान को किसान मित्र के रूप में तैनात किया गया ।

कृषि प्रसार व्यवस्था को दुरुस्त करने की दृष्टि से 2295 कृषि डिप्लोमाधारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया जो कि पिछले 12 वर्षों में कोई भी सरकार इस काम को नहीं कर पायी थी । 1999–2000 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 485.30 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 20.00 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है कृषि विकास दर को तीव्र गति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग से भूमि तथा जल संरक्षण का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इन योजनाओं के माध्यम से लघु और सीमान्त कृषक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है यह भी एक सराहनीय कदम है । मान्यवर, सरकार का उद्देश्य है कि कृषि विकास दर में वृद्धि तथा फसलों के प्रति हेक्टेयर में उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों को नये रोजगार के अवसर में वृद्धि की जा सके और साथ ही कृषि यंत्र तथा कृषि रक्षा उपकरण व कृषि ऋण की आपूर्ति भी सुनिश्चित करायी जा सके । अनउपजाऊ ऊसर-बंजर भूमि को उपचारिता करके उपजाऊ बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है । बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तत्काल बीज बांटकर किसानों

को बीज उपलब्ध कराया है । कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं उनकी तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । हमारे मुरादाबाद में मंडी समिति है लेकिन मंडी समिति होने के बावजूद भी कुछ जो दूसरी प्राइवेट मंडी समितियां बनी हुई हैं उनके कारण मण्डी समिति की आय में थोड़ी बाधा पड़ रही है । मेरा सुझाव है कि उन प्राइवेट मण्डी समितियों को बन्द करवायें और किसानों की जितनी भी सामग्री है किसानों को मण्डी समिति में दिलवायी जाय । इसके अलावा कहना चाहता हूं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है । मेरी प्रार्थना है कि यदि उनमें धन है तो वहां सड़कों का निर्माण किसानों के लिए करने का पूरा प्रयास किया जाय । भूमि संरक्षण विभाग के बारे में कहना है कि उस पर नियंत्रण रखा जाय जिससे कि यह विभाग कोई गलत कार्य क्षेत्रों में न करे, सही प्रकार से कार्य करे । मुरादाबाद में कृषि प्रदर्शनों.....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, कृषि प्रदर्शनी में कृषकों को लाभ की कोई चीज न दिखाकर इन्टरटेनमेंट यानि की दूसरे साधन जैसे शाम के टाइम में नाच गाने का कार्यक्रम होता है जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता । इसके साथ-साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के बारे में भी मंत्री जी विचार करें । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कटौती का प्रस्ताव जो चौधरी साहब ने रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं कि हमने बीज दिया, खाद दी । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र आजमगढ़ में गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित था । हर साल वहां बाढ़ आती है । कहा गया मुफ्त बीज दिया गया खाद दी गयी लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारी की सारी फसलें बो दी गयीं उसके बाद कहीं जाकर बीज पहुंचा है वह भी किसी को मिला है और किसी को नहीं मिला है । खुद किसान ने कहीं से लेकर बोने का काम किया और उस खाद में इतनी मिलावट है । मिलावट करने वालों को पकड़ने के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बड़ी विडम्बना है कि जो किसान सबके खाने के लिए अन्न पैदा करता है, सबको रोटी देता है, उस किसान को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है । जो व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगाता है कोई चीज बनाता है तो उसको अपनी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अवसर मिलता है वह खुद उसका मूल्य लगाता है किसान अनाज पैदा करता है लेकिन उसको मूल्य निर्धारित करने का अवसर नहीं उसके लिए सरकार में बैठे लोग सरकारी कर्मचारी उसका दाम लगाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी नीति बनायें तो इस बात को ध्यान में रखकर कि किसानों को भी उसमें शामिल करें उसको लागत मूल्य मिलना चाहिए ।

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक सिंचाई नहीं होगी फसल नहीं हो सकती । हमारे क्षेत्र में नहरें नहीं हैं जो हैं भी उनमें टेल तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है और किसानों से लगान वसूल करने आपके अमीन और कर्मचारी पहुंच जाते हैं । ट्यूबवेल आप खत्म करने जा रहे हैं । हमारे यहां सिंचाई का सबसे बड़ा साधन ट्यूबवेल है । आप इन्हें समाप्त करने जा रहे हैं । मैं तो कहना चाहता

हूं कि यदि आप उत्पाद बढ़ाना चाहते हैं किसानों की उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो ट्यूबवेल बढ़ाने होंगे और इसके साथ ही साथ लाइट की व्यवस्था करनी होगी । अभी दो एक-दो घण्टे लाइट मिलती है । बिजली की जो आंख मिचौली होती है उसको दूर करना होगा । लाइट यदि मिले तो किसानों को सिंचाई का अवसर मिलेगा और उसकी उपज बढ़ेगी । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बनरोज जिसको आप नीलगाय कहते हैं उनकी वजह से जिस तरह की तबाही हो रही है । हर जगह किसान तबाह हैं उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए कोई व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री वसीम अहमद–

सुधार व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था करने का काम करायें । दैवी आपदाओं के बारे में आपने कहा कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चक्रवात आया मेरा गोपालपुर क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित था । लेकिन उसको मुआवजा नहीं दिया गया जबकि बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही गयी, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे देते तो मैं कुछ और सुझाव दे देता, लेकिन अब मैं चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, आने मुझे कृषि के बजट पर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । भारत एक कृषि प्रधान देश है । किसान देश की रीढ़ की हड्डी है लेकिन मुझे संकोच नहीं है जबसे यह सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के किसान विशेष रूप से त्रस्त हैं उनकी इस तरह की स्थिति है जैसे द्रोपदी को बीच बाजार में खड़ा करके तमाम लोग लूट रहे हों, उसी तरह से हर विभाग लूट रहा है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र पूरनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां जो उद्योग धन्धे हैं वह कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे हैं वहां किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । बिजली विभाग के लोग ट्रान्सफार्मर और विद्युत कनेक्शन के लिए जाते हैं तो किसानों से वहां के इंजीनियर पैसा लूटते हैं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इस बजट में छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है । बाढ़ पीड़ित लोगों को गेहूं बांटा गया लेकिन मेरे क्षेत्र पूरनपुर में कोई गेहूं नहीं बंटा है । हर वर्ष बाढ़ किसानों की हजारों एकड़ फसल ले जाती है, लेकिन किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया । इस सरकार में किसानों पर जुल्म हो रहा है । उसको बन्द किया जा रहा है उन किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए उनको छूट मिलनी चाहिए, उनको अनुदान मिलना चाहिए । यह सबको मालूम है जब बुआई का समय आया तो डी०ए०पी० खाद गायब हो गयी । मण्डी परिषद् पूरनपुर किसानों की मदद के बजाय उनका शोषण कर रही है । किसानों को लूटा जा रहा है । मंत्री जी नोट कर लें मण्डी की आय पिछले वर्षों के मुकाबले आज तक 20 लाख रुपया घाटा है । पूरनपुर के दो मण्डी निरीक्षक मण्डी के पैसे से, मण्डी की आय से नम्बर दो का काम कराते हैं । नम्बर दो के ट्रक पैसा लेकर छोड़ते हैं । मण्डी समिति में किसानों को कोई सुविधा नहीं है । फर्जी बिल, फर्जी वाउचर होते हैं । मण्डी समितियां लाखों रुपये का घोटाला करती हैं, किसानों को कोई मदद नहीं है, बल्कि उन लोगों से वसूली की जा रही है उनका कर्जा माफ होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

गेहूं खरीद का सीजन आ रहा है पूरनपुर पूरे प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम है । परन्तु गेहूं भण्डारण व खरीद का कोई इन्तजाम नहीं है । आप जाकर देख लें पूरनपुर में अभी भी हजारों बोरी गेहूं पिछले साल का पड़ा सड़ रहा है । एफ०सी०ए० के अधिकारी उसको चोरी करके बेच रहे हैं । किसान की गाढ़ी खून पसीने की कमाई गेहूं अधिकारी सेन्टर पर लूटते हैं और अब भण्डारण से सड़ाकर लूट रहे हैं । किसानों का गेहूं लूट लिया जायेगा तो कैसे होगा किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए । गेहूं रेलवे द्वारा एफ०सी०ए० से उठवाया जाए वरना वह अधिकारी सब गेहूं खा जायेंगे तो बड़ा गोलमाल हो जायेगा यदि प्रदेश को सुखी बनाना चाहते हैं तो किसानों को उचित मूल्य दिलायें कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करें । मण्डी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करायें । मान्यवर, हजारों एकड़ जमीन मेरे क्षेत्र में ऐसी है जहां फर्जी बैनामे कराकर लोगों ने फार्म बना रखे हैं । उन फार्मों को निकाला जाय और उन्हें गरीब तथा भूमिहीन मजदूरों को दिया जाय । मान्यवर, हमारे पूरनपुर में सड़कें अधूरी पड़ी हैं । हमारे क्षेत्र देवीपुर, धामंगपुर, तकिया में सड़कें अधूरी पड़ी हैं । 40 लाख रुपया पिछले साल था । डिप्टी डायरेक्टर कन्स्ट्रक्शन जो है वह अपना तबादला कराना चाहता है इसलिए दो साल से वहां पर काम नहीं हो रहा है । सड़कें अधूरी पड़ी हैं और पैसा भी मौजूद है जबकि सरकार ने घोषणा किया था जहां पर पैसा है वहां पर खर्च किया जायेगा लेकिन नहीं खर्च किया जा रहा है । मान्यवर, अन्त में मैं भूमि संरक्षण विभाग के बारे में कह दूं । वह फर्जी काम कर रहा है । नालों का खदान नहीं हो रहा है और.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि विधायक उसका स्थल निरीक्षण करें तभी पैसों का भुगतान किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जिसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसने सकुशल बजट प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश के इतिहास में आमूल-चूल परिवर्तन किया है । जो 1999-2000 में जो सुविधायें दी हैं वह महत्वपूर्ण हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने लघु और सीमान्त कृषकों को सौ प्रतिशत अनुदान मृदा सुधारक पर प्रति हेक्टेयर 6 हजार रुपया दिया है । डा० अम्बेडकर ऊसर सुधार की योजना जिसका पूर्व का नाम पंडित दीन दयाल भूमि विकास योजना था, भूमि सुधार के गठन की योजना का प्राविधान किया है इसके लिए यह बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के 37 जिलों का चयन किया गया है उसके उत्थान के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए जो कारगर कदम उठायेंगे वह बधाई के पात्र हैं । श्रीमन्, कृषकों को ब तथा स श्रेणी ऊसर भूमि पर एक हजार से दो हजार रुपया प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अधीन नाबार्ड से पूर्व पोषित बीहड़ सुधार की योजना को लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत 38430 हेक्टेयर क्षेत्र को ठीक किया जायेगा । इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, वर्ष 1999-2000 के लिए राइजोबिलम कल्चर योजना के अन्तर्गत 8 लाख कल्चर पैकेट तैयार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, कृषि अनुसन्धान परिषद् के माध्यम से कृषि विभाग तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य विभाग समन्वय का काम करेंगे । उत्तर प्रदेश को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जायेंगे इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर को चन्द्रशेखर पशु चिकित्सालय प्रोद्योगिक महाविद्यालय मथुरा से अलग किया जाय तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय का नाम स्थापित किया जाय । इसके लिए आई०ए०एस० अधिकारी के नेतृत्व में एक दल मद्रास भ्रमण पर गया था सर्वे करने के लिए । उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है । वहां पर बिल्डिंग मौजूद है, पर्याप्त क्षेत्र मौजूद है अतः वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी है उनका नियमितीकरण करने के लिए कारगर कदम उठायें । डीन की आख्या आ चुकी है । परन्तु उप कुलपति की हठधर्मिता के कारण उन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है । उस आख्या के आधार पर उन कर्मचारियों को नियमित करने का प्राविधान करें । जो हमारे यहां मथुरा में माधुरी कुन्ड कृषि फार्म है वह बहुत विशाल आकार में फैला हुआ है उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा कुकृत्य किये जा रहे हैं उनकी देखभाल कराने का कष्ट करें । मान्यवर, यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा उत्पादन तो किया नहीं जाता है बाजार से सामान खरीदा जाता है प्रतिशत अपना उनके द्वारा वसूला जाता है जिससे किसानों का शोषण होता है । जो उत्पादनकर्ता है वह उसकी ही बिक्री करें । यह सुझाव मेरा है । जहां किसान जल प्लावन और बाढ़ से प्रभावित हो वहां किसान पुत्र छात्रों के लिए अध्ययन निःशुल्क हो उन्हें सुविधा हो ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मण्डी समिति में जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं जहां गिट्टी पड़ चुकी है, उसमें कुछ और धन मिल जाये तो काम पूरा हो जायेगा और आवागमन की सुविधा किसानों को मिल सकेगी । जो निर्माण विभाग द्वारा आपके घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है उसके मामले आये हैं उसमें कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये । इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, निःसन्देह कृषि विभाग इस देश/प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । माननीय उद्यान मंत्री ने चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी साहब का नाम लिया और उनका एक वाक्य कोट किया–इस देश/प्रदेश का विकास खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है–यह मान्यवर, सत्य भी है । चौधरी साहब ने तत्काल जनसंघ और किसानों के बारे में क्या कहा था उसको देखने का कष्ट करें । मान्यवर, मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है उससे अलग करके, वे अपने को नहीं रोक सके और इस बजट को देखकर उनसे रहा नहीं गया उन्होंने तमाम सुझाव दे डाले । आपने कहा कि कृषि का विकास करना चाहते हैं । यह जो साहित्य दिया गया है 1998-99 का पुनरीक्षित बजट है 703 करोड़ 78 लाख रुपये, 1999-2000 का बजट 624 करोड़ 66 लाख रुपये हो गया । बीज के ऊपर 98-99 का पुनरीक्षित बजट 11 करोड़ 43 लाख हो गया था । इस वर्ष केवल 42 करोड़ हो गया खेती की पैदावार पर 18 करोड़ 60 लाख रु० तथा अबकी मात्र 47 लाख रु० हो गया । मण्डी परिषद् में 94-95 में चयन बाण्ड द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य हुआ, उसको अब निरस्त करें टेण्डर काल करने का काम किया जा रहा है । पुनः टेण्डर की प्रक्रिया आप जानते हैं । इन टेण्डरों में कौन लोग शरीक होंगे, यह भी जानते हैं । इंजीनियर को कितना कमीशन जायेगा, मुख्य अभियन्ता तक कितना कमीशन जायेगा और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 94-95 की ठेकेदार की मजबूरी थी कि वह उस दर पर काम पूरा कराता, लेकिन अब जहां ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंजीनियर और कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस तरह यह एक अघोषित भ्रष्टाचार है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1994-95 में जिस दर पर काम हो रहा था, क्या नये टेन्डर में उसी दर पर काम होगा यदि लागत बढ़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर थोपी जायेगी ।

मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मान्यवर, आज रासायनिक उर्वरकों की बड़ी चर्चा होती है । निश्चित तौर पर रासायनिक उर्वरक धीरे-धीरे हमारी उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रहे हैं लेकिन यह सरकार अच्छे बीज और अच्छी खाद उपलब्ध नहीं करा पाई, इसके बावजूद भी निश्चित तौर पर इस दिशा में सजग रहने की जरूरत है । इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, ग्रीन मैनुवल यानि हरी खाद को बढ़ावा दिया जाय, लेकिन इसके लिये इस सरकार ने सनई के बीज की क्या कोई व्यवस्था की, क्या इस सरकार को किसान की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिये । यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 2-4-10 सालों में कृषि की उपज एकदम घट जायेगी । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो जिन बिन्दुओं की ओर मैंने इशारा किया है, उनका उल्लेख अवश्य करें, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

* श्री मोती लाल पैलवी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । कहा जाता है, "उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान" मान्यवर, उत्तम खेती जो कहा गया है, अब उत्तम चाकरी हो गया है, उत्तम खेती नहीं है । इस सरकार की दुर्नीति के कारण आज खेती की बड़ी दुर्दशा है । हमारे माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने किसानों के गन्ने का भाव एकदम बढ़ाया था, जिससे किसानों में एक नई आशा की किरण जगी थी और उस समय हमारा किसान पूरे महादेय से खेती में जुट गया था और खेती की उपज बढ़ने लगी थी और खेती में सुधार हुआ था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान मुख्य प्रदेश है, जिसकी सरकार आज किसानों की सख्त दुश्मन बैठी हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि किसान की उपज का उचित मूल्य उसी प्रकार मिले, जिस प्रकार फैक्टरी के उत्पादन का भाव तय किया जाता है, इससे किसान खुशहाल होगा और जब किसान खुशहाल होगा, तभी देश की खुशहाली आयेगी । देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है । इस बार भीषण बाढ़ आई और हमारी लखीमपुर जनपद में शारदा नदी से लाखों एकड़ भूमि बरबाद हो गई वहां मुफ्त बीज देने का वायदा किया गया था लेकिन ऐसा सड़ा-गला बीज उपलब्ध कराया गया, जिसकी वजह से उपज अच्छी नहीं हुई । हमारी भीरा पलिया मंडी में भीरा की सड़क नहीं बनाई गई है, इसी प्रकार बेहजम ब्लाक में फ्री बोरिंग नहीं हुई है, इससे वहां का किसान बेकार रह जाता है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन कामों को पूरा कराया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी हमारी विपक्ष के भाई हमारी सरकार को कोस रहे थे, और पिछली सरकारों के गुणों का बखान कर रहे थे। इन लोगों से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कविता से करना चाहता हूं :–

अब तक बताओ कोई अच्छा काम किया है,
किसानों दलितों को गुमराह कर नीलाम किया है,
कभी अम्बेडकर के नाम पर भर ली तिजोरी को
उनके नाम के बदले उन्हें बदनाम किया है।
कभी किसी से किया झूठा वायदा नहीं,
आप सबकी निगाहों में हुआ फायदा नहीं
सुविधा भी ले रहे और उसी को नकारते
अच्छे भले मानस का कोई फायदा नहीं।
एक ओर तो प्रदेश का विकास चाहते
जनता में जमाना खुद का विश्वास चाहते
करके बजट कटौती, शर्म आती क्यों, नहीं
एक रुपया करके यू०पी० का सत्यानाश चाहते
ऊसर सुधार करके हमने जायदाद बढ़ाया
हमने प्रदेश में है चार चांद लगाया
बाढ़ और सूखाग्रस्त किसानों की मान्यवर
निःशुल्क उन्हें बीज और खाद दिलाया,
धान नर्सरी के लिये निःशुल्क पानी भर रहे
कृषि बीज भण्डारों की सख्त निगरानी कर रहे
हर गांव में करके गठन किसान मित्र का
देकर सलाह दूर उनकी परेशानी कर रहे।
मंडी समिति में कारगर उपाय कीजिये
नियंत्रण में उनके सब क्रिया-कलाप कीजिए
अब भी जो दुष्ट आत्मा वहां भटक रही
उन सबसे एक साथ बाय-बाय कीजिये
मैं गलत नहीं कर रहा तो भला क्या करूं
तुमसा नहीं हूं जनता का धन लूटता फिरूं
जनता है दिल से चाहती साधाशी दे रही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं
प्रदेश का विकास हो यह ध्यान दीजिये
लाना है हरित क्रान्ति मत व्यवधान कीजिये
बाधक न बने वापस कटौती प्रस्ताव लें
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए ।

* श्री दिलीप कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर रखी गयी कटौती पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है तब से खाद, पानी की बड़ी समस्या है । खाद समय पर नहीं मिल पाती है, इससे किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आइन्दा इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि किसानों को समय से खाद मिले । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरों को सही मजदूरी नहीं मिल रही है और इसका 80 प्रतिशत कमीशन के रूप में चला जाता है । आप जांच करा लें, बहराइच में जो लोग मस्टर रोल पर हैं, उनके लिये सही व्यवस्था कर दें । जहां पर मान्यवर, बनरोज किसानों की फसल को बरबाद कर रहे हैं, जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस पर सरकार को समुचित कार्यवाही करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । हमारे प्रदेश में कुछ वर्षों पूर्व किसानों के बड़े रहनुमा हुये, उनकी बहुत सी बातें याद आती हैं, इस कृषि प्रधान राज्य की किसानों के मसीहा एवं किसानों के सर्वमान्य नेता स्व० चौधरी चरण सिंह जी इस समय जिनकी कुछ बाते याद आ रही हैं जैसे-आओ चलो गांव की ओर देश का विकास का रास्ता गांव गलियारों, खेत खलिहानों से है । आज माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि हम अपने आपको उनसे सम्बद्ध करते हुए और जैसा हमारे साथी कवि सदस्य ने अभी चन्द बरदाई की भूमिका निभाते हुए कविता कही उससे सम्बद्ध करते हुए अपने आपको किसानों के साथ ले चलें । आप जरा सोचें इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन और उसके बाद माननीय मायावती के शासनकाल में और आज मा० कल्याण सिंह के शासनकाल में किसानों की दशा का आंकलन करने का कष्ट करें । आप देखेंगे कि कितना किसानों का उत्पीड़न इन पिछले 10 वर्षों से हुआ है और कितना आपके शासनकाल में हो रहा है । इससे आपकी स्थिति साफ हो जायेगी । मैं अपनी जानकारी के मुताबिक कहना चाहता हूं कि चाहे वह गेहूं का किसान हो, चाहे गन्ने का किसान हो या धान का किसान हो उसकी हालत अत्यन्त दयनीय है ।

मैं जहां से चुनकर आता हूं वह खेती प्रमुख जनपद है किस तरह से इन तीन फसलों को उगाने में किसान खून पसीना बहा रहा है और उसको किस प्रकार शोषण का सामना करना पड़ रहा है । चाहे वह मण्डी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के द्वारा हो या आपके धान और गेहूं के क्रय केन्द्रों के द्वारा किसानों की लूट हो निर्धारण का मामला है किस तरह से किसान की उनमें लूट होती है वह सर्वविदित है । आप

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अपने को भले ही किसान का हितैषी कहते हों लेकिन उ० प्र० के गांव की किसी भी आप चौपाल पर चले जाइये वहां पर सरकार को कोसता हुआ किसान मिलेगा । तरह-तरह से सरकार को धिक्कारता रहा है आप किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करा लें खेतों की मेड़ों पर व खेत खलिहान में आप देखेंगे कि किसान आपको रोता हुआ मिलेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी आप स्वयं जानते हैं आपने एक आदेश किया था कि किसानों का उत्पाद बिचौलियों द्वारा क्रय किया जायेगा उसमें करोड़-करोड़ की कमाई लोगों ने की किसानों की लूट हुई और आपको आदेश वापस लेना पड़ा । पूंजीपतियों ने हमेशा फायदा कमाया है और सरकार ने उन्हीं का साथ दिया है चाहे वह कृषि बीज का मामला हो,

(लाल बत्ती होने पर)

चाहे आलू और प्याज का मामला हो उसमें हमेशा किसान को ही नुकसान हुआ है और व्यापारी को फायदा हुआ है। सरकार ने हमेशा उद्योगपतियों का साथ दिया है पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लिये हैं । मैं उदाहरणस्वरूप कहना चाहता हूं । हमारे खीरी में कृषि फार्मों में ऊंचे कृषकों को ही लाभ हुआ है जो नीचे के किसान हैं उनको हमेशा नुकसान हुआ है । यह शर्मनाक बात है । मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री बेचनराम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं । हिन्दुस्तान का आदमी गांव में बसता है । किसान गांव में रहता है । देश व प्रदेश की आबादी का लगभग 75% आबादी कृषि पर आधारित है और वह खेती के कारोबार में लगी है जो किसान कहलाता है उसमें कमोवेश कृषि मजदूर भी आता है इस प्रकार वह 80 प्रतिशत की संख्या में आते हैं । उनके उत्थान के लिये हमारी सरकार ने कई कदम उठाये हैं तमाम सुविधायें उनको दी हैं । हमारे बहुत से साथी जो मैं समझता हूं कि खेती के मेड़ पर नहीं जाते हैं अपने हाथ से कभी कुदाल तक नहीं चलाते होंगे वे अपने को कृषकों का हितैषी बताते हैं । अगर उन्होंने कभी कुदाल चलायी होती तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । अभी धरती पुत्र पूर्व मुख्य मंत्री की बात आयी वह बड़े किसान हैं । 500 एकड़ के फार्म वाले हैं वह खेत में मोथा तक को नहीं पहचानते होंगे कि वह क्या होता है ? लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी अपने हाथों से फावड़ा और हल चलाकर खेती किया है, इसलिये वह खेती के बारे में जानते हैं ।

मान्यवर, इस वर्ष भयंकर बाढ़ में हमारी सरकार ने जिस तरह से मुफ्त खाद और बीज किसानों को उपलब्ध कराया जिसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनाज का रिकार्ड उत्पादन होने जा रहा है और भारत में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से चाहे गेहूं, सरसों या मटर हो इस वर्ष यहां रिकार्ड उत्पादन होगा । मान्यवर, आलू का इतना अधिक उत्पादन हो गया कि रखने की जगह नहीं है । मान्यवर, यह कृषि मंत्री के सुनियोजित योजना का परिणाम है कि आलू का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है । मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी किसान, मजदूर के बेटे हैं इसलिये वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना अधिक गल्ला उत्पादन हो कि प्रदेश की 16 करोड़ जनता अनाज खाने के बाद उसे दूसरे प्रदेशों को निर्यात किया जा सके, यह हमारी सरकार की पालिसी है । इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदीश नारायण राय–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक बात को स्वीकार किया है कि फसल के उत्पादन में खाद और बीज तथा कीटनाशक रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि में कीटनाशक रसायन की गुणवत्ता में मुझे संदेह है । कृषि रसायन जो प्राकृतिक आपदायें बढ़ रही हैं उसके कारण कृषि में कृषि रसायन का भी उपयोग बढ़ रहा है । इसलिये यदि कीटनाशक रसायन सही होंगे तो उससे निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि कीटनाशक की गुणवत्ता सही हो, इस पर विचार करें और ध्यान दें ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में जवाब में कहा था कि प्रदेश में कृषि नीति बनाई जायेगी । लेकिन बजट भाषण में कृषि मंत्री ने इस संबंध में एक बार भी चर्चा नहीं किया, यह गम्भीर विषय है इसलिये उत्तर में मंत्री जी इस संबंध में अवश्य प्रकाश डाल दें ।

मान्यवर, आज मण्डी समितियां जो घाटे में चल रही हैं मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या मण्डी शुल्क नहीं वसूला जा रहा है ? हमारे यहां मण्डी शुल्क नहीं वसूला जा रहा है । इसलिये अनुरोध है कि इस संबंध में मंत्री जी एक परिपत्र जारी कर दें उसमें हम सहयोग करेंगे जिससे मण्डी शुल्क बढ़ेगा । यदि मण्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है तो मण्डी समितियों के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने पर मंत्री जी ध्यान दें । धन्यवाद ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं अखबारों में पढ़ता और सुनता था और कहा जाता था कि यह बजट का पुलिन्दा है लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था । लेकिन मैं मंत्री जी को नोट कराना चाहता हूं इस बजट का पेज 207 देखें जिसमें भूमि सुधार के लिये 216 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है और माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी का बजट पेज 82-83 को देखें जिसमें केवल 65 करोड़ रुपये का प्राविधान है । दोनों में भिन्नता क्यों हैं । यह केवल झूठ का पुलिन्दा है क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण में केवल सुझाव दिये जाते हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मण्डी समिति की स्थापना जिस उद्देश्य से की गयी थी वह यह है कि किसान अपना अनाज मण्डी समिति में लायेंगे और उनके अनाज का कुछ पैसा दे दिया जाये बाद में जब अनाज का रेट बढ़ जाये तो बढ़े हुए रेट पर किसानों को उनके अनाज का मूल्य दिया जायेगा । आज मण्डी समिति का भवन देखें तो यह भवन फटे कुर्ते वालों के पैसे से बनाया गया है । कोई चप्पल पहन कर जाता है तो वह जरा सा ध्यान न दे तो फिसल जायेगा । आज किसान की बात कही जा रही है ।

माननीय मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर असली किसान खेती करेगा तो प्रदेश उन्नति की ओर जायेगा तरक्की करेगा और अगर नकली किसान खेती करेगा तो प्रदेश पतन की ओर जायेगा । मुझे खेद है कि कम्पोस्ट खाद पर कोई चर्चा नहीं की गई । आज कृषि प्रदर्शनी गायब है । आज आदमी का बीमा होता है घर का बीमा होता है, घर जल जाये तो मुआवजा मिल जाता है, गाड़ी का बीमा होता है तो फिर किसान की फसल का बीमा क्यों नहीं होता ? उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जल जाती है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है । आज 7 हजार कर्मचारियों को कृषि विभाग से निकालने की योजना है । यह नई तकनीक की जो बात करते हैं, इस सरकार के पास अलाउद्दीन का

चिराग तो है नहीं कि घुमाया और कृषि उत्पादन बढ़ गया । आज बीज शोधित नहीं किये जाते हैं । माननीय मंत्री जी को भी पता है कि गैमेक्सीन छिड़क कर बीजों को दो-तीन गुने दामों में बेच दिया जाता है । भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है इसको स्वीकार करें । मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृषि पर अधिक ध्यान दें क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है । साइकिल के बगैर काम चल सकता है, मोटर साइकिल के बगैर काम चल सकता है, टेलीविजन के बगैर काम चल सकता है सब चीज के बगैर काम चल सकता है लेकिन भोजन के बगैर काम नहीं चल सकता । अनाज का लाभकारी मूल्य यदि नहीं दिया जायेगा तो इस प्रदेश का कबाड़ा हो जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव पर माननीय राम ललित जी ने जो प्रश्न उठाया कि 70 फीसदी बजट कृषि पर रखा गया है, लेकिन कुल बजट केवल 6 अरब 15 करोड़ रुपये है । मान्यवर, सम्भवतः या तो उनके समझने में भूल हुई या सुनने में । 70 फीसदी कृषि पर नहीं 70 फीसदी गांव के बजट के बारे में कहा गया है । गांव के बजट में ग्राम्य विकास भी है, गांव के बजट में सिंचाई भी है, गांव में जो विद्युत का पारेशण किया जाता है, वह भी आता है मान्यवर, इसमें 70 फीसदी बजट है, गांव के विकास के लिये है तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही गयी है । श्रीमन्, अभी-अभी एक बिन्दु माननीय राम ललित जी ने उठाया कि कृषि के उत्पाद का उसके अनुसार किसी भी कृषि उत्पादन की मूल्य और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य पैरिटी में समतुल्य रखा जाना आवश्यक है । श्रीमन्, राम ललित जी ने एक बात और कही अपने भाषण में कि किसी भी वस्तु के बगैर काम चलता है, टेलीविजन के बगैर काम चल सकता है, मोटर साइकिल के बगैर काम चल सकता है, कपड़ा-लत्ता के बगैर काम चल सकता है लेकिन बगैर खाये काम नहीं चल सकता । मान्यवर, कृषि उत्पाद का मूल्य जब भी निर्धारित होगा तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को हमें मद्दे नजर रखकर करना पड़ेगा ।

उपभोक्ता को उसके खाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, भले ही वह मोटर साइकिल नहीं खरीद पाये । कृषि उत्पाद का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, कृषि मूल्य आयोग के द्वारा वह मान्यवर, इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है । महोदय, माननीय राम ललित जी ने अपने भाषण के शुरुआत में कहा था कि गैर जानकारी लोग वहां बैठे हुए हैं और वह दो-तीन साल के आंकड़े लेकर मूल्य तय कर देते हैं । मान्यवर, राम ललित जी चौधरी साहब के साथ काम कर चुके हैं, मुझे दुःख हुआ इस बात को सुनकर इनके मुंह से । मान्यवर, वहां पर जो आंकड़े आते हैं वह रिजर्व बैंक से लेकर के और नीचे कलेक्टरों तक के 3-4 साल तक के आंकड़े लेकर उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन और उत्पादक के लिये उनके समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है । मैं कहना यह चाहता हूं कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी होते हैं, मान्यवर, सांसद भी उसके नामित सदस्य होते हैं । उसमें कृषि मंत्री भी बैठते हैं, उसमें खाद्य मंत्री भी बैठते हैं । अगर इसमें किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं तो समझ में बात नहीं आती । मान्यवर, माननीय राम ललित जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में चौथे नम्बर पर है । उत्तर प्रदेश भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21.55 प्रतिशत पैदा करता है और मैंने जो योजना रखी है, श्रीमन्, इसके माध्यम से हम लोगों का यह इरादा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते हम इसे बढ़ाकर 23.5 प्रतिशत तक ले जायेंगे ।

मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन में, उत्पादकता में हम केवल दो प्रदेशों से कम हैं । मैंने शुरू में ही अपनी बात में कहा था कि हम केवल हरियाणा से और पंजाब से ही उत्पादकता में कम हैं । उत्पादन फिर भी हमारा ज्यादा हो जाता है । भारत के एफ० सी० आई० के प्रदेश पूल फण्ड में हरियाणा और पंजाब गेहूं और धान ज्यादा जमा करते हैं, क्योंकि वहां आबादी कम है हमारी आबादी अधिक होने के कारण पूल

फण्ड में कम देते हैं, लेकिन उत्पादन हमारा हरियाणा और पंजाब से कम नहीं है। मान्यवर, माननीय राम ललित चौधरी ने कहा कि गांव वालों की क्रयशक्ति कम होती है। मैं मानता हूं यह सही बात है, गांव वालों की क्रय शक्ति शहर वालों के बराबर नहीं है। आपने यह बात भी कही कि कृषि मजदूरों को समुचित मजदूरी नहीं मिल पाती, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में श्रम विभाग ने समुचित नियम बनाये हैं। कृषि विभाग इस सम्बन्ध में नियम बनाता नहीं है, कृषि मजदूरों के लिये श्रम विभाग ने नियम बनाये हैं। मान्यवर, एक बात कही गयी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा 146 करोड़ एल० डी० सी को दिये जाने चाहिए थे। ऐसी बात नहीं है वर्ल्ड बैंक हमारा 1467 करोड़ रुपये एल० डी० सी० भूमि सुधार निगम को दिये गये हैं। आपने कहा कि भूमि सुधार कानून लागू नहीं है मैं नहीं जानता कि आप किन कानूनों की बात कर रहे हैं। यू० पी० जमींदारी एबोलीशन एण्ड लैंड रिफोर्म की बात करते हैं तो इसको भी राजस्व विभाग देखता है कृषि विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पायी इसलिये इस पर कुछ कहने में मजबूर हूं।

मान्यवर, चौधरी साहब ने कहा कि किसान के पास भिंडी बोने के लिये जमीन नहीं है तो कृषि विभाग भिंडी बोने के लिये जमीन तो नहीं दिला पायेगा लेकिन अगर कोई किसान भिंडी बोने के लिये तकनीक चाहेगा तो जरूर दिला सकते हैं। मान्यवर, चौधरी साहब ने लाभकारी मूल्य दिलाने की बात कही और यह भी कहा कि निदेशालय में पद खाली हैं। यह बात सही है कि पद खाली हैं, प्रमोशन से भरने की कार्यवाही करने जा रहे हैं। कुछ कोर्ट केसेज हैं जिससे प्रमोशन रुका हुआ है जैसे ही निराकरण कर लेंगे शीघ्रातिशीघ्र प्रमोशन करेंगे। जो खाली पद हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे। माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने कृषि रिसर्च एवं फार्मों पर किसानों को ट्रेनिंग दिलाने की बात कही, यह अच्छा सुझाव है इस पर विचार किया जायेगा। किसान गोष्ठियों की बात कही गयी है, इसको प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जायगा। मेहरा साहब ने क्राप इंश्योरेंस की बात कही है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही है। भारत सरकार करीब-करीब इसको बनाकर तैयार कर चुकी है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही वहां घोषणा की जायेगा मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार पीछे नहीं रहेगी। श्री बरखूराम जी ने कृषि पर दबाव कम करने की बात कही है, उन्होंने गैर कृषि उद्योग धन्धों की बात कही, कृषि मजदूरों की बात भी कही गयी। उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में कृषि विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है। मान्यवर, एफ० सी० आई० से बीज लेकर बांटने की बात कही गयी।

मान्यवर, जहां तक कृषि पर दबाव कम करके उद्योग धन्धों को लगाने की बात है इसमें दो बिन्दु आते हैं। कृषि विभाग इसमें डायरेक्ट कार्यवाही नहीं कर रहा है। डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सिस्टम के अन्तर्गत वर्ल्ड बैंक से 700 करोड़ रुपया मिला है उसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि लघु और सीमान्त कृषक जो हैं उनको कृषि के अलावा कृषि से सम्बन्धित अन्य धन्धों में लगाया जाय ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और कृषि भूमि पर दबाव कम हो सके। बाकी इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पालिसी है, कृषि विभाग उसमें कुछ नहीं कर पायेगा, हां अपनी कृषि विविधीकरण योजना के तहत लघु और सीमान्त कृषकों को गांव में कृषि से भिन्न योजनाओं जैसे डेरी फार्मिंग, छोटे-छोटे धन्धे प्लान्टेशन आदि के माध्यम से उनकी सहायता करने का प्रयास करेगा। एफ० सी० आई० से बीज वितरण की बात कही गयी। यह भी कहा गया कि सर्टीफाइड एजेंसी के बीज नहीं थे। मान्यवर, चूंकि हमको अधिक मात्रा में गेहूं चाहिए था और इतना स्टाक बीज का कहीं नहीं था इसलिये मजबूरन हमें एफ० सी० आई० से लेना पड़ा और कई गोदामों की बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जांच करायी गयी और टेस्टेड, सर्टीफाइड बीज जहां मिले, हमने वहीं से गेहूं ले करके दिया। राम ललित जी ने कहा कि गैमेक्सीन से उपचार किया गया। चौधरी जी, गैमेक्सीन से उपचार नहीं होता है, मरक्यूरियम आक्साइड से उपचार करके गेहूं का बीज बांटा गया है। कहीं से भी उसके जमाव की शिकायत नहीं

आयी हैं । देवचरा उप मण्डी समिति की बात आयी । देवचरा उप मण्डी समिति का निर्माण चालू करा दिया जायेगा ।

राम प्यारे सिंह जी ने टर्मिनेटर शीड की बात कही, उत्तर प्रदेश में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है । परतावल मण्डी में अधूरे कार्यों की बात आयी है । मैं इसकी जांच करा लूंगा कि वहां की क्या आमदनी है, अगर धनात्मक है तो अधूरा काम अवश्य पूरा किया जायेगा । ऋणात्मक मण्डी समितियों के अधूरे काम पूर्ण करने में दिक्कत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, वह आड़े आ रहा है । अगर ऋणात्मक में है तो कैसे पूर्ण करायें हम प्रयास करेंगे कि कुछ विकल्प निकाल सकें । इस समय कुछ स्पष्ट आश्वासन के रूप में नहीं कह पा रहा हूं कोई विकल्प निकले तो बताऊं । खुर्जा, अलीगढ़ तथा एटा में भूमि सुधार के बारे में बात आयी है । मैं इसको दिखवा लूंगा, भूमि सुधार वहां लागू है । डा० धर्मज्ञ मिश्र ने कहा कि हजारों गांवों में बीज नहीं बांटा गया । हजारों गांवों की बात नहीं है, राजस्व विभाग की जो सूची थी उसके अनुसार गेहूं के बीज बांटे गये हैं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, जो डिमांड जिले से गयी उसके अनुसार नहीं बांटा गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, मिश्रा जी आप बैठ जायं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

दैवी आपदा से हुई क्षति का मुआवजा देने की बात आयी । कृषि विभाग दैवी आपदा का मुआवजा नहीं देता है पूरनपुर मण्डी समिति की बात आयी कि वहां पर बहुत भ्रष्टाचार है । इसको दिखवा लिया जायेगा । पोइया जी ने वेटनरी कालेज मथुरा की बात कही, उसको दिखवा लेंगे । श्री लालजी वर्मा ने मण्डी परिषद् में अघोषित भ्रष्टाचार की बात कही है । सेलेक्शन बाण्ड समाप्त करने की बात जरूर कही गयी है । मण्डी परिषद् का जो बोर्ड है, उसने निर्णय लिया है कि सेलेक्शन बाण्ड समाप्त किया जायेगा । सेलेक्शन बाण्ड समाप्त करने के बाद व्यय भार जरूर बढ़ जायेगा लेकिन जो नियमित ढंग से बाण्ड बनाये गये थे उसे समाप्त किया गया है यह नहीं किया गया है कि कार्य को निरस्त किया गया हो । जितने काम हो चुके हैं उसका विवरण तैयार करके उस बाण्ड को समाप्त कर दिया जायेगा । शेष काम जितना है उसको टेंडर मंगाकर उस काम को पूरा कराया जायेगा । बहराइच में भूमि सुधार में भ्रष्टाचार की बात कही है निश्चित रूप से इसकी जांच करा लेंगे । जगदीश राय ने कृषि नीति की बात कही है । कृषि नीति करीब-करीब बनकर तैयार हो रही है चूंकि बीच में मैं अस्वस्थ हो गया था इसलिये थोड़ा विलम्ब हुआ अब 31 मार्च तक कृषि नीति घोषित कर दी जायेगी । कुछ नई योजनायें हैं निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों की वृद्धि को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रारम्भ किया जाएगा । किसानों, अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा ।

इसी प्रकार मंडी समितियों में भी प्रतिशत दर जहां पर मंडी वसूली अधिक होगी वहां के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है । एक निर्णय यह भी लिया गया है कि जिला स्तर पर सलाहकार समिति कृषि गठित की जाए यह कृषि समिति वहां की समस्याओं पर नजर रखें कृषि प्रसार और कृषि क्रियाकलापों के लिये कृषि मित्र योजना घोषित की गयी है यह आदेश प्रसारित कर दिया गया है कि इसकी सूची सभी सम्मानित विधायकों, सांसदों को उनके क्षेत्र में जो भी किसान मित्र चयनित हुए हैं उनकी सूची उनको उपलब्ध करा दी जाए । सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा एक बीज विधायन संयंत्र की स्थापना की जा रही है । ताकि बीज पैदा करने वाले किसानों को आसानी हो जाएगी । प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी समितियां 265 के लगभग हैं

यह तय किया गया है कि मंडी परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष 365 गांव अंगीकृत किये जायेंगे ऐसे गांव जो किसी योजना में अंगीकृत नहीं हैं उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा साथ ही यह तय किया गया है ऐसे गांव जो अंगीकृत किये जायेंगे प्रत्येक गांव पर 5 लाख रुपये दिये जायेंगे प्रति वर्ष यह योजना तीन साल तक चलाई जायेगी । ऐसे गांव में मिनी गोदाम बनाया जायेगा इस गोदाम के रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी जायेगी और गांव के किसान अपने उत्पाद उसमें रखकर मण्डी समिति से 75 प्रतिशत एडवांस प्राप्त कर सकते हैं । कृषि विपणन के मामले में त्वरित गति देने के लिये निर्णय लिया गया है और 17 मंडियों में कम्प्यूटराइजेशन करके उनको एक दूसरे से लिंक किया जायेगा । ताकि अनाजों की मंडियों में दूसरी जगह क्या दर चल रही है, अन्य मंडियों में क्या दर चल रही है उसकी निगाह रख सकें । बुन्देलखण्ड के लिये विशेष योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं बुन्देलखण्ड में रोड मैनेंजमेंट, इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाटर टेबुल नीचे हो रही है उसके लिये योजना बनाई जा रही है जो भारत सरकार से वित्त पोषित होगी । साथ ही साथ पूर्वांचल में जहां पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है और वाटर लागिंग होती जा रही है, वहां पर हम वाटर डिसचार्जिंग की योजना बना रहे हैं ताकि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण पाया जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह बजट को पास करने का कष्ट करें ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

प्रदेश में जमा मन्डी शुल्क मंडी क्षेत्रों में ही व्यय हो सके इसके लिये आप क्या काम कर रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उन्हीं क्षेत्रों में व्यय करने का प्रयास किया जा रहा है । 1800 करोड़ रुपए सड़कों पर 2500 करोड़ रुपए मण्डी स्थलों को जो आधे अधूरे पड़े थे, उन्हें पूरा करने तथा । करोड़ रुपए हैण्ड पम्पों पर किया गया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, प्रदेश में तमाम मण्डी समितियां हैं । आपकी सरकार के आने से पहले मण्डी समितियों में माननीय विधायकों और माननीय सांसदों के कहने से सड़कों का निर्माण हो जाया करता था परन्तु आज उनका कार्य रोक दिया गया है । प्रचुर मात्रा में पैसा है । बहराइच में मण्डी समिति के पास 7 करोड़ रुपये है । कुछ सड़कें ली गयी थीं और हैण्ड पम्प लिये गये थे, परन्तु ये सब के साहद पड़े हुए हैं । इसलिये जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत कराने तथा सड़कों के निर्माण व हैण्ड पम्प लगाये जाने पर आप कोई हमें दिशा निर्देश देंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो मण्डी समितियां धनात्मक चल रही हैं, वहां पर जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिये दिशा निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं । यदि कहीं दिक्कत आयी है तो वहां पर जो सेलेक्शन वाण्ड से जो काम शुरू हुए थे, उन्हें फाईनल करने में समय लगा । मैं प्रयासरत हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी फाईनल कर दिया जाय ताकि वहां पर कार्य शुरू हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरे सुझावों पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है । मैंने भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले गिनाये परन्तु मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,15,82,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–60–वन विभाग

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,35,33,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, आपने वन बजट को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । श्रीमन्, वन का क्या महत्व है और वन का हमारे जीवन से क्या रिश्ता जुड़ा है इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है । प्रकृति ने, जब पृथ्वी अग्नि के रूप में थी जब श्रीमन्, वह ठण्डी हुई तो जल और वायु, वनस्पति और वन्य प्राणी थे । उसके बाद मान्यवर, मानव जीवन का सृजन हुआ है । प्रकृति की हरियाली की गोद में भारत और दुनिया में सारे देशों की सभ्यता का उदय हुआ । सभ्यता और संस्कृति का उदय वन से हुआ ।

श्रीमन्, वन का जीवन से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है । पैदा होने से आदमी के अन्त समय तक वन से रिश्ता जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता है। वन उपज मनुष्य के लिए सारे जीवन में उसके उत्थान में एक सोपान का काम करती है । वन का महत्व, आक्सीजन, पानी, वायु, वन की भूमि संरक्षण और पर्यावरण, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति और रोजगार के विरुद्ध जितना खर्च करेंगे उसमें से 70-80 प्रतिशत रोजगार के अवसर का स्रोत है । यह औषधियों का स्रोत है । वनों का आक्सीजन के लिए महत्व है जिसका वैज्ञानिक सर्वे हुआ और अध्ययन हुआ । अध्ययन से यह तथ्य समझ में आया कि व्यक्ति की 50 वर्ष की जिन्दगी में वन का कितना महत्व है । इस तथ्य पर पहुंचने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा कि जब घर बनते हैं तो वृक्ष लगते हैं । वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको केवल छाया के मतलब से लगाते हैं अथवा कोई अन्य महत्व है वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने सर्वे किया कि एक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष मान ली जाय और एक वृक्ष की 50 साल की सेवा मान ली जाय कि क्या लाभ एक वृक्ष से होगा तो मालूम हुआ कि एक वृक्ष 50 साल की अवधि में 5.5 लाख रुपये की आक्सीजन प्रदान करता है । यही नहीं श्रीमन्, वायु जो शुद्ध करने का जब आंकलन लगाया गया तो वह 10.5 लाख रुपये का वह हमको शुद्ध करके वायु प्रदान करता है । श्रीमन्, फिर उसका सर्वेक्षण आगे बढ़ाया गया और देखा गया कि भूमि में कितना जल वह देता है । कितनी भूमि संरक्षण को रोकता है । ज्ञात हुआ कि 6.3 लाख रुपये यह जल देता है और भू-संरक्षण का 5.3 लाख रुपये और फिर आदमी के लिए जो सबसे बड़ा पौष्टिक प्रोटीन है

वह एक वृक्ष 0.5 लाख रुपये की प्रोटीन एक पेड़ प्रदान कर देता है। इतना ही नहीं प्रोटीन के अलावा यह हमको इतनी वस्तुएं देकर साढ़े 33 लाख रुपये का योगदान देकर एक वृक्ष अपने जीवन में अन्त को जाता है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आवश्यक है कि जिस प्रकार से हमारे देश में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है।

(इस समय 6 बजकर 9 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए।)

आबादी विज्ञान-तकनीक बढ़ती जा रही है नये आविष्कारों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने से प्राण-वायु की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्राण वायु देने का जो केन्द्र है वह वृक्ष हैं। वृक्षों का संरक्षण अति आवश्यक है। 33 फीसदी वन हों यह राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार वृक्ष कम हैं उत्तर प्रदेश में साढ़े 17 परसेन्ट का हिसाब है मान्यवर, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रादुर्भाव के कारण पहाड़ अलग होता है तो सात प्रतिशत वन पहाड़ पर चले जायेंगे और हमारे यहां 4.6 प्रतिशत ही रह जायेगा। इतनी बड़ी आबादी है इसलिए प्राणवायु की समस्या संकट का कारण बनेगी। इसलिए मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय वन नीति के सारे कानून का अध्ययन करने के बाद वन नीति का निर्माण किया यह 26 दिसम्बर, 1998 को उसकी घोषणा किया गया, इन वन नीति के तहत वन क्षेत्र की कमी को किस तरह दूर किया जाए इसमें निश्चय लिया गया प्रदेश में वन व्यवस्था है उत्तरांचल अलग होते हैं तो क्या स्थिति होगी इसलिए दो-तीन चीजों पर विचार किया गया भारत सरकार को पत्र लिखा और भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से भी हम मिले श्रीमन् पर्यावरण और वन मंत्री जी से हमने प्रार्थना की और अनुरोध किया कि एक हजार करोड़ रुपये वन आच्छादन के लिए प्रदान करें। भारत सरकार ने सहमति प्रदान की और इस राशि को बढ़ाने का आश्वासन दिया। जो वन नीति घोषित हुई भारत सरकार ने उसकी सराहना की और सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने वन नीति घोषित करके प्राण-वायु के लिए पहला प्रशंसनीय कदम उठाया है। हमारी वन नीति की बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही है।

वन नीति के बाद हमने कार्य योजना को बनाया और उसकी मंजूरी मंत्रि-परिषद् की समिति ने दी उस कार्य योजना को भी अनुमति दे दी है उसको सहमति प्रदान की है अब एक स्तर से वन नीति को लागू कर कार्य योजना को लागू कर उत्तर प्रदेश में वन नीति आच्छादन, हरितमा को कैसे बढ़ायें पर कार्यवाही की है। हरितमा बढ़ाना सम्भव किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आबादी बढ़ने पर कृषि के लिए जमीन चाहिए 4.6 परसेन्ट क्षेत्र है उसको 33 फीसदी पर पहुंचाना चाहते हैं, हमें प्राणवायु की रक्षा करनी है। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा अन्वेषण नहीं हुआ जो प्राणवायु को शुद्ध रखने में सहायक होता। जितने यन्त्र बने हैं जल शुद्ध करने के, वायु प्रदूषण शुद्ध करने के सब एक समय फेल हो जाते हैं लेकिन पेड़ दुनिया में ऐसा संयंत्र पैदा हुआ है जो कभी खराब नहीं होता है। पेड़ कार्बनडाई-आक्साइड को खुद ग्रहण करता है और आक्सीजन हमारे लिए छोड़ता है। वन का आच्छादन कैसे बढ़ायें कृषि वानिकी को कैसे करें। यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन होता है। शोध किया जाता है, अन्वेषण होते रहते हैं परन्तु मैं आपसे बड़े दुःख के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन शोध शास्त्र के अभ्यर्थियों के काम तो है लेकिन उसका रिश्ता किसानों से, उद्योग से, कृषि से नहीं जुड़ा है। इसलिये जो यह छात्र अन्वेषण करते हैं वह बन्द होकर अल्मारियों में पड़े रहते हैं। जिसका रिश्ता मनुष्य से नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने के लिए हम अपनी पौधशालाओं पर आमंत्रित कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। महुए का फल बहुत छोटा होता है, महुवा से डालडा बनता है। लेकिन यह 18 से 20 साल बाद फलता है। अलीगढ़ के वनस्पति उद्योग के लोग चाहते हैं कि इस तरह का फल वृक्ष हो जल्दी फल लगे कि वह जल्द आने लगे। इसमें अन्वेषण 5-6 साल में फल देने वाले वृक्ष हुए फैजाबाद में। जो हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं उनके लिए यह लाभकारी है लेकिन उसका रिश्ता वनस्पति उद्योग से नहीं जोड़कर अहित हुआ है।

हमने एक योजना बनायी है कि हम कृषि वानिकी पर कृषि वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों से अन्वेषण कराकर अमुक-अमुक प्रकार के वृक्ष देंगे, जितना नुकसान पापुलर लगाने से होता है फसल में तो ढाई गुना या तीन गुना लाभ देगा। हमने 10-12 पेड़ों पर रिसर्च कर दी है। जिन पेड़ों से हमें हरियाली मिलती है, प्रकाश मिलता है, आक्सीजन मिलती है तो हमने योजना बनायी है इसमें वृक्षों को आच्छादित करेंगे। श्रीमन् बहुत से लोग बात करेंगे कि किसान पेड़ लगाता है लेकिन उसको काटने की अनुमति नहीं है। आपने वन संरक्षण अधिनियम लगा रखा है। दो तीन बातें इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि किसानों को पेड़ लगाकर दे रहे हैं उससे कृषि फसलों का नुकसान बचता है, तो नियमों में सरलीकरण करना होगा और उसके लिए नीति बना दी है इसलिए बाधा खड़ी नहीं होगी। उसमें हमारे वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मददगार होंगे उनके दुश्मन नहीं होंगे। यह नीति बना दी है। विभाग के अधिकारी सीधे किसान तक पहुंच सकेंगे और सेवा करेंगे। हमने कृषि वानिकी की योजना बना दी है। शहरी क्षेत्रों में पेड़ों के लिए ट्री प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू कर दिया है। इस विधान सभा में पिछले सत्र में पास हुआ। मान्यवर, शहर में जो एल०डी०ए०, आवास एवं विकास परिषद् या प्राइवेट कालोनाइजर्स जो कालोनियां विकसित कर रहे हैं उसमें हमने कहा है कि 20 प्रतिशत भू-भाग हरितिमा पट्टिका के नाम पर छोड़ना पड़ेगा और कोई भी भू-भाग उपयोग वन विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा।। और जो अन्य विभाग हैं उन सबको अपने-अपने क्षेत्र में एक प्रतिशत भाग वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित करना पड़ेगा। ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं उसमें 10 प्रतिशत हिस्सा हमारी योजना के लिए सुरक्षित करना पड़ेगा। जो हमारा बजट 2 प्रतिशत है उसको हम 3 प्रतिशत साढ़े तीन प्रतिशत किये जाने की मांग करते हैं।

मान्यवर, हमने वृक्षारोपण के लिए स्कूल कालेजों के बच्चों को भी आगे लाने का काम किया है उनके लिए पुरस्कार की भी योजना बनायी गयी है। मान्यवर, पेड़ की रक्षा बहुत जरूरी है। मान्यवर, पिछली सरकारों में एक साल का पैसा दिया जाता था उसकी पिराई रोपाई और पानी इसके लिए कोई पैसा नहीं है हमने क्रांतिकारी कदम उठाया 4 साल का वित्त पोषण करने का निर्णय लिया एक पेड़ में ट्री गार्ड होगा, उसकी निराई रोपाई और पानी लगेगा और यही नहीं जैसे एक क्षेत्र में जितने पेड़ लगेंगे उनका भौतिक सत्यापन भी होगा। अब पेड़ों के संरक्षण और अनुरक्षण पर हमारा ध्यान है। मान्यवर, वन कटान को कैसे रोका जाये, हमारे जो प्रभाग हैं नैनीताल से लगा हुआ हमारा इलाका है चीन से लगा हुआ वन क्षेत्र हैं वहां चौकियों पर पूर्व सैनिक लोगों को पोस्टिंग करके मिलेट्री से रिटायर्ड लोगों की पोस्टिंग करके और उनको हथियारों से लैस करके उनको डेड सेट देकर वहां की व्यवस्था को अति आधुनिक बनाने का काम किया गया है। इसके अतिरिक्त डी०एफ०ओ० कार्यालय को कम्प्यूटरीकरण करने का भी काम किया गया है। डी०एफ०ओ० कार्यालय का कनेक्शन उस हैण्ड सेट से है और डी०एफ०ओ० कार्यालय से कनेक्शन यहां लखनऊ मुख्यालय से है लखनऊ से हमें पता चल जायेगा कि फलां व्यक्ति ने फलां पेड़ काटा है। इसके बावजूद भी अवैध कटान होता है, उसके लिये हमने योजना बनाई है। हमने अवैध कटान के लिये पहली बार एन०एस०ए० में 24 लोगों की गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसी प्रकार गुण्डा ऐक्ट में 69, गैंगस्टर ऐक्ट में 43 तथा अन्य धाराओं में 47 लोगों को, इस तरह से कुल मिलाकर 183 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, इसके अलावा 357 लोगों को चिन्हित भी किया गया है।

श्रीमन् इन पेड़ों की रक्षा करते हुये कितने वनकर्मी शहीद हुये, यह भी बताना मैं अपना धर्म समझता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इन पेड़-पौधों की रक्षा करते हुये 139 वनकर्मी शहीद हुये। काशी वन प्रभाग में अभी हमारे लोगों पर हमला कर घायल कर दिया गया। वहां एक फारेस्ट गार्ड और एक डेली वेजेज के आदमी की गोली मारकर क्रूर हत्या कर दी गई, वन माफियाओं द्वारा।

मैं आभारी हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने तत्काल 2-2 लाख रुपया हमारे उन लोगों के लिये दिया। इसके अलावा हमारे वन कर्मचारियों ने अपने पास से इकट्ठा करके 35 हजार रुपये की नकद सहायता अलग से की। जो हमारा वन रक्षक था, उसकी जी०पी०एफ० की 98,823 रुपये की

हमने मौके पर जाकर, घटनास्थल को देख कर सहायता दी । मुझसे वहां विलाप करती महिलाओं का करुण क्रन्दन सहा नहीं गया, उनकी गरीबी को देखकर मैंने निर्णय लिया और वन रक्षक जो चौबे था, उसके दो बच्चों में से बड़े को लम्बाई-ऊंचाई के आधार पर उसकी जगह सेवा में तथा दूसरे बच्चे को डेलीवेजेज पर करने के आदेश दिये । इसी प्रकार मान्यवर, जो हमारा दूसरा डेलीवेजेज का कर्मचारी था, वह मात्र 19 साल का लड़का था, उसकी दो दिन पूर्व ही शादी हुई थी, उसकी औरत 15 साल की, उसको देखकर हृदय दुःख से भर गया । वहां 5-7 हजार लोग मौजूद थे । मैंने 1 लाख 10 हजार उस लड़की को और उस लड़की के ससुर को 1 लाख 10 हजार की सहायता दी ताकि वह सम्मान से अपना जीवन जी सके तथा लड़के के बड़े भाई को नौकरी भी दी गई, यह फैसला हमने वहां मान लिया ।

मान्यवर, इसी प्रकार वन माफियाओं ने हमारी बहुत सी वन भूमि पर कब्जा किया है, इसी प्रकार की वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने में हमारे 12 वनकर्मी दुधवा पार्क में घायल हुये, आज भी एक वनकर्मी मरणासन्न हालत में अस्पताल में भर्ती है । आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 2 महीने के बीच में अतिक्रमण की हुई 200 हेक्टेयर भूमि वापस ली गई है, कुल 139 लोग शहीद हुये हैं । हमारी सरकार ने इतना ही नहीं किया, हम कई चीजों में आगे भी बढ़े हैं । बराबर अतिक्रमण की जमीन को खाली करा रहे हैं, ऐसे लोगों से खाली करा रहे हैं, जिन लोगों का राजनैतिक अस्तित्व बहुत बढ़ा हुआ था जो सरकारों पर हावी रहे हैं । उनसे जमीन को खाली कराने में हम आगे बढ़ सके हैं । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग यहां से जाकर कब्जा कराने की नीति अपनाते हैं और बाद में कहते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारे गांव के लोग हैं, इसलिये कब्जा होना चाहिये ।

मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस नीति में आप लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा और हम सबको इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम प्राण-वायु की रक्षा कैसे करें, हम शुद्ध वातावरण कैसे पैदा करें,आज जबकि आबादी निरन्तर बढ़ रही है, आक्सीजन बराबर कम हो रही है, ऐसे में वनों, पेड़-पौधों की आवश्यकता और ज्यादा है, इनका कटना चिन्ता का कारण है । मैंने श्रीमन् आपके सामने कुछ बातें रखी हैं अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अवैध कटान जितना दो वर्ष पहले होता था, अब उससे आधा रह गया है, इस प्रकार हमने इस दिशा में प्रगति की है, हमने अपने नियंत्रण को मजबूत बनाया है । श्रीमन्, इतना ही नहीं, वन भूमि के अतिक्रमण को हटाने के बारे में हमने सराहनीय कार्य किया है । श्रीमन्, हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ा है, हमने 385 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ाया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 4-5 प्रदेशों में वन क्षेत्रफल घटा है, और हमारा बढ़ा है । यह सराहनीय कार्य है । मान्यवर, अभी आपके सामने अनुरोध कर रहा हूं कि वन माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है । अगर वन क्षेत्र को बढ़ाना है, तो रिक्त भूमि में, नदी नालों में वन लगाकर उनका क्षेत्रफल बढ़ाना है । तो श्रीमन् हम आगे बढ़ रहे हैं । पहाड़ों पर बीहड़ों में खादर में बिन्ध और बुन्देलखण्ड में भूमि संरक्षण करना जरूरी है । मान्यवर, आठ पंचवर्षीय योजनायें बन गयी हैं लेकिन भूमि कटान, भूमि संरक्षण और अण्डर ग्राउन्ड वाटर के बारे में कोई भी योजना नहीं बनी है । अण्डर ग्राउन्ड वाटर में कैसे वृद्धि हो इस पर कोई भी कारगर योजना नियोजन विभाग ने नहीं बनाई है । हमारे प्रदेश में बाढ़ जैसी बड़ी विभीषिका है जितनी नदियां हैं वह विनाश करती हैं, भूमि का कटाव करती हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यमुना नदी केवल 64 प्रतिशत भूमि का कटाव करती है, बीहड़ क्षेत्र बढ़ रहा है ।

मथुरा से लेकर हमीरपुर, बांदा तक बीहड़ क्षेत्र बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में पानी अन्दर चला गया है इसके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए श्रीमन्, हमने योजना बनाई है भूमि संरक्षण की, बीहड़, खादर बिन्ध और बुन्देलखण्ड में जो निरन्तर कटाव हो रहा है उसको रोकने की योजना बनाई है, हमने ये विचार किया है कि इस पर शोध कैसे हो, कटान क्यों हो रहा है और जल स्तर क्यों नीचे जा रहा है, कौन सी वनस्पति उगाई जाय, कौन सी खेती वहां पर की जाय जिससे कटाव न हो, इसलिए हमने फिरोजाबाद में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है, भूमि में शुष्कता क्यों बढ़ रही

है। इन सबका उसमें अनुसंधान होगा। हमारे यहां पर भू-स्खलन की समस्या है, भूमि कटान की समस्या है इसको कैसे दूर किया जाय इन सब चीजों पर रिसर्च करने के लिये हमने फिरोजाबाद में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। मुझे आशा है कि इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे। श्रीमन्, आज मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा कि बाह्य सहायता जो मिल रही है उसका प्रयोग करने में अधिकारी सुस्त पड़ रहे हैं। पत्रकार महोदय ने बड़ा अन्याय किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बाह्य सहायता विश्व बैंक और इंटरनेशनल मानेटरी फण्ड से मिलती है उससे वह हमें खर्च करने की नीति बताते हैं खर्च करो और स्वावलम्बी मत बनो वह हम नहीं चाहते हैं उनके पैसे को खर्च करने की आदत हमारी बने और हम स्वावलम्बी न बनें और हमारे देश की जो सम्पत्ति है उसका वह दोहन करें मल्टी नेशनल कम्पनी सारी की [illegible] यहां आकर जो हमारी जैविक सम्पदा है, जो हमारी जीन्स हैं उसका वह दोहन करें।

हमारे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे [illegible] जैविक सम्पदा है। तो उसको वह यहां से निर्यात करने की योजना हमें बताते हैं और इस प्रकार विश्व बैंक की स्कीमें हमारे यहां आयी हैं, मैंने कहा, "यह ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत" वाली नीति हमें मत बताइये। यह आदत कांग्रेस सरकार ने डेवलप की, चौधरी साहब आपकी सरकार ने भी वही किया। मैंने अपने कक्ष में बैठकर उनसे कहा कि यह हमारी मजबूरी नहीं है कि हम आपसे कर्ज लेना चाहते हैं। आपकी मजबूरी है कि कंसल्टेन्सी के नाम पर जो आपके बेकार आदमी हैं उनका कन्सलटेंसी के नाम पर करोड़ों रुपया आप देना चाहते हैं उससे अपने बेरोजगारों को आप हमारे यहां लगाना चाहते हैं। इस योजना को हम ऐसे ही लागू नहीं करेंगे। आपकी सरकार होगी, मुलायम सिंह जी, देवगौड़ा जी की और कांग्रेस की सरकारों ने यह काम किया है हमने कहा हम नहीं लेंगे। पत्रकार जी से कहला दिया कि वन विभाग के अधिकारी खर्च नहीं करना चाहते हैं पकड़कर यह कहलवा दिया कि वन अधिकारी सुस्त हैं मंत्री जी इसमें नहीं चाहते हैं कि यह योजना चलाई जाये। हम चाहते हैं कि जैवी सम्पदा में हमारा देश स्वावलम्बी बने हम ऐसे सहायता नहीं लेंगे जिसमें आप हमको कर्जदार बनाकर हमारी सम्पत्ति को बाहर और फिर दुबारा भीख का कटोरा मांगते फिरें, पेड़ लगाने के लिये भी भीख मांगनी पड़े। जैसा कि पिछली सरकारों ने हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और पानी में डूब जाने की जगह हमारे देश के लिये नहीं छोड़ा हम नहीं चाहते हैं कि वह दशा हमारे देश की आगे आये।

अब मैं एक कठिनाई आपके सामने रखना चाहता हूं। माइक्रो प्लान की एक योजना है जिसमें एक गांव को चुन लेते हैं जो वनों के नजदीक का गांव है उसको चुनकर उसमें वह कहते हैं कि एक कोआपरेटिव सोसायटी बनाओ और उसमें ग्यारह आदमी रखो एक अध्यक्ष उसमें हो और सारा पैसा उनके हाथ में ट्रान्सफर कर दो वह फिर वृक्षारोपण करेंगे। हम कहते हैं कि माइक्रो प्लान के मायने यह नहीं होते हैं। माइक्रो प्लान के मायने होते हैं कि सारी गांव की समस्या का निराकरण हो और उसमें पैसा लगे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। रेंजर सेक्रेटरी होगा और वही नोडल अधिकारी होगा और जो इसके लिये जवाबदेह [illegible] ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार से कोआपरेटिव मूवमेंट को खा गये हैं उसी प्रकार वन समिति बनाकर उसको खा जायें। इसलिये आपने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे इसमें देखें और यदि देश की सामाजिक संरचना में बड़े लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया तो वे गांव के निर्बल लोगों को पैसा नहीं देंगे जिससे उनका विकास नहीं हो सकेगा। मान्यवर, इसलिए माइक्रो प्लान को देखना होगा जिससे गांव का विकास हो सके। मान्यवर, माइक्रो प्लान के तहत, गांवों में हैण्डपम्प की आवश्यकता, पंचायत घर की आवश्यकता, सड़क की आवश्यकता के संबंध में हमने अधिकारियों से कहा कि वन नीति में जहां माइक्रो प्लान लागू होगा जिस गांव में माइक्रो प्लान लागू करेंगे वहां सभी विभागों के अधिकारी जो-जो उनके विभाग का पैसा है उसे लेकर वन अधिकारियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें जिससे गांव की समस्याओं का निराकरण किया जा सके और जब पैसा देंगे तो वहीं का विकास होगा।

मान्यवर, हमें जो धन मिलेगा वह हम पहले वृक्षारोपण पर खर्च करेंगे लेकिन यदि हमसे कहा जायेगा कि वह पैसा वृक्षारोपण पर न खर्च करके जीप खरीदने पर खर्च किया जाय और हम ऐसा नहीं होने देंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे तो पत्रकार लोग क्या हमारी आलोचना करेंगे इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहाड़ के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो हमारे सामने आज समस्या है वह समस्या जब आपके सामने पैदा होगी, जब पहाड़ अलग होगा तो पुन्ना जो और पोखरियाल जी इस संबंध में आप लोग विचार करें कि दस हजार लोगों को आप कहां बैठायेंगे ।

मान्यवर, दूसरी समस्या नाप-बेनाप की है लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन अधिनियम और भारत सरकार के कानूनों के अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय है, फारेस्ट के बारे में उसमें जो अर्थ लगाया है उसमें कानूनों को देखते हुए जो संकट है उसके हल के लिये मैंने माननीय सभी विधायकों और पहाड़ के सभी मंत्रियों की बैठक आहूत किया था और एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी थी जिसकी रिपोर्ट आ गयी है । उन्होंने कहा कि विधि विभाग की सलाह ले ली जाय । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सारे कानूनी मसलों को लेकर भारत सरकार के मंत्री से बात कर आपकी समस्याओं के हल का संकल्प लेना चाहते हैं । हम इस प्रकार बहुत बड़ी पहल करना चाहते हैं । मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं और आप सबको भी कि हम एक नया संकल्प लेंगे वन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिये हमने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सारी बातें तीन दिन में बता दीं । वे आपकी समस्याओं के निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे । एक बात हमने कही है इको डेवलपेन्ट की जो कार्य योजना है और जो काम बाहर है उसके लिये इको डेवलपमेन्ट की व्यवस्था की गयी है । हम जे०एम०एफ० माइक्रोप्लान और इको डेवलपमेन्ट के सहारे, इस वन नीति के सहारे हम उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे । वनों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है उनका ध्यान रखना हमारा धर्म है ।

अंग्रेज हमें वसीयत दे गये उन्होंने सभी जगह गाजर, घास, जलकुम्भी को विस्तार किया जिससे हमारे क्षेत्रीय वन पशु जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं, हिरनों को घास नहीं मिलेगी हाथियों को उनकी घास नहीं मिलेगी तो वे कहां जायेंगे सीधी सी बात है वे खेतों की ओर भागेंगे तो मांसाहारी पशु हैं, बाघ हैं, चीता हैं, इन्हीं हिरनों के साथ-साथ गांव की ओर भागेंगे इनका शिकार करने के लिये । शाकाहारी पशु किसानों की खेती उजाड़ेंगे और मांसाहारी पशुओं को वहां क्या मिलेगा किसान उसका परिवार उसके बच्चे । यह एक विकट समस्या है । हमारे विभाग के कर्मचारियों के सामने । बाघ ने किसान पर हमला कर दिया । लड़की शौच के लिये गयी, बाघ द्वारा उठा ली गई, शिकार कर ली गई । बाघ शाम को खटिया के नीचे छिप गया और बच्चे को उठा ले गया हमने कई बाघों को मारने का इन्तजाम किया, हमने उन्हें पकड़ा है हमें उन परिवारों को सहायता देनी चाहिए जिनकी बच्ची घायल हो गयी बाघ द्वारा या कोई मर गया वन पशु का शिकार हो गया इस प्रकार की घटनाओं में जहां वन पशुओं द्वारा किसी की जान जाती है वहां 10 हजार रुपये उस परिवार को दिये जाते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार हमने इस राशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है और इतना ही नहीं उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है । अभी वन मंत्रियों की एक बैठक भारत सरकार द्वारा आयोजित की गयी जिसमें हर प्रदेश का वन मंत्री था इसमें मैं भी गया था । मैंने उस बैठक में उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उजागर किया । उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है अन्य प्रदेशों की तुलना में जहां हमारे वन पशुओं की रक्षा के लिये 4. 5-6 प्रतिशत एरिया सुरक्षित किये गये हैं । पर वहीं हमें 50 करोड़ रुपये की जो वन सम्पदा है उसके रख-रखाव के लिये खर्च करना पड़ता है । उसको बचाने के लिये हमें प्रयत्न करना होगा । यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है । वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिये 50 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, हमने भारत सरकार से कहा है इसकी पूर्ति के लिये । हमारे कर्मचारियों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न हो जाता है जब हम किसी घायल या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को पैसा नहीं दे पाते हैं, उससे लोगों में आक्रोश पैदा होता है । किसी का हाथ

टूट गया, कोई घायल हो गया ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है । श्रीमन्, हमने एक आदेश किया है, उस बैठक में हमने कहा कि जो हमारे रिसर्च सेन्टर्स हैं अभी तक हम जीव-जन्तुओं की पहचान नहीं कर पाये हैं, मैंने उनसे कहा कि उनकी पहचान करिये और जो हमारे चिड़ियाघर हैं, वहां पर जो जानवर बीमार होते हैं, उनको देखिये और उनके रखने आदि के संबंध में सुझाव दीजिए ताकि आपमें जो योग्यता है और आपने जो अनुसंधान किया है उसका फायदा उठा सकें । एक शेर को प्रकृतिजन्य वातावरण में न रखने से अवरोध पैदा होता है और वह बीमार हो जाता है ।

हमने जो आदेश दिया है इससे चिड़ियाघरों को इन रिसर्च सेन्टरों से जोड़ा जायेगा और इनके माध्यम से हमें नई-नई जानकारी मिलेगी । मान्यवर, आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश की औषधियों को विदेश ले जाने की योजना बना रही हैं जो हमारी उन वनस्पतियों की जीन्स हैं वह किसी तरह से विदेश न जा सकें । हम उनकी रक्षा करेंगे । हम इनकी जैव विशेषताओं की रक्षा करेंगे मैंने इस संबंध में भारत सरकार को लिखा है । एक निवेदन है कि हम वन में औषधि वानिकी को बढ़ाना चाहते हैं । पाठशालाओं में बच्चों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जायेगा और जो पौधशालायें हैं उनमें ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत बच्चों को भेजकर और उनको 500 रुपये प्रतिमाह देकर हाइटेक नर्सरी लगाने की ट्रेनिंग देंगे और जब वह लड़के अपनी पौध लगायें तो हम उनसे इस पौध को खरीद लेंगे । डा० राम मनोहर लोहिया रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करेंगे । हम ग्रामीण जीवन को भी वन चेतना के 3 और चिल्ड्रेन पार्क से जोड़ना चाहते हैं उनसे जुड़कर एक नया योगदान देना चाहते हैं । हमारे जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको तेंदूपत्ता तोड़ने में हमने सुविधायें दी हैं । जो हमारी विश्व खाद्य कार्यक्रम की योजना है उसमें 65 रुपये मजदूरी दे रहे हैं मिनियम वेजेज से ज्यादा दे रहे हैं तेंदूपत्ता में उनका जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने जा रहे हैं । जब वह तेंदूपत्ता तोड़ने के लिये जाते हैं तो उनको जैसे मिलेट्री वाले कपड़े का कंटेनर पानी के लिये इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम उनको एक कंटेनर देंगे जिसमें 2-3 किलो पानी आयेगा ।इसके साथ-साथ हम उनको फर्स्ट एड चिकित्सा दे रहे हैं और वनवासी आदिवासियों की मजदूरी बढ़ाने जा रहे हैं । महुआ और शहद की जो नीलामी होती थी उसको बन्द कर दिया गया है और पण्डित दीनदयाल योजना के अन्तर्गत हम वनवासियों को सहायता देने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष हम 50-60 हजार हेक्टेयर में वृक्ष लगाते हैं । यह सबसे ज्यादा रोजगार परक योजना है । हम इसमें आप सबका सक्रिय सहयोग चाहते हैं ताकि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी हरितिमा हो व प्रदेश उन्नत हो सके, मान्यवर, हमारा वन नियम है आप और हम जिस आसन पर बैठे हुए हैं वह काष्ठ की है वन निगम पहाड़ के निवासियों को कम दरों पर घाटा उठाकर लकड़ी देता है । वन निगम द्वारा तेंदूपत्ता, खैर, लीसा का उत्पादन किया जाता है । आज लीसा की जो स्थिति है आपकी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 8 प्रतिशत घटा दी थी जिससे हमारा जो लोकल लीसा था उसके दाम बढ़ गये और लीसा के स्टाक की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गयी । इसी तरह से यूकीलिप्टस, पल्प वुड में नुकसान हुआ है और जो हमारी नीति थी वह प्रभावित हुई । मान्यवर, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमने हल्द्वानी में 20 करोड़ की लागत से एक हास्पिटल बनवाया है जिसमें आधुनिक सुविधायें मौजूद हैं यह पहाड़ के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक हो रहा है । मान्यवर, वन निगम और वन विभाग जनता की सुविधा के लिये, जनता को सहयोग देने के लिये और जनता को प्राण वायु देने के लिये तथा हरितिमा देने के लिये कृत संकल्प है । हम हाईटेक्नीक लेकर प्राण वायु की रक्षा के लिये कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें आपके सहयोग की आशा करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपने विभाग का बजट पेश करता हूं ।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर सदस्यों ने मेंजे थपथपाईं)

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैंने ध्यानपूर्वक माननीय वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वन विभाग के बजट को सुना । वन मंत्री जी का जो तजुर्बा है सार्वजनिक जीवन का, हमें भी उनके सानिध्य में इस पक्ष में बैठने का अवसर मिला । हमारी अपेक्षा थी कि मुझे उनके द्वारा प्रस्तुत वन विभाग के बजट पर दूसरी बार कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिला । मैं उम्मीद कर रहा था कि निश्चित रूप से एक ढर्रे से अलग, एक लीक से अलग हट करके,एक साहस का परिचय देंगे और न केवल इस प्रदेश के लिये बल्कि सम्पूर्ण देश और दुनियां के लिये जो सर्वाधिक चिन्ता का विषय बन गया है, वन और वनों के क्षरण के साथ पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है । इस प्रकार से दुनियां के सभी देश इस बात को ले करके चिन्तित हैं, हम मान करके चलते थे कि वन विभाग के कार्यक्रमं में आमूल-चूल परिवर्तन करके इस तरह का बजट पेश करने का काम करेंगे जो पालिसी सेण्टर्ड न होकर पीपुल्स सेण्टर्ड बजट होगा, व्यक्ति को केन्द्र में रखकर निर्धारित किया जायेगा । निराशा हुई कि इस तरह का बजट सामने नहीं आया ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि प्राण वायु जिसे आक्सीजन कहते हैं, जीव मात्र की जो उत्पत्ति हुई है तो यह मानकर हम चलते हैं कि वनों का सम्बन्ध जीव की उत्पत्ति से ही है । हम लोग यह मानते हैं, पौराणिक संस्कृति में इस बात को पढ़ते हैं कि पानी के अन्दर जीव सबसे पहले आया, पानी के अन्दर किस शक्ल में आया, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती । भूमि के ऊपर जो जीवन पहले आया, उससे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई उसे अरण्य या वन सभ्यता कहा गया, हम उन्हें वनवासी या आदिवासी कहकर पुकारते हैं । आज एक अजीब सी स्थिति हम लोगों के सामने हो गयी है । एक तरफ हम लोगों का यह देश और प्रदेश जिसे मानकर चलते हैं कि दुनियां में अकेला ऐसा देश है जिसके पास अपार निधियों का भण्डार है, जल का भण्डार है, उन्हीं नदियों के बारे में संवेदना के साथ सुनते हैं । रोज इस बात को ले करके पीड़ा व्यक्त करते हैं, सरकार की तरफ से जवाब आता है । वही नदियां विनाश की शक्ल में विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं तो सवाल उठता है कि कौन से उपाय किया जा सकता है कि वे विभीषिकायें न हों, क्लैमिटीज न आये । कुल मिलाकर यह सोचा गया कि वृक्ष, भूमि और जल जो 3 बुनियादी तत्व जीवन के माने गये हैं । जहां आक्सीजन को जीवन का मूलभूत आधार मानते हैं, भूमि से जल व अन्न मिलता है, जिसका सेवन करके अपना जीवन यापन करते हैं । उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल । भूमि और जल का संरक्षण किस तरह से किया जाए । मैंने तमाम बातें गौर से सुनीं । मैं आज की तारीख में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमारी फारेस्ट पालिसी है उसके तहत यह मानकर चला जा रहा है कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहां कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में वन होना चाहिए व पर्वतीय क्षेत्र में दो तिहाई फारेस्ट कवर होना चाहिए । इस हिसाब से आज हम देखें तो आपके मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में 61 प्रतिशत वन हैं । मेरे मुताबिक उसमें वन भूमि को निकाल दें तो मात्र 41 प्रतिशत रिच फारेस्ट ही है । मैदानी क्षेत्रों को जोड़कर प्रतिशत निकालें जो 11 प्रतिशत से लेकर इस प्रदेश में सवा 11 प्रतिशत फारेस्ट कवर हैं । लेकिन अगर हम अलग-अलग करके बुन्देलखण्ड अलग कर दें, पूर्वांचल अलग कर दें इस प्रकार देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक प्रतिशत से कम वन क्षेत्र हैं । वहां पर किस तरह की कार्य योजना बनाई जाए इसका जिक्र इस बजट भाषण में नहीं हुआ ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मैं आज इस तरफ बैठा हूं कल आप लोग इधर बैठ सकते हैं यह इस पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है । हालांकि मैं भी यह मानता हूं कि संसाधन जुटाना कोई पारस के पत्थर की बात नहीं है या ओवर नाइट सलूशन की बात नहीं है हम सब की जिम्मेदारी है हमे इस तरह की नीति निर्धारित करनी चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हम किस प्रकार से करेंगे । आज की तारीख में प्रतिवर्ष बाढ़ से यदि हम सरसरी तौर पर देखें तो सोयल का लाश प्रतिवर्ष 4 हजार मिलियन टन का होता है इतनी मिट्टी बहकर चली जाती है जिससे पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में हमें खाद आयात करनी पड़ती है । वन कानूनों की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई । हालांकि इस सदन में अंग्रेजों का जिक्र करके हमारी मंशा उनकी प्रशंसा करने की नहीं है । यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है । 1800 ई० में अंग्रेजों ने पहली बार जंगल संरक्षण के बारे में कोई बात सोची । जिसके कारण उत्तरांचल में जंगल से संबंधित कानून की शुरुआत हुई । उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसका विकास होता गया । 1927 में जाकर हमने फारेस्ट एक्ट बनाया । 1980 में फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना जिसके बारे में उत्तरांचल के लोगों ने और वहां के विधायकों ने इस सदन में गंभीर विरोध किया । उससे किस तरह से विकास सम्बन्धी कार्य बाधित होते हैं यह सभी को मालूम है । इस प्रकार 1988 में वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन एक्ट बना उसके बाद जंगल से संबंधित कानून बनाये गये । उस कानून की परिणीत यह रही है कि वह कानून भी जाता रहा और उस पर नजर रखने वाले लोग भी जाते रहे और कुल मिलाकर उस कानून की शक्ल एन्टी पीपुल हो गयी और लोगों ने उस कानून को धिक्कारना शुरू कर दिया । संभवतः इन्हीं सब चीजों को लाकर भारत सरकार ने यह समझा होगा कि इसका एक तरीका निकाला जाय कि किस तरीके से जंगल के आस-पड़ोस में रहने वाले लेगों से, जिनकी तमाम पीढ़ियां जंगलों में रहती आयी थीं जिन्होंने जंगलों का संवर्धन किया, उनसे कैसे जंगलों के संवर्धन के लिये योगदान लिया जाय । इसी वजह से जे०एफ०एम० का कन्सेप्ट सामने आया । परन्तु मुझे शंका है कि आज भी जे०एफ०एम० के उस कंसेप्ट को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा है । हमारे सहारनपुर के विधायक बैठे हैं ।

मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं एक राजाजी नेशनल पार्क है, वहां पर वन गूजर रहते थे, उन्हें आपने वहां से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया । अब यह आपने क्यों किया, इस पर तो एक विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इस विवाद में इस समय नहीं पड़ना चाहता । वह वन गूजर जो जंगलों में रहकर जीवन यापन करते थे निश्चित रूप से जंगल के संवर्धन में उनके पास ट्रेडीशनल नालेज थी । यदि उनका उपयोग नहीं किया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जंगलों का संरक्षण करने में सफल नहीं हो सकते हैं ।

एक उदाहरण देना चाहता हूं देहरादून घाटी का । आज भी गंगा और यमुना के बीच में फारेस्ट क्षेत्र है । साल का पौधा झाड़-झंखाड़ के बीच में जिसमें आधी छांव रहे और आधी धूप रहे, वहां पर यह पैदा होता है परन्तु कृत्रिम रूप से आज भी इस साल के पौधे को अपनी नर्सरी में तैयार करने में आपका विभाग असफल रहा है । इसी राजाजी नेशनल पार्क में टांगिया कास्तकार रहते थे और उन्हें आप पट्टा देते थे, जिस पर वह खेती करते थे, और साथ ही साथ 4-4 व 5-5 मीटर के फासले पर लाइन में पौधों की नर्सरी करते थे और जब वह नर्सरी मैच्योर्ड लेबल तक पहुंच जाती थी तो वहां से उन कास्तकारों को आप हटाकर दूसरी जगह दे देते थे । इसी प्रकार राजाजी नेशनल पार्क में जो भाभड़ घास होती थी, जिससे लोग अपने छप्पर आदि बनाया करते थे, आपने कह दिया कि इसे प्राइवेट मजदूर नहीं काटेंगे बल्कि वन विभाग के मजदूर काटेंगे । लेकिन हमने उस समय इसका विरोध नहीं किया । जब हमने देखा कि वन विभाग के जो मजदूर हैं वह जड़ सहित उस घास को उखाड़ दे रहे हैं जिससे एक कठिनाई पैदा हो गई परन्तु जो ट्रेडीशनल तरीके से उस घास को लोग काटते थे, निश्चित रूप से उनके पास कोई तकनीक थी जिससे उस घास के रिजनरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता था और कोई प्रतिकूल असर नहीं

पड़ता था । इसलिये हमें इस नुक्ता निगाह से जंगलों के इंजतामात करने होंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारी चीजें जब हम पहाड़ की तरफ ऊपर को जाते हैं । बहुत सारे लोग लखनऊ में बैठकर सुनता हूं लोग कहते हैं कि ट्यूबवेल सूख गये हैं, पानी नहीं आ रहा है लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं आप भी जायेंगे, मसूरी जायेंगे, नैनीताल जायेंगे वहां के लोगों के सामने हम यह पूछेंगे कि हमको पीने का पानी कहां से मिलेगा । आज वहां पर भी जलस्रोत सूख गये हैं वनस्पति जो पुरानी हो गयी है उससे पानी जमीन के अन्दर जज्ब नहीं हो पाता है और बरसात का पानी जमीन के अन्दर जज्ब नहीं होता है नदी नाले से होकर वह समुद्र में चला जा रहा है जो प्राकृतिक वाटर रिचार्जजिंग होता था वह नहीं हो पाता है । पानी की समस्या के लिये जल निगम के विभाग द्वारा 10 लाख की योजना बनाई जाती है और वह दो साल में ड्राई अप हो जाती है । हम लोग फिर डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि पानी की समस्या हो रही है । यह तमाम ऐसे कारण हैं जिससे वहां की जनता उद्वेलित है । मैं यह कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

आप अपने साथी के लिये एक पिंजड़ा क्यों नहीं बनवा देते । यह विलुप्त प्रजाति है ।

श्री अधिष्ठाता–

जैन साहब कृपया शान्त रहें ।

श्री मुन्ना चौहान–

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक्स टर्नल एडेड प्रोजेक्ट के नाम पर लूट मची हुई है । वर्ल्ड बैंक सेस योरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीज आदि से पैसा मिल रहा है वह कहां जा रहा है उससे कोई कार्य नहीं हो रहा है । जो पैसा हमको मिल रहा है, हमें वह वापस भी करना है इसके प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए । इस पैसे का किस तरीके से उपयोग करें । जो भी एक्स्टर्नल एडेड प्रोजेक्ट हैं उन पर काम हो न हो हम यह जरूर करते हैं कि खरीद फरोख्त शुरू कर देते हैं । इतनी गाड़ियां, इतने कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोस्टेटे मशीन वगैरह वगैरह । उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि देहरादून वैली में वाटरशेड प्रोजेक्ट का उदाहरण में ई० सी०सी० द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जल संरक्षण और भूमि के सम्वर्धन की दृष्टि से कोई काम नहीं किया गया । दून वैली का हाइड्रो चिन्ता का विषय नहीं है । चर्चा नहीं होती । कोई एकाउन्टेन्ट जाता है एक टाटा सूमो, डी० एफ० ओ० जाता है तो दो टाटा सूमो, तीसरा आदमी कोई जाता है तो तीन जीप इस तरह से वहां पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और काम कोई नजर नहीं आता है । पैसे के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए । दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ी चिन्ता दिखाई हमारी बात किसी न किसी तरह से आपके सामने आ गई और आपने थोड़ी सी चिन्ता दिखाई । बड़ा अमानवीय लगता था जब किसी व्यक्ति का बच्चा या बच्ची को बाघ उठाकर ले गया ।

आप कहते हैं कि 5 हजार का मुआवजा उस परिवार को दे रहे हैं । जिस घर का सदस्य मारा गया उसको 5 हजार रुपया देने की बात करते थे जब पशु किसी के द्वारा मारा जाता है तो पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोंकते हैं । हलांकि आपने जो संवेदनशीलता वहां के लोगों के प्रति दिखाई है वह अपर्याप्त है । फिर भी उसे सराहा है । एक बात कहना चाहता हूं कि जो वाइल्ड लाइफ है । आपके पास तमाम एक्सपर्ट्स की टीम है, योग्य अधिकारी हैं । फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर तमाम तरह के स्टाफ के लोग हैं । एक बात कहना चाहता हूं यहां पर उत्तराखण्ड विकास मंत्री भी बैठे हैं, आदरणीय भरत सिंह रावत जी भी बैठे हैं । इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि आठ जन प्रतिनिधियों के क्षेत्र में देखने में आया है

कि नरभक्षी बाघ की घटनाएं आपके क्षेत्र में होती हैं। क्या इस बात को भी जंगलात वालों ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं जिस क्षेत्र सहारनपुर से आता हूं वहां एशिया का प्रसिद्ध देवदार फारेस्ट है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि बाघ की घटनायें वहां पर नहीं हुई हैं यह कारण जानने का विषय है, जहां तक मैंने जानकारी की है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मेरी निश्चित रूप से जानकारी है ज्यादातर यह देखने में आया कि वह सूखे इलाके हैं, जहां नदी-नाले जलाशय नहीं हैं। लेकिन जहां मानव शव का दहन होता है और बीच में कोई जलाशय सूख जाता है तो वह टेस्ट डेवलप कर लेते हैं और धीरे-धीरे वह आदत बन जाती है टेन्डेंसी ग्रो कर लेते हैं। मेरी निश्चित जानकारी है इसका अध्ययन करने की कोशिश करें।

श्री अधिष्ठाता–

20 मिनट हो गये हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

आप उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण वन क्षेत्र का प्रिविलेज भी देंगे और मुझे इस नाते बोलने का प्रिविलेज भी देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का बजट भाषण में जिक्र किया वह ठीक है कि शुरुआती दौर में जंगल समस्या कानून बना जिस जमीन पर काश्तकारी न हो रही हो। उसको प्रोटेक्टेट लैण्ड घोषित किया। जब फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को डिफाइन करने की कोर्ट ने कोशिश की, तो मान्यवर, बताना चाहूंगा पर्वतीय क्षेत्र में केसर भूमि, बेनाम भूमि जिसको कहते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने जंगल घोषित कर दिया, आज सारे विकास संबंधी कार्य अवरुद्ध हैं। मैं कहना चाहता हूं शायद आपने प्रयास किया मुझे शंका नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने सही ढंग से उसको प्रजेन्ट नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि बेनाम भूमि, केसर भूमि रूटलेस होनी चाहिए विकास के कार्य नहीं रखने चाहिए, पुख्ता इन्तजाम करने चाहिए। जैसा मैंने कहा बेनाम भूमि को प्रोटेक्ट फारेस्ट घोषित किया, मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर, यह भूमि जो प्रोटेक्ट भूमि घोषित की गयी तो क्षेत्र के स्थानीय लोगों को हक-हकूक की शक्ल में सुविधायें दी गईं, लेकिन वह हक-हकूक विदड्रा कर रहे हैं स्थानीय आबादी के सहयोग के बिना जंगलों का संवर्धन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जंगल में आग लग गयी तो आपका एक फारेस्ट गार्ड कुछ नहीं कर सकता है अगर आपको स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण लोग फायर लाइन काटते थे, उसकी एवज में उनको रियायतें दी जाती थीं, अब सुविधायें विदड्रा की जा रही हैं आप अपेक्षा तो करते हैं कि गांव वाले कार्य करें लेकिन रियायतें विदड्रा कर रहे हैं, इसलिये स्थानीय सहयोग नहीं मिल सकता है। जी०एन०एस० फारेस्ट प्रोग्राम लागू किया, मैसेज साफ सुथरा जाए। जंगल के किनारे की आबादी जिनके पहले वाली पीढ़ी ने जंगलों को बनाने का काम किया, उनकी भागीदारी हो उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इंजताम हो, छात्रवृत्ति का इंतजाम हो। नन्दा देवी बाघ रिजर्व की गुणवत्ता बढ़े, यह दो जिलों के लिये ही नहीं मानव जीवन में लंग्स का काम कर रहा है जो यूनेस्को ने बाघ रिजर्व बनाने का काम किया है कभी यह सोचने की कोशिश की है जो नन्दा देवी के चारों तरफ रहते थे उनको सुविधा देने का काम करेंगे। उन्होंने अपने को सेक्रीफाइस किया लेकिन बदले में उनको क्या मिला। तो यह उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जंगल की स्थिति है, फारेस्टेशन प्रोग्राम पर बहुत तवज्जो दिया था। जो पहाड़ों के जंगल हैं, तराई के जंगल हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक ही प्रजाति के पेड़ों को लोग पकड़े हुए हैं। उसी का रोपण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यह एक तरह से मोनो कल्चर बनाने का काम कर रहे हैं। यदि मिक्स फारेस्ट बनाए जाय तो चैक और बैलेन्स सही होगा।

मान्यवर, इसमें होता क्या है कि यदि एक पेड़ पर कीड़ा लग गया है तो अगर एक ही प्रजाति का पेड़ लगा होता है तो वह सारे जगह फैल जायेगा और वह सारा का सारा जंगल तबाह हो जायेगा । इसी के विपरीत यदि अनेक प्रजाति के वृक्ष लगे हुए हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज दूसरे प्रजाति के पेड़ में हो जो उसको डायल्यूट कर दे और वह महामारी फैलने से रोक दे । मान्यवर, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जंगल के अन्दर भी महामारी फैलती है और इससे जंगल तबाह हो जाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि मिक्स फोरेस्टेशन होना चाहिए ।

मान्यवर, इसी तरह से गांव के और पहाड़ों के जंगल में यह कहा जाता है कि पशुओं को न ले जायें और वह चारा न खिलायें । मान्यवर, पहाड़ों में मैं ज्यादा घूमता हूं । वहां पर पहाड़ों पर ऐसी प्रजाति का रोपण करने चले आ रहे हैं जिनका पहाड़ों पर नामोनिशान नहीं है । मुरई मुरन्दा और न जाने कौन-कौन सी प्रजातियां बो रहे हैं तो जो स्थानीय प्रजातियां हैं उस पर जोर दें । मेरा सुझाव है कि स्टाल फीडिंग करायी जाय । यानि की खूंटे पर चारा पर ज्यादा जोर दिया जाय । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक झील सी बन गयी है जहां पर टोंस नदी और जमुना नदी का पानी एकत्र होता है । उस झील के अन्दर पक्षी आकर रहने हैं और वह पक्षी विहार के रूप में हो गया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसे पक्षी विहार के रूप में सुरक्षित करने का काम करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा । जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपका स्टाफ है अगर कोई मानवीय घटना होती है तो हम सहमत हैं कि वहां पर जरूर आपको कम्पनसेट करना चाहिए लेकिन आपके यहां जो पुराने जंगल हैं वहां लोग नर्सरी और फर्जी प्लान्टेशन के नाम पर यह कहा करते हैं कि सिर के बाल गिनना और पेड़ों को गिनना एक जैसी बात है । भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वन माफिया तो एक पहलू है आपने कुछ इन्तजामात किये भी हैं उनसे मैं सहमत भी हूं, लेकिन ये जो पोस्टिंग माफिया वाली बात है कि आपके विभाग के सफेद पोश लोग 10-10 साल से एक जगह से हिलने का नाम नहीं लेते थे एक तरह से इम्यून हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है । यदि आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर आपके सुधार का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है । जो अवैध कटान की बात है जब वीरप्पन जैसे तस्कर को तमाम बल और सरकार लग गयी, नहीं पकड़ सकी है तो अगर इतनी बड़ी आबादी में कोई और तस्कर आ गया तो फिर मुश्किल हो जायेगी ।

मान्यवर, आपके फील्ड स्टाफ की साजिश से और उनके सहयोग से ही पेड़ों का अवैध कटान होता है, पेड़ कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको काटा और बस्ते में छिपा कर ले गये, उसको ट्रक में लादना, बाजार में पहुंचाना यह जो प्रक्रिया है बिना फारेस्ट रेंजर और स्टाफ के सहयोग से संभव नहीं है । मान्यवर, एक उदाहरण दूंगा राजाजी नेशनल पार्क में 22-6-98 को रामगढ़ रेंज के अन्तर्गत पेड़ कटता है, शिकायत होती है और उसमें एक जुर्म काटा जाता है । एक व्यक्ति के विरुद्ध, फिर दो-तीन लोगों से फील्ड स्टाफ जुर्म वसूलता है लेकिन अपनी जेब में रख लेता है फिर उसी जुर्म की पर्ची पर गोलमाल करके लिख दिया जाता है लेकिन ये जो हेरा-फेरी होती है उसमें भी बदमाश सबूत छोड़ देता है । यह मैं मामला आपके पास भेजवा रहा हूं इसमें क्षेत्रीय विधायक की चिट्ठी भी लगी हुई है । मुझे प्रसन्नता है कि आज की तारीख में कुछ रोक भी लगी हुई है । मान्यवर, हमारे यहां चकराता में देवदार के फारेस्ट हैं वहां पर सफेदपोश नौजवान लोगों की फौज तैयार हो गयी थी जिसका काम था लकड़ी का अवैध कटान और बाजार में बेचना । अगर आप इन सब चीजों को रोकने का काम नहीं करेंगे तो फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा । मैं तो बजट में बढ़ोत्तरी की बात करता लेकिन चूंकि आपने इसमें कोई इच्छा शक्ति दिखाने का काम नहीं किया है इसलिये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । आपने इसमें पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विकास की बात रखी है और इस बजट में एक लाख रुपये का प्राविधान किया है । मेरा अनुरोध है कि यह खाना-पूरी करने का काम कृपया न करें । एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । मैंने कल पर्यटन विभाग के बजट पर बोलते हुए भी कहा था, आज आपसे पुनः

आग्रह कर रहा हूं। तमाम वन क्षेत्रों में ऐसी जगह हैं जो बेहद रमणीक, सुन्दर पर्यटक, स्थल हैं, पर्यटन विभाग इनको डेवलप करे, लेकिन इसके साथ ही वन विभाग के जो रेस्ट हाउसेस, इंस्पेक्शन हाउसेस तथा डाक बंगले हैं, उनके इस्तेमाल की छूट मिले, आप ऐसे इन्तजाम करें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वहां पर हाय-तौबा वाली गतिविधियां भी आप नहीं होने देंगे, जिससे इकालोजी डिस्टर्ब न हो, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने माननीय वन मंत्री जी, जो इस सदन के योग्य, अनुभवी और मौलिक सोच के धनी हैं, उन्होंने वन विभाग का बजट रखा है, उसके पक्ष में मुझे कहने का अवसर दिया है। मान्यवर, वन इस प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति वनों की गोद में विकसित हुई है। ऋषियों, मुनियों ने अपनी अपार साधना इसी में की है, वनों के अन्दर ही उन्होंने अपार ज्ञान अर्जित किया, उससे दुनिया को एक नयी सोच मिली, नई दिशा मिली और नया सन्देश मिला। आज वनों का महत्व पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत अधिक है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिये और पर्यावरण के विस्तार में वनीकरण के अलावा दूसरा कोई विकल्प वैज्ञानिक के सामने नहीं है।

हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है, यहां का प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसलिये पर्यावरण के हिसाब से एक तिहाई वन हमारे भू-भाग पर होना चाहिये लेकिन जो हमारे आंकड़े बताते हैं और जैसा कि माननीय वन मंत्री जी ने भी बताया, उसके हिसाब से 17.5 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र हैं, उसमें से पहाड़, नदियों को निकाल दिया जाय तो केवल 11.5 प्रतिशत ही वास्तविक वन क्षेत्र है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब से माननीय वन मंत्री जी ने पद को संभाला, उन्होंने अपने विभाग में लीक से हटकर कुछ काम किया है। उन्होंने पहला काम यह किया कि जो अवैध कटान होता था, उसको बड़ी सख्ती के साथ रोकने का काम किया। पिछले वर्ष में हजारों हेक्टेयर जमीन कटान से बचाई गई है। यही नहीं, जो वन माफिया अतिक्रमण करके वनभूमि पर कब्जा कर लेते थे, उनको वन विभाग के कर्मियों ने संघर्ष करके वन सम्पदा की रक्षा की है और जमीन को अतिक्रमण होने से बचाया है।

माननीय वन मंत्री जी ने वन माफियाओं के राज को समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाया है और उनको नियमों, कानूनों के तहत सख्त सजा दी है, अब कोई भी व्यक्ति मनचाहे ढंग से किसी वनसम्पदा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वन मंत्री जी ने पिछली बार बजट में एक ऐतिहासिक काम किया, अब तक जो भी पौधे लगाये जाते थे, वह केवल कागजों पर लक्ष्य प्राप्ति होती थी, लेकिन इस बार उसके भौतिक सत्यापन पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी ने जंगली पौधों के साथ, ईंधन वाले पौधे तथा फलदार वृक्षों की अनिवार्यता करके वन विभाग में कीर्तिमान कायम किया है, अब वृक्षारोपण में कम से कम 20 प्रतिशत फलदार वृक्ष अवश्य लगाये जायेंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि उस जी०ओ० के हिसाब से 20 प्रतिशत फलदार वृक्ष लगाने का काम शुरू हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, वन विभाग के लोग इस पर अवश्य विचार करेंगे। यह जो फारेस्ट एक्ट है, यह 1927 में बना था, उस समय की परिस्थिति कुछ और थीं, आज की कुछ और हैं। विशेषकर उस दिशा में, जिसमें जुर्माने की राशि मात्र 500 रुपया तथा 100 माह का कारावास का प्राविधान है, इससे पेड़ काटने वाले लोग छोटा सा जुर्माना देकर मुक्ति पा लेते हैं, इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तथा इसके साथ ही वन कर्मियों को इस बात का अधिकार दिया जाय कि जो वनमाफिया अवैध वाहन का प्रयोग करते हैं, उनके वाहनों को वनकर्मी सीज कर सकें जिससे अवैध वाहनों का प्रयोग न हो सके, माननीय वन मंत्री और सरकार को इस ओर अवश्य सोचना चाहिए । एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि जो पौधशालायें हैं उनको सरकार या वन विभाग प्राथमिकता दे । मान्यवर, जब तक अच्छी जाति के पौधे नहीं लगाये जायेंगे, तब तक वृक्षारोपण का कार्य सफल नहीं होगा । जब 3 वर्ष के पौधे हो जायें, उन्हीं का वृक्षारोपण किया जाये ।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब से डी०आर०डी०ए० से वन विभाग को पैसा मिलना शुरू हो गया है, तब से बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है, वन विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी और सी०डी०ओ० के चक्कर लगाने पड़ते हैं । वन विभाग के लिये एक निश्चित मात्रा में धन आवंटित हो जाय, जिससे उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े ।

मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि वनों में आग लगा दी जाती है जिससे पेड़ों को बहुत क्षति होती है मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में आग लगे उस क्षेत्र के अधिकारियों की जवाबदेही हो और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । मान्यवर, हम पूर्वांचल से आते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय परिस्थितियों को देखकर जो नेच्यूरल फारेस्ट है उसी के पौधे लगाये जायें । हमारे यहां शीशम के पेड़ लगाने की बड़ी प्रथा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनमें भयंकर बीमारी लग रही है, जिसके कारण 10-15 साल के बाद शीशम के पौधे सूख जा रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो लोग शीशम के पेड़ लगाना छोड़ देंगे । इस पर ध्यान देना जरूरी है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री जगदीश सिंह राणा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि वन विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने का अवसर मुझे दिया गया । माननीय मंत्री जी ने वन विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 10 हजार परिवार जो गूजरों के नाम से जाने जाते हैं राजाजी नेशनल पार्क में रहते हैं और उनके पास दूध देने वाली भैंसे हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिये इस बजट में कोई बात नहीं कही गयी है आज उनकी दयनीय स्थिति होती जा रही है । उनका बच्चा अगर बीमार होता है, किसी महिला के बच्चा पैदा होना है तो वहां तक डाक्टर को जाने की अनुमति वन विभाग नहीं देता है । इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय जिससे उनको चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वन विभाग ने उनकी भैंसों को वहां से निकालने का काम किया था । वह भैंसे जंगल का ही चारा खाती हैं, बरसीम वगैरह नहीं खाती हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी बहुत सी भैंसे मर गयीं । दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वहां बच्चों की शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक हाईस्कूल स्तर का एक स्कूल खोला जाय । हरीपुर टांगिया हरिद्वार जिले में है, इसकी आबादी 5 हजार की है । वहां के लोग विधान सभा में और पार्लियामेंट में वोट देते हैं, लेकिन उनका अपना कोई प्रधान नहीं है। कम से कम जब हम पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करते हैं, पंचायत घरों की व्यवस्था करते हैं तो उसी तरह से जहां पर हमारे गूजर भाई रहते हैं वहां पर भी प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये और एक ग्राम प्रधान वह चुन सकें, इसका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए । इसी तरह से जैसे आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अन्य जगहों में हैण्ड पम्प लगाते हैं उसी तरह वहां पर भी पेयजल के लिए कम से कम 10 हैण्ड पम्प फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से लगाये जायें । यमुना और गंगा नदी के किनारे जितने फारेस्ट हैं उनके किनारे जो गांव बसे हैं जैसे हमारे यहां मुजफ्फर ब्लाक, भगवानपुर ब्लाक आदि हैं, उनमें गर्मी के दिनों में आग लगने से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं । वह प्लेन में आते हैं इसलिये उनको सहायता नहीं मिल पाती है । इस समस्या का समाधान वन विभाग करे । वह लोग जिस प्रकार वनों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार इस आग से उजड़ भी जाते हैं । उनको उचित मुआवजा फारेस्ट डिपार्टमेन्ट दे ।

एक और समस्या हमारे यहां राजा जी नेशनल पार्क की है । वहां झुन्ड के झुन्ड हाथी आकर नुकसान कर जाते हैं । भगवानपुर ब्लाक में अभी 12 आदमी की हत्या हो गयी और उनको मुआवजे के नाम पर 50 हजार रुपया दिया जाता है । अगर कोई गांव का आदमी वन जन्तुओं को मार देता है व हाथी को मार देता है तो उसे 5 लाख रुपया जुर्माना होता है और कैद अलग से होती है । मेरा अनुरोध है कि उस 50 हजार रुपये की मुआवजे की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाये ।

उसी तरह हमारे गांव में काश्तकारों के सामने एक समस्या आती है वह मेहनत करते है और खेतों की मेड़ों में आम, खैर और शीशम के पेड़ लगाते हैं उनको उस काश्तकार को जिसने वह पेड़ लगाये हैं, काटने की इजाजत तक नहीं होती । कई हजार एकड़ में आम के बाग खड़े हैं । जरूरत पड़ने पर अगर वह काटना चाहे तो वह उन्हें काट नहीं सकता । इजाजत लेने पर भी उसे इजाजत नहीं मिलती । यह किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जब किसान को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है शादी विवाह के लिये पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस समय वह शीशम, आम के पेड़ काटना चाहता हो तो उसको वह परमीशन मिलनी चाहिये । बड़ी मेहनत से उसने आम के पेड़ लगाये हैं तो कमाई के लिये भी उसे पेड़ काटने की परमीशन मिलनी चाहिये ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, वन हमारे जनजीवन से संबंधित आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है जहां आज पूरे देश में पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है । हमारा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है । उसको दूर करने के लिये हम सबकी निगाह वनों पर ही जाती है । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों से हमें अनेक लाभ मिलते हैं । अच्छे मानसून के लिये वनों की ही आवश्यकता होती है । जमीन की कटायी रोकने के लिये भी वनों का होना नितान्त आवश्यक है । शुद्ध वायु भी हमें वनों से ही मिल रही है । जड़ी बूटियां अनेक प्रकार की वनों में ही विद्यमान हैं । वनों की समस्यायें भी हैं उनको दूर करने के लिये मंत्री जी ने काफी कुछ व्यवस्था की है उसके लिये हम वन मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं । वन संरक्षण के लिये अनेक योजना उन्होंने चलायी हैं जिनसे पर्यावरण भी दूर होगा और भूमि कटाव भी रुकेगा और प्राकृतिक सम्पदा की संरचना भी होगी । साथ ही साथ ऊसर क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा वन लगाकर ऊसर सुधार किये जाने की बात कही है । वन जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिये योजनायें बनाई गई हैं और वृक्षारोपण करके वन की व्यवस्था की जायेगी । कृषि वानिकी वृक्षा रोपण के लिये महत्वपूर्ण है । मंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक जिले में वन चेतन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । मान्यवर, जहां आपने अनेक संभावनाओं को व्यक्त किया है उसी तरह से मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, गांव के रहने वाले गांव के किसानों को खेती से संबंधित उनकी अनेक समस्यायें हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पूर्वांचल में देखा जाय तो गंगा नदी की तलहटी में सैकड़ों गांव बसे हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन की फसलें नीलगायें जो वन जीव की संज्ञा में आती हैं। वह किसानों की लहलहाती फसलों को नष्ट कर देती हैं। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि उन हजारों नीलगायों से किसान की फसलों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था करें। इन नीलगायों को समाप्त करने हेतु किसानों को जिलाधिकारी से लाइसेन्स देने की व्यवस्था की जाय क्योंकि हर किसान जिलाधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है इसलिये किसानों के पास कोई साधन नहीं है कि जिससे वे नीलगायों को समाप्त कर सकें और उनसे अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें। इसलिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हजारों एकड़ जमीन परती पड़ी है उसे उत्पादित बनाया जाय और नीलगायों को समाप्त करने की आप कोई योजना बनायें जिससे किसानों की फसल बच सके।

मान्यवर, सोनभद्र जो मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल का दक्षिण भारत से मिला क्षेत्र है वहां के कुछ क्षेत्र में जंगल हैं जो वनरोजों से भरे थे और वहां हाथी घूमा करते थे किन्तु आज हाथी समाप्त हो गये हैं और केवल वहां नीलगायें रह गयी हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां वन जीव विहार की स्थापना की जाय।

मान्यवर, कुछ जिले ऐसे हैं जहां की भूमि पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है इसलिये अनुरोध है कि उनसे मुक्ति दिलाने के लिये मंत्री जी कोई व्यवस्था करें।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने लीसा के संबंध में कहा है। उत्तरांचल में जो चीड़ के वृक्ष हैं उनसे लीसा निकाला जाता है किन्तु मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज लीसा की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। इसलिये अनुरोध है कि मंत्री जी लीसा की चोरी को समाप्त करने की ओर ध्यान दें।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे गांव जहां वृक्षारोपण की आवश्यकता है, वहां किसान वृक्षारोपण करना चाहते हैं वहां ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसान अपने मेड़ों पर निःशुल्क पेड़ लगा सकें जिससे उनको कुछ आय भी प्राप्त हो सकेगी।

(इस समय 7 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे वन मंत्री जी ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है वन बचाने पर और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर। चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिये मैं केवल मैं इन्हीं दो बातों के बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी की इन दोनों चिन्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन इस चिन्ता के परिप्रेक्ष्य में जो तरीके अपनाये गये हैं वे निहायत ही गलत हैं। 30-30 साल तक के उन परिवारों को उजाड़ा गया जिन्हें पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बसाया था। जमीन वन की थी वह खाली होनी ही चाहिए थी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी वन भूमि में इंसान बस्ती क्यों नहीं बसा सकता। ऐसे इन्सान जो उठने-बैठने से खाने-पीने में समानता रखते हैं, उन्हें बसाना चाहिए न कि उजाड़ना चाहिए। उन्हें साढ़े तीन एकड़ जमीन देनी चाहिए। उनसे वृक्षारोपण कराना चाहिए। जो भूमि कृषि योग्य है उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे जो उनके द्वारा लगाये गये पेड़ बड़े हो जाये उन्हें काटने का अधिकार भी उन्हीं को दिया जाना चाहिए। यही प्रक्रिया पुनः-पुनः अपनाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा ? इससे जिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

परिवारों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती उनको एक झोपड़ी मिल जायेगी, परिवार भी बढ़ेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इंसानी बस्ती बसाई जाये।

मान्यवर, मंत्री जी चाहते हैं कि अधिकाधिक वृक्ष लगाये जायें। सड़क के किनारे लगाये जायें। सड़क के किनारे गांव वालों की जमीन पर ही लगा दिये जाते हैं, जैसा कि आपने किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर जो पेड़ लगाये जायें वे उपयोगी हों। उनकी लकड़ी काम में आ सके। उनके फल खाये जा सकें और उन पेड़ों को काटने व उनका पूरा स्वामित्व इस जमीन के मालिक को दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

डा० कौशल किशोर–

एक मिनट और मान्यवर। मान्यवर, हमारे वन मंत्री जी चिंतित हैं महुआ के पेड़ के लिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी महुआ पेड़ के लिये नहीं बल्कि उससे निकलने वाले रस की बात कर रहे थे। माननीय सदस्य कुछ कन्फ्यूज हो गये हैं।

(हंसी)

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं महुआ के रस के बारे में भी यही कहूंगा कि बहुत उपयोगी होता है, उसका फल भी लाभदायक होता है साथ ही महुआ की लकड़ी भी काम में आती है। एक कहावत है। परकी गाय गोलसिंदा तरे धाय-धाय जाये। माननीय मंत्री जी ने पीपल के पेड़ की चिन्ता व्यक्त की, मैं जानता हूं मुझे समय नहीं दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से हमारे जिले में लोगों को उजाड़ करके बरबाद कर दिया। यह एक ऐसी बात है कि तीर चलाये तुमने कोई बात नहीं जख्म दिखाये हमने तो बुरा मान गये।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे माननीय मंत्री जी विद्वान व अनुभवी है और उनका जो सारगर्भित भाषण था, उसको मैंने सुना। उन्होंने बहुत सी घोषणायें भी कीं, वनों के संरक्षण के लिये, उनका निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं। उत्तराखण्ड के मामले में मुझे यह कहना है कि जो खाली भूमि है, 67 प्रतिशत आपके वन हैं और जो वह भूमि है, 1893 में पहली बार अंग्रेजों ने एक अधिसूचना वन प्रबन्धन के बारे में लागू किया और उसी के चलते कई वन अधिनियम बने लेकिन आज 105 साल बाद हमारे उत्तरांचल की जो बेनाम भूमि है, जो अब राजस्व विभाग की हो चुकी है जिस पर हमारे अधिकार थे वह सारी की सारी वन विभाग की हो चुकी है। वन विभाग की जो हमारे ऊपर बंदिश लगी है हम कोई विकास नहीं कर सकते। हम उत्तरांचल के लोग अपने को बनवासी कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। वन अधिनियम से वहां सारा का सारा विकास रुक गया है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि वह भारत सरकार से बात करके हमको राहत दिलायेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सुरक्षित वनों को बेनाम भूमि कहकर हमारे अधिकार सृजित कर दिये थे, हमारा विकास सुरक्षित था और अंग्रेजों ने हम पर कोई काला कानून नहीं थोपा था, उसको आप नहीं थोपेंगे। हम किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां वन जन्तु अधिनियम बना है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन

उसकी वजह वहां जो हिंसक पशु हैं, बाघ हैं, उनकी संख्या इतनी हो गयी है और वे मैन-ईटर मानव भक्षी हो गये हैं, उनको मारने की घोषणा का जो माननीय मंत्री ने की है, उसका स्वागत करता हूं, उन्होंने मारने के आदेश जल्दी-जल्दी दिये हैं किन्तु अगर चोर-डाकुओं से कोई व्यक्ति मारा गया है, उसको 1 लाख, 2 लाख रुपये मिलता है और वन जन्तु अधिनियम के अनुसार उसमें जो व्यक्ति मारा जाता है, 50 हजार रुपये ही उसको दिया जाता है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिये उतना ही पैसा दिया जाय जितना अन्य दुर्घटनाओं में दिया जाता है। मान्यवर, जो आपके कर्मचारी हैं, वन कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी के लिये आपने सुरक्षा प्रदान नहीं की है, कई-कई सालों से कार्य कर रहे हैं आप उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपके वनों की सुरक्षा कैसे होगी ? किसी तरह से उनको नियमित कर दिया जाये। मान्यवर, मैं आपका स्वागत करता हूं, हमारे तराई में एक-एक आदमी के पास लाखों एकड़ भूमि भू-माफियाओं के पास हैं, जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है उनको आप हटा रहे हैं और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनको आप हटा नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वहां कुनाव एक गांव और कोटद्वारा में एक गांव कोड़िया है वहां पर लोगों ने कई वर्षों से अपने-अपने मकान बना रखे हैं। वहां पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और उनकी अभी व्यवस्थित नहीं किया गया है। वह लोग अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री मोती लाल पैलवी–

मान्यवर, आपने जो प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, वनों का बड़ा महत्व है–जैसे युद्ध के लिये ढाल, जीव के ऊपर खाल, पेड़ पर छाल वैसे धरती पर हरी डाल-परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वन मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वह वन की रक्षा कैसे करेंगे। वनों का क्षरण वन कर्मचारी और अधिकारी ही करेंगे। आपने जो बताया कि वनों की रक्षा की जायगी। आपने बताया कि वन कर्मचारी शहीद हुए इस संबंध में मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक डकैत जब डकैती में जो सामान लूटा जाता है उसका बंटवारा अगर नहीं होता है तो वह डकैत अपने साथी को ही गोली मार देता है। मेरे यहां पैला रेंज, भीरा रेंज, मोहरेना रेंज, पड़रिया रेंज वह सारे जंगल हमारे यहां हैं। वहां पर वाचर, फारेस्टर, फारेस्ट गार्ड, रेंजर आदि अनेक कर्मचारी हैं। हमने एक रेंजर की शिकायत की उन्होंने बताया कि वाचर की तन्ख्वाह बहुत कम होती है अपनी जान हथेली पर लेकर जंगल में घूमता है अपनी आमदनी करके अपना पेट भरता है। उस वाचर ने 7 कोरों के पेड़ कटवाये थे और उसमें सबका भाग था, इस बात की शिकायत की गयी और जांच हुई तो इन्क्वायरी के आधार पर वाचर को दंडित कर दिया और केस खत्म हो गया। मेरा यह कहना है कि जो नये पौधे लगाये जाते हैं उनको लोग बेरहमी से उजाड़ देते हैं। इसके लिये कोई कानून नहीं है। इसी तरह से पेड़ काटने के लिये जो परमीशन दी जाती है उसके लिये नियम है कि पेड़ की गोलाई इतनी होनी चाहिए तभी पेड़ काट जायगा। छोटे पेड़ नहीं, लेकिन जो पेड़ की पौध लगती है, पड़ोसी बेरहमी से उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री मोती लाल पैलवी–

इसी तरीके से मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां टांगिया परिवार हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाये उनको वहां से न उजाड़ा जाये। जंगल के पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, उनके पशुओं के चारे के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशु चराने की अनुमति दी जाये । सुखी लकड़ी जो रोटी बनाने के लिये लाते हैं उसे फ्री किया जाये । जंगल में आग लगती है, तो फूस, पतार व जलेबी-लकड़ी उसे धुनिया, थमरिया के लिये दिया जाये । इसके साथ माननीय मुन्ना चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री बिन्दुलाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, विपक्ष के 3 माननीय सदस्यों को बुलवाया जाये तब पक्ष के एक माननीय सदस्य को ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, एक पक्ष से, एक विपक्ष से बुलवाया जायेगा ।

श्री बिन्दुलाल–

मान्यवर, पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और मानव जीवन की दृष्टि से पेड़ों का होना अति आवश्यक है । इसकी जानकारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही जान ली गयी थी, शुरू से ही पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा करते चले आ रहे हैं । पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा आक्सीजन देता है । यह हमारी संस्कृति में था इसलिये आज उसकी हम पूजा करते हैं । हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाये जाते हैं यूकिलिप्टस के, उसके स्थान पर पीपल, बरगद, महुआ के पेड़ लगाये जायें जो पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी हैं, पक्षियों के रहने की दृष्टि से तथा छाया की दृष्टि से भी उपयोगी हैं । आज जरूरत है कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाये जायं जो वन हैं उनकी सुरक्षा की जाय । इस विकास के युग में पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने की जो योजना बनायी गयी है मुझे आशा है कि इस योजना से सन्तुलन बना रहेगा । इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । जो अवैध कटान की बात है उसके बारे में जो 1927 का कानून बना है । कई सम्मानित विधायक कह चुके हैं 1977 से हम जानते हैं ।

1927 के एक्ट में संशोधन करने के लिये आपका विभाग विचार कर रहा है । आज 20 साल के बाद भी वही भाषा बोली जा रही है, उस एक्ट में संशोधन किया जायेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि 20 साल बाद भी आपका विभाग इसमें संशोधन क्यों नहीं कर पा रहा है । मेरा तो मानना है कि पेड़ काटने को संज्ञेय अपराध घोषित करना चाहिए । जो जिम्मेदार अधिकारी और फारेस्ट गार्ड हैं उनको भी भागीदार बनायें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी कठिनाई आयेगी । मान्यवर, जो पेड़ काटते हैं ऐसे लोगों की पहिचान करिये, तथा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जंगल का चार्ज न दें जो अवैध कटान में संलिप्त पाये गये हों । मान्यवर, मेरे क्षेत्र थारू में अनुसूचित के 25-30 हजार लोग हैं । 4 गांव हैं, जो वन गांव हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री बिन्दुलाल–

कंचनपुर, नरहिवा हैं यह चार गांव ऐसे हैं जो वन क्षेत्र में हैं वहां पर कोई स्कूल नहीं बन सकता है, नल नहीं लग सकता है, वहां के निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिन्दुलाल–

हमारे यहां एक गांव नेपाल बार्डर पर है वहां पर आग लग जाने के कारण 85 घर जल गये हैं। उनके लिये धान, धूनी की लकड़ी दिलाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजतेज यादव 'एडवोकेट'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मुन्ना चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी ने बहुत विस्तृत चर्चा वन सम्पत्ति बचाने के लिये वन को मानव से जोड़ने के लिये की उसमें अधिकारियों की बड़ी अहम भूमिका है। मैं मंत्री जी का ध्यान वन से सम्बन्धित जिलों-जिलों में लम्बित मुकदमों की तरफ ले जाना चाहता हूं। उसमें आपका लाखों लाख रुपया करोड़ों रुपये की अच्छी से अच्छी लकड़ी कहीं सड़क पर, कहीं बैरियर पर, कहीं थानों पर पड़ी-पड़ी 20-20, 30-30 साल से सड़ रही है बहुत बहुमूल्य है मैं चाहता हूं कि इन मुकदमों का निस्तारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। निर्णय के बाद उस लकड़ी का डिस्पोजल हो जाए तो अच्छी आमदनी हो जाए।

आपने दूसरी बात कही जड़ी बूटियों के पक्ष में आमदनी अर्जित करते हैं। लेकिन जब दिल्ली की सरकार ने पेटेन्ट बिल पास कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं। अब तो नीम की दातून तोड़ने पर थानेदार आपको लट्ठ मारेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर इस बिल का प्रभाव पड़ेगा। मैं दो-तीन बातें इसके अलावा कहना चाहता हूं हमारे यहां एक एस०डी०ओ० शुक्ला जी हैं वह कचेहरी में पैरवी के लिये जाते हैं वह सबको तंग करते हैं पैसे लेकर पैरवी नहीं करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश सिंह हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी शिकायत इस संबंध में चार महीने पहले फैक्स कर दिया था। मा० मंत्री जी को रजिस्ट्री भी किया है यह शुक्ला जी किसी मुकदमें में फैसला नहीं होने देते। हमारे पूरे कैसरगंज क्षेत्र 1995 की बरसात से 1998 की बरसात तक कितने पेड़ लगवाए इसका उत्तर पूछा था लेकिन आज तक उत्तर नहीं दिया गया। इन्होंने चार साल में हमारे विधान सभा क्षेत्र के कैसरगंज क्षेत्र में लाखों रुपये का नुकसान वृक्ष लगाने में कर दिया है। भ्रष्टाचार किया है भले लोगों को परेशान कर रहे हैं। खुली जांच हो श्री शुक्ला जी दण्डित हो जेल भेजे जायं। 4 वर्षों से बहराइच में लूट-पाट कर रहे हैं। 7 लाख रुपये के पेड़ कागज पर लगवा दिये गये। साढ़े तीन लाख रुपये उनके जेब में चले गये और साढ़े तीन लाख रुपये जो मजदूरों के थे, उन्हें भी वह निकालकर नहीं देते हैं। आपने कहा कि 183 आदमियों को जेल भेजा गया, हम चाहते हैं कि वनों की रक्षा हो परन्तु 4 वर्षों से एस०डी०ओ० श्री शुक्ला जी बहराइच में क्या कर रहे हैं, क्या वहां पर उनकी जागीर हो गयी है। वन रोज की बात आपने कही, इनसे काफी नुकसान होता है। पिछली बार तो आपने काफी चिन्ता इस संबंध में की थी परन्तु इस बार वह देखने में नहीं आया। 10 साल और 20 साल से आदमी जो एक ही स्थान पर बैठे हैं और इसी लखनऊ में बैठे हैं, उन्होंने बिना आरा लगाये वन विभाग का सफाया कर

दिया है । हमारे जुखिया बैरियर पर ही 20 लाख रुपये की लकड़ी पड़ी हुई है । मैंने ये तीन-चार सुझाव दिये हैं, मुझे आशा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री अजय कुमार पोइया का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 1998 को मैंने ध्यान से पढ़ा और उससे मुझे बहुत निराशा हुई । जब माननीय मंत्री जी विपक्ष में बैठते थे तो उन्होंने इसी विधान सभा में संकल्प प्रस्तुत किया था कि जंगलों और नदी के किनारे रहने वाले मछुआ समुदाय के लोग निषाद, केवट और मल्लाह जो परम्परागत रूप से नदी के तल से बालू, मौरंग आदि का व्यवसाय करते हैं और नाव चलाते हैं उनका पुस्तैनी पेशा होने के नाते उनको अधिकार दिया जाय और मुझे आशा थी कि मंत्री जी वन नीति को बनाते समय इसका उल्लेख करेंगे और उस गरीब समुदाय को सुविधा देंगे । परन्तु उन्होंने जो नीति बनायी, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया कि वन क्षेत्र और नदी. नालों से बालू, मौरंग निकालने का काम उत्तर प्रदेश वन निगम के माध्यम से कराया जायेगा । इस नीति को लागू करके इस प्रदेश के लाखों गरीबों को इस तरह का परम्परागत पुस्तैनी पेशा करते आ रहे थे, उससे उन्हें बेरोजगार कर उनकी रोजी-रोटी छीन ली । मत्स्य आखेट और नौका संचालन के लिये भी उस नीति में कोई जिक्र नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें और अपने उस संकल्प को जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसको याद करके वन नीति में संशोधन करें । वन क्षेत्र में जो नदी नाले बहते हैं, उन पर बालू, मौरंग खनन करने का कार्य मल्लाहों और केवटों को ही दिया जायेगा । दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नील गाय का बड़ा प्रकोप है । फैजाबाद में कई हजार की संख्या में यह पैदा हो गये हैं । करोड़ों रुपये की किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उसका उल्लेख भी वन नीति में नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

एक अभियान चलाकर इनको मारने के आदेश कलेक्टरों को दें, किसानों को अधिकार दें कि वे उसको खत्म करें । हर साल करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय मुल्ला चौहान द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो वन नीति बनाई है उसमें संशोधन करें ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग पर माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहली बार सर्वव्यापी बजट प्रस्तुत किया है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लोग बहुत दुख और कष्टों का जीवन जी रहे हैं । अंग्रेजों ने एक साजिश 1815 में करके उत्तराखण्ड क्षेत्र में कब्जा किया । 1823 में ट्रेल नामक कमिश्नर ने एक बन्दोबस्त किया और वहां की भूमि को नापा और एक सरहद बनाई । वैटन नाम के अंग्रेज ने 1839 को पुनः नापा और सरहद बनाई कुछ माडिफिकेशन करके 1872 में वहां पर भूमि फिर नापी गई लेकिन ऐसी भूमि नापी गयी जो कृषि योग्य थी जिस पर जंगल और वन थे, उस भूमि को नहीं नापा गया और उसी को बेनाम भूमि कहा वहां के लोगों के हक हकूक

इस भूमि पर निर्धारित किये । धीरे-धीरे उनको पहले ही 1840-41 में यह आभास हो गया था कि आसाम की पहाड़ियों की भांति उत्तराखण्ड की पहाड़ियों पर चाय के बागान लगा सकते हैं इसलिये पहली बार 1840 में अंग्रेज अधिकारी बेनटन ने एक आदेश जारी कर दिया कि पर्वतीय क्षेत्र के गांवों के अन्दर जो बेनामी भूमि है उस पर सरकार का भी हक होता है । एक तो वहां की जलवायु और चाय के बागान लगाने के लालच ने ब्रिटेन से अंग्रेजों को बुलाकर जमीन एलाट कर दी और यहीं से वहां के लोगों के हकों को मारना प्रारम्भ हुआ । मान्यवर, यहां के अंग्रेज जानते थे कि यहां के लोग कभी भी उग्र हो सकते हैं और जो हम कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं तभी चुपचाप इन्होंने 1893 में एक अधिसूचना जारी कर दी और उसी के आधार पर तमाम जितनी बेनाम भूमि थी गांव की वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड फारेस्ट बना दिया गया, यद्यपि अधिनियम में प्राविधान था कि वहां के लोगों से पूछ लिया जाए, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया, फिर भी वहां के लोग अपने हकों का इस्तेमाल बेरोकटोक करते रहे उनको रोका नहीं गया, कानून जनता की भलाई के लिये होते हैं, अगर कानून जनता के आड़े आने की कोशिश करते हैं तो जनता उन्हें तोड़ देती है । 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जिस समय संसद में आया तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने हाथ खड़ा कर दिया, इस बात को नहीं बोला कि पर्वतीय क्षेत्र का जीवन दूभर हो जाएगा । जिस तरह से मछली पानी से अलग होकर नहीं रह सकती है उसी तरह से वहां के लोगों को जंगलों से अलग नहीं किया जा सकता है। सरकार ने बहुत बड़ा बजट उत्तरांचल के लिये दिया है लेकिन बजट का उपयोग नहीं हो रहा है, खनन पर लगी रोक के कारण लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, बन्द हो रहे हैं मैं मंत्री जी से विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं वहां के लोगों की अन्तर्वेदना को समझते हुए 1893 की अधिसूचना को समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय की वेदना समझें ।

श्री अजय भट्ट–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, वनों का बहुत बड़ा महत्व संसार में है, यह मानव सुरक्षा से जुड़ा है, पर्यावरण का इससे संबंध है, इसलिये वनों का विस्तार उचित ढंग से होना चाहिए हमारे वन विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो सड़कों के किनारे बबूल के पेड़ लगाये जा रहे हैं । सड़कों के किनारे जो बबूल खड़े हैं उनको कटवा दिया जाय और उसके स्थान पर फलदार वृक्ष लगायें ।

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डा० धर्मज्ञ मिश्र जी एक मिनट रुकिये । माननीय सदस्य अपने आचरण और भाषा पर कृपया नियंत्रण रखें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके अपने आचरण भाषा पर नियंत्रण रखें । अगर पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं यह निश्चित रूप से आपके लिये ठीक नहीं होगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

हमको संरक्षण कौन देगा ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों के नाम पहले आ चुके हैं पहले वह बोल लें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

हमारे दल की सूचना आपके पास नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरे दल की सूची से बुलवायें, यह तो अनुरोध कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह से बोलेंगे आप भाषा और आचरण पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह अच्छा आचरण नहीं है न यह सदन की परम्परा के अनुकूल है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

जिससे पर्यावरण को भी बल प्रदान करेगा । मान्यवर, यहां पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 20 प्रतिशत फलदार वृक्ष को लगाया गया है तथा 80 प्रतिशत बिना फलदार वृक्ष को लगाया गया है । बबूल के पेड़ लगाये गये हैं जिससे वहां आने-जाने में बड़ी परेशानी होती है । मान्यवर, प्रदेश के गांव सभाओं की जमीन एक्वायर कर ली गयी है और वन लगा दिये गये हैं । चारों तरफ बबूल के पेड़ों से घेर दिया गया, जिससे आने-जाने में परेशानी हो रही है । कर्मचारी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं । मान्यवर, जिन गांवों में वनीकरण किया गया है वहां पर तमाम प्रकार के जंगली जानवर हो गये हैं । तो मैं यह चाहूंगा कि उनके चारों तरफ बाउन्ड्री बनाई जाय ताकि जो जंगली जानवर हैं वह बाउन्ड्री के अन्दर ही रहें । दिन में तो वह नहीं निकलते हैं लेकिन रात में निकल आते हैं और इससे खतरा बना हुआ है । मेरा एक सुझाव है कि 20 प्रतिशत की जगह पचास प्रतिशत फलदार वृक्ष लगाये जायें जिससे मानव जीवन की सुरक्षा पर भी अच्छा असर पड़ेगा और वह लाभदायक होगा । नीलगायों के संबंध में यह कहा गया कि उन नीलगायों को मार दिया जाय तो मेरा सुझाव यह है कि उनको न मारा जाय बल्कि उनको पकड़वा कर ऐसे घने जंगलों में छोड़ दिया जाय जहां पर लोग न जाते हों तब तो सरकार की तारीफ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० रामबाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि जो आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

यह डाक्टर-डाक्टर का अभिनन्दन कर रहा है क्या मामला है ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आप कम से कम हंस तो देते यह आपका अभिनन्दन कर रहे है ।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, आपने मुझे 7 राष्ट्रीय उद्यान, 12 एक्षी अभ्यारण्य तथा हिमाद्रि समशीतोष्ण, उष्ण प्रदेशीय पर्णपाती वन तथा कटीले वनों के प्रकार तथा 17 वन्य जीव विहार के संबंधित वन बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह सही है कि वृक्ष से जल, जल से अन्न और अन्न ही जीवन है। मेरा मानना है कि "मैन एण्ड ट्री आर डायरेक्टली प्रपोशनल टू ईच अदर" अर्थात मनुष्य और वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिये मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो विधान सभा की वेल हैं उसमें फ्लावर पोट की व्यवस्था कर दें तो जो दस बारह घंटे हम यहां पर बैठते हैं उससे हमको आक्सीजन मिलती रहेगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० रामबाबू हरित–

आपने मंत्री जी आगरा में पं० सत्यनारायण कवि रतन ताज नेचर वाक के संबंध में जो कदम उठाया है और कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है यह ताजमहल के पूर्व दिशा में लगभग 600 मीटर दूरी पर है और ताज व किला के इसके विभिन्न टीलों से सुन्दर और आकर्षक रूप में देखा जा सकता है उसी तरीके से आपने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् के पार्कों में वृक्षारोपण की बात कही है उनकी कालोनियों में जो हमारे यहां आगरा में विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद् व नगर निगम के पार्क छोड़े गये हैं उनमें अतिक्रमण है और दुरुपयोग हो रहा है उनमें कहीं भी हरित पट्टिका जैसी चीज नहीं है। आप संबंधित मंत्रियों से बात करके इन पार्कों की व्यवस्था को स्वयं वन विभाग द्वारा अधिग्रहीत कर ठीक करायें। आपने हम दो और हमारे दस का जो नारा दिया है पेड़ों के संबंध में उसमें थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है अगर आप हम दो और हमारे आक्सीजन देने वाले दस वृक्ष का नारा कर दें तो यह अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें मैंने अम्बरीष कुमार जी को बुला लिया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा वन विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने कहा है कि प्रदेश में जो वन आच्छादित क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह क्षेत्रफल 33 प्रतिशत होना चाहिए वह 17 दशमलव कुछ है यह एक बहुत बड़ा काम है आप जो आंकड़े हैं उनको देखने का कष्ट करें जो हमारा वन आच्छादित क्षेत्र है उसमें कमी होती जा रही है। एक वर्ष में तो आपका कुल रोपित क्षेत्रफल 61.087 था और वही 1991-92 में वह 68.035 था और 97-98 में वह घटकर 50.754 रह गया। आंकड़े बता रहे हैं कि जो यह वृक्षारोपण और पेड़ लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं उनके प्रति आप कितने गंभीर हैं और दूसरी बात, जो हमारे अभ्यारण्य हैं, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क है, जो हमारे भारत का सर्वाधिक पुराना राष्ट्रीय पार्क है, उसके भी खर्च में निरन्तर कमी आ रही है। वर्ष 1999-2000 में 111.71 लाख का प्राविधान है और इससे पहले वर्ष 1998-99 में 257.60 लाख का प्राविधान अनुमानित था। इसी प्रकार जो मेरे निकट राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, वह केवल सैक्चुरी है, वह अभी राष्ट्रीय पार्क नहीं बना है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने उसका नोटीफिकेशन नहीं किया है लेकिन विभाग ने वही सारी पाबन्दियां लगा रखी हैं, जो राष्ट्रीय पार्क पर लागू होती हैं, उसकी स्थिति तो और भी बदतर है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं इस पार्क पर 92-97 की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 265 लाख का परिव्यय अनुमानित था और उसके विरुद्ध कुल खर्च 64.49 लाख का हुआ । इसी प्रकार नवीं पंचवर्षीय योजना में 45 लाख का परिव्यय अनुमानित था, उसके विरुद्ध केवल एक-डेढ़ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह इनके प्रति कितने गंभीर हैं ।

दूसरी एक बात निवेदन करना चाहता हूं यह जो हमारे वन विभाग की कार्य-प्रणाली है, यह नेशनल पार्कस लिमिटेशन आफ यूनाइटेड स्टेट्स से उधार ली गई है, वहां और यहां की परिस्थितियों में काफी फर्क है । मैं अभ्यारण्यों के संबंध में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वहां निरन्तर वन पशुओं की हत्या हो रही है । मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहूंगा, रेल विभाग द्वारा देहरादून से हरिद्वार आने वाली गाड़ियों के लिये एक निश्चित स्पीड पर चलने का मानक है, लेकिन स्पीड मेन्टेन न होने के कारण पिछले दिनों एक एक्सीडेन्ट में 3 हाथी मार दिये गये, इसकी वजह से 60 हाथियों के एक समूह ने पूरी रात ट्रेन को घेरे रखा और सारे यात्री भय और आतंक के साये में जिये, इस संबंध में आज भी रेल विभाग और वन विभाग के बीच कोई सामंजस्य नहीं बन सका है, जिससे ऐसी स्थितियों को टालने का काम किया जा सके । दूसरी बात कहना चाहता हूं जैसा जगदीश राणा जी ने भी कही, किसानों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा था, फलदार वृक्षों की परमीशन का सीधा संबंध किसान की आर्थिक स्थिति से है, आपने जो निर्देश दिये हैं, वह किसान के लिये लाभदायक नहीं है । यदि आप अवैध कटान को रोकना चाहते हैं तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं, इस आस्पेक्ट पर विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें । इसी के साथ भाई मुन्ना चौहान द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, माननीय मुन्ना चौहान जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । यूं तो आज माननीय वन मंत्री जी ने बहुत ही लम्बा-चौड़ा भाषण दिया । माननीय मंत्री जी के व्यक्तिगत आचरण से या उनके व्यवहार से मैं इतना संतुष्ट हूं कि उनकी सूरत और उनकी शराफत देखकर मेरा जी चाहता है, उनके दामन पे नमाज पढ़ लूं । लेकिन जब इनके विभाग के भ्रष्टाचार पर नजर जाती है तो मैं समझता हूं और मेरी निश्चित राय है कि जहन्नुम में सबसे पहले यही जायेंगे । इनका जो आदेश है बिल्कुल पालन नहीं होता आदेश पालन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि इनका जो आदेश है वह इसी तरह चलता है जिस तरह से एक बार एक शिकारी ने हिरन को देखते ही गोली चला दी, कभी गोली आगे हो जाती थी, कभी हिरन आगे हो जाता था, कभी गोली आगे, कभी हिरन आगे कभी गोली हिरन आगे । मान्यवर, मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं और अपना सुझाव भी देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अधिष्ठाता जी, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, यह मैंने सुना था, वह बातें तो मैंने अभी कही नहीं है, जिनको आपने बताया था । मान्यवर, लकड़ी कटान से देश और प्रदेश प्रभावित हैं । अगर सरकार की यह नीयत है कि लकड़ी की कटान न हो तो इन्हें एक्ट में संशोधन करना चाहिए कि जो लकड़ी कटी हुई पायी जायेगी, वह राज्य की सम्पत्ति हो जायेगी । 5 लाख का बाग कट जाता है और उस पर तीन सौ रुपया जुर्माना कर दिया जाता है और फिर वह कोर्ट से आर्डर आ जाता है कि जुर्माना दे दिया गया है, इसलिये और कोई कार्यवाही नहीं होगी । लकड़ी उठ जाती है ।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि वन विभाग के कार्यों में पुलिस का हस्तक्षेप रहता है । वृक्ष लगाना, उनको सींचना और उनका रख-रखाव करना वन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन पेड़ न कटें,

इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है । मैं कहना चाहता हूं कि थानेदार (a) प्रतिशत कमीशन लेकर लकड़ी का कटान कराते हैं । मान्यवर, अगर रात में कहीं डकैती पड़ रही हो तो थानेदार वहां पर नहीं जायेगा, लेकिन अगर उसको यह मालूम हो जाये कि फलां जगह पर बाग काटा जा रहा है तो थानेदार मोटर साईकिल लेकर रात में ही पहुंच जाता है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वृक्षारोपण 1976 से चल रहा है और अरबों रुपया भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत खर्च हो रहा है । हर जनपद को धन एस०आर०वाई० के अन्तर्गत दिया गया है । मान्यवर, हमें सूचना विभाग की डायरी मिली है, उसमें लिखा है उ० प्र० का क्षेत्र कितने कि०मी० है और इतने क्षेत्रफल में वन लगाये गये हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का यदि देखें तो उससे अधिक पेड़ लग गये हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप एक कमेटी बना दें और इसका निरीक्षण करा दें तो पता चल जायेगा कि जितना वृक्षारोपण किया गया है, उतनी जमीन ही नहीं है । कितने वृक्ष जीवित हैं, इसका सर्वेक्षण होना चाहिए । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगलों के किनारे जो लोग झुग्गी झोपड़ी डाल कर रह रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाये, जो बड़े-बड़े लोग हैं जिन्हें भूमि पट्टा दिया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उनसे भूमि मुक्त कराई जाये, बेदखल करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

* श्री जय प्रकाश–

मान्यवर, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । उ० प्र० वन गिनम द्वारा प्रथम बार जनवरी, 1975 में सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का ऋण लेकर कार्य प्रारम्भ किया गया । इसके पश्चात् प्रतिवर्ष उसके कार्य में वृद्धि होती रही । भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गयी थी तथा यह उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू है । प्रदेश की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वृक्षों, वनों, वन्य जन्तु एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पति के संरक्षण पुनर्वासन रख-रखाव विस्तार एवं उपयोग के लिये एक प्रदेश नीति की घोषणा की जाये ।

प्रदेश में विद्यमान वन क्षेत्र तथा वृक्षों की उत्पादकता के वृद्धि के उपाय करना । ग्रामीण निर्बल वर्ग तथा जनजाति के लोगों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की घरेलू मांग की पूर्ति हेतु आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच के अन्तर में कमी लाने के प्रयास करना ।

मैं बधाई देता हूं हमारी सरकार ने सड़क, रेलवे लाइन के किनारे नदी की धाराओं और नहरों के किनारे की भूमि पर वृक्षों को लगाने के कार्य में लगे लोगों को प्रोत्साहित किया है । वनों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । वन भूमि पर कब्जा करने वालों को, खाली कराने के ठोस प्रयास किये जायेंगे । इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी है वहां वन बन्दोबस्त तथा अमल दरामद एक अभियान के रूप में चलाकर इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे ।

वनों के समीप चारों ओर रहने वाले लोगों को आदिवासियों को वन सम्पदा के बिना हानि पहुंचाये हुए महुआ, चिरौंजी, शहद, मोम व निजी उपयोग हेतु गिरे पड़े ईंधन के लिये निःशुल्क सुविधा दी जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला स्तर पर अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। प्राचीन काल से वनों एवं वृक्षों को हमारी सभ्यता से यथोचित स्थान प्राप्त है जैसे बरगद, पीपल, आम, नीम, तुलसी, बेल, कुश इत्यादि की पूजा होती आयी है तथा धार्मिक कर्म काण्डों में इनका प्रयोग होता आया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जन-जन आओ वृक्ष लगाओ का नारा हमारी सरकार ने दिया है। पौधे को आरम्भ में आपका सहारा चाहिए बाद में वृक्ष बनकर वह आपके जीवन का सहारा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री धर्मराज निषाद–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुन्ना चौहान के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। वन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है आज गांवों में ईंधन की कमी है, को दूर करने के लिये गांव समाज की जमीन पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं और शासन से जो फण्ड मिलता है अधिकांश ग्रामसभाओं को दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। सड़कों के किनारे जमीन में खाली जगहें जो पड़ी हैं उनमें वृक्ष लगाये जायं। मंत्री जी से उम्मीद थी कि पिछले साल अप्रैल में जब मंत्री जी फैजाबाद गये थे हमारे साथ हमारे क्षेत्र में भी वह गये थे और मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि डरबन झील जो कई हजार एकड़ में फैली हुई है उसमें पक्षी विहार बनाया जायेगा लेकिन बजट में मंत्री जी ने उसके लिये कोई प्राविधान नहीं रखा है। मा० मंत्री जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने एक संकल्प मछुआ समुदाय को सुविधा देने के लिये रखा था जैसा मा० विधायक निषाद जी ने कहा कि जो आपने घोषणा की है उस पर आप पुनर्विचार करें और उसे लागू करायें। मान्यवर, मंत्री जी ने यह भी घोषणा किया कि प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रेन पार्क बनाये जायेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, जो ईंधन की समस्या है वह जनता के लिये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि सड़कों के किनारे वृक्ष लगवायें और इसके संबंध में एक अभियान चलायें जिससे जनता की ईंधन की समस्या भविष्य में हल हो सकेगी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये रोजगार देने की जो योजनाएं हैं वह सरकार केवल कागजों पर चला रही है और उन्हें वास्तव में कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि इस संबंध में आवंटित धन कहां खर्च किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संबंध में एक बोर्ड बनाया जाए। जिसमें जिला योजना से सम्बन्धित जो धन है उसका विवरण रखा जाय। मान्यवर, अन्त में मैं श्री मुन्ना चौहान जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मंत्री जी ने विस्तार से वन सम्पदा और वन जन्तुओं के संबंध में बताया। मान्यवर, वन विभाग ऐसा विभाग है जो मानव जीवन से जुड़ा है। मंत्री जी उसके रख-रखाव और व्यवस्था के संबंध में अपनी नीति की घोषणा किया जो बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसके लिये मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, अवैध कटान के लिये गुण्डा एक्ट और अन्य धाराओं में वन माफियाओं का चालान करके जेलों में भेजा है जिससे अपराधियों में दहशत पैदा हो गयी है । कुछ दिन पूर्व दो वन कर्मी मारे गये थे जिसमें उनके आश्रितों को नौकरी दी गयी और उन्हें दो-दो लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया, इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, वास्तव में वन विभाग में जिस तरीके से अरबों रुपये की सम्पत्ति है और वहां ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जो सम्पत्ति की रक्षा कर सकें इसलिये अनुरोध है कि वन कर्मचारियों को उन्हें सम्पत्ति की रक्षा हेतु शस्त्रों के लाइसेन्स दिये जाने की व्यवस्था की जाय जिससे कर्मचारी वन सम्पत्ति की रक्षा कर सकें । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि डी०एफ०ओ० को मजिस्ट्रेट के पावर दिये जायें जिससे अवैध लकड़ी कटान रोकी जा सके और इनके संबंध में विवादों का निस्तारण जल्दी किया जा सके ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र लाख बहौसी पक्षी विहार विकास खण्ड हसेरन, जिला–कन्नौज विधान सभा क्षेत्र उमरदा में 1986 में एक लाख बीघा जमीन लाख बहौसी पक्षी विहार के लिये अधिग्रहीत की गयी थी और पिछली साझा सरकार के समय जिलाधिकारी ने जनता को नोटिस दिया था कि मुआवजा के लिये प्रार्थना-पत्र दें । हमारे क्षेत्र में इसमें 62 गांव खाली कराये जाने के आदेश थे और उनकी एक लाख बीघा जमीन इस पक्षी विहार के लिये अधिग्रहीत की गयी थी । गांवों के लोगों को मुआवजा न मिलने से जनता बहुत परेशान थी और इन गांवों के लोगों ने कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया और स्थिति बड़ी खराब थी जिससे मैं सत्ता पक्ष का विधायक होने के बावजूद भी वहां की जनता जो लखनऊ आयी थी उसके साथ विधान सभा के सामने मैं भी धरने पर बैठ गया था, जबकि मुझे यह नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने जनता के हित में यह काम किया । उस समय वन मंत्री जी ने हमारी बात यहां सदन में रखी थी और जब श्री कल्याण सिंह की सरकार बनी और जो यह वन मंत्री जी हैं उन्होंने मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करके घोषणा किया था कि 62 गांवों को पक्षी विहार के लिये खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है उसको निरस्त किया था और आदेश किया उत्तर प्रदेश में कहीं कृषि योग्य भूमि पक्षी विहार के नाम से अधिग्रहीत नहीं की जायेगी, इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं साथ ही मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उमरदा क्षेत्र में कई नहरें और जंगल भी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारे जिला कन्नौज में डी०एफ०ओ० को यह निर्देश दें कि वे जंगली बबूल को कटवा कर रास्ता साफ करा दें क्योंकि कुछ मुख्य मार्गों पर इस प्रकार के जंगली बबूलों की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

महोदय अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अरविन्द गिरि–

आदरणीय मुन्ना जी से सहमत होकर अपनी बात मान्यवर, आपके सामने रखता हूं। मुझे दुख है कि मात्र डेड लाइन में ही माननीय मंत्री जी द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा व वन कटान पर रोक की बात कह दी गई जिससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरी अपनी सोच है। मेरा जिला खीरी में गोला गोकरननाथ चारों ओर से वनों से घिरा है। यहां वृक्ष कटान और भू-माफियाओं का आतंक जिसमें कि सरकारी कर्मियों को लिप्त देखा गया है, वहां पर यह माना जाता है कि वन सम्पदा को 50 से 60 प्रतिशत तक का नुकसान आग से होता है। जंगलों को आग से बचाने के लिये कोई कार्यनीति की कोई घोषणा माननीय वन मंत्री जी द्वारा इस बजट में नहीं की गयी है।

मैं बताना चाहता हूं और सदन को भी सूचित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से अधिकारियों की मिली भगत से जंगलों का दोहन होता है। मैं माननीय मंत्री जी को मुख्य रूप से इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। कुछ जिले जैसे कि जनपद लखीमपुर खीरी में भी भू-माफियाओं का आतंक था लेकिन हमारे वन मंत्री जी की पूरी कोशिशों से वहां आज भू-माफियाओं का आतंक खत्म होने की कगार पर है। मैं माननीय मंत्री जी की इस कार्यप्रणाली से सहमत हूं। माननीय मंत्री जी से मुझे कहना है कि उनकी कृपा उन लोगों पर नहीं होती है जो सन् 60 में बसे थे। भले ही माननीय मंत्री जी के पास उनके बारे में गलत सूचना हो परन्तु मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि यदि उन लोगों को आप एक जून की रोटी और रहने की छत नहीं दे सकते तो आपको यह कतई अधिकार नहीं है कि आप उन्हें उजाड़ दें। होना तो यह चाहिए था कि आप उन्हें तीन बीघा से एक एकड़ तक की जमीन दे देते जिससे उनका भरण पोषण भी होता रहता और आपकी वन सम्पदा पर कोई आंच भी नहीं आती। मैंने जिला पंचायत योजना की बैठक में यह बात उठाई थी। इस क्षेत्र में 96 एकड़ सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे जिन्हें उजाड़ दिया गया। आप ही के विभाग के कुछ कर्मचारियों ने भू-माफियाओं के साथ मिलकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस जिले के जिलाधिकारी को निर्देश दें कि वे उन गरीब लोगों को बसायें और उन्हें तीन-तीन बीघा जमीन दे दी जाये तथा उस जमीन को ग्राम सभा से जोड़ा जाये। हमारे पूर्व के वन मंत्री श्री भगवती सिंह द्वारा गोला रेंज में जो कार्य शुरू कराया था आज वह रोक दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे भगवती सिंह द्वारा चलाई गई कार्ययोजना को फिर से आरम्भ कराने की कृपा करें। मैं इस सदन में मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री मोतीलाल जी पर जो छींटाकशी की गयी थी वह निराधार है। श्री मोतीलाल जी का जीवन माफियाओं से लड़ते-लड़ते बीत गया है। मैं माननीय मंत्री जी तथा मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुन्ना जी द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए इस बजट को सुधारवादी बजट के रूप में मानता हूं, इसके साथ ही इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव करता हूं, उसकी ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसम्बर, 96 को फैसला दिया है और उस फैसले में फारेस्ट भूमि की व्याख्या दी है जिसके अनुसार कहा गया है कि डिक्सेनरी मीनिंग के अनुसार जो वन भूमि है वही वन भूमि मानी जायेगी और वन अधिनियम में जो वन भूमि की परिभाषा दी गयी है। मेरा अनुरोध यह है कि जो 1893 की अधिसूचना है उस अधिसूचना में पर्वतीय क्षेत्र में वन भूमि की गलत व्याख्या की गयी है। वह गलत व्याख्या इस आधार पर की गयी है कि जो सरहद के अन्दर वर्ष 1823 में पर्वतीय क्षेत्र में गांव की सरहदों का बन्दोबस्त किया गया था और 1840 में उन सरहदों का चकनामा तैयार किया गया, सरहदों के नक्शे बनाये गये, उन नक्शों के अन्दर काश्तकारी की भूमि थी वह भूमि नक्शों के अन्दर आई और वह गांव

के अन्दर मानी गयी । गांव के अन्दर को छोड़कर जो भूमि वनों के प्रकार की थी उसको प्रोटेक्टेड फारेस्ट कहा गया था । 1893 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए अभी 19 मार्च, 97 को प्रमुख सचिव वन द्वारा 1893 की अधिसूचना का उल्लेख करते हुए गांव की सरहदों के अन्दर जो तथाकथित बेनाम भूमि है उसको वन भूमि माना गया जबकि अभिलेखों में वह भूमि दर्ज नहीं है और न उसमें कोई वन है मात्र बंजर या शिला टीला काश्त की भूमि है न्यायालय ने बंजर, चट्टानी व बिना वृक्ष की भूमि को वन नहीं माना है वन विभाग ने इसे अनदेखा किया है । इससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में गांव सभा की सरहदों के अन्तर्गत वन पैदा हो गये हैं, जो कि गलत व्याख्या है, इस पर भी सुधार की आवश्यकता है, इसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्र के हक हकूक समाप्त हो रहे हैं, इसको कई बार संज्ञान में लाया जा चुका है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में भी सुधार करने की कृपा करें । आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद ।

* गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी ने 1999-2000 का बजट आज सदन में प्रस्तुत किया है । यह बजट अगले वर्ष वन विभाग में हम क्या करने जा रहे हैं उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा सामने रखता हूं । मान्यवर, निश्चित रूप से वनों का जीवन में बहुत महत्व है । मान्यवर, जब आदमी बीमार होता है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जहां पार्क होते हैं, जाता है, वाकिंग करता है और थोड़े समय में स्वस्थ हो जाता है और उसको महसूस होता है कि शरीर और स्वास्थ्य के लिये ऊर्जा प्राप्त हो गयी है । यदि मान्यवर, 24 घंटे शुद्ध वातावरण साफ हवा मिले तो निश्चित रूप से जीवन में कितनी स्फूर्ति आयेगी इसकी केवल कल्पना की जा सकती है । मान्यवर, प्रतिपक्ष के साथियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी बातों का समर्थन किया है जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के सभी भाई जब सदन से बाहर रहते हैं तो दूसरी बात करते हैं और जब सदन के भीतर होते हैं तो दूसरी बात करते हैं, उनके दोगले विचारों की प्रकृति सदन में देखने को मिलती है ।

मैं समझता हूं कि 1952 से लेकर सदन ने ऐसा विपक्ष पहली बार देखा है जो बाहर कुछ कहता है और भीतर कुछ कहता है । हमारे बुनियाद हुसैन अंसारी साहब ने बहुत कुछ कहा । उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी का आदेश गोली की तरह चलता है । जैसे कभी हिरन आगे और गोली पीछे उसी तरह से आदेश चलता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह वन विभाग ऐसा है कि मंत्री जी को गोली की तरह तेज आदेश देना पड़ता है । जब आपके विधायक ने हिरन पर गोली चलायी तो आपके विधायक को भी जुर्माना देना पड़ा । मान्यवर, वन विभाग द्वारा तमाम कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । यह विपक्ष कहने के लिये तो समाजवादी है लेकिन इन्होंने समाजवादी कार्य नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

गोली कैसी भी चले वन विभाग नहीं चाहेगा कि हिरन को लगे और हिरन मर जाय ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो तेंदू पत्ता के क्षेत्र में किस प्रकार का शोषण होता रहा लेकिन उस समय इनकी आंखों में आंसू नहीं आये । माननीय कल्याण सिंह ने आते ही तेंदू पत्ता मजदूरों की मजदूरी को दो गुना कर दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता है, मजदूरों के प्रति, उसका समर्पित भाव है जिसके कारण मजदूरों को अच्छी सुविधा देने के लिये मजदूरी बढ़ाया । इतना ही नहीं मान्यवर, मुन्ना जी कह रहे थे कि जंगल में, वन क्षेत्र में रहने वालों की भागीदारी होनी चाहिए । सुरक्षा का जहां तक सवाल है इस दृष्टि से वास्तव में उनकी भागीदारी होनी चाहिए लेकिन यह भी काम हमारी सरकार ने किया कि उनकी जब सरकार थी तो लघु उत्पाद होते थे जंगलों में उसके लाखों रुपये के ठेके दिये जाते रहे और उसका शोषण ठेकेदार करते थे, उन आदिवासियों को, जनजातियों को जो जंगल आंवला, हर्र-बहेड़ा, महुआ का ठेका कराते थे । इनसे क्या लाभ होगा भगवान जाने । हमारी सरकार ने उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और घोषणा की कि जो भी लघु उत्पाद होंगे, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में दिये जायेंगे, उसे चाहे अपने काम में लगाये या उसका दोहन करके उसे मार्केट में बेच दें । जब हम उन्हें इस तरह की सुविधायें देंगे तो उनका लगाव पेड़ों से होगा और निश्चित रूप से वह पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया । मुन्ना जी आपकी सरकार नहीं कर पायी थी ।

वृक्षारोपण में जनता की भागीदारी हो, हमने वन नीति में घोषणा की है कि सड़क के किनारे रेल पटरियों के किनारे जिनकी भूमि है, वह चाहें तो पेड़ लगायें, एक क्रम छोड़कर के बाकी जो पेड़ होंगे वह उन किसानों के होंगे जिनकी उस सड़क या रेल पटरी के किनारे जमीन होगी । जहां तक रोजगार देने की बात है हम वन क्षेत्र को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं लेकिन रोजगार भी देना चाहते हैं इस दृष्टि से हमने 3 हार्स पावर तक के आरा मशीन हैं, कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिये लाइसेन्स मुक्त कर दिया ताकि गांवों में रहने वाले नौजवान छोटे-छोटे काम करके, खिलौना कुर्सी-मेज बनाकर अपना काम तो करें और आर्थिक स्थिति सुधारें और विकास के क्षेत्र में योगदान हो सके । यह हमारी सरकार ने किया है ।

दूसरा संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से भी हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं वहीं हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस सदन के माध्यम से माननीय विधायकों से अपील करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि वन क्षेत्र बढ़े लेकिन डी०आर०डी०ए० की बैठक होती है उसमें हमारे विधायक सड़क, हैण्ड पाइप, विद्यालय को महत्व देते हैं लेकिन जहां पेड़ लगाने की बात आती है वहां हमारे अधिकारियों का समर्थन नहीं करते । उनकी जो योजना होती है उस पर कटौती करते हैं ।

आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वस्थ पर्यावरण बनाने के लिये मानव को चिरजीवी बनाने के लिये आपका सहयोग आवश्यक है । आप जे०आर०वाई० से पैसा दें । अगर एस०आर०वाई० से पैसा नहीं आयेगा तो पेड़ नहीं लगेंगे और 33 प्रतिशत के मानक को पूरा नहीं कर पायेंगे । इसलिये आप सबकी भागीदारी जरूरी है । किसान, मजदूरों, अधिकारियों की भागीदारी तो हो लेकिन जो चिन्ता प्रकट कर रहे हैं, आपकी भी अहम भूमिका हो सकती है इसलिये आप लोग भी महत्वपूर्ण योगदान दें । यह मैं अपील करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जहां तक इसको आगे बढ़ाने का सवाल है, जैसे पौधशालाओं में अच्छे-अच्छे तकनीक विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है । हाईटेक नर्सरी 5-6 स्थानों पर स्वीकृत की गयी है । हाईटेक नर्सरी के माध्यम से अच्छी किस्म का पौध लगाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है । मान्यवर, अभी हमारे भाई सीताराम निषाद ने कहा कि ताल, वन निगम को दिया जा रहा है इसमें मान्यवर, आपकी चिन्ता है । जो हमेशा से चला आया है, उसके किनारे रहने वाले निषादों, मल्लाहों को ही दिया गया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम झांक कर देखें उन परिवारों के कितने लोगों को ठेका दिलवाया है । आपके नाम पर माफिया लोग, बड़े लोग ठेका ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिये वन निगम के माध्यम से करने के पीछे यह हाथ है ।

(इस समय 9 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

अपकी भी प्राथमिकता निश्चित रूप से उसमें मिलेगी और उस बिरादरी के लोगों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको भी प्राथमिकता दी जायेगी । हम निगम के माध्यम से सुविधा देंगे उसके माध्यम से रेवेन्यू का काम चलेगा । नीलगायों की समस्या गंभीर है निश्चित रूप से इस पर मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में कुछ बातें कहेंगे । अब मैं कटौती के प्रस्तावक महोदय चूंकि अधिष्ठाता की कुर्सी पर विराजमान हो गया है इसलिये उम्मीद है कि वह तो समर्थन करेंगे ही इसलिये मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जयप्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये अवसर दिया । आदमी जब से पैदा होता है तब से मृत्यु के समय तक उसका वनों से संबंध रहता है । वन से ही इस भारत मां की गोद में अन्न जल ग्रहण होता है । इसके अलावा अगर वन न होता तो आदमी का जीवन जीना दूभर हो जाता । इसलिये इस बजट पर जिस प्रकार से मंत्री जी द्वारा गुणात्मक ढंग से अपनी नीति बनाकर सुधार करने का प्रयास किया गया है उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । इसके साथ ही साथ दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । वन विभाग द्वारा पौध लगाई जा रही है सड़कों के किनारे और मार्गों के किनारे । यह सही है कि आम के आम गुठलियों के दाम । जिस प्रकार से हमारे वनों का मानव से संबंध रहा है उसी प्रकार उसके फलों से मानव का संबंध रहा है । लेकिन काफी समय से फलदार वृक्षों को वन विभाग द्वारा नहीं लगाया जा रहा है । इस संबंध में 20 प्रतिशत लगाने का प्राविधान मंत्री जी ने जो किया है उसके लिये बधाई के पात्र हैं । यह सही है कि लकड़ी वनों से हमें मिलती है लेकिन उसके साथ ही साथ फलों का भी उपयोग होना है इसलिए फलदार वृक्ष लगाए जाएं । कम से कम 50 प्रतिशत फलदार वृक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाए जाएं । जो नर्सरियों में पौध लगाई जाती हैं उसमें फलदार वृक्षों की भी पौध तैयार की जाएं । ताकि खाली स्थानों पर ऐसे वृक्षों को लगाया जा सके । वन्य जीव संरक्षण जो बना है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है हमारे यहां बलरामपुर में तुलसीपुर जंगल है वहां पर जो बाघ के बच्चों को व बाघिनी को मारा गया है और मारकर उठा लिया गया इसके लिये मुकदमा भी कायम हुआ लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है । ऐसे व्यक्ति को रासुका में निरुद्ध किया जाना चाहिए । ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी प्रभावशाली हो, जितना भी राजनीतिक हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए । तभी इस अधिनियम का पालन हो सकेगा । दूसरी बात जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर तेजी से तैयार होने वाले वृक्ष को लगाया जाए ताकि ऐसी खाली जमीनों का अधिक से अधिक लाभ हो सके । पापुलर का वृक्ष जल्दी तैयार होने वाला वृक्ष है लेकिन यह पौध हर जगह उपलब्ध नहीं होता । गोरखपुर कमिश्नरी सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित कमिश्नरी है ।

(इस समय 9 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

वहां पर पापुलर के पेड़ उपलब्ध कराये जायें उसमें ताकि लोग अपने खाली खेतों में उनको लगा सकें और इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ भी मिलेगा । मछुआ समुदाय के लोग जो तालाबों जंगलों के किनारे बहुत पहले से रहते आये हैं और जिनका कार्य बालू, मौरंग और खनन तथा मत्स्य आखेट का रहा है, इसका सर्वेक्षण करवा लीजिए । इनके हितों की अनदेखी न की जाय और उन्हें सुविधा मुहैया करवायी जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस पर मुझे विस्तार से कुछ नहीं कहना है माननीय राज्य मंत्री और सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात रख दी है । श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी ने नीलगायों के बारे में जो बात कही है उसके संबंध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैदानी क्षेत्रों में इन वन रोजों से काफी परेशानी होती है । सचमुच में यह एक ऐसा विषय है इसका एक तो साम्प्रदायिक कोढ़ है जिसके कारण शायद प्रभावी ढंग से इस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है । यद्यपि इसके लिये कानून बना है, जिलाधिकारी इसे अनुमोदन प्राप्त करके समाप्त किये जाने का जो प्रयास चल रहा है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में नीलगायों के आतंक के मुकाबले उनको समाप्त किये जाने की परमीशन बहुत कम है उसकी तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि एक भी परमीशन नहीं दी गयी है और न ही इस संबंध में कोई कार्य चल रहा है । आज इन नीलगायों की वजह से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है । इस बारे में माननीय मंत्री जी कई बार अपनी भावना बाहर व्यक्त कर चुके हैं, विभागीय मीटिंगों में भी कर चुके हैं । खाली हम इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे और इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जो लम्बा भाषण दिया उससे उन्होंने अपने भाषण को एक प्रकार से डाइलूट कर दिया विश्व बैंक से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा । आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पानी में डूब मरने के लिये जगह भी आपके लिये नहीं छोड़ी, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कहा उसको छोड़िये । चुल्लू भर पानी उपलब्ध है जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने आचरण के लिये शर्म तलाशने की कोशिश यह सरकार करे । वर्ल्ड बैंक ने सहायता देना बन्द कर दिया उसका भी कारण आप ही हैं । अगर इस पर भी शर्म नहीं आती तो उसके मिलने के लिये दुकान मैं बता नहीं सकता हूं लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं शर्म की उस दुकान को तलाशने की कोशिश करूंगा । श्री रंगनाथ मिश्रा जी सदन के बाहर जो हम लोगों से चर्चा करते हैं तो दूसरी बात कहते हैं मैं उसी रेसीप्रोकल में कहना चाहता हूं और जो उनकी पीड़ा है वह मैं रखना चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने हम लोगों से कहा कि मंत्री जी ने चीड़, देवदार, साखू, शीशम, सागौन और सभी बड़े पेड़ अपने पास रख लिये हैं और जो जंगल की छोटी घास थी हमारे हिस्से में डाल दी । अभी रंगनाथ जी ने रामतेज जी से कहा था कि हमारे विभाग आपके चेहरे पर उग आया है । मेरा कोई इशारा आपकी ओर नहीं है । मान्यवर, वैसे रंगनाथ जी का विभाग आपके चेहरे पर भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे तो शरीर के हर हिस्से में कहीं न कहीं मिल जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने ठीक कहा, रंगनाथ जी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं । अगर इनके चेहरे पर नहीं है तो क्या इनके शरीर के हर हिस्से में कहीं न कहीं मिल जायेगा, इनका विभाग इनको मुबारक हो । इसके अलावा जैसा उन्होंने कहा कि शेर, हाथी, भालू, चीता, बाघ आदि को अपने हिस्से में रख लिया और चूहा, कौआ, गिलहरी, उल्लू हमारे हिस्से में रख दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने यह नहीं कहा कि आपको हमारे हिस्से में डाल दिया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो इस सदन के बाहर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे उन्होंने जो हमारी चिन्ता की । हमने उनकी चिन्ता करते हुए माननीय सदन के सामने उनकी बात रख दी है आप इसका ध्यान रखें ताकि उनकी यह पीड़ा दूर हो जाय । माननीय मुन्ना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठता महोदय, अभी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन तमाम सारे सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर अपने विचार व्यक्त किये । मैं दो-चार बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । एक तो जैसा अभी जिक्र किया गया मुझे सप्लीमेन्टरी कटौती का प्रस्ताव दूसरा रखना चाहिए । जिन जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण और भण्डारण वन निगम की तरफ से हो रहा है । मैं कुछ मूलभूत सुझाव देना चाहता हूं । आपके जो कार्यक्रम इस संबंध में ललितपुर जिले में चल रहे हैं उस तरह के कार्यक्रम आपने और जिलों में भी चलाये जाने की इच्छा जाहिर की है । मैं यह समझता हूं कि इस कार्यक्रम को हम उस रूप में कर रहे हैं जिस रूप में पहले जंगलों का दोहन होता था । अगर जंगल से दोहन करके विपणन कर रहे हैं तो तमाम जड़ी बूटियां जो विद्यमान हैं वह विलुप्त प्रायः हो जायेंगी । मैं समझता हूं कि आप इनका दोहन बहुत सीमा के अन्दर करायें इसके लिये जरूरी है कि अड़ोस-पड़ोस के लोगों को जिनको जानकारी है कि वह इस मामले में ट्रेडिशनल हैं वे इसको इन फारमिंग के रूप में एडाप्ट करें तब तो आप इसको चिरस्थायी लाभ देने की बात कर सकते हैं । अभी तेंदू पत्ता मजदूरों का सवाल आया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने उनको वेजेज दुगुना कर दिया है । मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तेंदू पत्ता तोड़ने का काम करने वाले जनवासी, आदिवासी, दलित कमजोर लोग हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा से बहुत नीचें हैं । आज भी नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है । सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है । चिकित्सा सेवा सम्बन्धी सुविधाएं हैं, इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उनको स्टैथेन करने की जरूरत है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, ट्राइबल प्लान के तहत बहुत से प्रतिबन्ध किये हैं । मैं जाति-पांति की नीयत से इस बात को नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं उनकी सहभागिता हो । जब कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश के अन्दर ट्रांसफर होता है तो वह चार्ज देता है हमारे प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों का चार्ज फिक्स होना चाहिए । कोई भी अधिकारी का चार्ज कागज पर मत लीजिए । इन क्षेत्रों में प्लान्टेशन हुआ कितने में इसको लिखकर लीजिए कितना प्लान्टेशन हुआ कितने पौधे रहे कितने मरे इसको लिखकर लीजिए । प्लान्टेशन रेट आफ सरवाइवल कितना है इसको देखें । वरना वृक्षारोपण का काम तो सिर के बाल गिनने जैसा है, पांचवां चौथा साल कह दिया, पता लगा सब पौधे मर गये, तो इस तरह से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है ।

सड़कों के किनारे, चाहे पी० डब्लू० डी० के हों चाहे और किसी विभाग के हों छायादार वृक्षों को पीपल, नीम आदि का रोपण करना चाहिए । सड़कों के किनारे बड़े पेड़ जो जीर्ण हो जाते हैं जैसे शीशम आदि है वह आंधी-तूफान आने पर गिर जाते हैं, स्कूटर या किसी वाहन आदि पर गिर पड़ते हैं मेरे क्षेत्र में इस तरह के कई एक्सीडेन्ट हुए हैं तो इस तरह की आकस्मिक दुर्घटनाएं न हो उसको काटने की अनुमति नहीं मिलती है तो ऐसे सड़े और जीर्ण-शीर्ण पेड़ों को काटने की अनुमति दे देनी चाहिए । पुराने जो पेड़ हैं उनको छांटकर काटने की अनुमति दे दें और उनकी जगह नये पेड़ लगवा दें । मान्यवर, ट्रांजिट परमिट जो होते हैं वह निश्चित अवधि में नहीं मिल पाते हैं प्रार्थना पत्र डी०एफ०ओ० आफिस में पेड़ रहते हैं तो निश्चित अवधि के अन्दर ट्रांजिट परमिट दिये जाएं नहीं तो स्वतः मान लिये जायं । पांच हजार के पेड़ लगने होते हैं तीन हजार निकल जाते हैं । एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वृक्षारोपण का जो काम है उसके बढ़ने की रफ्तार है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है यह कुदरत के अधीन है ; तमाम औषधियां और जड़ी-बूटियां हमारे यहां पाई जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

पत्थर उठाकर जो पहाड़ों पर दूसरी जगह लगा देते हैं उससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है इसको री-जेनरेशन से ठीक किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं जो प्लान्टेशन का काम है इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है इसमें पता नहीं लगता है कि पैसा जो लगाया गया है वह कहां गया इसका मूल्यांकन कैसे हो इसका एक तरीका है।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त कर लें।

श्री मुन्ना चौहान–

रेंजर की धनराशि को रखने के लिए धनराशि का कस्टोडियन बनायें। जे०एफ०एस० के अन्दर इससे मैं सहमत हूं कि यदि एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनायेंगे तो मुश्किल आयेगी। इसलिये रेंजर विलेज फारेस्ट अध्यक्ष को संयुक्त खातेदार बनायेंगे तो चैक एण्ड बैलेन्स बना रहेगा। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। कन्वेंशन आन इन्टरनेशनल ट्रेड एनडेन्जरड स्पेसिस इसके तहत सिफारिश आयी। एक तरफ तो इन्फोर्समेंट मशीनरी को स्ट्रेन्थन करें। वहीं एक अधिकारी जो काम करते थे उसकी जगह तीन-तीन अधिकारी नियुक्त हो गये लेकिन जो जंगल की यूनिट है, जो फारेस्ट गार्ड बीस साल पहले थे आज भी वही है। आप पैट्रोलिंग स्टाफ को बढ़ाने का काम करें। रिपोर्ट में एक बात भी कही गयी हाथी के बारे में इन्तजामात करें ताकि कान्फलिक्ट न हो। आम देहरादून में डोइवाला क्षेत्र में रोज घटना होती है कि हाथी ने मार दिया। तो इसके लिए पुख्ता इन्तजामात करें। राजाजी नेशनल पार्क को रिजाट में डेवलप करने की बात कही गयी है तो उसे डेवलप करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको नहीं माना है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये मैं बहुत-बहुत उनका आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन पर विचार करूं। मान्यवर, दो तीन बातें कहना चाहता हूं। बड़े संवेदनशीलता के साथ-साथ कभी-कभी माननीय चौधरी जी बहक जाते हैं। अच्छाई को अच्छाई के साथ लो और गलत को गलत लो। जो योजनाएं बाह्य सहायता पर आधारित हैं उसमें मौलिक चिन्तन की आवश्यकता है और उसे हमें देश को स्वालम्बी बनाना है। स्वाभिमान के पहले तो आपकी सरकार ने सोचा तक नहीं, कर्जा और खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी भी डूबने को नहीं मिल सका वह भी शर्मिन्दा हुआ। मान्यवर, भावरघारु का मामला है। हमने उसमें 15 हजार परिवारों को निःशुल्क घास दी तथा हस्तिनापुर में 6 हजार परिवारों को निःशुल्क घास दी। जिन्हें 30 लाख रु० से लाभान्वित किया जो लोकलवासी है जो ढंग से दोहन करके जो उत्पादन की विधि है, जो उसको जानते हैं, उन्हीं को लाभ दिया है। वनरोजों की बात है, आपने साम्प्रदायिकता वाली बात कही है अम्बिका जी, वही नीलगाय वह नीलगाय नहीं है वह एण्टीलोप के वंश का है यह गाय का वंश नहीं है।

(व्यवधान)

अम्बिका जी, आपकी सरकार थी आपको दो बार यहां मौका मिला कोई योजना बना सकते थे। आप आज कहते हैं कि यह होना चाहिए। यह उत्पाती है, इसे नष्ट किया जाना चाहिए। गोण्डा में 5 परमिट जिलाधिकारी ने दिये हैं। अब इस अधिकार को हम एस०डी०एम० परगनाधिकारी, उप जिलाधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं किसान अपना अनुज्ञा पत्र ले ले किसान इसको नष्ट करने का काम

करें । मुन्ना चौहान जी से कहना चाहता हूं कि इको टूरिज्म इको डेवलपमेन्ट और माइक्रोप्लान इस पर हम बहुत तेजी से काम करेंगे ।

श्री केशो मेहरा–

जब यह बात आ रही है कि वह गोवंश नहीं है तो वह प्रशासन स्वयं उस क्षेत्र से उसे समाप्त करने का काम करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह अच्छा रहेगा आप प्रशासन से ही उसको समाप्त करायें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, या तो किसानों को बिल्कुल अनुज्ञा प्रदान कर दें कि अब परमीशन की जरूरत नहीं है या फिर प्रशासन से ही इसे नष्ट करवा दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हमने इस मामले में पूरी गहराई से विचार कर लिया है । कानून और व्यवस्था की स्थिति आड़े न आवे और अम्बिका जी को फिर न मौका मिल जाय कि किसी मुसलमान ने गाय को मार डाला । इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कहीं झगड़ा-फसाद न हो जाये, इस बात का अधिकार परगनाधिकारी को दिया है कि वह इसकी अनुज्ञा दे । इस समय 3 लाख से ऊपर वनरोज हैं । उधर के माननीय सदस्यों को हाथियों के बारे में बहुत चिन्ता थी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बार-बार कोड किया, इनकी तो हाथियों के प्रति संवेदना वैसे ही बहुत अधिक है । जब हम लोग एक गर्भवती हथिनी को प्रसूति गृह में लाये तो इन्होंने मुझे बधाई दी और आपने भी बधाई दी । प्रजनन के लिये उसे छुट्टी भी दी, जो कायदे से सेविका होने के नाते उसे मिलनी चाहिये थी और उसकी रक्षा में दाई को भी लगा दिया, आप जाकर स्वयं देख लीजियेगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो इस बात से बेहद खुश थे । हाथियों ने जो रेल के साथ गड़बड़ की थी, हमने अपने केन्द्रीय मंत्री को अपने साथ ले जाकर, अपने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और सब बातों का निरीक्षण कराया और दुधवा नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क तथा रेलवे लाइन आदि से हाथियों को कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में पूरी छानबीन कराई गई, जल्दी ही पुनः अपने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे और तब फिर हम आपको बुला लेंगे तथा जल्दी ही कोई कार्य योजना बनकर सामने आयेगी, जिससे इस तरह की भयानक स्थिति को हम खत्म कर सके ।

मान्यवर, 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । मैंने जानबूझकर दो-तीन बातों को आपके कहने के लिये छोड़ दिया था । मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी सड़कें, नहर, रेलवे लाइन हैं, इन सब पर और गांव के सम्पर्क मार्गों पर जो किसान की जमीन है, उसे लाभान्वित करने के लिये फलदार वृक्ष पंक्ति में लगाये जायेंगे और उसके पूरे उत्पाद को किसान को निःशुल्क देंगे, ताकि उसको तत्काल उसका लाभ मिले । हम बहुत जल्दी इस तरह की योजना बनाने जा रहे हैं । कटान रोकने की बात भी कही गई, मैं बताना चाहता हूं कि कटान रोकने के लिये हमने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है । उसमें हमको काफी सफलता मिली है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ज्यादा वृक्ष लगायेंगे, उनको पुरस्कृत करने की योजना है और उनको वृक्ष बन्धु की उपाधि से विभूषित किया जायेगा । आपने कहा कि आपने पैसा कम दिया है । इसलिये प्रगति कम हुयी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ।

मान्यवर, वन गूजरों की बात कही गयी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनको बसाने के लिये पथरी गांव में व्यवस्था की गयी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 116 परिवारों को बसाने का काम किया गया है । वह लोग वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, उनका शोषण बुरी तरह कर रहे हैं । कुछ लोग उनको कर्जा देते हैं और वहां से निकलने नहीं देते हैं ।

एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई, उसने बताया कि 1700 रुपये कर्ज के लिये गये थे और अब 50 हजार हो गये हैं। हम उनको आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको आदमी नहीं बनने देना चाहते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं तथा उन्हें बन्धुआ बनाये रखना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट को पास करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना चौहान जी क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उनमें उन्होंने कोई इम्पलीमेंटेशन का कोई आश्वासन नहीं दिया है, इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,35,33,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जाय तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय।" का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर निर्धारित एक घन्टे की चर्चा का स्थगन।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम० एस-सी० (टैक०) फार्मस्युटिकल कैमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–52 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन।

गोरखपुर तथा बस्ती कमिश्नरी में ईसाई मिशनरी द्वारा धन एवं आवास का प्रलोभन देकर व्यापक पैमाने पर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में कराये जा रहे धर्मान्तरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–52 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा का स्थगन।

अग्निकाण्ड में गेहूं और गन्ने की फसल के नष्ट होने पर सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था किये जाने के विषय में दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 नत्थी (ग) के संबंध में श्री राम ललित चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन।

डा० सुरेश द्विवेदी की तैनाती आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में होने से उनके विरुद्ध चल रही जांचें प्रभावित होने के विषय में दिनांक 10 फरवरी, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–48 तथा 49 नत्थी (ग) के संबंध में श्री हरदेव सिंह तथा श्री रामतेज यादव द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

क्या मद संख्या 10 के सम्बन्ध में ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां उसमें 10 भी है और भी है।

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य-सूची में मद संख्या 10, 11, 12, 19 और 20 को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव मद सं०–10, 11, 12, 19 एवं 20 [illegible] के लिये रखा है स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाये प्रश्न हुई :–

डा० सरजीत सिंह डंग की बिहार एवं मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये प्रान्तीय सेवाओं में भाग लेने पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में भी प्रान्तीय सेवाओं में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के भाग लेने पर रोक लगाये जाने के संबंध में तथा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में विशेषत: मेरठ में पेयजल की शुद्धीकरण व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्लोरीनेशन तथा नमूनों की जांच विषयक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकार हुई।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

श्री अजय कुमार पोइया जनपद मथुरा के गोवर्धन-फरह तथा मथुरा ब्लाकों के अन्तर्गत विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व ताजमहल की सुरक्षा हेतु "ताज ट्रपोजियम" को प्रभावी रूप से अमल में लाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राम औतार शाक्य प्रदेश में जनवरी माह से लेकर अब तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर हुई अपराधिक घटनाओं के बाबत पंजीकृत अपराधिक मुकदमों की विवेचना में समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के ब्लाक सुरियावां में दुर्गागंज/अमौली में स्वीकृत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री तेजभान सिंह — जनपद सुल्तानपुर में सीनियर बेसिक के 6 विद्यालयों की हाई स्कूल की मान्यता लेने के बाद अनुदानित स्तर पर वेतन बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत पिकिया नदी पर बने पुल के दोनों ओर के किनारों पर समुचित मिट्टी भराई की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं । 1–डा० राम बाबू हरित, 2–श्री विजय कुमार, 3–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 4–श्री छोटे लाल वर्मा, 5–श्री गोपाल कृष्ण, 6–श्री जय प्रकाश ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 14.....

(मद संख्या 14, 15, 17 व 18 के निम्नलिखित वक्तव्य सदन की अनुमति से पढ़े हुए माने गये ।)

जनपद मेरठ तथा बुलन्दशहर के मध्य संचालित प्राइवेट बस सेवा की बन्दी तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुनः संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। राज्य परिवहन उपक्रम ने मोटर यान अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या–4 सन् 1939 की धारा–68 ग के अनुसरण में सरकारी गजट में अधिसूचना संख्या–8200/30-क–11 आर–171 दिनांक 17 नवम्बर, 1971 के अधीन एक योजना प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी और सुनवाई के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना को अधिसूचना संख्या–3435/30-2-11आर/71, दिनांक 24-8-85 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

2–इस योजना द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर केवल परिवहन निगम की बस सेवा संचालन हेतु अधिकृत किया गया :–

1–मेरठ–हापुड़–गुलावठी–बुलन्दशहर

2–मेरठ–हापुड़–पिलखुआ-फरीदनगर

3–मेरठ–हापुड़–सिम्भावली–दतियाना

4–मेरठ–हापुड़–कुचेसर–भोनबहादुरनगर–सथला–सिआना

5–मेरठ–हापुड़–सिम्भावली–हरौरा

6–मेरठ–हापुड़–गुलावठी–धौलाना

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

7–मेरठ–हापुड़–बक्सर–फत्तापुर

8–बुलन्दशहर–गुलावठी–भोनबहादुरनगर

9–दनकौर–सिकन्दराबाद–गुलावठी–भोनबहादुरनगर–सिआना

10–मेरठ–हापुड़–गुलावठी–सिकन्दराबाद–दनकौर

11–बुलन्दशहर–गुलावठी–धित्तसोना वाया सैदपुर

12–मेरठ–हापुड़–सिम्भावली–बहादुरगढ़

13–बुलन्दशहर–सिकन्दराबाद–दनकौर

3–परिवहन निगम ही उक्त मार्गों पर चलने हेतु अधिकृत था । योजना का मुख्य प्राविधान यह था कि योजना में उल्लिखित 13 मार्गों पर केवल परिवहन निगम द्वारा अपनी सेवाओं का संचालन किया जायेगा तथा परिवहन निगम से भिन्न किसी अन्य को इन मार्गों पर संचालित करने का अधिकार न होगा ।

4–मेरठ बुलन्दशहर एवं सम्बद्ध मार्गों को योजना के अन्तर्गत दिनांक 24-8-85 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया । निजी बस चालकों ने मा० उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की । मा० उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 24-8-85 को इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी कि योजना में पर्याप्त बस सेवा की व्यवस्था नहीं की गयी है । मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजना को संशोधित करने के आदेश दिये गये । तद्नुसार शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–490/30-295-736/88, दिनांक 20 मार्च, 1995 में यह प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रीयकरण की योजना में इस प्रकार संशोधन कर दिया जाय कि परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ इस समय जो निजी बस मालिक अपनी बसें चला रहे हैं उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाय ।

5–उक्त विज्ञप्ति के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई करने के उपरान्त श्रवणाधिकारी ने कतिपय संशोधनों के साथ विज्ञप्ति दिनांक 15-3-96 को अनुमोदित कर दी । एक वर्ष की समयावधि में योजना प्रकाशित न किये जाने की दशा में अधिसूचना लैप्स हो गई । इससे क्षुब्ध होकर निजी बस संचालकों ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका योजित की । मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-11-97 के आदेश द्वारा प्रश्नगत अधिसूचना अन्तिम रूप से प्रकाशित किये जाने के आदेश दिये गये । मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27-11-97 के विरुद्ध राज्य सरकार ने मा० सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर की जो मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4-12-98 को खारिज कर दी गई ।

6–मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-11-97 द्वारा कार्यवाही अपेक्षित हो गई । मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना संख्या–310/30-2-99-736ए/88, दिनांक 9 मार्च, 1999 निर्गत कर दी गयी है । जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना सरकारी गजट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है । अधिसूचना में 12 मार्गों पर परिवहन निगम के साथ-साथ मार्ग के निजी परमिट धारकों को भी अपनी बसें चलाने हेतु अधिकृत कर दिया गया है । ।

प्रदेश में राष्ट्रीय बचत एजेन्सी के नवीनीकरण में राष्ट्रीय बचत निदेशालय के आदेशों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत मानक अभिकर्ता प्रणाली से संबंधित कार्यकारी निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार एजेन्टों की नियुक्ति मूलतः तीन वर्ष की अवधि के लिये की जाती है। इसका नवीनीकरण एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जा सकता है। तदनुसार प्रदेश में एजेन्टों की एजेन्सी का नवीनीकरण किया जा रहा है।

2–गाजियाबाद जनपद में जिला बचत कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा भी अधिकृत एजेन्टों की एजेन्सी का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है।

नवीनीकरण में भ्रष्टाचार के संबंध में किसी अभिकर्ता द्वारा की गई कोई शिकायत जिलाधिकारी, गाजियाबाद के संज्ञान में नहीं है। जनपद गाजियाबाद में एजेन्टों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि जनसाधारण में एजेण्ट बनने की भावना में कोई कमी नहीं आई है।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के मुख्यालय ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर का पानी गन्दा होने के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–16 मा० मंत्री के अनुरोध पर स्थगित किया गया।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों में सदस्य विधान सभा के पदेन सदस्य न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[संविधान (तिहत्तरहवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद, 243–ग जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना के विषय में व्यवस्था की गयी है। उक्त अनुच्छेद में राज्य के विधान मण्डल को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोक सभा और राज्य सभा की विधान सभा के सदस्यों को जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतया या भागतः समाविष्ट है ऐसी पंचायत में और राज्य सभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषद् के सदस्यों जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती (क्षेत्र पंचायत) स्तर पर पंचायत में तथा जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिला स्तर की पंचायत (जिला पंचायत) में प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था कर सकता है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत लोक सभा/विधान सभा सदस्य एवं राज्य सभा/विधान परिषद् सदस्य को क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाया गया है।

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2– उक्त अनुच्छेद–243–ग (5) (ख) में यह व्यवस्था है कि मध्यवर्ती स्तर (क्षेत्र पंचायत) या जिला स्तर (जिला पंचायत) पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा ।

3–संविधान के अनुच्छेद–243–ग के खण्ड–5 (ख) की उक्त व्यवस्था के कारण प्रमुख/उप प्रमुख के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही मत दिये जाने की व्यवस्था है । उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6 (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि लोक सभा/विधान सभा या राज्य सभा/विधान परिषद् के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के प्रधान जो पदेन सदस्य हैं को प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार है । चूंकि मा० विधायकगण तथा सांसदगण क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य हैं । अतः उन्हें उसकी कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का अधिकार है । क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने हेतु विधायकों/सांसदों को बैठक की सूचना देकर आमंत्रित किये जाने के संबंध में पुनः आदेश जारी किये जा रहे हैं । ।

प्रदेश में विशेषकर जनपद मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बी०टी०सी० शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। मा० श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रदेश में विशेषकर जनपद मथुरा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं में रिक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं तथा जिला स्तरीय स्थानान्तरण तथा वर्तमान कार्यालय को खाली कराने में अवैध धन की वसूली की गई है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर उ० प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापन सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने का प्राविधान है । नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जाता है । प्रमाण-पत्र सत्य पाये जाने पर ही नियुक्तियां की जाती हैं । जहां तक जनपद मथुरा में फर्जी नियुक्तियों आदि का प्रश्न है इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा से प्राप्त की गई आख्या के अनुसार वर्ष 1998 तक अन्य जनपदों से स्थानान्तरित होकर आये अध्यापकों को पदस्थापन किया गया । पदस्थापन के दौरान पदस्थापित अध्यापकों के प्रमाण-पत्रों के संदिग्ध होने की स्थिति संज्ञान में लाये जाने पर उनके प्रमाण-पत्रों की सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से सम्पर्क करके सत्यापन कराया गया । सत्यापन में स्थानान्तरित अध्यापकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये जिसके फलस्वरूप उनके वेतन का भुगतान रोक दिया गया है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से प्राथमिकी दर्ज किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है । मा० मंत्री महोदय की जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही एवं संस्तुति शासन स्तर पर अभी प्राप्त नहीं है जिसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी । जहां तक

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्तमान कार्यालय भवन को खाली करने हेतु सौदेबाजी एवं अपार सम्पत्ति जमा करने के बिन्दु उठाये गये हैं, उन पर सम्प्रति विभागीय जांच कर ली जायेगी ।।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

15 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०–51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45)

संलग्नक

क्रम सं०	जनपद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1	आगरा	03
2	अलीगढ़	01
3	एटा	01
4	फिरोजाबाद	01
5	इलाहाबाद	10
6	कौशाम्बी	04
7	कानपुर नगर	01
8	इटावा	01
9	फर्रुखाबाद	02
10	कन्नौज	02
11	कानपुर देहात	03
12	फैजाबाद	01
13	अम्बेदकर नगर	04
14	सुल्तानपुर	01
15	पौढ़ी गढ़वाल	02
16	चमोली	05
17	देहरादून	01
18	टेहरी गढ़वाल	06
19	उत्तर काशी	04
20	गोरखपुर	01
21	पडरौना	02
22	जालौन	04
23	पिथौरागढ़	01
24	लखनऊ	04
25	हरदोई	01
26	रायबरेली	01

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
27	गौतमबुद्ध नगर	02
28	बागपत	01
29	बुलन्दशहर	02
30	गाजियाबाद	01
31	बरेली	01
32	शाहजहांपुर	02
33	बिजनौर	02
34	रामपुर	04
35	वाराणसी	01
36	चन्दौली	01
37	आजमगढ़	01
38	बलिया	01
39	मऊ	02
40	बस्ती	02
41	हमीरपुर	02
42	बलरामपुर	02
43	श्रावस्ती	02
44	मेरठ	02
		योग– 99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 252 विधान सभा (702)–2001–813 (डी०टी०पी०) ।